लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 7 अगस्त, 1984/16 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 3, "233, 235" के स्थान पर "233 से 235" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति नीचे से 5, "श्री हरिकेश बहादुर" के स्थान पर "श्री हरिकेश बहादुर" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), अंतिम पंक्ति, "श्री के मायतेवर" के स्थान पर "श्री के0मायातेवर" पढ़िये।

पृष्ठ 17, पंक्ति 6, "डा0बंसल कुमार पण्डित" के स्थान पर "डा0 वसन्त कुमार पण्डित" पढ़िये।

पृष्ठ 20, पंक्ति 17, "श्री धर्मवीर सिंह" के स्थान पर "श्री धर्मवीर" पढ़िये।

पृष्ठ 22, पंक्ति 16, "गाया" के स्थान पर "गया" पढ़िये।

पृष्ठ 24, नीचे से पंक्ति 8, "कर्नाटक मनी" के स्थान पर "कर्नाटक" पढ़िये।

पृष्ठ 25, पंक्ति 15, "योगेन्द्र झा" के स्थान पर "भोगेन्द्र झा" पढ़िये।

पृष्ठ 27, नीचे से पंक्ति 8, "जैना" के स्थान पर "जेना" पढ़िये।

पृष्ठ 46, अंतिम पंक्ति, पृष्ठ 53, पंक्ति 14, पृष्ठ 76, पंक्ति 9, पृष्ठ 93, पंक्ति पृष्ठ 150, पंक्ति 14, पृष्ठ 200, पंक्ति 6 और पृष्ठ 208, पंक्ति 12 "बर्सत" के स्थान पर "वर्सात" पढ़िये।

पृष्ठ 56, पंक्ति 9, "धर्मबोर" के स्थान पर "धर्मवीर" पढ़िये।

पृष्ठ 86, पंक्ति 20, "58, 11" के स्थान पर "58·11" पढ़िये।

पृष्ठ 89, पंक्ति 5, "श्री एम0के0शेजवलकर" के स्थान पर "श्री एन0के0शेजवलकर पढ़िये।

पृष्ठ 91, नीचे से पंक्ति 3, अ0प्र0संख्या "3312" के स्थान पर "2312" पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 6 और पृष्ठ 97, पंक्ति 1 "राज्य मंत्री" के स्थान पर "उप मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 98, पंक्ति 13, "श्री जोतेन्द्र प्रसाद" के स्थान पर "श्री जितेन्द्र प्रसाद" पढ़िये।

पृष्ठ 100, पंक्ति 6, "गौड़ा" के स्थान पर "गौडा" पढ़िये।

पृष्ठ 108, पंक्ति 3, "दोयु" के स्थान पर "दोव" पढ़िये।

पृष्ठ 118, पंक्ति 7 व 13, "राउकेला व राउकेता" के स्थान पर "राउरकेला" पढ़िये।

पृष्ठ 118, पंक्ति 14, "वीरसितरापुर" के स्थान पर "वीरमितरापुर" पढ़िये।

पृष्ठ 137, पंक्ति 20, "अ0प्र0संख्या "2369" के स्थान पर "2368" पढ़िये।

पृष्ठ 148, पंक्ति नीचे से 3, "गेहाटी" के स्थान पर "गोहाटी" पढ़िये।

पृष्ठ 156, अंतिम पंक्ति, पृष्ठ 166, पंक्ति 4, पृष्ठ 187, प्रथम पंक्ति "दलवीर" के स्थान पर "दलबीर" पढ़िये।

पृष्ठ 161, पंक्ति 21, 16 के आगे "पंजाब" अंत:स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 180, पंक्ति 2, "शीर्षक में "उपान्तिमों" के पश्चात् " के आयात" अंत:स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 182, पंक्ति 2 शीर्षक में, "क्षेत्रवार" के स्थान पर "वर्षवार" पढ़िये।

पृष्ठ 182, अंतिम स्तम्भ (कालम) में पंक्ति 5 के नीचे "लाख रुपयों में" जोड़िये।

पृष्ठ 211, पंक्ति 5, नीचे से अ0प्र0संख्या "2457" के स्थान पर "2447" पढ़िये।

पृष्ठ 219, पंक्ति 9, "सम्बादाता" के स्थान पर "संवाददाता" पढ़िये।

पृष्ठ 221, अंतिम पंक्ति, और पृष्ठ 222, पंक्ति 2, "श्री अटल बिहारी बाजपेयी के स्थान पर "श्री अटल बिहारी वाजपेयी" पढ़िये ।

पृष्ठ 245, नीचे से पंक्ति 3, "उपाध्यक्ष महोदया" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 271, पंक्ति 16, "हैं सिद्ध जाती है ।" के स्थान पर "वे सिद्ध होती की हैं ?" पढ़िये ।

पृष्ठ 296, पंक्ति 10, पृष्ठ 301, पंक्ति 7 व नीचे से पंक्ति 6, पृष्ठ 302, पंक्ति 22 और पृष्ठ 303, नीचे से पंक्ति 8, "प्रणब" के स्थान पर "प्रणव" पढ़िये ।

पृष्ठ 314, पंक्ति 21, "सेक्रेटी टु० वि०" के स्थान पर "सेक्रेटी टू दि" पढ़िये ।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 50, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 12, मंगलवार, 7 अगस्त, 1984/16 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 229 से 231 और 233, 235	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—218
तारांकित प्रश्न संख्या : 228, 232, 236 से 247	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2242 से 2456	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	222—223
राज्य सभा से सन्देश	224
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	225—247
शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने में कठिनाइयां, पाठ्य पुस्तकों और कापियों की अनुपलब्धता और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	
श्री हरिकेश बहादुर	225
श्रीमती शीला कौल	227
श्रीमती जयन्ती पटनायक	235
श्री हीरालाल आर० परमार	240
श्री जैनुल बशर	243

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	247
65वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	248—253
(एक) पाकिस्तान द्वारा दी गई धमकी को देखते हुए परमाणु विकल्पों के सम्बन्ध में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	248
श्री माधव राव सिंधिया	
(दो) रेणुकूट में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता	248
श्री राम प्यारे पनिका	
(तीन) खीरी (उत्तर प्रदेश) के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता	249
श्रीमती ऊषा वर्मा	
(चार) भारत आने वाली चार्टर्ड उड़ानों की सुविधा मद्रास को भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता	249
श्री एस० टी० के० जक्कायन	
(पांच) रेल-विभाग में ठेका मजदूर प्रथा को समाप्त करने और उन मजदूरों को रेल-कर्मचारी माने जाने की आवश्यकता	250
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	
(छः) राजस्थान के कुछ जिलों में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्वित	250
श्री राजेश पाइलट	
(सात) टेलीफोन सेवाओं में गिरावट	251
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	
(आठ) कपड़ा उद्योग में संकट और बन्द मिलों को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता	252
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	

विषय	पृष्ठ
(नौ) गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) में कुछ बड़े उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता	252
श्री विलास मुत्तेमवार	
भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक विधेयक—जारी	235—303
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	253—303
प्रो० रूपचन्द पाल	253
श्री जेवियर अराकल	257
श्री जगपाल सिंह	259
श्री एस० टी० के० जक्कायन	261
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	262
श्री गिरधारी लाल डोगरा	264
श्री केयूर भूषण	265
श्री चित्त बसु	267
श्री मूलचन्द डागा	270
श्री सतीश अग्रवाल	272
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	279
श्री नारायण चौबे	281
श्री गिरधारी लाल व्यास	284
श्री के० मायातेवर	287
श्री मगनभाई बरोट	290
श्री प्रणव मुखर्जी	292
खण्ड 2 से 72 और 1	
पारित किए जाने का प्रस्ताव	303
श्री प्रणव मुखर्जी	303

विषय	पृष्ठ
भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1984	304—323
विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री योगेन्द्र मकवाना	304
श्री सत्य गोपाल मिश्र	306
श्री डी० पी० यादव	308
श्री सूरजभान	311
श्री चन्द्रपाल शैलानी	315
श्री नीलालोहितदसन नाडार	316
श्री के० मायतेवर	322

लोक सभा

मंगलवार, 7 अगस्त, 1984/16 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कम बिजली तैयार किया जाना और बायलरों को ओवरहाल करना

*229 **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली बोर्डों द्वारा कम बिजली तैयार किए जाने का कारण बिजली बोर्डों के कर्मचारियों का अप्रशिक्षित होना, गम्भीर मामलों के प्रति उचित ध्यान न दिया जाना, घटिया किस्म का सामान सप्लाई किया जाना और धनराशि की कमी है ;

(ख) क्या यह अनिवार्य है कि बायलरों को प्रतिवर्ष ओवरहाल किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा आम तौर पर 3-4 वर्षों के बाद किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उन यूनिटों के संबंध में स्थिति क्या है जिनके लिए केन्द्र सीधे उत्तरदायी है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) जल विद्युत केन्द्रों के लिए निर्धारित विद्युत कार्यक्रम सामान्यतः पूरा कर लिया जाता है । तथापि संयंत्र और उपस्कर में कमियों, यूनिटों की मरम्मत करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों के पास साधनों की कमी, अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयला उपलब्ध न होना, अतिरिक्त पुर्जों का उपलब्ध ना होना या सप्लाई में विलम्ब, लम्बी अवधि की जबरन बंदियों, प्रशिक्षित प्रचालन और अनुरक्षण पर्याप्त न होना और चालू की गई नई यूनिटों द्वारा सुनिश्चित प्रचालन करने में लम्बा समय लगने जैसे कई कारणों की वजह से ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम कम रहा है ।

भारतीय बायलर अधिनियम के अन्तर्गत सामान्यतः बायलर का उपयोग बारह महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जाता है । जिसके उपरान्त उपभोक्ता को प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना पड़ता है । वायलर के उपयोग को प्राधिकृत करनें के प्रमाण पत्र का नवीकरण करने के लिए निरीक्षण

किया जाता है। ताप विद्युत केन्द्रों में बायलरों का निरीक्षण उसके ओवरहालिंग और अनुरक्षण कार्य के दौरान जो सामान्यत: बंदी की अवधियों अथवा अनुरक्षण और निरीक्षण आदि के लिए बंदियों के दौरान किया जाता है। बायलरों की ओवर हालिंग विद्युत सप्लाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी की जाती है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : सरकार की ओर से प्रश्न के उत्तर में यह एडमिट कर लिया गया है कि प्लांट और ईक्विपमेंट में डैफीश्येंसी आदि के कारण विद्युत उत्पादन कार्यक्रम से कम रहा है। जब प्लांट और ईक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, उनको इन्सटाल या कमीशन किया जाता है तो इस बात को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता। दूसरे, हमारे गांवों को आवश्यकता के अनुरूप बिजली नहीं मिल पाती। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है, यद्यपि हम छठी योजना के टार्गेट्स को भी एचीव नहीं कर पाए हैं, कुछ टार्गेट्स अभी भी पूरे किए जा रहे हैं, क्या आपने आगामी पंजवर्षीय योजना में आवश्यकता से अधिक सरप्लस बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है या नहीं। क्योंकि हमारे पावर प्लांट्स बहुत कम कैपेसिटी से चलते हैं। यदि हां, तो कितने सरप्लस का लक्ष्य रखा है।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जब स्टेट बिजली बोर्डों के पास धन की कमी है, वे मेन्टेनैंस का कार्य नहीं कर सकते, क्या इस काम में सैन्ट्रल गवर्नमैंट उनको सहायता देगी या नहीं या स्टेट बोर्डस के ऊपर ही इस कार्य को छोड़ दिया जाएगा, भले ही वहां पावर प्लांट्स चलें या नहीं चलें।

तीसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं कि मेन्टेनैंस कार्य के लिए जिस ट्रेन्ड स्टाफ की आवश्यकता होती है, उसकी हमारे बोर्डों में कमी है। उस कमी को दूर के लिए जिस तरह से आई. ए. एस. आई. पी. एस. आदि आल इण्डिया लेवल की सर्विसेज होती हैं, क्या आल इण्डिया इंजीनियरिंग सर्विसेज भी बनाने का सरकार विचार रखती है ताकि सभी बिजली बोर्डों को उनकी सुविधा उपलब्ध हो सके और हमारे इलैक्ट्रिसिटी सब स्टेशन्स का मेन्टेशन्स अच्छा हो सके और किसानों को ठीक तरीके से बिजली मिलती रहे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय अध्यक्ष जो, छठी योजना के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं जो 14,500 मेगावाट के लगभग है। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से सहायता देने के लिए जिससे वह अपने प्रोजेक्ट्स को ठीक करा सकें, उसके लिये पहले भी सदन में बताया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार ने 500 करोड़ रु० की योजना स्वीकृत की है जो प्लान्ट मोडर्नाइजेशन और रिनोवेशन के लिए 3 साल के अन्दर इस्तेमाल होगा। और इसका उद्देश्य ही यह है कि इस वक्त जो मौजूदा प्लान्ट्स काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी यूनिलाइजेशन को बढ़ाया जा सके, प्लान्ट लोड फैक्टर को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन को स्थापित करने का भी फैसला किया है जिससे हम राज्य सरकारों की मदद कर सकेंगे। नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए और पुराने प्लान्ट्स के रिनीवेशन और मोडर्नाइजेशन करने के लिये।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : सेन्ट्रल सर्विस आफ इंजीनियरिंग के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि नार्थ के अन्दर ब्लैक आउट हो गया था इसका कारण बायलर में खराबी हुई, मुझे मालूम नहीं उसका मेन्टेनेंस कैसे करते हैं। लेकिन जब दिल्ली का सवाल आता है तो बायलर के मेन्टेनेंस और नार्थ में ब्लैक आउट दुबारा न हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? अभी बदरपुर और बाकी जगहों से, भाखड़ा से बिजली लेते हैं, और बदरपुर की 720 मेगावाट कैपेसिटी है, लेकिन कम पैदावार के कारण तीनों जगह से बिजली ले रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि जो बदरपुर और भाखड़ा है इनकी कैपेसिटी जितनी है उसको पूरा चलाने के लिए कोशिश करेंगे ? क्योंकि दिल्ली की जो आबादी बढ़ रही है और हर साल से ज्यादा कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, तो इस कमी को मिटाने के लिए सरकार के पास क्या प्रोग्राम है ? और जो बिजली घर कम बिजली पैदा कर रहे हैं। विशेषकर बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ, इनमें आप क्या सुधार करने जा रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इन्द्रप्रस्थ, बदरपुर या दूसरे स्टेशन्स के लिये मैं पहले ही कह चुका हूं कि 500 करोड़ रु० की एक योजना स्वीकृत की गई है जिससे मौजूदा प्लान्ट्स का मौडर्नाइजेशन और रिवोवेशन हो सके। उस रुपये को तीन साल के अन्दर लगाया जा सकेगा।

कैपेसिटी यूटिलाइंजशन को किस तरह से बढ़ाया जाय उसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। तो कई एक स्टैप्स उसके लिये लिये गये हैं।

वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिये, बहुत से उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें राज्य विद्युत बोर्डों एवं बिजली घरों को संयंत्र सुधार कार्यक्रम को तैयार करने एवं लागू करने के लिये सहायता देना। संयंत्र बंद रहने की अवधि को कम करने के लिये निवारक रख रखाव तकनीक अपनाना देशी एवं विदेशी स्त्रोतों से अतिरिक्त कल पुर्जों की व्यवस्था करना, बिजली घरों पर कोयले की संयुक्त नमूना प्रणाली से कोयले की अपेक्षित किस्म एवं स्तर की व्यवस्था करना ईकाइयों का जल्दी स्थायीकरण करने के लिये कार्यवाही दलों का गठन करना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परिचालन विशेषज्ञों के भ्रमण दल की मात्राओं की व्यवस्था करना जिसका कार्य, कार्य संचालन की निगरानी करना तथा सलाह देना एवं संयंत्र चलाने वाले एवं रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्षजी, यह बार-बार सदन में कहा गया है कि 210 मेगावाट क्षमता की जो विद्युत उत्पादन यूनिट बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित की जा रही हैं इसमें वायलर की डिजाइन डिफेक्टिव होने की वजह से, या जो कोयला देश में प्राप्त हो रहा है वह ठीक न होने के कारण यह उतनी उत्पादन क्षमता पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इनकी जैनरेशन कैपेसिटी में शिकायत आती है और उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह लोक सभा में बताया था कि एन० टी० पी० सी० के माध्यम से 500 मेगावट क्षमता की 10 इकाइयां देश में स्थापित की जा रही हैं। तो जो नए जैनरेटर की बी०एच०ई०एल० द्वारा बनाये जा रहे हैं उनके बायलर की डिजाइन में संशोधन कर दिये हैं ताकि जो कोयला हमें मिल रहा है उसके अनुसार वह काम कर सकें, और क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि नहीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : डिजाइन के जिन डिफेक्ट्स के कारण विद्युत परिषदों को दिक्कतें आई और जिनकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, सैंट्रल इलैक्ट्रिकसिटी एथारिटी ने उनके बारे में बी० एच० ई० एल० के साथ बातचीत की है और उन्होंने फैसला किया है कि कोयले की क्वालिटी और उन दिक्कतों को देखते हुए, विद्युत परिषदों को जिनका सामना करना पड़ा है, बी० एच० ई० एल० अपने डिजाइन्ज में वांछित संशोधन करेंगे।

कोयले की खराब किस्म के बारे में ताप संयंत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन

*230. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप संयंत्रों/राष्ट्रीय बिजली उपयोगिता परिषद के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार को दिए ज्ञापन में दिया है कि कोल इंडिया लि० द्वारा सप्लाई किया गया कोयला बहुत घटिया किस्म का है और कोल इंडिया बिजली संयंत्रों की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है ;

(ख) बिजली संयंत्रों को घटिया किस्म का कोयला मिलने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) कोयले की घटिया किस्म के कारण केवल बिजली घरों को ही हुए नुकसान की मात्रा बताना संभव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय विद्युत उपक्रम समिति बिजली बोर्डों/विद्युत उपक्रमों का एक गैर सरकारी संगठन है और उसमें ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई से संबंधित समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से बिजली घरों को सही किस्म का और सही मात्रा में कोयला सप्लाई करने की जरूरत पर बल दिया गया है।

बिजली क्षेत्र भारत में कोयले का प्रमुख उपभोक्ता है। बिजली घरों को कोयले का प्रेषण हर साल बढ़ता रहा है जोकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	बिजली घरों को मिडलिंग सहित कोयले का प्रेषण (मि० ट० में)	पिछले वर्ष से वृद्धि का %	योजना आयोग द्वारा निर्धारित मांग (मि० ट० में)	पूर्ति का प्रतिशत
1980-81	36.70	+ 5.3	41.0	89.5
1981-82	46.35	+26.3	45.5	101.9
1982-83	51.61	+11.3	52.0	99.2
1983-84	58.11	+12.6	58.50	99.3

वर्ष 1983-84 में 58.11 मिलियन टन के प्रेषण में से कोल इंडिया लि० का प्रेषण 51.56 मि० टन था जो कि कोल इंडिया लि० को बताई गई मांग (51.15 मिलियन टन) का 100.8 प्रतिशत बनता है। इससे यह स्पष्ट है कि कोल इंडिया लि० ने बिजली घरों की मांग सारी माँग से भी अधिक पूरी की है।

जहां तक किस्म का सवाल है, शिकायतें मुख्य रूप से जरूरत से बड़े आकार की सप्लाई और कोयले के साथ-साथ बाहरी पदार्थ चले जाने के बारे में है। जरूरत से ज्यादा बड़े आकार के कोयले और कोयले में कंकड़ पत्थर तथा अन्य पदार्थों के होने की समस्या के उठाने का कारण यह है कि कोयले का लदान और खनन बड़ी ओपेनकास्ट खानों में यंत्रीकृत तरीके से किया जाता है। उपभोक्ताओं को और विशेषकर बिजली घरों को कोयला सप्लाई की किस्म में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. हर कोयला कंपनी में एक स्वतंत्र किस्म नियंत्रण संगठन स्थापित किया गया है।

2. कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना जिनमें जहां जरूरी हो वहां कोयले को सही आकार देने और उसकी छनाई की व्यवस्था हो। इस समय 100 लघु कोयला रख-रखाव संयंत्र और 50 बड़े कोयला रख-रखाव संयंत्र काम कर रहे हैं और वह कुल उत्पादित कोयले के 47% भाग का रख-रखाव करते हैं। वर्ष 1986-87 तक कोयला रख-रखाव संयंत्रों की संख्या बढ़कर 308 (130 बड़े और 178 छोटे) हो जायगी तथा संयंत्रों द्वारा उत्पादन के 88% कोयले का रख-रखाव होने लगेगा।

3. बिजली बोर्डों से कहा गया है कि वे कोयला कंपनियों से ऐसे समझौते करें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयला सप्लाई का संयुक्त नमूना लेने की और कोयला सप्लाई की किस्म के अनुसार बोनस/जुर्माने के भुगतान की व्यवस्था हो।

4. एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में कोयला नियंत्रक को यह शक्तियां दे दी गई हैं कि वह कोयला खानों में कोयला सीमों के ग्रेड निर्धारित करें और उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले के भी ग्रेड निर्धारित करें। इस काम के लिए वह नमूने ले सकते हैं

और या तो अपने आप अथवा किसी उपभोक्ता की शिकायत पर कोयले का परीक्षा करा सकते हैं। इस मामले में कोयला नियंत्रक का निर्णय अन्तिम होगा।

5. कोयला कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि वे नियंत्रित विस्फोटन के जरिए और जहां कहीं कोयला रख-रखाव संयंत्र न हों वहां कंकड़ पत्थर आदि को मजदूरों द्वारा हाथ से निकलवाकर कोयला सप्लाई की किस्म सही रखने का प्रयास करें।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर जो स्टेटमेंट रखा है···

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : वक्तव्य।

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे अच्छा शब्द सुझाने के लिये आपको धन्यवाद !···जो वक्तव्य रखा है, उसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। मैंने पूछा है कि नैशनल कौंसिल आफ पावर यूटिलिटीज ने जो मेमोरेंडम भेजा है, उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए है। मंत्री महोदय ने कदम उठाने की बात कही है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि क्या उन कदमों को उठाने के परिणामस्वरूप कोयले के मामले में जो कमियां हैं, क्या वे पूरी हो सकेंगी। इस देश में बिजली की कमी है और उसके कारणों में सबसे बड़ा कारण कोयले की क्वालिटी में गिरावट है। यह सवाल अनेक समितियों द्वारा बार-बार उठाया गया है और कहा गया है कि कोयले की कमी और उसकी क्वालिटी के बारे में सरकार कदम उठाए। लेकिन हम देखते हैं कि स्थिति ज्यों की त्यों है। एमिनेंट इंजीनियर, श्री थाताराव, ने इस मेमोरेंडम में कोयले की सप्लाई के बारे में जो एलिगेशन्ज लगाई हैं, वे निश्चित रूप से विचारणीय हैं। कोयले के साथ सैकड़ों टन पत्थर, हजारों टन राख, लोहे के कपलिंग्ज और रेलवे का अन्य सामान जाता है, पेमेंट में कमी होती है, जिसके कारण अनेक पावर हाउस डैमेज हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, क्या उसने उनका मूल्यांकन किया है कि उनके परिणामस्वरूप पावर हाउसिज में कोयले की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं, अगर नहीं किया है, तो क्या मंत्री महोदय केवल कदम उठाने से ही संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री दलबीर सिंह : एक प्राईवेट आर्गनाइजेशन ने अपने मेमोरेंडम में कोयले की क्वालिटी और सप्लाई के मुताल्लिक जो बातें कही हैं, उनका जवाब इस स्टेटमेंट में दे दिया गया है। क्वालिटी को इम्परूव करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे भी डीटेल में दिए गए हैं। कोयले की क्वालिटी को सुधारने के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट में पत्थर और दूसरे एक्सट्रेनियम मैटीरियल को कोयले से अलग करने के अरेंजमेंट्स है।

अभी तक 47 परसेंट कोल का प्रोडक्शन उसके नीचे आ चुका है और 86-87 तक 88 परसेंट कोल के टोटल प्रोडक्शन का, हैंडलिंग प्लांट के अन्तर्गत ले जाया जायगा जिसके अन्दर कोल की क्वालिटी आटोमेटिकली सुधरती चली जायगी। यह कहना गलत है कि अभी तक कोल की कोई क्वालिटी नहीं सुधरी। कोल की क्वालिटी में सुधार आया है लेकिन कोल की क्वालिटी के मुताल्लिक यह है कि ज्यों-ज्यों हम पुरानी खानों के अन्दर नीचे जाते हैं और कोयला आगे निकलता जाता है, उसकी क्वालिटी आटोमेटिकली डेटरिओरेट होती जाती है और नयी खानों के अन्दर भी

जहाँ ओपेन कास्ट माइन्स हैं, उनके अन्दर भी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होने के कारण ऐसा होता है क्यों कि हमारी बेसिकली कोल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। उसके कारण भी वह क्वालिटी खराब होती है। लेकिन कोल हैंडलिंग प्लान्ट के जरिए वह सारा कवर हो जायगा और जैसा मैंने कहा 86-87 के अन्दर 88 परसेंट इसके नीचे आ जायगा और इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी।

यह कहना कि सारा का सारा जितना भी जेनरेशन है सिर्फ कोल की क्वालिटी की वजह से उसके प्लान्ट लोड फैक्टर में कमी आती है, यह बात नहीं है। इसके और बहुत से कारण भी हैं। यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इससे जुड़े हुए दूसरे कारण भी हैं जिनकी वजह से उसका जेनरेशन कम होता है। अब देखिए कि एक ही क्वालिटी का कोल, जैसे सिंगरौली का कोल ही कोटा में जाता है, उसके अन्दर प्लान्ट लोड फैक्टर 80 परसेंट है और ओबरा के अन्दर जाता है, वहां उसका 30 परसेंट प्लान्ट लोड फैक्टर है। क्वालिटी आफ कोल के ऊपर हो तो उसका भी प्लान्ट लोड फैक्टर एक ही होना चाहिए। ये डिफरेंट उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि मैंने यह बताने की कोशिश की कि सिर्फ कोल की क्वालिटी और कोल ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके कारण प्लान्ट लोड फैक्टर इम्प्रूव किया जा सके। और भी कारण हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय शिव शंकर जी इसको रिकंसाइल करें कि सिंगरौली का कोयला कोटा और ओवरा में इतना फर्क क्यों डालता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : बहुत से फैक्टर्स हैं। वहाँ का वायलर है, जेनरेटर का डिजाइन है, मैनेजमेंट की कमी और ट्रेनिंग परसोनेल की कमी ये सब चीजें मिलकर इसका कारण बनती हैं। यह नहीं है कि केवल कोल ही कारण है। यह जरूर है कि कोल एक मेजर फैक्टर है।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : मन्त्री जी ने जवाब देने की कोशिश तो की है लेकिन मुझे स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। मैंने स्वयं यह कहा है कि बिजली के उत्पादन में कमी के कारणों में और चीजों के अलावा कोयला भी एक बड़ा कारण है और आपने भी तथ्यों से इस बात को स्वीकार किया सिंगरौली का उदाहरण देकर और कोटा और ओबरा का उदाहरण देकर कि पावर हाउसेज में इनएफिश्येंसी है, उसकी वर्किंग ठीक नहीं है इसलिए एक जगह उसी कोयले से प्लान्ट लोड फैक्टर ज्यादा है, दूसरी जगह कम है। अब यह तो आप देखें कि कैसे एफिश्येंसी को ठीक करेंगे।

मैं आपका ध्यान जो मेमोरेंडम का रेलीवेंट पोर्शन है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। आप कहते हैं कि कोयले की क्वालिटी खराब है। मैंने जो एलीगेशन्स लगाए थे कि उसमें पत्थर आते हैं, दूसरी एक्सट्रैनियस चीजें आती हैं, उसको रोकने के बारे में आपने क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। मैमोरेंडम में यह है :

मैं ज्ञापन में से उद्धृत कर रहा हूं।

"यह विदित है कि राष्ट्रीयकरण के पहले कोयला-खानों में काफी अधिक मात्रा में

सलेट पत्थर और पत्थरों को जमा कर दिया गया था । यद्यपि उसके पश्चात कम से कम 100 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हो चुका है।"

मैं पुष्टि चाहता हूं कि यह सही है अथवा नहीं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं और आगे पढ़ना चाहूंगा—

"मोटे तौर पर यदि पत्थरों और स्लेट पत्थरों की लगभग 10 प्रतिशत मात्रा को भी निकाल दिया जाये तो भी भण्डारों में 10 करोड़ टन और जुड़ जाने चाहिये । यह भी ज्ञात है कि इस प्रकार के भण्डार गायब हो गये हैं। स्पष्ट है कि 3,000 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष लागत पर ये बिजली घरों को भेज दिये गये होंगे ।"

यह एक गम्भीर स्थिति है । जिसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह पत्थर, बोल्डर और दूसरी बड़ी-बड़ी चीजें जो जाती हैं उससे मशीनरी डेस्ट्राय हुई है और पावर-हाउसेज की वर्किंग भी बन्द हुई है। आपने बताया कि एलाबोरेट मेजर्स लिए हैं लेकिन उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता है । जाने वाले पत्थरों को सभी देखते हैं। इसमें कहीं न कहीं पर कोई बड़ी गड़बड़ी है । तो कहीं इसके पीछे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट तो नहीं है— यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री दलबीर सिंह : कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होगा—ऐसा शक ख्वामख्वाह आप क्यों कर रहे हैं ? एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट, पावर डिपार्टमेन्ट पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से इम्प्रूवमेंट आए। उन्होंने जो कोशिश की है उससे प्लान्ट लोडिंग फैक्टर बढ़ा है । जहां तक कोयले का सवाल है, उसमें पत्थरों का सवाल है, हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को सुधारने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं । जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कोल हैंडलिंग प्लान्ट्स में ज्वाइन्ट सैम्पलिंग की व्यवस्था की गई है कि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर देख लिया करें । अभी एक मीटिंग हुई, उसमें फैसला किया गया कि लोडिंग के प्वाइन्ट पर और आगे के प्वाइन्ट पर, दोनों जगह ज्वाइन्ट सैम्पलिंग के जरिए से क्वालिटी को देख लें और अगर कोई दूसरा मैटीरियल उसमें हो तो उसकी जांच कर लें । जांच करने के भी डिफरेंट तरीके हैं । कोल हैंडलिंग प्लान्ट्स के जरिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने और एक्स्ट्रानियस मैटीरियल को निकालने की यह सारी बातें होती हैं । (**व्यवधान**)

श्री नवल किशोर शर्मा : मेमोरेंडम के बारे में आपका क्या कमेंठ है ? यह गलत है, सही है या एग्जाजरेटेड है—आपका क्या कहना है ?

श्री दलबीर सिंह : मेमोरैंडम इतने एलाबोरेट होते हैं कि बहुत सारी चीजों को कवर कर लेते हैं और वह सिर्फ एक डिपार्टमेन्ट से ही ताल्लुक नहीं रखती हैं । बहुत से डिपार्टमेन्ट्स से उनका ताल्लुक रहता है । अगर मेमोरैंडम की बेसिस पर चलें तो पता नहीं कितने डिपार्टमेंट एक साथ आ जायेंगे । इसलिए जो भी बात रेलेवेन्ट है, जितना भी पोर्शन रेलेवेन्ट है उसको नोट करके एक तरीके से काम होता है । अगर सारे मेमोरैंडम पर मैं जाऊं तो वह एक बहुत बड़े डिस्कशन का मजबून बन जायेगा और उसके एक आइटम में ही यह क्वैश्चन आवर खत्म हो जायेगा । इसलिए उसकी सारी चीजों को कवर करना मुमकिन नहीं होगा । रेलिवेन्ट बातों को ही नोट करके उनपर डिपार्टमेंट ऐक्शन लेता है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वे कदम

उठा रहे हैं। यह बात जरूर है कि वे कदम उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कदम बढ़ाने के साथ-साथ मशीनरी को भी तेज करें। मन्त्री जी बताने की मेहरवानी करें यह जो 57 परसेन्ट अभी बाकी है यह कल तक हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि प्लान्ट्स को चलाने की पूरी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट्स पर है या स्टेट गवर्नमेन्ट्स पर भी है ? अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है और यह उनके कन्ट्रोल में हैं तो इस बारे में मन्त्री जी क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं ?

श्री बलवीर सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है कि कब तक करेंगे। 47 परसेन्ट तो उन्होंने मान ही लिया है और जैसा मैंने पहले बतलाया है कि 1986-87 तक 88 परसेन्ट टोटल कोल प्रोडक्शन कोल हैंडलिंग प्लान्ट्स के अन्तर्गत आ जायेगा।

जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, आप जानते ही हैं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने हुए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स को जरा भी टच करो, जैसे साउथ की स्टेट्स हैं या वेस्ट बंगाल की स्टेट है उनको जरा-सा भी टच कर दिया जाता है तो कहते हैं नहीं-नहीं, ऐसा मत करना।

पावर जनरेशन का सवाल आता है। इसके अन्दर भी कन्सलटेटिव कमेटी है, जिसने यूनेनिमस राय दी थी कि किसी तरह से इसको सैन्ट्रल तरीके से इम्प्रूव किया जाए। उसके खिलाफ स्टेट्स के अन्दर रियेक्शन इतना है कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल, इन्स्ट्रैक्शन्स बराबर दी जाती हैं। प्लान्ट लोड फैक्टर और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए इन्स्ट्रक्शन्स दी जाती हैं। बार्ड-एण्ड-लार्ज वे उन इन्स्ट्रक्शन्स को मानते हैं।

श्री ए० के० राय : कोयला रख-रखाव संयंत्र क्या करेंगे यदि ऊर्जा संयंत्रों को पत्थर और सलेटी पत्थर भेजने वाले दल में आप भी शामिल हैं ? हर चमकदार वस्तु सोना नहीं है और सभी काली वस्तुएं कोयला नहीं है। परन्तु कोल इण्डिया लिमिटेड के सिद्धांत के अनुसार जो कुछ काला नजर आता है वह कोयला है चाहे वह पत्थर, सलेट पत्थर अथवा मानव ही क्यों न हो। इसीलिये ऊर्जा मन्त्री जी कोयला क्षेत्रों का दौरा करने कभी नहीं जाते। उन्हें डर है कि कहीं कोयला मजदूर एक दिन उन्हें धक्का न दे दें और जब एक दिन दरवाजे खुले होंगे तो आपको यह देख कर आश्चर्य होगा कि उसमें से मन्त्री जी बाहर आ रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : इस सम्मान के लिये धन्यवाद।

श्री ए० के० राय : मैं दो बातें जानना चाहूंगा ऊर्जा संयंत्रों को पत्थर एवं सलेट पत्थर भेजने के लिए कितने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था ? क्या यह सच है, जैसा कि ज्ञापन में स्पष्टरूप से बताया गया है, कि 3000 करोड़ रुपये मूल्य के पत्थरों को कोयले के नाम पर सप्लाई किया गया ? यह एक राष्ट्रीय अपराध है। क्या किसी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है अथवा नहीं ? क्या यह सच है कि पहले स्लेट-पत्थर को कोयले से अलग करने के लिए स्लेट पत्थर छांटने वाले व्यक्ति रखे जाया करते थे ? आपने उन स्लेट पत्थर छांटने वालों को हटा दिया है और इस कारण कोयले में से स्लेट पत्थर हटाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है तथा आप स्लेट पत्थरों एवं पत्थरों को ऊर्जा संयंत्रों को भेज रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह : जहां तक उल्लंघन के लिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का संबंध है, जब कभी भी किसी अधिकारी ने उल्लंघन किया है तो कार्यवाही हमेशा की गई है। अगर स्लेट पत्थर, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के संबंध में कोई विशेष अधिकारी उत्तरदायी है तो वह मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकूं।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जब कभी भी स्लेट-पत्थर अथवा पत्थर भेजे जाते हैं तो ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उतनी ही कटौती कर दी जाती है क्योंकि वह तुरन्त ही इस बात को पकड़ लेते हैं। कितनी ऐसी कटौतियां की गई हैं? कुछ समय पूर्व बदरपुर बिजली घर ने कोयले के मूल्य में 90 प्रतिशत की कटौती की थी। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था?

श्री दलबीर सिंह : इस बात पर उत्तेजित होने का कोई फायदा नहीं है **(व्यवधान)** प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर किसी अधिकारी ने कोई भी उल्लंघन किया है तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। कोयले की किस्म के बारे में, एक और प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 3000 करोड़ रुपये मूल्य के पत्थरों की आपूर्ति के बारे में क्या कोई विशिष्ट आरोप लगाया है और क्या यह सत्य है?

श्री दलबीर सिंह : वह सही नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और दो मन्त्रियों ने बताया है कि कोयले की खराब किस्म, खराब रख-रखाव और इन्हीं सब बातों से संयंत्र भार घटक की स्थिति अत्यधिक खराब हुई है।

आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों मन्त्रियों ने 'भेल' द्वारा आपूर्ति किये गये वायलरों के दोषपूर्ण डिजायन के बारे में बताया है। में जानना चाहूंगा कि यही कम्पनी 'भेल' लीबिया एवं मलेशिया को भी यही चीजें भेज रही है और कार्य-निष्पादन लगभग शत प्रतिशत है? अगर एक ही डिजायन के वायलर लीबिया तथा मलेशिया को निर्यात किये गये और वे कुशलता पूर्वक कार्य कर सकते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि इसी डिजायन के और इसी तकनीक पर आधारित वायलर जब भारत में दिये गये तो यह क्यों नहीं कार्य कर सकते? क्या ऐसा इसके दोषपूर्ण होने के कारण है? अगर यह दोषपूर्ण है, तो लीबिया और मलेशिया के लिये भी यह दोषपूर्ण होना चाहिये। अगर कारण यह नहीं है तो इसके कुशलतापूर्वक कार्य न करने के क्या कारण हैं?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मेरे माननीय मित्र द्वारा सीधे ही जो प्रश्न किया गया है, उसके बारे में मेरा निवेदन है मानता हूं कि यह सच है कि कुछ विदेशों में 'भेल' द्वारा आपूर्ति किये गये कुछ वायलर और जनित्र बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में जहां तक कोयले का संबंध है, इसकी किस्म पर प्रत्येक खान में भिन्न है। प्रत्येक खान के कोयले की किस्म थोड़ी भिन्न होती है और इसके फलस्वरूप जब यह कोयला किसी विशेष बिजली संयंत्र को दिया जाता है और

अगर वह बिजली संयंत्र के जनित्र और वायलर के लिए कोयले की किसी विशेष किस्म अथवा ग्रेड ही उपयुक्त है तो समस्या उत्पन्न होगी। इसके परिणामस्वरूप संयंत्र भार घटक प्रभावित होता है।

जब मेरे सहयोगी कहते हैं कि कोयले की किस्म की वजह से संयंत्र भार घटक प्रभावित हुआ है, सच यह है कि यह सिर्फ कोयले की वजह से ही नहीं है, अन्य कारण भी वहाँ पर हैं। किंतु मैं स्वीकार करता हूं कि कोयले की किस्म में सुधार होना चाहिये। माननीय सदस्यों ने स्लेट पत्थरों, पत्थरों तथा मेरे बारे में भी बार-बार कहा है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी मेरी योग्यता में भी सुधार होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कार्ला हमेशा ही सुन्दर होता है। मुझे अपने काले बालों पर गर्व है।

श्री पी० शिव शंकर : श्री चक्रवर्ती मैं कुछ अन्य मित्रों के कथनों पर भी विचार करूंगा। अतः मुद्दा यह है कि कोयले की किस्म को सुधारने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाने हैं। उपाय किये जा रहे हैं किन्तु मैं स्वीकार करूँगा कि वे हमारी आशा के अनुसार नहीं हैं अगर कुछ अधिकारी जिम्मेदार ठहराये गये हैं और यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है तो हमने कार्यवाही की है, ऐसा नहीं है कि हमने कार्यवाही न की हो। हाल ही में, कास्ट 'माइनिंग' के यन्त्रीकरण से कोयले की किस्म में गिरावट हुई है। जब उत्पादन कम था तो कोयला छांटने वाले हुआ करते थे परन्तु अब यह मुमकिन नहीं है। वास्तव में, हाल ही में मैंने संयुक्त नमूना लेने की प्रणाली शुरू कर दी है। सभी विद्युत बोर्डों के साथ ठेके दिये जा रहे हैं और वे कोयले की किस्म के अनुसार पैसों का भुगतान करेंगे। अगर इसमें स्लेट-पत्थर आदि होंगे तो वे इसे नहीं लेंगे। वास्तव में, विभिन्न उपाय पहले ही किये जा रहे हैं, और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हमें त्रुटि रहित कार्य करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। किन्तु आज कार्य की स्थिति सदन को मालूम है और मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा प्रयास यही रहा है कि कोयले की किस्म सुधरे। इसके लिये निरन्तर उपाय किये जाने चाहिए।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स हल्दिया में पूंजी निवेश

*231. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स में वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितना पूंजी निवेश किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ख) संयंत्र कब चालू हुआ था और यदि नहीं, तो इसके कब तक चालू होने की संभावना है ; और

(ग) संयंत्र की स्थापित क्षमता की तुलना में अमोनिया का कुल कितना उत्पादन होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 30.6.1984 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया उर्वरक परियोजना में निवेश की गई कुल राशि 337.72 करोड़ रुपये है, जैसे कि ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निवेश की राशि		
	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	योग
1970-71	शून्य	.09	.09
1971-72	.37	2.85	2.65
1972-73	6.28	3.95	10.23
1973-74	9.18	4.61	13.79
1974-75	19.41	7.12	26.53
1975-76	38.04	9.41	47.45
1976-77	34.46	6.46	40.92
1977-78	35.72	2.50	38.32
1978-79	17.56	1.62	19.10
1979-80	21.66	0.82	22.48
1980-81	23.50	0.56	24.06
1981-82	20.62	0.40	21.10
1982-83	32.87	0.73	33.60
1983-84	25.95	0.47	27.42
1984-85 (अप्रैल-जून 1984)	4.90	शून्य	4.90
	291.72	41.00	332.72

(ख) उपस्कर की खराबियों के कारण संयंत्र को अभी तक चालू करना संभव नहीं हो सका है। इस समय अमोनियां संयंत्र कों चालू करने के कार्यकलाप रुके पड़े हैं क्योंकि 1983-84 के अन्त से आक्सीजन कम्प्रेसर उपलब्ध नहीं है, जब 3 आक्सीजन कम्प्रेसरों में से 2 आग से क्षतिग्रस्त हो गए थे और तीसरे कम्प्रेसर में दरार पड़ गई थी। कम्प्रेसरों की मरम्मत करने तथा उन्हें चालू करने के लिए एच. एफ. सी. द्वारा तत्काल उपाय किए जा रहे हैं। ज्यों ही यह हो जाएगा, चालू करने के कार्यकलाप पुनः आरम्भ कर दिए जाएंगे।

(ग) अमोनियां संयंत्र की स्थापित क्षमता 198,000 टन प्रति वर्ष है। संयंत्र द्वारा उत्पादित किए जाने वाले आमोनिया की मात्रा का पता उत्पादन के स्थिर होने के बाद लगाया जा सकता है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण से जो स्थिति बतायी गयी है वह निराशाजनक है। पिछले 15 वर्षों के दौरान हल्दिया उर्वरक परियोजना पर 332 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि व्यय की गई है और इस राशि में से 41 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च किए गए है लेकिन फिर भी इन 15 वर्षों के दौरान, यह संयंत्र चालू नहीं किया जा सका। विवरण के भाग (2) में कहा गया है कि उपकरणों की खराबियों के कारण संयंत्र को अभी तक चालू करना संभव नहीं हो सका है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब प्रौद्योगिकी दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में तीसरे नम्बर पर है, तो हमारे वैज्ञानिक उपकरणों की खराबियों का पता क्यों नहीं लगा सके? क्या इसका कारण यह है कि उस संयंत्र में कई देश मशीनरी लगा रहे हैं अथवा समूचे देश में ही ऐसा ही होता है कि सभी संयंत्रों में इतना अधिक समय लगता है या फिर केवल पश्चिम बंगाल के मामले में ही इतना अधिक विलंब हुआ है? दूसरा कारण यह है कि 1983 में आग लगने के कारण तीन आक्सीजन कम्प्रेसर खराब हो गये थे। क्या संयंत्र में ऐसा किसी यूनियन की गतिविधि के कारण हुआ है या किसी अन्य कारण से? विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच के अनुसार आग लगने के कारण क्या थे?

श्री राम चन्द्र रथ : यांत्रिकी दृष्टि से परियोजना नवम्बर 1979 में पूरी हो गई थी। संयंत्र का यांत्रिकी कार्य पूरा होने से 6 माह पूर्व, अप्रैल 1979 में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली प्रदान करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उस समय, सितंबर में, इस संयंत्र को 50 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता थी। जब अप्रैल में एच. एफ. सी. प्रबंधकों को यह जानकारी दी गई कि पश्चिम बंगाल सरकार बिजली प्रदान नहीं कर सकती, तब सितंबर 1979 में प्रबंधकों द्वारा 20 मेगावाट गैस टरबाइन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया और 1980 में वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यह 1982 में चालू किया गया। यह विलम्ब भी हुआ था। इस अवधि के दौरान, जब यांत्रिकी दृष्टि से संयंत्र पूरा हो चुका था और चालू नहीं किया जा सका, तो बाधायें और अन्य बातें सामने आ गईं। माननीय सदस्य द्वारा दूसरा प्रश्न कंप्रेसर में आग लगने के बारे में पूछा गया है। जिस विशेष समिति ने मामले की जांच की है। उसने यह निष्कर्ष बतायां कि इसमें तोड़ फोड़ नहीं हुई है।

श्री मनोरंजन भक्त : मंत्रालय के अनुसार यह संयंत्र कब लगाया जायेगा? क्या उन्होंने उपकरण या मशीनरी में खराबियों का पता लगाने का प्रयत्न किया है? यह मशीनरी किन देशों से लाई गई थी? यदि मशीनरी खराब पाई गई है, तो संभरण कर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

श्री रामचन्द्र रथ : यह संयंत्र तेल पर आधारित प्रौद्योगिकी पर आधारित था। उस समय ऋण की 13 सुविधाएं उपलब्ध थीं। हमने उनका लाभ उठाया। विदेशी मुद्रा की राशि 41 करोड़ रुपये थी। चूंकि संयंत्र निश्चित समय पर चालू नहीं किया जा सका था, कुछ निश्चित परिस्थितियों के कारण संभरण कर्त्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। परंतु जैसे ही खराबियों का पता चला उन्हें दूर करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है और हमें आशा है कि यह प्रक्रिया निकट भविष्य में पूरी हो जाएगी तथा हम उत्पादन को निर्धारित लक्ष्य के साथ पूरा कर पायेंगे।

श्री सुनील मैत्रा : दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के उत्तर में, मंत्री महोदय ने, जैसा कि उन्होंने अभी बताया है, कहा था कि संयंत्र यांत्रिकी दृष्टि से तैयार है और वह उत्पादन आरंभ करने की स्थिति में है। दिसंबर 1981 और अप्रैल 1982 की अवधि के बीच कंप्रेसर को हुई क्षति को मालूम कर लिया गया है। अपने उत्तर में वह कहते हैं कि 1983 के अंत से कंप्रेसर बाजार में उपलब्ध नहीं था। यदि कंप्रेसर 1983 के अंत से उपलब्ध नहीं था तो क्या सरकार ने अप्रैल 1982 से 1983 के अंत तक की अवधि में बाजार में कंप्रेसर देखने का प्रयास किया (यद्यपि यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि 1983 के अंत से पहले यह उपलब्ध था) ? यदि 1983 के अंत तक भी यह बाजार में उपलब्ध नहीं था तो 1983 के अंत से पहले ही कंप्रेसर क्यों नहीं खरीदे गए और संयंत्र को चालू क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामचन्द्र रथ : महोदय, यदि संयंत्र समय पर चालू हुआ होता, हमें इसकी जानकारी मिल जाती कि खराबी कहाँ है और हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर सकते थे। संयंत्र चालू करने में $3\frac{1}{2}$ वर्ष का विलम्ब बिजली की पूर्ति न होने के कारण हुआ। और बाद में जब हमने देखा कि पहले कंप्रेसर में कुछ रुकावट आ गई है और दूसरे कंप्रेसर में आग लग गई थी। हमने उस खराबी को दूर करने का प्रयत्न किया। तब तीसरे कंप्रेसर में भी आग लग गई। कंप्रेसर प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक ही रात में कंप्रेसर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आपको आर्डर देने पड़ते हैं और फिर प्रक्रियात्मक कार्यवाही पूरी करने में भी समय लगता है। पैसा भी उपलब्ध कराना पड़ता है।

अतः वास्तविकता यह है कि यदि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने समय पर बिजली दी होती तो ये सभी समस्याएं पैदा ही नहीं होती। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी राज्य सरकार को बतायें कि अब वह किसी परियोजना पर विचार करें, तो उन्हें बिजली उपलब्ध हो जाने का आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री सुनील मैत्रा : आपने कहा कि आप इसे दिसम्बर, 1981 में चालू करना चाहते थे। उसका अर्थ है कि आपको आश्वासन मिला था। अन्यथा, आप यह कैसे कह सकते थे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : जब हमने उसे चालू करने का आश्वासन दिया था, उस समय उस गैस टरबाइन में हमारी अपनी बिजली थी। अतः वर्ष 1981-82 के पश्चात हम बिजली की सप्लाई पर निर्भर नहीं थे।

आपको पहले ही से यह पता नहीं हो सकता कि किसी कंप्रेसर में कोई खराबी आ जायेगी। जब 1982 में हमने इन दो कंप्रेसरों को चालू करने का प्रयत्न किया; वे खराब हो चुके थे। तब हमें इनकी मरम्मत करनी पड़ी। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और यदि आपको इसकी मरम्मत

करनी है आपको उसी पार्टी को बुलाना पड़ता है जिसने कंप्रेसरों की सप्लाई की है। वे आए और उनके पर्यवेक्षण में मरम्मत कार्य किया गया। अब हम सितम्बर में देखेंगे कि क्या ये कंप्रेसर काम करेंगे अथवा नहीं। मैं आपको पहले से वचन नहीं दे सकता कि क्या वे काम करेंगे अथवा नहीं।

श्री सुनील मैत्रा : वास्तव में मेरा प्रश्न यही है। आपने अपने उत्तर में कहा कि 1983 के अंत से वे उपलब्ध नहीं है। यदि खराबी 1982 में हुई थी, तो उस अवधि तक आपने क्या किया?

श्री वसंत साठे : क्या किया जाना है? वे पहले ही से वहां थे। कंप्रेसर 1979 से ही चालू किए जाने के लिए वहां थे। पूरा संयन्त्र तैयार था। 1979 से 1982 तक पश्चिम बंगाल ने बिजली नहीं दी। इसलिए हम इसे चालू नहीं कर सके। तब हमें गैस टरबाइन मिला। गैस टरबाइन की सहायता से 1982 में हमने इसे चालू करने का निर्णय किया। जब हमने चालू करना शुरू किया। इसमें खराबी आ गई। तब क्या किया जा सकता है?

श्री सत्य गोपाल मिश्र : महोदय, मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं। यह परियोजना मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं। मैंने परियोजना का कई बार दौरा किया है। शायद श्री रथ से ज्यादा बार दौरा किया है। महोदय, वहां बिजली तो थी। हल्दिया उर्वरक संयन्त्र राज्य बिजली बोर्ड की बिजली पर निर्भर नहीं था। परियोजना इसलिए नहीं शुरू की गई क्योंकि आरम्भ इसे पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की बिजली पर निर्भर रहना पड़ता था।

महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि दोनों आक्सिजन के कम्प्रेसरों में व्यवहारिक रूप से एक सी खराबी क्यों आई? मेरा सीधा प्रश्न यह है कि सरकार इन कम्प्रेसरों की मरम्मत अथवा उनको बदलने की कब तक आशा करती है? एक वर्ष तो पहले ही बीत गया है। पहला कम्प्रेसर तो वहां पर पहले से ही मौजूद है, उसमें केवल साधारण मरम्मत की आवश्यकता होगी। अतः, मैं पहले वाले कम्प्रेसर के बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र रथ : महोदय, माननीय मंत्री को शायद गलत जानकारी दी गई है। यान्त्रिक कार्यवाही पूरी होने के बाद तथा राज्य सरकार से पचास मेगावाट की आश्वासित बिजली की आपूर्ति के साथ इसे नवम्बर 1979 में आरंभ होना था। इस परियोजना में पचास मेगावाट की आश्वासित बिजली की आपूर्ति को विचार में रखकर आरंभ किया गया था। जब बिजली की आपूर्ति नहीं हुई तो परियोजना ढाई वर्ष तक रुक गई। कम्प्रेसरों के बारे में, मैं माननीय मंत्रीजी को सूचित करना चाहता हूं कि उनमें कुछ जंग लग गया है और कुछ अन्य तकनीकी खराबियां आ गई हैं जो किसी की भी समझ से बाहर हैं और केवल विशेषज्ञ समिति ही कह सकती है कि कम्प्रेसर नम्बर-1 और नम्बर-2 में कैसे आग लगी और तीसरे में कैसे दरार पड़ गई। हमने इन दोनों कम्प्रेसरों की मरम्मत करने के लिए कदम उठाए हैं और हमें इन्हें परीक्षण के तौर पर आरंभ करना है। अतः तब तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

नौएडा औद्योगिक क्षेत्र में डूर-संचार सुविधाओं का विकास

*233. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सीमा पर स्थित 'नौएडा' औद्योगिक क्षेत्र एस० डी०

ओ० टेलीफोन्स, हापुड़ के क्षेत्राधिकार में आता है जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सुविधाओं की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है और इससे औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ती है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 'नौएडा' में दूर संचार सुविधाओं के शीघ्र विकास के हित में उसे दिल्ली टेलीफोन्स का एक डिस्ट्रक्ट बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या 'नौएडा' के उद्योपतियों के संघों ने इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) यह सच है कि 'नौएडा' एक्सचेंज का पर्यवेक्षण उपमंडल अधिकारी तार, हापुड़ द्वारा किया जा रहा है लेकिन यह सच नहीं है कि इस व्यवस्था से दूरसंचार सुविधाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस उद्देश्य के लिए 'नौएडा' का दिल्ली टेलीफोन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लाना आवश्यक नहीं है : तथापि, भविष्य में यू० एच० एफ०/माईक्रोवेव संचारण प्रणाली संस्थापित करके और स्विचन प्रणाली का विस्तार करके नौएडा और दिल्ली के बीच स्थायी और विश्वसनीय सीधी डायलिंग सेवा प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : अध्यक्ष महोदय, माननीय संचार मंत्री को दिल्ली की टेलीफोन प्रणाली की पूरी जानकारी है और वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है । यह पहले से ही अस्त-व्यस्त है । आपने जब एक नए औद्योगिक क्षेत्र अर्थात नया ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र की स्थापना की थी तो उस समय आप दिल्ली में उद्योगों की भीड़ को कम करना चाहते थे और आपने आन्तरिक ढांचे सम्बन्धी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वायदा किया था । महोदय, अब नोएडा को स्थापित हुए बहुत वर्ष हो गये हैं, परन्तु वहाँ के लोगों, वहाँ की औद्योगिक दवाइयों को बहुत नुकसान हो रहा है । जब टेलीफोन प्रणाली काम नहीं करती है तो उन्हें कभी-कभी संदेशवाहकों को भेजना पड़ता है । उन्हें लोगों को कारों में दिल्ली भेजना पड़ता है और दिल्ली के व्यापारियों को वहाँ कारों में केवल इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि टेलीफोन प्रणाली कार्य नहीं कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योगपतियों के संघ ने अपने विभिन्न ज्ञापनों द्वारा कौन-सी विशेष कठिनाइयां सामने रखी हैं ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : महोदय, संघ की ये मुख्य माँगें थीं : (1) 10,000 लाइनों वाला एक माइक्रोवेव टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करना, (2) दिल्ली की डायरेक्ट्री में नोएडा के उपभोक्ताओं का नाम शामिल करना, (3) नोएडा के टेलीफोन को दिल्ली

मंडल में शामिल किया जाए ताकि इसका पर्यवेक्षण अच्छी तरह से हो सके क्योंकि वर्तमान हापुड़ मण्डल बहुत दूर है और वह किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने अणवा पर्यवेक्षण करने अथवा उद्योग-पति की कठिनाइयों को समझने में विफल हो गया है, (iv) मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के लिए एस. डी. ओ., टेलीफोन का कार्यालय नोएडा में ही होना चाहिए। यही कुछ मुख्य माँगें थीं।

डा० बंसल कुमार पण्डित : सरकार ने इसके बारे में क्या किया है ? मेरी जानकारी के अनुसार सैकड़ों टेलीफोन अभी भी दिये जाने हैं। जून 1984 तक प्रतीक्षा सूची क्या है। दूसरी बात यह कि हापुड़ एक्सचेंज इस महत्वपूर्ण नोएड़ा के ऐक्सचेंज पर नियंत्रण नहीं कर सका है। अतः माईक्रोवेव पारेषण प्रणाली की आपूर्ति करने के लिए, जिसकी वह योजना बना रहे हैं, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दिन-प्रतिदिन की शिकायतों का नोएडा में समाधान किया जा रहा है। उद्योगपतियों की मांगों पर, उनकी प्रत्येक मांग पर सरकार की आरम्भिक प्रतिक्रिया क्या है और आप क्या-क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय इसका उत्तर देने के लिए बहुत समय लगेगा, किन्तु मैं संक्षिप्त में ही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। पहली माँग है 10,000 लाइनों वाला माईक्रोवेव टेलीफोन ऐक्सचेंज। जहाँ तक इस माँग का संबंध है, मुझे यह बताया गया है कि माईक्रोवेव टेलीफोन ऐक्सचेंज जैसी कोई चीज नहीं है। और उसके अलावा, 10,000 लाइनों का औचित्य नहीं है। प्रतीक्षा सूची केवल 3000 के लगभग है और इसलिए 10,000 लाइनें मंजूर नहीं की जा सकतीं। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबन्ध है, अर्थात नोएड़ा के उपभोक्ताओं के नाम दिल्ली की डायरेक्ट्री में शामिल किये जाएं, हम इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यदि वे केवल 6,000 हुए तो संभवतः उन्हें अगले संस्करण में शामिल किया जा सकता है। परन्तु इस समस्या में केवल यही कहूंगा कि यह सुझाव, कि उनके नाम दिल्ली टेलीफोन डायरेक्ट्री में शामिल किये जाऐं, विचारा-धीन है। तीसरा प्रश्न यह है कि नोएडा को दिल्ली मण्डल में शामिल किया जाना चाहिए। वह संभव नहीं है क्योंकि अन्य महानगरों के साथ जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों से भी ऐसी माँग आयेगी और मण्डल का विस्तार करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से अकुशल बन जाता है। और इसलिए, यह अधिक अच्छा है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए एक अलग जिला बना दिया जाए और जहाँ तक जिले के लिए इस मांग का संबंध है, मेरे विचार से आगामी तीन वर्षों तक यह संभव हो जायेगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए आवश्यकता, इस बात की है कि एक टेलीफोन जिले का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 10,000 लाइनें होनी चाहिए।

जहाँ तक आपके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, ये उपाय हैं, जो हम कर रहे हैं। वर्तमान ऐक्सचेंज 6,000 लाइनों का है। इस वर्ष 4200 लाइनों तक इसका विस्तार करने का हमारा प्रस्ताव है। अगले वर्ष, 1985-86 में इसमें 2,400 लाइनें और बढ़ाई जाएगी।

वर्ष 1986-87 में इसी क्षेत्र के लिए हमने 4,000 लाइनें भी मंजूर की हैं जिसे तकनीकी भाषा में ई 14 ख प्रौद्योगिकी ऐक्सचेंज के रूप में जाना जाता है।

अन्य कार्यवाही जो की गई है वह यह है कि वर्तमान परिपथ भूमिगत केवलों का 60

चैनल यू. जी. एफ. तक विस्तार किया जा रहा है और यह कार्यवाही दिसम्बर तक पूरी हो जाएगी। जब यह कार्यवाही पूरी हो जाएगी तो और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

हमने माईक्रोवेव प्रणाली/480 चैनल की भी मन्जूरी दी हैं, जिन पर 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह उन उपकरणों में शामिल है जो विश्व बैंक द्वारा किये गये ऋण के अधीन खरीदे जाएँगे। यह प्रणाली उसके आयात के बाद ही चालू हो सकेगी।

कोयले को गैस में परिवर्तित करने के लिए अनुसंधान

*234. **श्री उत्तम राठौर : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की गैस में परिवर्तित करने के लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है और क्या इस मामले में कोई ठोस परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बड़े पैमाने पर कोयले को गैस में परिवर्तित करने के लिए कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ। कोयले को गैस में बदलने के संबंध में भारत में अनेक संस्थान अनुसंधान कर रहे हैं :—

(1) धनबाद के केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने अकोककर कोयले की गैसीकरण विशेषताओं की जांच करके यह स्थापित किया है कि भारतीय कोयले का प्रेशर गैसीकरण हो सकता है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने भारतीय कोयलों से संश्लिष्ट गैस के उत्पादन के लिए फ्लो गैसीकरण तकनीकें अंगीकार करने की संभावनाओं का भी परीक्षण किया है।

(2) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने एक 24 टन प्रतिदिन क्षमता वाला स्थिर तल दबाव गैसीकरण संयंत्र चालू किया है और उच्च दबाव गैसीकरण के लिए एक प्रक्रिया का अध्ययन कर रही है।

(3) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० बिजली उत्पादन में प्रयोग के लिए अपनी स्वयं की डिजाइन वाला एक 150 टन प्रतिदिन स्थिर तल दबाव गैसीकरण संयंत्र स्थापित कर रहा है।

(ख) और (ग) सरकार ने कोयले को गैसीय और तरल ईंधन में बदलने के संबंध में एक

विशेषज्ञ ग्रुप बनाया था जिसकी रिपोर्ट मई, 1984 में प्रस्तुत हो चुकी है। इस विशेषज्ञ ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि भारतीय कोयलों की विविध किस्मों और उनके अपेक्षित विभिन्न अंतिम इस्तेस्मालों को देखते हुए कोई भी एक अकेली प्रक्रिया तकनालाजी भारत की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती और इसीलिए यह आवश्यक होगा कि विभिन्न किस्म की तकनालाजी अपनाई जाएं ।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० की योजना 150-200 टन प्रतिदिन तरलीकृत तल गैसीकरण पायलट संयंत्र स्थापित करने की है जो बड़े पैमाने के संयंत्रों के डिजाइन और स्थापना कार्यके संबंध में जरूरी तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

श्री उत्तम राठौर : उत्तर में उन्होंने कहा है ।

"इस विशेषज्ञ ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि भारतीय कोयलों की विविध किस्मों और उनके अपेक्षित विभिन्न अन्तिम इस्तेमालों को देखते हुए कोई भी एक अकेली प्रक्रिया तकनालाजी भारत की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती और इसलिए यह आवश्यक होगा कि विभिन्न किस्म की तकनालाजी अपनाई जाएँ।"

भाग (क) का उत्तर देते हुए कहा गया है :"

"प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने एक 24 टन प्रतिदिन क्षमता वाला स्थिर तल दवाब गैसीकरण संयंत्र चालू किया है''और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड एक 150 टन प्रतिदिन स्थिर तल दवाव गैसीकरण संयंत्र स्थापित कर रहा है।"

क्या आप समझते हैं कि इन दो टैक्नोलोजियों से हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी ? यदि नहीं, तो भविष्य में आपका विचार क्या करने का है ?

श्री दलबीर सिंह : यह स्पष्ट है कि इससे देश की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी । प्रयोग अपने प्रारम्भिक चरण में हैं । ये मार्गदर्शी (पायलट) परियोजनाएं हैं, जो आरम्भ की गई हैं । यह एक अच्छी शुरुआत है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम इस दिशा में काफी आगे बढ़ेंगे ।

श्री उत्तम राठौर : मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर आशावादी है । सुनते हैं, रूस ने एक ऐसी टैक्नोलोजी विकसित की है जो कि बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इस टैक्नोलोजी को प्राप्त करने का प्रयास किया है और यह पता लगाया है कि क्या यह हमारे प्रयोजन के लिए भी उपयुक्त है ?

श्री दलबीर सिंह : हम किसी भी देश में विकसित किसी भी ऐसी टैक्नोलोजी को अपनाएँगे जो भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी ।

प्रो० रूप चन्द्र पाल : इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि कोयले को गैसीय एवं तरल ईंधन में परिवर्तित करने सम्बन्धी इस विशेषज्ञ दल ने मई, 1984, में अपनी रिपोर्ट दे दी है, क्योंकि इसके लिए विभिन्न प्रकार की टैक्नोलोजियों की आवश्यकता है और कोई भी इकहरी प्रक्रिया वाली टैक्नो-

लोजी भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ विशेषज्ञ वैज्ञानिकों तथा अन्य व्यक्तियों को इन सभी टैक्नोलोजियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिनसे कोयले को गैस आदि में परिवर्तित किया जाता है, निकट भविष्य में विदेशों में भेजा जा रहा है ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

प्रो० रूप चन्द्र पाल : यह बात अखबारों में छपी है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : कुछ प्रतिनिधि भेजे गए हैं।

देश में बेरोजगारी

*235. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं और उनमें से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1980 से आज तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) मार्च, 1980 में प्रायः बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 12.02 मिलियन है, जिसमें से 7.22 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 4.80 मिलियन शहरी क्षेत्रों में थे। 1983 में ऐसे व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़ों को सारणी-बद्ध किया जा रहा है।

(ख) कृषि तथा सम्बद्ध और अन्य सैक्टरों में अधिकाधिक रोजगार अवसरों का सृजन करने के अलावा, सरकार ने प्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार ;

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विस्तार ;

(iii) स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए योजना ; और

(iv) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंण्टी कार्यक्रम।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं में से कुछ योजनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

(आंकड़े दस लाख में)

वर्ष	आई० आर० डी० पी० अन्तर्गत लाए गए परिवारों की संख्या	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सृजित किए गए रोजगार के श्रम-दिवस	ट्राईसेम व्यक्तियों की संख्या जो स्व-रोजगार में लगे।
1980-81	2.73	414	0.046
1981-82	2.71	355	0.098
1982-83	3.46	350	0.131
1983-84	3.69	302×	0.080 ×
1984-85	उ०न०	43××	उ०न०

× अनंतिम

×× अब तक प्राप्त की गई रिपोर्टों के अनुसार

उ०न० = उपलब्ध नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि इस समय बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में वर्ष 1980 के आंकड़े दिए हैं। आज स्थिति यह है कि 2 करोड़ 20 लाख लोग रोजगार केन्द्रों में और बतौर बेरोजगार दर्ज हैं। इसलिए, उनका उत्तर समस्या के विस्तार के सम्बन्ध में सही स्थिति की कोई जानकारी नहीं देता। इसके अतिरिक्त, यह आंकड़े बहुत पुराने हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने वे आंकड़े क्यों नहीं दिए जो पहले ही इस सदन में दिए जा चुके हैं और जो 'वार्षिक समीक्षा' नामक पुस्तक में भी दर्शाए गए हैं।

(2) मैं जानना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों के इन बेरोजगार व्यक्तियों में से कितने तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं—डाक्टर कितने हैं, तकनीशियन कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कितने हैं ?

भाग (ख) में, माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि में किस तरीके से रोजगार बढ़ाए हैं, और सम्बद्ध क्षेत्रों, अर्थात्, लोहार, बढ़ई गीरी, साबुन, निर्माण, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा कुटीर उद्योग में किस प्रकार सीमांकन किया जा रहा है ? क्या उन्हें किसी प्रकार कानूनी रूप से या अन्यथा सीमांकित किया गया है और क्या बड़े उद्योगों पर इन वस्तुओं का उत्पादन करने की पाबन्दी लगाई गई है ताकि ये कार्य अधिक रोजगारोन्मुख हो सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव पैदा कर सकें। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूं कि इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कितना पूंजी निवेश किया है और क्या नीति अपनाई गई है ?

श्री धर्मवीर : महोदय, माननीय सदस्य ने शहरी क्षेत्रों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों का ब्यौरा

जानना चाहा था । मैं नहीं जानता कि उन्हें किस वर्ष की जानकारी चाहिए थी इस बात का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया था ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस समय ।

श्री धर्मवीर : इस समय, वर्ष 1984 में 2 करोड़ 26 लाख व्यक्ति रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत हैं ।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अन्य कार्यक्रमों का संबंध है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों की भली-भांति जानकारी है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या हल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अपने उत्तर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए योजना (ट्राइसेम) जैसे कई कार्यक्रमों का उल्लेख कर चुका हूं । ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके द्वारा हम देश में बेरोजगारी की वर्तमान विकट समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी में पूछूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : हिन्दी में गलत जवाब आयेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा अंग्रेजी में जब सवाल का जवाब गलत आ गाया, तो शायद हिन्दी में ही सही आ जाये ।

मैंने सवाल पूछा कि इसमें ऐसे लोग कितने हैं जो डाक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । फिर पुराने सवाल के हिस्से का जवाब भी मांगा है कि सैमी-स्किल्ड और स्किल्ड जो लोग ट्रेन्ड हैं, वह कितने हैं ?

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि···

श्री धर्मवीर : अध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है, मैं चाहता हूं बहुगुणा जी जल्दी पूछ लें ताकि मैं जवाब दे सकूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : दुर्भाग्य है इस सवाल का कि अनएम्पलायमेंट अभी बाकी रहेगी इसलिए मैं लाचार हूं । मैं यही जानना चाहता हूं कि अन-एम्पलायमेंट किस योजना तक भारत में समाप्त हो जाएगी, यह मंत्री महोदय बता दें ।

श्री धर्मवीर : मेरी भाषा शायद बहुगुणा जी के समझ में नहीं आई । कंई बार उन्होंने प्लान का कार्य किया भी है । प्लान में एस्टीमेट लगाये जाते हैं और उसके आधार पर कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं । आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक तरफ हम नई योजनाओं के आधार पर बेकारी दूर करते हैं तब तक हमारी जन्म दर फिर बढ़ जाती है। इसलिए यह कहना मेरे लिए ही

नहीं, बहुगुणा जी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि किस योजना तक इस समस्या का समाधान हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पन बिजली परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

*228 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों ने अपनी पन बिजली परियोजनाओं को कार्यान्वियन के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से विदेशी सहायता के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। स्वदेशी मशीनरी की उपलब्धता, व्यय के रुपए के मांग को पूरा करने के लिए साधनों की उपलब्धता और विदेशी प्रस्तावों की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा क्या प्रस्ताव में किसी उपयोगी प्रौद्योगिकी का अन्तरण शामिल है आदि को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता ।

पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए प्रस्तावों और उनकी वर्तमान स्थिति विवरण-1 और 2 में दी गई है। विवरण-1 में अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव भी दिए गए हैं जिन्हें विदेशी सहायता के लिये अनुमोदित किया गया है। पिछले दो वर्षों में अन्य राज्यों से लगभग 96 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इनमें से अधिकांश प्रस्तावों में अनुमोदित मानदण्ड पूरे नही होते हैं और इसलिए उन पर विदेशी सहायता हेतु विचार नहीं किया जा सकता ।

विवरण-एक

पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी सहायता हेतु अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा.)	वित्त व्यवस्था	विदेशी सहायता की मात्रा
1.	मध्य प्रदेश	बोधघाट	4 × 125	विश्व बैंक	157.4 मिलियन अमरीकी डालर 134.4 मिलियन एस० डी० आर०
2.	उड़ीसा	अपर इन्द्रावती	4 × 150	विश्व बैंक	156.4 मिलियन अमरीकी डालर 156 मिलियन एस० डी० आर०
3.	तमिलनाडु	(1) लोअर भवानी	4 × 2	जापान	2 बिलियन येन
		(2) वेगई	2 × 3	जापान	
		(3) पेकारा	1 × 2	कनाडा	
4.	हिमाचल प्रदेश	चमेरा (केन्द्रीय क्षेत्र)	3 × 180	कनाडा	648.42 मिलियन केनेडियन डालर
5.	कर्नाटक	मनी पावर हाउस *	2 × 4.5	हंगरी	2.15 मिलियन अमरीकी डालर
6.	बिहार	पूर्वी गंडक नहर	3 × 5	जापान	1.63 बिलियन येन
	अन्वेषण के लिए अनुमोदित सहायता				
1.	हिमाचल प्रदेश	कोल डेम	600 मेगा.	कनाडा	250,000 केनेडियन डालर
2	उत्तर प्रदेश	धोली गंगा (केन्द्रीय क्षेत्र)	300 मेगा.	स्वीडन	6.15 मिलियन सेक

विवरण-दो

जल विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण कार्य के लिए विदेशी सहायता हेतु हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वित्त व्यवस्था का स्रोत
1.	पार्वती	1900 मेगावाट	परामर्शदाताओं की यू० के० की एक फर्म मैसर्स फेल प्रिंगमैन एण्ड पार्टनर्स के जरिए।
2.	करचम वांगटू	600 मेगावाट	वही
3.	लारगी	120 मेगावाट	वही

टिप्पणी : इन प्रस्तावों को अनुमोदित न करने का मुख्य कारण अन्वेषण के क्षेत्र में देश में पर्याप्त सुविज्ञता सुलभ होना है।

बरौनी में पेट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करना

*232 **श्री योगेन्द्र खां** : क्या **ऊर्जा मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बरौनी में केप्रोलेक्टम के उत्पादन के लिए पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने की निरन्तर मांग की जाती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को स्वीकार करने और कार्यान्वित करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं।

ऊर्जा मंत्री : (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे संयन्त्र की स्थापना पर विचार नहीं किया जा रहा है। निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र में इसकी स्थापना के लिए यदि अनुरोध प्राप्त होंगे तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

*236. **श्री रशीद मसूद** :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हाल ही में सोलह न्यायाधीशों की नियुक्त किया गया है ; और

(ख) इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए क्या न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं तथा मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गये अपनाये गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गई, 1984 में 9 न्यायाधीश और 7 अपर न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं।

(ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 217(1) और अनुच्छेद 224(1) के अनुसार की जाती हैं।

अनुच्छेद 217(2) में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, और—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक्त पर धारण कर चुका हो ; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इस संबंध में कोई अन्य मानदंड विहित नहीं किया गया है ; नियुक्तियां करते समय सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार किया जाता है।

नार्वे के तेल विशेषज्ञों की तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की यात्रा

*237. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के तेल विशेषज्ञों के एक शिष्टमंडल ने तेल क्षेत्र प्रतिष्ठानों के निर्माण, उपकरणों और परामर्श सेवा के क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए देहरादून स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों की यात्रा का क्या निष्कर्ष निकला है ;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) नार्वे के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने जून, 1984 में भारत की यात्रा की थी तथा अपतटीय पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्पादन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की संभावना पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ विचार-विमर्श किया था।

दोनों देशों के बीच ऐसे सहयोग के लिए किसी विशेष समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं।

दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका

*238 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन निर्देशिका छापने में हो रहे विलम्ब के कारण छपाई के लिए निम्नस्तर के कागज की सप्लाई / उत्पादन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कर ली गई है और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय भंडार, जहां से सभी लेखन सामग्री खरीदने की अपेक्षा की जाती है, के अलावा अन्य स्रोतों से कागज खरीदने के क्या कारण है ; और

(घ) यह निर्देशिका कब तक छप जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हाँ । हाईस्पीड बेव ऑफ-सैट मशीन पर यह कागज मुद्रण के लिए अनुपयुक्त पाया गया ।

(ख) और (ग) महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान से कहा गया है कि वे इस कागज को सप्लाई कर्त्ता से बदलवा दें । अगली कार्रवाई उस कार्यालय के साथ विचार-विमर्श करके की जाएगी । चूंकि टेलीफोन डायरेक्टिरयों के मुद्रण के लिए जो कागज इस्तेमाल किया जाता है, वह काफी मंहगा होता है, इसलिए सरकार की नीति के अनुसार इसे पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के मार्फत प्राप्त किया जाता है न कि केन्द्रीय भंडार से ।

(घ) अच्छे स्तर का अपेक्षित कागज शीघ्र प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसी संभावना है कि टेलीफोन डायरेक्टरी नवम्बर / दिसम्बर, 1984 तक प्रकाशित हो जायगी ।

ग्रामीण तथा कृषि श्रमिकों की कठिनाइयां

*239. **श्री चिन्तामणि जेना** :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण श्रमिकों के बीच मुख्य रूप से संगठन के अभाव के कारण कृषि श्रमिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण तथा कृषि श्रमिकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी चिरकालिक समस्याएँ बहुधा बेरोजगारी, मजदूरी रोजगार के कम अवसर, रोजगार का अनियमित और आन्तरायिक स्वरूप, कम मजदूरी, उनके भूमिहीन और परिसम्पत्ति-हीन होने से सम्बन्धित हैं।

(ग) भूमिहीनता और परिसम्पत्तिहीनता को दूर करने, मजदूरी की न्यूनतम दरों की अदायगी सहित स्थायी आधार पर लाभकर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों के अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा संचालित प्लान स्कीम शुरू की गई है ताकि ग्रामीण श्रमिकों को संगठन के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके और उन्हें स्वयं को संगठित करने में सहायता दी जा सकें।

पश्चिम बंगाल में कोलाघाट विद्युत परियोजना का दूसरा चरण

*240. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोलाघाट विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को अभी तक अपेक्षित अनुमति नहीं दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस परियोजना का वित्त-पोषण कर रहा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में कोलाघाट विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मई, 1980 में स्वीकृति दे दी थी। केन्द्र ने परियोजना को फरवरी, 1981 में लगभग 287 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित कर दिया था। परियोजना की कुल क्षमता 630 मेगावाट है। परियोजना राज्य क्षेत्र की है और अपनी परियोजना के लिए निधियां देना पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का कार्य है। पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुरोध किया था। तथापि, राज्य बिजली बोर्डों की विद्युत परियोजनाएं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली स्कीमें होती हैं और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि वे राज्य बिजली बोर्डों की परियोजना को सहायता देने के लिए विचार नहीं कर सकते हैं।

विद्युत क्षेत्र के लिए केन्द्रीय मरम्मत वर्कशाप

*241. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के लिए अनेक केन्द्रीय मरम्मत वर्कशाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न क्षेत्री में प्रतिष्ठापित किए गए विद्युत उपस्करों की आद्योपान्त मरम्मत करने और बड़ी ओवरहालिंग करने की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत कार्यशाला (वर्कशाप) स्थापित किए जा रहे हैं। ये मरम्मत कार्यशाला उपर्युक्त कार्य के लिए जटिल उच्च तकनीक वाले फुटकर पुर्जों के निर्माण का कार्य भी शुरू करेंगे।

ग्रामीण विकास के लिये विद्युत के सम्बन्ध में विचारगोष्ठी

*242. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने मई, 1984 के दौरान भुवनेश्वर में ग्रामीण विकास के लिए विद्युत के सम्बन्ध में विचारगोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या नीति बनाई गई तथा क्या-क्या सिफारिशें की गई ;

(ग) क्या उड़ीसा के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिये कार्यवाही संबंधी कोई योजना वनाई गई तथा उसे स्वीकृति दी गई है ;

(घ) क्या उक्त विचारगोष्ठी में आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत योजनाओं के धीमी गति से कार्यान्वयन के कारणों का पता लगाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु राज्य विद्युत बोर्ड को क्या उपाय सुझाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण की कार्यवाही योजना और पम्पसेटों के ऊर्जन के जरिए भू-जल शक्यता के इष्टतम उपयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से 20-21 मई, 1984 को भुवनेश्वर में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी।

गोष्ठी में ग्राम विद्युतीकरण की समस्याओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित मुख्य बातों पर विचार किया गया :—

(एक) राज्य बिजली बोर्ड विद्युतीकरण कार्यक्रम को इस ढंग से सोपानबद्ध करेगा कि जिन क्षेत्रों में पम्पसेटों के लिए पर्याप्त शक्यता है और पर्याप्त मात्रा में विद्युत संबंधी आधार हैं, उन क्षेत्रों पर भार विकास के लिए ध्यान दिया जायगा। विकास की सम्भाव्यता वाले अन्य क्षेत्रों में सोपानबद्ध रूप में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि वर्ष 1990 तक राज्य में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाए।

(दो) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का सतत आधार पर कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने तथा ग्रामीण विकास के समूचे कार्यक्रम के अभिन्न भाग के रूप में कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त देने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी, आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए क्षेत्रीय विचारधारा अपनाई जानी चाहिए ताकि वितरण की मुख्य और गौण लाइनों की व्यवस्था के इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गांवों को शामिल किया जा सके।

(तीन) पम्पसेटों के ऊर्जा के लिए वर्तमान क्षमता और सम्भाव्यताओं के आधार पर जिलों को उनकी निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में हाथ में लिया जाएगा।

(चार) जिन क्षेत्रों में जोत-क्षेत्र छोटे-छोटे हैं, वहां सामुदायिक पम्पसेट प्रतिष्ठापित किए जाएंगे, कुओं/पम्पसेटों की खुदाई तथा विद्युत कनेक्शनों के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जाएगा तथा राज्य में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए अधिक धन आबंटित किया जाएगा।

(पांच) विशेषरूप से सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

गोष्टी में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का राज्य में अन्य ग्रामीण विकास एजेन्सियों के साथ प्रभावी समन्वय करने की सिफारिश की गई है। अपर्याप्त पारेषण और अपर्याप्त सपोर्ट, सुदूरवर्ती स्थानों के कारण निषिद्ध लागत, तथा सेवा कनेक्शन प्रभारों के साथ-साथ खपत प्रभारों के भुगतान के लिए आदिवासियों की कम क्षमता के कारण आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अपेक्षाकृत धीमी गति से क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार पाया गया है। समस्त उड़ीसा राज्य के ग्रमीण क्षेत्रों के लिए, जिसमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल है, एक कार्यवाही योजना तैयार की गई थी और उस पर विचार किया गया था तथा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए गए थे :—

(1) पम्पसैटों के ऊर्जन की प्राथमिकता को सोपानवद्ध किया जाये और जिन क्षेत्रों में आधार ढांचे उपलब्ध हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाये।

(2) पर्याप्त उप-पारेषण प्रणाली का विकास करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्पादित विद्युत का 20% भाग आबंटित करना।

(3) माइक्रो जल विद्युत साधनों के साथ-साथ ऊर्जा का संरक्षण तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण को समेकित करना।

(4) उपभोक्ता सेवाओं को सशक्त बनाना तथा भार विकास सैलों का सृजन करना।

पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति

*243. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तामलुक कोलाघाट, महिशादल, नन्दकुमार, मथना, परमानन्दपुर और पंसकुरा (जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल) स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति बहुत खराब है और उपभोक्ताओं को टेलीफोन लाइन पाने में बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) उक्त स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार करने / इनका आधुनिकीकरण करने अथवा इन्हें बदलने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी नहीं। तामलुक, कोलाघाट, महिशादल, नन्दकुमार, मोयना, परमानन्दतुर और पंसकुरा स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण आमतौर पर संतोषजनक है और केवल जून, 1984 के महीने में चक्रवाती तूफान, अपूर्व वर्षा एवं बार-बार पावर सप्लाई कट जाने के कारण इन एक्सचेंजों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ग) इन स्थानों पर संचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) तामलुक एवं कोलाघाट स्थित हस्तचल टेलीफोन एक्सचेंजों का 1985-86 के अन्त तक एस. टी. डी. सुविधा के साथ स्वचलीकरण।

(ii) तामलुक में टेलीफोन एक्सचेंज एवं यू. एच. एफ. टावर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(iii) कोलाघाट में विभागीय भूमि पहले ही उपलब्ध है।

कोल इण्डिया लि० द्वारा जून, 1984 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*244. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इण्डिया लि० के प्रबन्धकों ने कोयला खान कर्मचारियों द्वारा 4 और 5 जून, 1984 को की गई देश-व्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले नेताओं और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोल इण्डिया लि० द्वारा उठाए गए दंडात्मक उपायों को वापस लेने के लिए कदम उठायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) ऐसे कुछ कामगारों को मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन मजदूरी में दण्ड-स्वरूप कटौती का नोटिस दिया गया था जिन्होंने काम बन्द किया था। परन्तु, उच्च न्यायालयों द्वारा जारी निषेधाज्ञा को ध्यान में रखते हुए, कोल इण्डिया लि० ने अपनी सहायक कम्पनियों को निदेश जारी कर दिए हैं कि बिना कटौती किए मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए।

चालू वर्ष के दौरान तेल की खोज

*245. **श्री हरिकेश बहादुर : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए खुदाई चल रही है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान किन नए क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गुजरात, राजस्थान, असम, नागालैण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर तेल की खोज के लिए खुदाई की जा रही है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान केम्बे बेसिन, कच्छ तथा सौराष्ट्र, राजस्थान, असम-आराकन फोल्ड बेल्ट, जिसमें त्रिपुरा शामिल है, बंगाल, कृष्णा-गोदावरी, हिमालयी पादगिरि तथा गंगा घाटी, कावेरी तथा विन्धय तथा सतपुरा क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 1984-85 के दौरान, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु, हिमालयी पादगिरि तथा उड़ीसा में नये स्थानों पर खुदाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों पर इन खोजी खुदाई कार्यों तथा सर्वेक्षणों पर लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने की संभावना है।

देश में टेलीफोन प्रणाली में सुधार

*246. **श्री एन० डेनिस : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग में देश में टेलीफोन प्रणाली के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक ठोस उपाय किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसका ब्यौरा विवरण के रूप में संग्लन है।

विवरण

देश की टेलीफोन प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा

1. परिपथ जाल में विकसित किस्म के टेलीफोन शामिल करना।
2. अल्युमीनियम के तारों की फिटिंग को तांबे के तारों द्वारा बदलना।
3. लोहे की खुली तारों को इंस्युलेटिड ड्राप वायर द्वारा बदलना।
4. केबिल वितरण प्वाइंटों को पुनः स्थापित करना।
5. वितरण परिपथ जाल में जैली भरे केबिलों का उपयोग।
6. मुख्य भूमिगत केबिल का शुष्क वायु द्वारा दाबीकरण।
7. केबिलों को नलिकाओं में बिछाना।
8. इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा टेलीफोन स्विचन उपस्कर का आधुनिकीकरण।
9. जिन स्विचन उपस्करों की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें बदलना।
10. प्लस कोड मोड्यूलेशन, समाक्ष और सूक्ष्मतरंग माध्यम द्वारा जंक्शनों को बढ़ाना।

दैनिक मजूरी पर काम करने वाले टेलीफोन आपरेटर

*247. **श्री चित्त महाटा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले टेलीफोन आपरेटरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का उनको नियमित सेवा में रखने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) विभाग में इस प्रकार के दैनिक वेतन पाने वाले टेलीफोन आपरेटर नहीं हैं। फिर भी, आरक्षित प्रशिक्षित पूल के लिए टेलीफोन आपरेटर भर्ती किए जाते हैं जो अल्पकालिक कर्मचारियों के बतौर कार्य करते हैं और उन्हें प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाता है। ऐसे आपरेटरों की संख्या लगभग 4800 है।

(ख) और (ग) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के टेलीफोन आपरेटरों को इन पदों की भविष्य में होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध खपा लिया जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

विदेश प्रसारण सेवा के अरबिक एकक का पर्यवेक्षण

2242. **श्री समीरुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरेबिक एकक के पर्यवेक्षक के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त पर्यवेक्षक जिसे स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में चुना गया था और जो विदेश मंत्रालय में स्थायी पद पर पुनर्ग्रहण अधिकार रखते हैं, उन्हें अपने स्थायी पद पर कार्यभार संभालने के लिए वापस बुलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा गया है तथा प्राप्त की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग की अरबी यूनिट के पर्यवेक्षक के संबंध आकाशवाणी के कुछ कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इनकी जांच पड़ताल की गई थी और उनको सही तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया था ।

(ख) और (ग) पर्यवेक्षक का चयन निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार किया गया था । चुना गया व्यक्ति विदेश मंत्रालय में स्थायिवत् पद धारण किए हुए था । इसलिए प्रक्रिया के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने यह पूछा है कि क्या वे आकाशवाणी में ही स्थायी रूप से खपना चाहेंगे या कुछ अवधि के बाद अपने संवर्ग में वापस आना चाहेंगे । अब, जबकि निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद उनका चयन कर लिया गया है, नियमों में आकाशवाणी में उनको खपाने की व्यवस्था है यदि वे इसके लिए अपना विकल्प दें । यह विकल्प उनसे मांगा गया है ।

दिल्ली में मानसून के दौरान टेलीफोनों का कार्यकरण

2243. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री दिगम्बर सिंह :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मानसून के मौसम में अधिकांश टेलीफोन खराब हो जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन टेलीफोनों को कम से कम एक सप्ताह तक ठीक नहीं किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन टेलीफोनों को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) यह सच नहीं है कि मानसून के दौरान दिल्ली में अधिकांश टेलीफोन खराब हो जाते हैं । केवल कुछ टेलीफोन, जिन पर केबिल खराबी का असर पड़ता है, खराब हो जाते हैं ।

(ख) जी नहीं। केबिल खराबी के कारण होने वाले अधिकांश अवरोधों को एक सप्ताह के भीतर उत्तरोत्तर दूर कर दिया जाता है।

(ग) केबिल खराबियों से बचने के लिए निम्नलिखित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) मुख्य केबिलों का दाबीकरण।

(ii) दबीकृत नए केबिल बिछाना।

(iii) जहां कहीं केबिल की गहराई के अनुसार आवश्यक हो वहां भूमिगत केबिलों को अर्धडक्टों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।

(iv) नए जंक्शन एवं प्राइमरी केबिलों को डक्टों में बिछाना।

(v) केबिल खाइयों को बंद करने से पूर्व उनमें पानी भरना। मानसून से काफी समय पूर्व केबिल दोषों का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है।

(vi) केबिल नेटवर्क वितरण में जैली भरे केबिलों का प्रयोग।

कीटनाशी दवाओं का निर्माण

2244. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन पंजीकृत कीटनाशी दवाओं के नाम क्या हैं जिनका इस समय भारत में निर्माण किया जा रहा है और किन-किन फार्मूलेशनों, ब्रांडों अथवा व्यापारिक नामों अथवा चिन्हों के अन्तर्गत इस प्रकार की कीटनाशी दवाओं को भारत में भेजा जाता है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : एक विवरण संलग्न है जिसमें इस समय भारत में उत्पादित की जाने वाली इन्सैक्टिसाइड्स अधिनियम के अधीन पंजीकृत इन्सैक्टिसाइड्स, पेस्टीसाइड्स तथा वीडीसाइड्स के नाम दर्शाए गए हैं।

भारत में तैयार किए जाने वाले फार्मूलेशन मुख्यत: दो प्रकार के हैं :—शुष्क/ठोस फार्मूलेशन तथा तरल फार्मूलेशन। शुष्क/ठोस फार्मूलेशन डस्टिंग पाउडर, पानी में विसर्जित होने वाले पाउडर, दानेदार, गोली आदि के रूप में होते हैं। तरल फार्मूलेशन इमलसी फिएबल सान्द्र होते हैं। ब्रांडों या ट्रेड नामों या मार्क, जिनके अधीन ऐसे प्रत्येक इन्सैक्टिसाइड्स की भारत में बिक्री की जाती है, तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1. बी. एच. सी.
2. डी. डी. टी.
3. मेलाथियन
4. डिमेथोएट

5. मिथाइल पैराथिओन
6. मेटासिस्टेकम्
7. फेनीट्रोथोयन
8. कार्बाराइल
9. एन्ड्रोसुल्फान
10. फोस्फामीडोन
11. डी. डी. वी. पी.
12. मोनोक्रोटोफोस
13. फेनाथियोन
14. क्विनलकोस
15. इथियन
16. लिंडेन
17. फोरेट
18. फेन्वेलरेट
19. फोसालोन
20. डिकोफोल
21. कौपर आक्सीक्लोराइड
22. थिरम/झिरम/वापम/फरलियम
23. जिंक डिमाथाइल डिथियो कार्बामेट
24. मनेब
25. जिनेब
26. निकल क्लोराइड
27. औरगेनोमरक्यूरियल्स
28. कार्बेन्डाजीन
29. 2, 4-डी
30. इसोप्रोटयूरन
31. पैराक्वेट
32. बेसालिन
33. डेलपोन
34. डियूरोन
35. सिकोसेल
36. अल्फा नेफ्थालीन एसिटक एसिड
37. रेटाफिन
38. जिंक फोस्फाइड
39. एल्यूमिनियम फोस्फाइड
40. मिथाइल ब्रोमाइड

41. इथिलीन छिब्रोइड
42. डियाजिनोन
43. निकोटीन सल्फेट
44. एरोफुंजिन
45. स्ट्रेप्टोनाइक्लीन
46. क्लेक्सिन
47. कापर सल्फेट
48. एबेट

एशियाड निर्माण कार्य में लगाये गये श्रमिकों का शोषण

2245. **श्री सूरज भान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1982 में आदेश दिए थे कि पीपल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा एशियाड परियोजनाओं में लगाये गये श्रमिकों के आरोपों की जांच की जाये ;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु तीन लोकपालों की नियुक्ति की गई थी ; और

(ग) उनके निष्कर्षों का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के तारीख 11-5-1982 के अन्तरिम आदेश के अनुसार, उक्त तीनों लोकपालों ने साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्टें सीधे ही उच्चतम न्यायालय को दी हैं । उच्चतम न्यायालय ने केवल पांच निरीक्षण रिपोर्ट इस मंत्रालय को भेजी हैं। उक्त रिपोर्टों का कोई भी अंश केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है ।

उक्त लोकपालों की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को दी गई थी और इसलिए उनके निष्कर्षों के ब्यौरे केवल न्यायिक रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा ही दिए जा सकते हैं।

रेलवे, माल गोदामों, गोदियों और बन्दरगाहों में माल उतारने-चढ़ाने तथा रेलवे में राख साफ करने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए समिति

2246. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे, माल गोदामों, गोदियों और बन्दरगाहों में माल चढ़ाने और उतारने तथा रेलवे में राख के ढेर साफ करने के कार्य में लगे लोगों के लिए न्यूनतम

मजूरी निश्चित करने के संबंध में सरकार को सलाह देने और जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन क्या है और इस समिति के कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) इन नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने के बारे में समिति जांच करेगी और केन्द्रीय सरकार को सलाह देगी।

इस समिति का गठन निम्न प्रकार से है :—

(1) श्री सी० टी० दीघे	—	अध्यक्ष
(2) श्री राखल दास गुप्ता	—	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
(3) श्री चौ० शशीभूषण राव	—	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
(4) श्री आर० सी० शर्मा	—	नियोजकों के प्रतिनिधि
(5) श्री जे० एस० आजाद	—	नियोजकों के प्रतिनिधि

कोयले को मिट्टी के तेल और गैसोलिन में परिवर्तित करने के लिए एक संयन्त्र की स्थापना

2247. **श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले को मिट्टी के तेल और गैसोलिन में परिवर्तित करने के लिए 10 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक संयन्त्र लगाने की सिफारिश करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी ; और

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने कोयले को गैसीय और तरल ईंधनों में बदलने के संबंध में एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन दिनांक 23-2-1983 को किया था जिसे निम्नलिखित काम सौंपे गए थे :—

(1) भारत और अन्य देशों में कोयला परिवर्तन प्रौद्योगिकी कला की स्थिति की जांच और भारत में आगे अधिक अनुसंधान कार्य करके इस प्रौद्योगिकी की उन्नत बनाने के लिए कार्रवाई की सिफारिश।

(2) कोयले का तेल में परिवर्तन करने की दृष्टि से सबसे उचित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का

मूल्यांकन करने के लिए पायलट संयन्त्र अथवा प्रक्रिया निदर्शन एकक स्थापित करने की तकनीकी और आर्थिक साध्यता पर रिपोर्ट देना ।

(3) कोयले के सबसे किफायती और सक्षम इस्तेमाल करने की दृष्टि से कोयले का गैसीय और तरल ईंधनों तथा फीड स्टाक में परिवर्तन के कार्य पर रिपोर्ट देना तथा उसका समन्वय करना ।

विशेषज्ञ ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट सरकार को मई, 1984 में प्रस्तुत कर दी है । ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला कोयला से तेल बनाने का संयन्त्र उचित नहीं होगा ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का प्रावधान

2248. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और योजना आयोग इस बात पर बल देते हैं कि देश के ग्राम पंचायत वाले प्रत्येक गांव में कम से कम एक डाकघर और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर कम से कम एक टेलीफोन होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से दूर-संचार सुविधाओं के बारे में और सामान्य रूप से डाक संचार के विकास के लिए वास्तविक नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख)

डाक योजना

प्रत्येक ग्राम पंचायत वाले गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है। ऐसे ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जाते हैं, जो विभाग द्वारा अपनाए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। मौजूदा विभागीय मानदंडों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेज दिये गये हैं ।

दूरसंचार योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण आबादी के ५ कि० मी० के भीतर कम से कम एक टेलीफोन घर प्रदान करने का है । तदनुसार योजना प्रस्ताव तैयार कर लिए गये हैं और योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

योजना आयोग अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहा है और पर्याप्त संचार सुविधाओं की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए योजना के लिए वित्तीय आवंटन एवं वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये जाने हैं बशर्ते कि समग्र रूप में साधन उपलब्ध हों तथा विकास के अन्य क्षेत्रों की प्रतियोगी मांग को ध्यान में रखा जाए ।

इराक में भारतीयों की कार्य स्थितियां

2249. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक और इराकी स्टेट आर्गेनाइजेशनों की भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों में इस समय कितने भारतीय नागरिक काम करते हैं ;

(ख) क्या इराक में गये हुये भारतीयों की कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिये हाल में भारत और इराक के बीच कोई समझौता हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) इराक और इराकी राज्य संगठनों में भारतीय कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों में इस समय लगभग 40,000 भारतीय कर्मकार काम कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) इराक में गये हुये भारतीयों की कार्य-दशाओं में सुधार करने का मामला भी भारत और इराक की सरकारों के बीच हाल ही में हुये विचार-विमर्श का एक विषय था ।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य निष्पादन

2250. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के विभिन्न राज्यों में कार्य निष्पादन से सन्तुष्ट है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण जनता में सामान्य जागृति पैदा करने के लिये विभिन्न राज्यों में काम कर रहे केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सातवीं योजना के दौरान कितना बल दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित और नियुक्त किये गये 250 ग्रामीण श्रमिक शिक्षक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. असम	10
2. पश्चिम बंगाल	43

3. उड़ीसा	6
4 आन्ध्र प्रदेश	16
5. कर्नाटक	24
6. केरल	24
7. तमिलनाडू	32
8. गुजरात	7
9. मध्य प्रदेश	14
10. पंजाब	15
11. हरियाणा	3
12. महाराष्ट्र	15
13. उत्तर प्रदेश	13
14. राजस्थान	1
15. जम्मू और कश्मीर	17
संघ राज्य क्षेत्र	
16. दिल्ली	1
17. गोआ	9
	250

(ग) जी, हां ।

(घ) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, ग्रामीण श्रमिक शिक्षा पर अधिक महत्व देने और 1990 तक लगभग 500 ग्रामीण श्रमिक शिक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव है ।

क्षेत्रीय भाषाओं में विधि-पुस्तकों का प्रकाशन

2251. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि पुस्तकों का बंगला, असमिया, उड़िया, मलयालम, तमिल और तेलगु जैसी

क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन करने के लिए किए गये अथवा किये जा रहे उपायों और उपलब्ध की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में मूल विधि पुस्तकें तथा निर्णय-विधि पुस्तकें लिखने का कार्य लेखकों को विशेष तौर से सौंपा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) इस मंत्रालय का प्रयास भारत के संविधान को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का रहा है। अब तक, हिन्दी के अतिरिक्त, संविधान जो भाषाओं अर्थात् बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालय, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलगु और उर्दू में प्रकाशित हो चुका है। सरकार प्रादेशिक भाषाओं में भी केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत अनुवाद प्रकाशित कर रही है। प्रादेशिक भाषाओं में विधि-पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कोई स्कीम नहीं है, किन्तु सरकार को आशा है कि विद्वान लेखकों, विश्व-विद्यालयों, राज्य सरकारों के अभिकरणों, आदि द्वारा, जो संबद्ध प्रादेशिक भाषा की समृद्धि और विकास के लिए उत्सुक हैं, ऐसे प्रयत्न किए जायेंगे।

पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना

2252. **श्री नवीन रावणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और विशेषकर गुजरात में पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना करने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसने क्या सुझाव दिए हैं और सरकार ने इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) देश में पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्सों की स्थापना के संबंध में निर्णय तकनीकी-आर्थिक विचारधारा पर और योजना प्राथमिकताओं तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर किये जायेंगे। अन्य एककों के बारे में निर्णय किये गये हैं और अन्य कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है एक बड़ा काम्पलैक्स अर्थात इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० को पहले से ही बड़ौदा में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किया जा चुका है। राज्य क्षेत्र में एक अन्य काम्पलैक्स की स्थापना के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) यह स्पष्ट नहीं है कि किस-किस विशेषज्ञ समिति का उल्लेख किया गया

है। देश में पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्सों के आयोजन के लिये किसी समिति की स्थापना नहीं की गई है। इस विषय पर सातवीं योजना के लिये कुछ कार्य पेट्रोकेमिकल्स पर कार्यकारी दल द्वारा किया जायेगा।

फिरोजाबाद के चूड़ी एककों को कोयले की नियमित सप्लाई

2253. **श्री दिगम्बरसिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद में लगभग 60 प्रतिशत कांच-चूड़ी एकक कोयले की कमी के कारण बंद होने को हैं जिससे उत्तर प्रदेश के चूड़ी नगर के आर्थिक जीवन में संकट पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो फिरोजाबाद के इन एककों को आवश्यक मात्रा में कोयला उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ; और

(ग) शेष 40 प्रतिशत एककों को बाध्य होकर बंद होने से रोकने और चूड़ी एककों को कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या हल खोजा जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने की 60% इकाइयां कोयले की कमी के कारण बंद होने वाली हैं क्योंकि फिरोजाबाद के कांच यूनिटों को कोयले का सप्लाई आम तौर पर संतोषजनक रही है। फिरोजाबाद के कांच यूनिटों के पक्ष के उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय द्वारा जारी की गई सिफारिशें औसतन 10 रेक प्रतिमाह (20,000 टन के बराबर) रहती हैं। जनवरी, 1984 से इन यूनिटों ने जितनी रेकों का कार्यक्रम बनाया और जितनी रेक रेलवे ने आबंटित कीं और जितनी रेकों का लदान हुआ उनका माहवार विवरण निम्नलिखित है :—

महीना	उपभोक्ताओं के कार्यक्रम के अनुसार रेकों की संख्या	आबंटित और लादी गई रेकों की संख्या
जनवरी, 1984	11	9
फरवरी, 1984	8.5	9
मार्च, 1984	10.5	12
अप्रैल, 1984	6	8
मई, 1984	8.5	9
जून, 1984	12.5	5
जुलाई, 1984	8	6
कुल	65	58

इसके अलावा निर्दिष्ट कोलियरियों से कोयला सड़क द्वारा भी सप्लाई किया जाता है।

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं ने फरवरी, 1984 अप्रैल, 1984 और मई, 1984 में पूरी प्रायोजित मात्रा के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत तक नहीं किया था। कोल इंडिया लि० ने रिपोर्ट दी है कि जनवरी, 1984 में तो कुछ चूड़ी इकाइयों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद फिर उसे रद्द तक कर दिया था।

सिन्थेटिक रबर संयंत्र, पालिस्टर संयंत्र इत्यादि स्थापित करना

2254. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने संयुक्त और गैर-सरकारी क्षेत्रों में दो सिन्थेटिक रबर संयंत्र, पांच पालिस्टर संयन्त्र, तेरह नायलोन संयन्त्र और एक एक्रिलिक फाइबर संयन्त्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इन संयन्त्रों को स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे प्रस्तावों पर गुणावगुण और तकनीकी-आर्थिक आधार पर निर्णय किया जाता है। विभिन्न संयन्त्रों के स्थलों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :

संयन्त्र का नाम	संयन्त्रों की संख्या	स्थल
सिन्थेटिक रबर संयंत्र	2	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश
पालिस्टर फाइबर संयन्त्र	5	कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
नायलोन संयन्त्र	13	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
एक्रिलिक फाइबर संयन्त्र	1	उत्तर प्रदेश

महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा अभ्रक की खानों का नियमित निरीक्षण

2255. **श्री ए० के० राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा अभ्रक की खानों का नियमित निरीक्षण किये जाने

की व्यवस्था है, यदि हां, तो पिछले तीन महीने में किये गये इस प्रकार के निरीक्षण का तारीखों तथा खानों के नाम सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अभ्रक का खनन अत्यन्त अवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है जिसके कारण खानों को नुकसान पहुंचता है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा किसी खान मालिक के विरुद्ध अभियोग दायर किया गया है, यदि हां, तो मामलों के ब्यौरे सहित तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धमवीर) : (क) जी, हां। मई-जुलाई, 1984 महीनों के दौरान अभ्रक खानों के किये गये निरीक्षणों के ब्यौरों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अभ्रक खान प्रबन्धकों के विरुद्ध न्यायालयों में दो मामले चलाए गये हैं। इन मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है :—

खान का नाम	दोषी व्यक्तियों के नाम	उल्लंघन
1	2	3
1. तारा नं० 2 अभ्रक खान कोडरमा, जिला हजारी बाग (बिहार)	1. श्री प्रताप चन्द, सुखानी, मालिक 2. श्रीमती आर० देवी सुखवाल, मालिक 3. श्री वी० मेहरा, ठेकेदार 4. श्री एन० सरकार, प्रबन्धक 5. श्री चारू महाते, मेट	धातुमय खान विनियम, 1961 का विनियम 131(1), 140(1) 140(2) और 9
2. गोपी पिट अभ्रक खान, जिला—भीलवाड़ा (राजस्थान)	1. श्री एल० एस० चुन्डावल, स्वामी 2. श्री बी० सिंह, प्रबंधक	धातुमय खान विनियम, 1961 का विनियम, 168, 160 116,34 और 39

ये दोनों मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं।

कम घनत्व वाले पोलीथीलीन तथा पोलीप्रोपाइलीन की मांग तथा पूर्ति

2256. **श्री एस० ए० दौराई सेबस्तियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम घनत्व के पोलीथीलीन तथा पोलीप्रोपाइलीन की स्वदेशी सप्लाई में प्रतिवर्ष लगभग क्रमशः 50,000 और प्रोलोप्रोपाइलीन की सप्लाई में 40,000 टन की कमी रहती है ;

(ख) क्या कम घनत्व के पोलीथीलीन पर 229 प्रतिशत की दर पर तथा पोली-प्रोपाइलीन पर 156 प्रतिशत की दर पर सीमा शुल्क लगाये जाने के कारण आयातों के रूप में इन कच्ची सामग्रियों के आने पर रुकावट आई है और इस प्रकार मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री(श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस वर्ष कम घनत्व की पोलीएथीलीन तथा पोलीप्रोपीलीन की आंतरिक उपलब्धता में क्रमशः 20,000 मी. टन. तथा 10,000 मी. टन. के लगभग कमी होने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय मंत्रियों का टेलीफोन व्यय

2257. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से अब तक विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों के टेलीफोन व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : जानकारी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, उड़ीसा द्वारा निर्माण कार्य

2258. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में क्रियान्वयनाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की एक प्रमुख परियोजना पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड में जुलाई, 1984 के महीने में हिंसा और आतंक की घटनाओं के कारण निर्माण कार्य ठप्प हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) जी, नहीं। पारादीप फास्फेट्स

लि० में जुलाई, 1984 में हिंसा और आतंक की घटनाओं के कारण निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है।

बिजली पारेषण (ट्रांसमीशन) और वितरण प्रणाली का कार्य निष्पादन

2259. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने बिजली पारेषण और वितरण प्रणाली के पूर्णतः असंतोषजनक और निराशाजनक कार्य निष्पादन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और यह कहा है कि 400 किलोवाट और 220 किलोवाट की स्थापना की प्रगति इतनी असंतोषजनक है कि बिजली पारेषण और नई क्षमता पिछड़े जाने से देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) योजना आयोग ने पारेषण निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी, जिसमें 400 के० वी० और 220 के० वी० लाइनों का निर्माण शामिल है और पारेषण कार्यक्रम की समुचित मानीटरिंग करने की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि सृजित की जा रही नई विद्युत क्षमता के ले जाने में कोई बाधा न आए। वर्ष 1983-84 के दौरान पारेषण निर्माण कार्यों में 400 के० वी० लाइनों की 826 सर्किट किलोमीटर तथा 220 के० वी० लाइनों की 1849 सर्किट-किलोमीटर की उपलब्धि हुई थी।

पर्याप्त निधियों का न होना, मार्ग संबंधी समस्याएं और विशिष्ट इस्पात सैक्शनों, कंडक्टरों और उत्थापन उपस्करों की कमी जैसे अनेक कारणों से पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रुकावट आई है। पारेषण सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पारेषण परियोजनाओं पर पर्याप्त समय पहले विचार किया जाए, उसे तैयार किया जाए और अनुमोदित किया जाए और तदनुसार राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत सप्लाई करने वाले अन्य प्राधिकरणों को अपनी विद्युत उत्पादन स्कीमों में सम्बद्ध पारेषण प्रणाली शामिल करने की सलाह दी गई है।

दूरसंचार सेवाओं का कार्यकरण

2260. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार सेवायें विशेषकर टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं , और

(ख) यदि हां, तो देश में और विशेषरूप से महानगरों और राज्यों की राजधानियों में इन सेवाओं में और अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में टेलीफोन सेवा आम

तौर पर संतोषजनक है। फिर भी, लाइन और उपस्कर में अवश्य दोष उत्पन्न होते हैं और नियमित रखरखाव स्टाफ द्वारा ये दोष दूर कर दिए जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर दूरसंचार परिपथ जाल के कार्य-निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

(ख) पूरे देश में आम तौर पर तथा खड़े शहरों में विशेषरूप में टेलीफोन सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) मुख्य केबिलों का दाबीकरण

(2) दाबीकृत नए केबिल बिछाना

(3) जहां कहीं केबिल की गहराई के आधार पर आवश्यक हो, वहां केबिलों को अर्ध-डक्टों द्वारा सुरक्षा प्रदान करना।

(4) नए जंक्शन एवं प्राइमरी केबिलों को डक्टों में बिछाना।

(5) केबिल खाइयों को बंद करने से पहले उनमें पानी भरना। मानसून से काफी समय पूर्व केबिल दोषों का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता।

(6) वितरण केबिल नेटवर्क में जेली भरे केबिलों का प्रयोग करना।

(7) उपभोक्ता की लाइन में इंस्युलेरिड ड्राप वायर का प्रयोग करना।

(8) उपभोक्ता के अहातों में लगी एल्युमिनियम की वायरिंग को कापर कंडक्टरों द्वारा बदलना।

(9) कोड "677" किस्म के विकसित टेलीफोन का प्रयोग करना।

(10) टेलीफोनों और लाइनों का नियमित रूप से निरीक्षण करना।

(11) नेटवर्क में इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर शामिल किए जा रहे हैं।

(12) जिन उपस्करों की कार्य अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें बदलना।

(13) प्रबंध सूचना प्रणाली, सामग्री प्रबंध कार्मिक प्रबंध, रिकार्ड और आटो मैनुअल सेवाओं में कम्प्यूटर चालू करने पर विचार किया जा रहा है।

तालचेर कोयला क्षेत्र में खनन फार्म और नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाना

2261. **श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर कोयला क्षेत्र में खनन और ढुलाई (हैंडलिंग) कार्यों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा में कोयला भंडार वाले कुछ नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कोयला भंडारों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा के तालचेर कोयला क्षेत्रों में खनन और रख-रखाव कार्यों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) कोयले के उत्पादन और निकासी को बेहतर करने की दृष्टि से भूमिगत खानों की खनन प्रणालियों की पुनरीक्षा की जा रही है ।

(2) सभी परियोजनाओं में समुचित डिजाइन और पर्याप्त क्षमता वाली कोयला रख-रखाव सुविधाएं रहेगी । विद्यमान खानों में कोयले के प्रेषण के लिए पहले से ही उपयुक्त सुविधाएं हैं ।

(4) अधिक ओपेनकास्ट खानें खोली जा रही हैं ताकि इस कोयला क्षेत्र के कोयले की मांग के अनुकूल उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

(4) अनंता में एक आधुनिक भूमिगत खान के विकास किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए साध्यता अध्ययन किए जा रहे हैं ।

(5) भरतपुर में एक वाशरी स्थापित करने का प्रस्ताव है जो "नाल्को" के प्रहीत विद्युत संयन्त्र को धुला कोयला सप्लाई करेगी ।

(ख) और (ग) जी, हां । ड्रिलिंग-कार्य कलिंग ब्लाक में पूरा हो गया है और अनंता ब्लाक में चल रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन दोनों स्थानों पर नई ओपेनकास्ट खानों के विकास की योजना है ।

कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था का बार-बार अस्त-व्यस्त होना

2262. **श्री अजित बाग** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1984 को कलकत्ता में कितने टेलीफोन खराब थे ;

(ख) कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था के बार-बार अस्त-व्यस्त हो जाने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ; तो वे क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 7 जुलाई, 1984 तक खराब पड़े टेलीफोनों की कुल संख्या लगभग 44,000 थी ।

(ख) टेलीफोन प्रणाली में बार-बार खराबी आने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(एक) पानी, बिजली, मल निकास, गैस, सी.एम.डी.ए. आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं द्वारा बार-बार खुदाई से भूमिगत केबिलों का क्षतिग्रस्त होना ।

(दो) मेट्रो रेलवे द्वारा बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य किया जाना ।

(तीन) टेलीफोन केबिलों का अधिक मात्रा में चोरी हो जाना ।

(चार) बिभिन्न एक्सचेंजों में पुराने स्विचन उपस्कर का घिस जाना।

(ग) निम्नलिखित उपचारी कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. अन्य जन उपयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय में सुधार लाना ताकि उनके द्वारा की गई खुदाई से भूमिगत केबिलों को होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

2. जंक्शन, गौण और प्राइमरी केबिलों का गैस द्वारा दाबीकरण ।

3. डक्टों को बिछाना तथा केबिलों को डक्टों के जरिए ले जाना ।

4. माइक्रोवेव और पी. सी. एम. प्रणालियों पर अधिक जंक्शन प्रदान करके अंतर एक्सचेंज जंक्शन मीडिया में परिवर्तन करना ।

5. केबिल परिपथ जाल को बढ़ाना ।

6. मेट्रो रेलवे मार्ग से भूमिगत टेलीफोन केबिलों का विपणन करना ।

7. टेलीफोन लाइनों में खराबी के मामलों में लचीलापन और त्वरित जांच सुविधाएँ प्रदान करने के लिए केबिल परिपथ जाल में अधिक केबिनेट और खम्भे संस्थापित करना।

8. पुराने टेलीफोन उपकरणों को नये उपकरणों में बदलना ।

9. इन हाउस वायरिंग में एल्यूमिनियम कंडक्टर केबिल को तांबे की केबिलों में बदलना ।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में साउण्ड रिकार्डिस्ट्स द्वारा ई.एन.जी. सेक्शन (बी. सी. आर.) का कार्यभार ग्रहण करना

2263. **श्री बयाराम शाक्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के साउण्ड रिकार्डिस्ट्स द्वारा ई. एन. जी. सैक्शन (बी. सी. आर.) का कार्यभार ग्रहण करने के बारे में आदेश जारी किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दूरदर्शन के साउण्ड रिकार्डिस्टों द्वारा ई. एन. जी. (बी. सी. आर.) सेक्शन का कार्यभार पूरी पर कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): दूरदर्शन में ई. एन. जी. उपकरणों को ध्वनि रिकार्डिस्टों तथा इंजीनियरी सहायकों दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। ध्वनि रिकार्डिस्टों द्वारा ई. एन. जी. अनुभाग (बी. सी. आर.) का कार्यभार ग्रहण कर लिये जाने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पन बिजली परियोजनाओं की प्रगति

2264. **श्री सत्यनारायण जटिया**: क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पन बिजली उत्पादन के लिए तैयार की गई योजनाओं की नवीनतम प्रगति के बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है और उनमें से प्रत्येक की क्षमता क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शारिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में इस समय पांच बृहत/मध्यम जल विद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। अब तक हुई प्रगति के आधार पर इन परियोजनाओं का ब्यौरा और इनको चालू करने की संभावित तारीखें निम्नानुसार हैं :

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की संभावित तारीख (प्रथम यूनिट/अंतिम यूनिट)
1. पेंच*	2×80	1985-86 ——— 1986-87
2. बोधघाट	4×125	1989-90 ——— 1990-91
3. बाणसागर (टोन्स)	3×105+3×15+2×15	1987-88 ——— 1988-89
4. हसदेव	3×40	1989-90
5. बारगी	2×45	1987-88

*मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की साझा परियोजना।

केन्द्रीय और पूर्वी कोयला खान क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन

2265 **श्री रेणु पद दास : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और पूर्वी कोयला खान क्षेत्रों में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कितनी कोयला-खानें गैर कानूनी रूप से चल रही हैं ;

(ख) उक्त खानों से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयला निकाला जाता रहा है ;

(ग) क्या अवैध रूप से कोयला निकालने के विरुद्ध अब तक उठाए गये कदम पर्याप्त हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार को पुरूलिया जिले के नेट्रिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अवैध खान में कोयला की काट करते समय 30 खान मजदूरों की हाल ही में हुई मृत्यु की जानकारी है ; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया था और इस संशोधन के जरिये उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें अधिनियम में कोयला खनन का प्राधिकार दिया गया है बाकि किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी रूप में कोयला खनन करने की मनाही कर दी गई थी और जो कंपनियाँ लोहा और इस्पात के उत्पादन में लगी हों उनको छोड़कर सभी गैर-सरकारी कंपनियों को कोयले के खनन या कोयला निकालने के लिए दिये गये सभी पट्टे समाप्त कर दिए गये थे। गैर-कानूनी कोयला खनन को एक दंडनीय अपराध भी बना दिया गया था और इसके लिये रु० 20,000/ तक के जुर्माने और तीन साल तक की कैद की सजा की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 11-4-1980 और 7-5-1980 के निर्णयों द्वारा इन प्रावधानों को वैध ठहराया है।

इन निर्णयों के बाद गैर-कानूनी कोयला खनन एक बड़ी सीमा तक रोक लिया गया है। फिर भी कोयला पट्टी बहुत विशाल है और कुछ लोग कभी-कभी कानून को तोड़ते हैं और गैर कानूनी कोयला खनन करते हैं। चूंकि गैरकानूनी कोयला खनन छुटपुट रूप से और चोरी-छिपे किया जाता है इसलिए ऐसी गतिविधियों का कोई सभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

राज्य सरकारों और कोयला कम्पनियों से अपराधियों के खिलाफ समेकित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। राज्य-सरकारों ने जिला प्राधिकारियों को पहले ही निर्देश दे दिये हैं कि भारतीय दंड-संहिता के साथ पठित अधिनियम के अधीन दंडात्मक और निवारक कार्रवाई की जाये। कोयला कंपनियों को भी निदेश दिया गया है कि कोयले की गैर कानूनी निकासी के मामले जब कभी पता चले तो संबंधित प्राधिकारियों को उनकी रिपोर्ट दी जाये। गैर-कानूनी कोयला खनन रोकने के लिये कोयला कंपनियों द्वारा राज्य प्राधिकारियों के सहयोग से उठाये गये कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) अपराधियों को पकड़ने के लिये कोयला कंपनियां राज्य पुलिस के साथ नियमित रूप से अचानक छापे मारती है।

(2) गैर कानूनी खनन रोकने की दृष्टि से उपाय निश्चित करने के लिये राज्य पुलिस और सिविल प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जा रही हैं।

(3) जहाँ कहीं संभव होता है वहाँ कोयला कम्पनियां गैर-कानूनी खनन स्थलों और रेट हीलों को सील कर देती हैं।

(4) कोलियरी प्रबंध मंडल, को जब कभी गैर कानूनी खनन कार्य का पता चलता है तो इसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को की जाती है।

(5) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न ड्रग्श कम्पनियों की बिक्री, आय और लाभ

2266. **श्री चतुर्भुज** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैडिल्ला, लाइका, यूनीक, पी० सी० आई०, सिपला और वोक्हार्ट कम्पनियों के पिछले तीन वर्षों की बिक्री, आय और कर लगाने से पहले और कर लगाने के बाद लाभ के आंकड़े क्या हैं, और

(ख) इन कम्पनियों द्वारा अलग-अलग मूल चरण से बनाई जा रही बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) मै० कैडिला लेबोरेटरीज, लिका लेबोरेटरीज, यूनिक फार्मास्युटिकलर लेबोरेटरीज और सिप्ला से संबन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण एक में दी गई है। मै० पी० सी० आई० और बोक्स फार्मास्यूटिकल्स से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मै० पी० सी० आई० किसी बल्क औषध का उत्पादन नहीं करते। अन्य कम्पनियों द्वारा उत्पादित बल्क औषधों के नाम और उनके निर्माण की अवस्था संलग्न विवरण-दो में दर्शाई गई है।

विवरण-एक

क्र० स०	कम्पनी का नाम	वर्ष	कुल बिक्री (रु० करोड़)	कर से पूर्व लाभ (रु० लाख)	कर के पश्चात लाभ (रु० लाख)
1	2	3	4	5	6
1.	मै० केडिला लेबोरेटरीज प्रा० लि०	1981	18.11	144.9	46.9
		1982	22.70	175.13	70.13
		1983	27.80	142.94	97.94

1	2	3	4	5	6
2.	मै० सिपला	31 अक्टूबर, 80 को समाप्त वर्ष	10.43	74.18	29.18
		31 अक्टूबर, 81 को समाप्त वर्ष	13.35	84.72	42.72
3.	मै० यूनीक्यू फार्मास्युटिकल्स लेब्स प्रा० लि०	1980-81 (जून को समाप्त वर्ष)	2.36	20.85	10.85
		1981-82, (जून को समाप्त वर्ष)	3.26	30.29	17.86
		1982-83 (जून को समाप्त वर्ष)	4.15	26.75	31.43
4.	मै० लिका लेब्स	1980-81 (जून को समाप्त वर्ष)	11.04	53.20	17.20
		1981-82 (जून को समाप्त वर्ष)	13.07	67.42	20.82
		1982-83 (जून को समाप्त वर्ष)	16.12	69.36	68.96

विवरण-दो

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	बल्क औषध का नाम	निर्माण की अवस्था
1.	मै० केडिला लेब्स	इथम्बुटोल	मध्यवर्ती
		मेवेन्डाजोल	,,
		टिनिडाजोल	,,
2.	मै० सिप्ला	सल्फामेथोक्साजोल	मूल
		विटामिन-के	,,
		इब्युप्रोफिन	,,

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	बल्क औषध का नाम	निर्माण की अवस्था
		डिलोक्सामाइड फ्यूरेट	मूल
		सालबुटामोल	,,
		टेब्यूटेलाइन सल्फेट	,,
		प्रोप्रानोलोल	,,
		जेन्टीनोल निकोटिनेट	,,
		नेवेन्डाजोल	मध्यवर्ती
		लोराजोपाम	मूल
		ट्राइमेथोप्रिम	मध्यवर्ती
		केलसियम सेनोसाइड	मूल
		प्रोगेस्टीरोन	मूल
		टेस्टीस्टीरोन	मूल
3.	मैं० यूनीक्यू फार्मास्युटिकल्स	ओक्सी फिनाइलबुटाओन	मध्यवर्ती
4.	मैं० वोक हाईट	डेक्सट्रोप्रोक्सी फेन एच० सी० एल०	उपान्तिम
5.	मैं० लिका लेवोरेटरीज	इथम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड	अनुपलब्ध

2000 मेगावाट क्षमता का पन बिजली उत्पादन कार्यक्रम

2267. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 10 करोड़ रुपए का एक पृथक 2000 मेगावाट की क्षमता का पन बिजली उत्पादन कार्यक्रम बनाने का है जिसको सातवीं योजना से अलग वित्त पोषण किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्र सरकार के अन्तर्गत होगा अथवा राज्य सरकारों के अंतर्गत होगा ; और

(ग) पनबिजली क्षेत्र में इस प्रस्तावित के मेगावाट क्षमता के बन जाने के बाद देश में विभिन्न क्षेत्रों में बिजली को किस तरह वितरित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सातवीं योजना के लिये विद्युत संबंधी कार्यक्रम के स्वरूप को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और यह साधनों की उपलब्धता आदि जैसे घटकों पर निर्भर करेगा।

कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय विधान लाना

2268. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम परिसंघ सहित कृषि मजदूरों के सभी संगठनों से कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय विधान की मांग को देखते हुए जिसके लिए इस विषय पर केन्द्रीय विधान न लाने के लिए संसद के मत अधिवेशन में घोषणा की गई थी, सरकार अपने निर्णय पर फिर से विचार कर रही हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर) : कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और इस सम्बन्ध में मतैक्य न होने के कारण अन्ततः यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रश्न को राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाय कि वे कृषि-श्रमिकों की सेवा-शर्तों को नियमित करने तथा उनके लिए कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये राज्य स्तर पर उपयुक्त विधान बनाएं, जो कि केरल कृषि श्रमिक अधिनियम, 1974 तथा राज्यों को पहले भेजे गए केन्द्रीय विधेयक के मसौदे के अनुरूप हों। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल मुख्यतः ग्रामीण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनायें।

फिल्म प्रमाणीकरण सेंसर बोर्ड के एक सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति के सदस्य की नियुक्ति

2269. **श्री भीखा भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री फिल्म "सौतन" में कुछ संवादों और शब्दों के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में जांच के बारे में 3 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6275 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिडयूल्ड कास्ट्स वेलफेयर ऐसोसियेसन (रजिस्टर्ड), अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली ने सौतन फिल्म के विरुद्ध अपने अभ्यावेदन में एक मांग यह रखी थी कि फिल्म प्रमाणीकरण सेंसर बोर्ड में एक सदस्य अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फिल्म प्रमाणीकरण सेंसर बोर्ड में जिसका हाल ही में पुनर्गठन किया किया गया है अनुसूचित जाति समुदाय के किसी व्यक्ति को उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हाल ही में पुनर्गठन किए जाने पर प्रो० वी० बी० वनमाली, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बोर्ड में नियुक्ति के लिए वे उपयुक्त व्यक्ति हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मथुरा के लिए कम शक्ति का ट्रांसमीटर

2270. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा तथा स्थानीय और समीपवर्ती क्षेत्रों जैसे मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, वृन्दावन, भरतपुर आदि के लाभ के लिए मंजूर किया गया उच्च शक्ति वाला एक दूरदर्शन केन्द्र इस समय निर्माणाधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी दूरी तक प्रसारण हो सकेंगे तथा यह कौनसी तारीख से कार्य करना शुरू कर देगा और अब आगरा में कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने पर बेकार का व्यय करने के क्या कारण है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है अथवा उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाना बेहद जरूरी है तो मथुरा में भी कम शक्ति का ट्रांसमीटर न लगाए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 120 किलोमीटर अर्धव्यास होगी और इसके चालू वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। कोई बेकार खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि अन्तरिम सेवा प्रदान करने हेतु आगरा में अल्प शक्ति वाला जो ट्रांसमीटर पहले लगाया गया था उसको स्वीकृत योजना के अन्तर्गत उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर किसी और जगह लगाने का कार्यक्रम है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी कालोनियों के विद्युतीकरण में वन संरक्षण नीति बाधक

2271. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाहार** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में हुई बिजली मंत्रियों की बैठक में केरल सरकार के बिजली मंत्री ने यह शिकायत की है कि आदिवासी कालोनियों के बिजलीकरण के रास्ते में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की वन संरक्षण नीति बाधक बनी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायत का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) हाल ही में राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में केरल के विद्युत मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण वे आदिवासी गांवों का

विद्युतीकरण नहीं कर पा रहे हैं। तथापि, ग्राम विद्युतीकरण निगम को इस संबंध में केरल के प्राधिकारियों से कोई विशिष्ट संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ।

कोंडियाहट के उप-डाकघर का दर्जा बढ़ाना

2272. **श्री मनमोहन टुडु ; क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप-डाकघर किया गया ;

(ख) क्या उड़ीसा में कटक जिले के कोंडियाहट शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे उप डाकघर का दर्जा देने की जोरदार मांग की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे उप-डाकघर का दर्जा कब तक दिया जाएगा ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 71 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उप डाकघर किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रस्ताव की जांच की गई और विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

नई दिल्ली में नियमित आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

2273. **श्री टी० एस० नेगी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 से जी. बी. पंत, सफदरजंग तथा राम मनोहर लोहिया अस्पतालों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ विशेषज्ञों को नियमित आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए तथा इनमें से वास्तव में कितने टेलीफोन लगा दिए गए हैं ;

(ख) क्या विशेषज्ञों के संबंध में इस प्रकार का कोई मामला है जहां टेलीफोन मंजूर किया गया था लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1 जनवरी 1984 से 1 जुलाई, 1984 की अवधि के दौरान शराब की दुकानों, मनोरंजन केन्द्रों, होटलों व्यापारियों को कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए तथा मंजूर किए गए टेलीफोनों में से कितने टेलीफोन लगा दिये गये थे ; और

(घ) टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए क्या नीतियां तथा प्राथमिकताएं हैं और क्या

सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन की देख-रेख करने और टेलीफोन कनेक्शनों को मंजूर करने संबंधी अनियमिताओं से निपटने के लिए कोई पुनरीक्षा समिति है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल): (क) बारह टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी दी जा चुकी है और सभी टेलीफोन लगा दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन श्रेणियों के आवेदकों की अलग प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती।

(घ) किसी एक्सचेंज क्षेत्र में, टेलीफोन कनेक्शन देते समय, संबंधित श्रेणी जैसे ओ. वाई. टी., गैर-ओ. वाई. टी.-सामान्य और गैर-ओ. वाई. टी.-विशेष अर्थात क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के अनुपात में प्रतीक्षा सूची की स्थिति का ध्यान रखा जाता है। ऐसी कोई पुनरीक्षा समिति नहीं हैं, जो मार्ग-निदेशों के कार्यान्वयन का अलग से ध्यान रखे। फिर भी; एक साथ बहुत-अधिक टेलीफोन कनेक्शन देते समय, प्रतीक्षा सूची के विवरण छोटे एक्सचेंजों में नोटिस बोर्ड पर और बड़े एक्सचेंजों के मामले में समाचार पत्रों में प्रकाशित करा कर जनता की जानकारी के लिए विज्ञापित किए जाते हैं। निर्धारित आवधिक निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्तर पर निरीक्षण अधिकारी जांच करते है। इस संबंध में प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन की जांच राजपत्रित अधिकारी स्तर पर की जाती है।

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सिविल इन्जीनियरिंग डिप्लोमा धारकों तथा डिग्री धारकों की संख्या

2274. **श्री उमाकान्त मिश्र**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में इस समय सिविल इंजीनियरिंग में कितने डिप्लोमा धारकों तथा डिग्री धारकों के नाम रोजगार के लिए पंजीकृत हैं ;

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उन विभागों के नाम क्या हैं जहाँ पर उनको दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के लिए भेजा गया था ;

(ग) रिक्त पदों की तुलना में उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए किस अनुपात से भेजा जाता है ; और

(घ) सिविल इंजीनियरिंग में कितने डिप्लोमा धारियों और कितने डिग्री धारियों को जुलाई 1984 तक रोजगार मिला ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर): (क) 30-6-1984 के अनुसार दिल्ली रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा डिग्री धारकों (जिनमें से सभी अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या नीचे दी गई है :—

प्रकार	संख्या
डिप्लोमा-धारी	1995
डिग्री धारी	653

(ख) सूचना संलग्न विवरण में अन्तर्विष्ट की गई है।

(ग) अधिसूचित रिक्तियों के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए प्रायोजित किए जाने का अनुपात नीचे बताया गया है :

(I) - **अनारक्षित (सामान्य)** :

10 : 1, जैसे एक रिक्ति के लिए 10 उम्मीदवार ।

(II) **आरक्षित** :

अर्थात्, भूतपूर्व-सैनिक, शारीरिक विकलांग, अ० जा० और अ० ज० जा० : 15 : 1, जैसे एक रिक्ति के प्रति 15 उम्मीदवार।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जून, 1984 तक जिन डिप्लोमा धारियों और डिग्री धारियों (सिविल इंजीनियरिंग) को रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ था, की संख्या नीचे दी गई है :—

अवधि	डिप्लोमा-धारी	डिग्री-धारी
1-7-1981 से 31-12-81	9	2
1982	13	—
1983	114	26
1-1-84 से 30-6-84	15	39

विवरण

दिल्ली में उन विभागों की सूची, जहां पर सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा/ डिग्री की योग्यताओं के उम्मीदवारों के नाम 1-7-1981 से 30-6-1984 की अवधि के दौरान दिल्ली के रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	प्रशासनिक अधिकारी, डी. डब्ल्यू. एस. एण्ड एस. डी. उपक्रम, एस. सी. डी. लिंक हाउस, नई दिल्ली।
2.	प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली।
3.	प्रशासनिक आधकारी, दिल्ली कॉलिज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली।
4.	सहायक निदेशक (अभिलेखागार), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली, पुरातत्म विभाग, मैजनिन फ्लोर (साउथ), दिल्ली-6
5.	प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), डी. ई. एस. यू. शक्ति सदन, शक्ति मार्ग, नई दिल्ली।
6.	सहायक आवास आयुक्त (ऋण), ए-ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
7.	प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विंग, चौथी मंजिल, आई. एस. बी. टी. दिल्ली प्रशासन दिल्ली।
8.	उप सचिव (ई) एन. डी. एम. सी., टाउन हाल, नई दिल्ली।
9.	उपायुक्त (ई) एम. सी. डी. , टाउन हाल, नई दिल्ली।
10.	प्रशासनिक अधिकारी (उद्यान-विज्ञान) एम. सी. डी, विज्ञान विभाग, रोशनारा गार्डन, दिल्ली-7

क्रम संख्या	विभाग का नाम
11.	सचिव, एन. डी. एम. सी., पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
12.	उप कार्मिक अधिकारी, आई. पी. एस्टेट, डी. टी. सी, नई दिल्ली।
13.	संयुक्त निदेशक (स्लम एवं जे. जे.) डी. डी. ए. झंडेवालन, एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
14.	उप निदेशक (सामाजिक कल्याण) सामाजिक कल्याण निदेशालय, 7, लारेंस रोड, तिमार पुर, दिल्ली।
15.	कार्यकारी अधिकारी, कैंट बोर्ड कार्यालय, दिल्ली कैंट, दिल्ली-10
16.	सहायक निदेशक (कार्मक-1), डी० डी० ए०, विकास मीनार, नई दिल्ली।
17.	श्री सी० एस० खेरेवाल, निदेशक (ग्रामीण विकास) एवं परियोजना निदेशक (डी० आर० डी० ए०), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
18.	अधीक्षक अभियंता (सी) का कार्यालय सी० पी० डबल्यू० डी० आल इंडिया रेडियो बैरेक नं० 4, मंडी हाउस, नई दिल्ली।
19.	सहायक प्रबंधक, इंडियन एयर लाइंस हैडक्वार्टरस 113-गुरुद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली।
20.	क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, प्रभात किरण बिल्डिंग, 17, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली।
21.	प्रबन्धक, एन० वी० सी० सी० लोधी रोड, नई दिल्ली।

क्रम संख्या	विभाग का नाम
22.	श्री एम० सी० मेहता, कृषि उत्पादन मार्किट, डी०-4, पंचवटी, आजादपुर, दिल्ली।
23.	महाप्रबंधक, औद्योगिक विकास, बैंक ऑफ इंडिया, रेड क्रास सोसाइटी बिल्डिंग, 1-रेड क्रास रोड, नई दिल्ली।
24.	निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली।
25.	प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य इन्जीनियर का कार्यालय, (सिंचाई एवं बाढ़) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
26.	प्रशासनिक अधिकारी, एम० सी० डी० (इन्जीनियरिंग विभाग), टाउन हाल, नई दिल्ली।
27.	निदेशक (पी०), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली।
28.	केन्द्रीय जल आयोग आर० के० पुरम, नई दिल्ली।

तार विभाग द्वारा बाग्ले इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे में किराए पर जगह लेना

2275. **श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में मैसर्स एशियन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बाग्ले इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे, स्थित भवन को जुलाई, 1983 से किराए पर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किराए पर लिए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रारम्भ में प्रति माह 1,63,000/रुपये किराया दिया गया था जो बाद में 18

महीनों की अल्पावधि के दौरान ही चार या पांच गुना बढ़ा दिया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मालिक ने डाक तार भवन को यह स्थान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम जिससे पास इस क्षेत्र के पट्टादायक है, की सहमति से दिया है ;

(ङ) क्या सरकार इस बात से आश्वस्त है कि उपरोक्त स्थान का किराया हर प्रकार से उचित है और वह सावधानी पूर्वक विभागीय नियमों का पालन करते हुए उक्त किराया देने के लिए सहमत हुई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हाँ। परन्तु यह इमारत 17-7-82 को किराए पर ली गई थी और बाद की तारीख (ख) और (ग) में दी गई हैं।

(ख) और (ग) 1,63,400 रु० प्रतिमाह की दर 17-7-82 को 36,802 वर्ग फुट स्थान किराए पर लिया गया था। 1-8-1982 से 2569 वर्ग फुट अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराया गया था और किराया बढ़ाकर 1,87,012. 25 रुपए कर दिया गया था। 17-1-83 से पुनः 8361 वर्ग फुट स्थान और उपलब्ध कराया गया और कुल किराया बढ़ाकर 2,26,727 रु० कर दिया गया। इसके बाद 1-9-83 को फिर 17196 वर्ग फुट स्थान और उपलब्ध कराया गया और कुल किराया बढ़ाकर 2,90,000 रु० प्रतिमाह कर दिया गया।

(ग) एशियन इलेक्ट्रानिक्स ने एम० आई० डी० सी० से संपर्क कर इस स्थान का डाक स्टोर डिपो के उपयोग करने के लिए कहा था और एम० आई० डी० सी० ने इस अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया।

(ङ) जी हां।

(च) जैसाकि बताया गया है, उचित किराया मूल्यांकन समिति ने किराए के बारे में सिफारिश की थी और सक्षम प्राधिकारी ने इस सिफारिश और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया है।

वाराणसी के लिए खाना पकाने की गैस के वितरकों का चयन

2276. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने 19 अप्रैल, 1984 को वाराणसी के "होटेल डायमण्ड" में वाराणसी के लिए खाना पकाने की गैस के वितरकों के चयन के संबंध में असंगत निर्णय लिया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी के नियमों अनुसार जरूरतमंद लोगों में से कौन वास्तव में इसके योग्य है और आकांक्षी है तथा अपेक्षित शर्तों को पूरा करता है, इसे चुनने संबंधी मूल सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है तथा अन्य अत्यधिक धनी लोगों को पैनल में रखा गया है।

(ग) क्या यह भी सच है कि आयल सेलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन का ध्यान उपर्युक्त अनियमितताओं की ओर आकर्षित किया गया था ;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त पैनल को रद्द करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वाराणसी में वितरकों का चयन स्वतंत्र तेल चयन बोर्ड द्वारा एक निर्धारित पद्धति के अनुसार आवेदनों, दस्तावेजों और साक्षात्कारों के आधार पर किया गया है। कम्पनी के नियमों की अवहेलना नहीं की गई है।

(ग) और (घ) जी हां । इस चयन से सम्बन्धित शिकायत की जांच तेल चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वतंत्रता आन्दोलन पर फिल्मों का निर्माण

2277. **श्री नीरेन घोष : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक विशेष परियोजना के रूप में स्वतंत्रता आन्दोलन पर बनाई गई फिल्मों की संख्या क्या है ;

(ख) इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण करने के लिए फिल्म प्रभाग के कुछ भूतपूर्व प्रोड्यूसरों की सेवाएं उपयोग में लाई जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस शृंखला में अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई गई है । तथापि, यह उम्मीद है कि इस शृंखला की पहली फिल्म अगस्त, 1984 के दौरान मुकम्मल और रिलीज हो जाएगी ।

(ख) 31-3-84 तक लगभग 1.7 लाख रुपए ।

(ग) और (घ) भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर कुछ फिल्में घरेलू निर्माण के रूप में फिल्म प्रभाग के भूतपूर्व मुख्य निर्माता श्री एन० एस० थापा, जिन्होंने इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं

अवैतनिक रूप में देने की पेशकश की है, के समग्र पर्यवेक्षण में प्रभाग के कर्मचारियों की सेवाओं से बनाई जाएंगी।

मथुरा में "एरोमेटिक" उद्योग समूह की स्थापना

2278. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :**

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मथुरा तेलशोधक कारखाने में उत्पादित नेप्था पर आधारित एक "एरोमेटिक" उद्योग समूह स्थापित करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मथुरा जिले की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं, जो औद्योगिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है और इससे परिवहन लागत भी कम हो जाती ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) अलीगढ़ जिले में सलीमपुर में एक एरोमेटिक्स परियोजना की स्थापना का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह मथुरा रिफाइनरी से प्राप्त नैफथा पर आधारित होगी। परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक परियोजना को स्थापित करने के लिए निवेश संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) वातावरणीय कारणों से मथुरा जिले में किसी स्थान पर इस परियोजना को स्थापित करने पर विचार नहीं किया जा सका।

कोयला कम्पनियों को 1983-84 में हुई हानि

2279 **श्री आर० आर० भोले** : **क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला कम्पनियों के कार्य निष्पादन की स्थिति बिगड़ी हुई है और 1983-84 में उन्हें 269 करोड़ रुपये का भारी घाटा उठाना पड़ा है जबकि 1982-83 में यह 6 करोड़ रुपये का ही था ; और

(ख) कार्य स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोल इण्डिया लि० की खानों से सम्पूर्ण कोयला उत्पादन गत वर्षों में काफी बढ़ा है। वर्ष 1674-75 के 78-99 मि० टन के उत्पादन से बढ़कर 1983-84 में उत्पादन 121.43 मि० टन तक पहुंच गया है।

को० ई० लि० और उसकी सहायक कम्पनियों को रु० 267.78 करोड़ (अनंतिम) का

घाटा हुआ है, जिसका मुख्य कारण रा. को. म. स. III का आर्थिक भार है । यह समझौता 1-1-83 से लागू किया गया था जबकि कीमतों में संशोधन 8-1-1984 से किया गया ।

(ख) कोल इंडिया लि० में कार्यक्षमता, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं । इनमें यह बातें शामिल हैं—नई खानों में भारी निवेश, पहले से बनी खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, उन्नत तकनॉलाजी अधिक शीघ्रता से शुरू करना, उपकरणों का अधिक सक्षम उपयोग और बेहतर अनुरक्षण, सामग्री सूची पर कड़ा नियंत्रण और भंडार सामग्री के उपयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके और अनुशासन लागू करके तथा देशी कामगारों का निर्धारण करके उन्हें उचित प्रशिक्षण के बाद उन्हें पुनः रोजगार देकर जनशक्ति का बेहतर उपयोग, विस्फोटक सामग्री, इमारती लकड़ी आदि दुर्लभ निवेशों की बेहतर उपलब्धि, तेजी से प्रेषण और अधिक सुचारू वितरण के जरिये खान मुहाना स्टाक कम करना, नई परियोजनाओं को तेजी से और समय पर पूरा करना तथा बंगाल, बिहार कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार और माफिया गिरोह की गतिविधियों पर नियंत्रण ।

टेलिकम्यूनिकेशन कन्सलटेण्ट इण्डिया लि०, के लिए दिल्ली में कार्यालय भवन

2280. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलिकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट इण्डिया लि०, का कार्यालय नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में किराये पर लिए गये एक भवन में स्थित है और उसका मालिक टेलिकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट इण्डिया लि० और उसके बीच हुए पट्टा समझौते की अवधि समाप्त होने के कारण वह भवन खाली करवाना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो वह स्थान खाली न करने के क्या कारण हैं और पट्टा समझौते का पालन करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ; और

(ग) कार्यालयों के लिए गैर सरकारी भवन किराये पर लिए जाने और मुकदमेबाजी के ऐसे और कितने मामले हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां । टेलिकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट इण्डिया लि० (टी. सी. आई. एल.) अनेक किराये के भवनों में कार्य कर रहा है । 25 मकान मालिकों में से केवल एक मकान मालिक ही अपना फ्लैट खाली कराना चाहता है ।

(ख) टी. सी. आई. एल. को अपने कार्यालय के लिए अभी भी उस फ्लैट की आवश्यकता है और इसलिए, इस समय टी. सी. आई. एल. उक्त फ्लैट को खाली करने की स्थिति में नहीं है । अब फ्लैट को दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार किराये पर लिया गया है ।

(ग) जहाँ तक टी. सी. आई. एल. का सम्बन्ध है, ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं है ।

बिहार में पंचायत स्तर पर डाकघर खोलना

2281. **श्री नगीना राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने पंचायत स्तर पर और जन संख्या के आधार पर डाकघर खोलने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) क्या बिहार में सारन जिले जलालपुर प्रखण्ड में नगर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत (3000 से अधिक जनसंख्या वाले) बानी गांव में अब तक कोई डाकघर नहीं खोला गया है ; और

(ग) क्या उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए सरकार का विचार बानी गांव में शीघ्र ही एक डाक घर खोलने का है और यदि हां, कब तक और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाकघर खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ख) जी हां । पोस्टमास्टर जनरल पटना द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर बानी ग्राम की आबादी केवल 1819 है न कि 3000 से अधिक ।

(ग) वर्तमान विभागीय मानदंडों के अनुसार बानी ग्राम में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि यह ग्राम आबादी और दूरी की शर्तें पूरी नहीं करता ।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदंड

(एक) **देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर और
2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर ।

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलना** :

(एक) निम्नलिलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो ; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो ।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन "गैर ग्राम पंचायत" वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए

(ख) प्रस्तावित डाकघर में 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो ; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

2. आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलना

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते है :—

(क) प्रस्ताविक डाकघर से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो ; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन "गैर-पंचायती ग्रामों" में डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि :—

(क) ग्राम (अथवा 1.5 कि. मी. की दूरी के अन्दर ग्रामों का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि. मी. की दूरी में कोई अन्य डाकघर न हो ; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक आय होने की संभावना हो।

नोट : ग्रामीण डाकघर इस श्रेणी में आते हैं :—

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र, और (दो) पिछड़े और जनजाति क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से पिछड़े इलाकों का निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि क्या उन इलाकों के विकास की अवस्था जनसंख्या या प्रति डाकघर सेवाधीन क्षेत्र से संबंधित अखिल भारतीय औसत के हिसाब से सौ फीसदी गिरी हुई हालत में है या नहीं।

(दो) दूसरे, जब जनसंख्या/सेवित क्षेत्र के आधार पर अखिल भारतीय औसत और सर्किल औसत की तुलना में जब किसी क्षेत्र की स्थिति गिरी हुई होती है,

इसके अलावा डाकघर प्रदान किए जाने वाले गावों के प्रतिशत के संबंध में समूचे सर्किल के साथ तुलना करके जब स्थिति प्रतिकूल होती है, तब उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 कि. मी. और जनसंख्या 4,805 है। पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों के डाक सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए अधिक सहायता दी जाती है।

(चार) "पहाड़ी क्षेत्र" की अवधारणा को छोड़ दिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र भी है, स्वयं ही "जनजाति क्षेत्रों की श्रेणी में आ जाते हैं।

(ख) **शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :**

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(एक) डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्म निर्भर होना चाहिए ; और

(दो) 20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अन्य शहरों में, दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 कि. मीं. होनी चाहिए।

सर्किलों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं।

टी० वी० उद्घोषकों की भर्ती

2282. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती किए गए टी. वी. उद्घोषकों और दूसरे कलाकारों के स्तर में गिरावट आयी है ;

(ख) क्या टी. वी. उद्घोषकों की भर्ती के लिए कोई अर्हताएँ निर्धारित की गयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत, स्तर में सुधार हुआ है। और सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

टी० वी० उद्घोषक के पद के लिए अर्हताएं

आवश्यक

(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि ।

(2) शिक्षण माध्यम के विषयों में से एक विषय के रूप में रिक्ति से संगत भाषा के साथ मैट्रीकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास ।

(3) सही उच्चारण, लहजा और स्वर उतार चढ़ाव के साथ माध्यम के किए उपयुक्त व्यक्तित्व और स्वर।

(4) संबंधित क्षेत्र के संगीत, नाटक, साहित्य और संस्कृति की जानकारी ।

(5) सामयिक भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी ।

वांछनीय

(1) आवश्यक अर्हताओं के (2) के अन्तर्गत उल्लिखित स्तर का अतिरिक्त भारतीय भाषा का ज्ञान ।

(2) रंगमंचीय नाटकों, प्रतियोगिताओं, जिनमें वक्तृत्व, कविता पाठ या वाद विवाद या सार्वजनिक भाषण अन्तर्निहित हो, में भाग लेना ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालायें स्थापित करना

2283. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक इलाकों में वायु प्रदूषण की घटनाओं को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चरण-एक में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 14 औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1200 बड़े प्रतिष्ठानों से पूर्णकालीन सुरक्षा-अधिकारियों को नियुक्त करने की सांविधिक बाध्यता का अनुपालन नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार ने हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के संबंध में निर्णय किया है, जिसके अनुसार औद्योगिक स्वास्थ्यकर प्रयोगशालाओं को सैम्पलिंग और मैजरिंग उपकरण के सेट के साथ निम्नलिखित 13 राज्यों/संघ शासित राज्यों के कारखाना निरीक्षणालयों में स्थापित किया जायेगा ताकि कारखानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों को मानिटर करने के संबंध में प्रशिक्षण और प्रदर्शन किया जा

सके :—बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ।

(ख) और (ग) सोलह राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने कारखाना अधिनियम की धारा 40-ख के अधीन प्रबन्धकों द्वारा अर्हताप्राप्त सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक नियम बनाये हैं । सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1021 ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिनके लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने आवश्यक हैं । अद्यतन सूचना से पता लगता है कि इनमें से लगभग 80 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में अभी तक पूर्णकालिक अर्हता-प्राप्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये जाने हैं । इस अधिनियम की धारा 40-ख के अनुपालन की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों व संघ शासित क्षेत्रों और अन्यों को इस प्रक्रिया को शीघ्रता से निपटाने की सलाह दी जाती है ।

चन्द्रपुर और भंडार को एस० टी० डी० से जोड़ना

2284. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या संचार मंत्री चन्द्रपुर और भंडार को एस. टी. डी. से जोड़ने के बारे में 22 नबम्बर 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर भंडारा और गडचिरौली जिला मुख्यालयों को नागपुर ऑटोमेटिक ट्रंक एक्सचेंज के साथ जोड़ने की योजना किस तारीख को बनाई गई थी ;

(ख) एस. टी. डी. सेवा कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ; और

(ग) इस संबन्ध में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) चन्द्रपुर और भंडारा को नागपुर के ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़ने की 1980 में तथा गडचिरौली को नागपुर टी. ए. एक्स के साथ जोड़ने की योजना 1983 में बनाई गई थी ।

(ख) इन स्थानों के लिए एस. टी. डी. सेवा 7 वीं योजना अवधि-अवधि के दौरान प्रदान किए जाने की संभावना है ।

(ग) किसी स्थान से एस. टी. डी. सुविधा चालू करने के लिए निम्नलिखित कार्यों को पूरा करना पड़ता है :—

(एक) उस स्थान पर यदि पहले से उचित किस्म का स्वचल एक्सचेंज न हो, तो वहां उसको संस्थापित करना ।

(दो) उस स्थान को ट्रंक स्वचल एक्सचेंज जिसके साथ उसे जोड़ा जाना है के साथ जोड़ने वाली विश्वसनीय संचारण माध्यम की व्यवस्था करना ।

(तीन) उस ट्रंक स्वचल एक्सचेंज में स्विचन उपस्कर स्थापित करना जिसके साथ वह स्टेशन जोड़ा जाना है ।

(चार) उस केन्द्र के स्थानीय एक्सचेंज में एस. टी. डी. जोड़ने वाला उप उपस्कर स्थापित करना ।

उपस्करों की सीमित उपलब्धता के कारण एस. टी. डी. का कार्यक्रम को उत्तरोत्तर क्रियान्वित किया जा रहा है ।

मोहम्मद अली जिन्नाह पर फिल्म बनाने के लिए सहायता

2285. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री सुभाष चन्द्र यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने मोहम्मद अली जिन्नाह पर फिल्म बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इस मामले का इस्लामाबाद में हाल ही में हुई सूचना मंत्रियों की बैठक में उल्लेख किया गया और वह विचाराधीन है ।

स्थापित क्षमता की तुलना में वर्ष 1980-84 के दौरान बिजली का उत्पादन

2286. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये ताप, पनबिजली तथा परमाणु विद्युत संयंत्रों में 1980-84 के दौरान बिजली के उत्पादन की प्रतिशतता में स्थापित क्षमता की तुलना में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऊर्जा को केन्द्रीय सूची में सम्मितित करके तथा राज्यों के योग्य अधिकारियों को भेजने का है ; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक तथा घरेलू उद्देश्यों के लिए बिजली की सप्लाई करने हेतु क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान राज्य बार ताप, विद्युत न्यूक्लीय और जल विद्युत क्षमता, उनके विद्युत उत्पादन और संयन्त्र भार अनुपात का ब्यौरा उपाबन्ध में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 8549/84] जल विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन डिजाइन की क्षमता और जल विद्युत जलाशयों में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है । इसलिए जल विद्युत केन्द्रों का संयन्त्र

भार अनुपात उनके कार्यनिष्पादन को आंकने का स्वीकार्य पैरामीटर नहीं है। ताप विद्युत केन्द्रों का संयन्त्र और अनुपात 1980-81 में 44.6% से बढ़कर 1683-84 में 47.9% हो गया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) विद्युत का उत्पादन और विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से कई उपाय किये जा रहे हैं इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं। (1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना तथा (2) मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाना। संयन्त्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और प्रारंभ करने तथा बंदी की अवधियों को कम करने के लिए निवारक अनुरक्षण तकनीकें अपनाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहायता प्रदान करना। अपेक्षितगुणवत्ता वाले कोयले की व्यवस्था करके प्रचालन कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं देकर तथा फुटकर पुर्जों और उपस्कर की डिलीवरी कराकर भी सहायता की जाती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए कृत्रिक बलों का गठन किया है तथा उत्पादन यूनिटों की मानिटरिंग करने के लिए प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दस नियमित रूप ले दौरा करते हैं। जब कभी संभव होता है फालतू विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों की सहायता की जाती है।

सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग को उच्च न्यायालयों में प्रतिनिधित्व देना

2287. **श्री डी० के० नायकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों जैसे न्याय पालिका के उच्चतर पदों पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का विचार है ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं। किसी व्यक्तिवर्ग या व्यक्ति समूह के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध नहीं है।

उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31-1-1984 को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों के छह न्यायाधीश और अन्य पिछड़े वर्गों के तीस न्यायाधीश थे। 31-1-84 को, उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति का एक न्यायाधीश था।

सरकार अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से इस बारे

में पुनः कहा है कि उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, वर्तमान से बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया जाये ।

श्वेत-पत्र पर परिचर्चा का दूरदर्शन से प्रसारण

2288. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जुलाई, 1984 को दिल्ली दूरदर्शन से पंजाब के बारे में श्वेत-पत्र पर चर्चा का प्रसारण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा में किस-किस ने भाग लिया ;

(ग) क्या यह सच है कि चर्चा के लिये आमंत्रित लोगों ने श्वेत-पत्र का कोई भी जाना पहचाना कटू आलोचक का शामिल नहीं था ;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे परिणामस्वरूप चर्चा में सन्तुलन और उद्देश्य पूर्णता का अभाव नहीं रहा ; और

(ङ) क्या भविष्य में इस प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) भाग लेने वाले व्यक्ति थे :—

1. श्री रशीद तालिब
2. श्री प्रकाश टंडन
3. प्रो० हरबंश सिंह
4. श्री इन्द्रजीत
5. श्री वी. डी. चौपड़ा

(ग) और (घ) सामान्यतया परिचर्चा के विषय पर जाने माने विशेषज्ञों, जो विभिन्न वर्गों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की जाने वाली परिचर्चाओं में आमंत्रित किया जाता है। इसलिये दूरदर्शन द्वारा श्वेत पत्र के विषय पर विशेषज्ञों को आमन्त्रित करने में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औषधि निर्माताओं द्वारा अनधिकृत अतिरिक्त संयन्त्रों की स्थापना

2289. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ बड़ी औषध कम्पनियों को कुछ खास औषधियों

का उनकी लाईसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन करने हेतु अनधिकृत रूप से अतिरिक्त संयन्त्र और मशीनरी लगाने का दोषी करार दिया गया था,

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्ष वार अलग-अलग ऐसी कम्पनियों को दोषी करार दिया गया और बाद में उनकी अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता नियमित कर दी गई थी,

(ग) क्या कम्पनियों ने औषधियों के लिये मशीनरी और मूल सामग्री का आयात किया था और कैसे और

(घ) सरकार का विचार इस अनियमित प्रक्रिया की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे): (क) से (ग) आरंभिक कार्यवाही के रूप में मैं० वरोज वेलकम को उद्योग (विकास और विनियमन (अधिनियम, 1951 की धारा 13(1) (घ) के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस के उत्तर में कम्पनी ने एक अभ्यावेदन दिया है और मंत्रालय में 19 जुलाई, 1984 को उनकी सुनवाई भी हुई है। कम्पनी से कहा गया है। सुनवाई के दौरान उनके प्रतिनिधि द्वारा दिए गए तर्कों की पुष्टि में और सूचना प्रस्तुत करें।

(घ) जब कभी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आते है, तो उचित कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड

2290. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री सुभाषचन्द्र यादव :

श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1984 के दक्कन क्रोनोकल में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष 1990 तक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस संबंध में प्रारूप दृष्टिकोण पत्र तैयार कर लिया गया है और उसको अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की विस्तृत रूप रेखा क्या है ; और

(घ) उसके क्या वित्तीय पहलु हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने की दिशा में उठाए गये कदम के रूप में देश के

पांच बिजली क्षेत्रों में क्षेत्रीय बिजली बोर्ड स्थापित किये गये हैं जिससे क्षेत्रीय प्रणालियों के समेकित प्रचालन कार्य में तेजी लाई जा सके। बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में तीन क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक कम्प्यूटर और टेलीमीटरी उपस्कर होंगे। दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर में एक पूर्ण रूप से सज्जित भार प्रेषण केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रिडों से राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रीय ग्रिड एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसे आगामी समय में पूरा किया जाना है। केन्द्र सरकार और राज्य क्षेत्र में अनेक अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाना है और किया जा रहा है, जिनकी वित्तीय अपेक्षाओं का समाधान अलग-अलग परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय ही किया जा सकता है।

देश में बंधुआ मजदूर

2291. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान और राज्य सरकारों के अनुमानों के अनुसार देश में 32.1 लाख से अधिक बंधुआ मजदूर हैं जैसा कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की अन्तिम रिपोर्ट में कहा गया है ;

(ख) क्या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रम में गम्भीर त्रुटियों का पता चला है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित की गई योजना के मूल्यांकन पर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की अन्तिम रिपोर्ट में, जो हाल ही में जारी की गई है, यह बताया गया है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार और राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या क्रमशः 26.17 लाख, 3.45 लाख और 1,20,561 (1981 की स्थिति के अनुसार) थी। बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने उन्हें मुक्त तथा पुनर्वासित कराने का दायित्व पूर्णतः संबंधित राज्य सरकारों का है, जो बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने संबंधी अपने विद्यमान अभिकरणों के माध्यम से समय-समय पर सर्वेक्षण करती है। राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या 31-5-84 की स्थिति के अनुसार 1,66,266 थी जिसमें से 1,26,395 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है।

(ख) इस रिपोर्ट में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रम में आने वाली बाधाओं और त्रुटियों के बारे में बताया गया है।

(ग) योजना आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों (जो कि बन्धित श्रम पद्धति) (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकारें हैं) को भेज दी गई हैं ताकि वे उसमें की गई टिप्पणियों और सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।

"गांधी" पर फिल्म

2292. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ हालांकि "गांधी" नामक फिल्म खरीदने का इच्छुक है किन्तु वह इसे खरीद नहीं पाया है क्योंकि भारतीय चलचित्र विकास निगम इसकी कीमत तय करने में असफल रहा है ;

(ख) उक्त फिल्म को खरीदने में अपनी रुचि दिखाने वाले विश्व के अन्य देशों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय चलचित्र विकास निगम द्वारा अभी स्वीकृति दी जानी है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) "गांधी" फिल्म के विदेशों में प्रदर्शन से भारत सरकार की कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सोवियत संघ ने "गांधी" नामक फिल्म के खरीदने में रुचि दिखाई थी और कीमत अभी तय नहीं हुई है । तथापि, यह कीमत तय करने में भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की असफलता के कारण नहीं है । वास्तव में सोवियत संघ को, अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों को देखते हुए स्वीकार्य पेशकश करनी है कि फिल्म इंगलैंड की है, इसकी कीमत न केवल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सह-निर्माता हैं, को ही अपितु अन्य सह-निर्माताओं को भी स्वीकार्य होनी है और कीमत अन्य विदेशी फिल्मों के लिए सोवियत संघ द्वारा अदा की गई कीमत के सम्बन्ध में तय की जानी है ।

(ख) जिन देशों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम "गांधी" नामक फिल्म का वितरण और प्रदर्शन कर सकता है, उनमें से सोवियत संघ के अलावा, अफगानिस्तान, अलबानिया, भूटान, जर्मन जनवादी गणराज्य, नेपाल, रोमानिया, पाकिस्तान और पोलैण्ड के साथ संविदाओं पर बातचीत की जा रही है ।

(ग) विदेशों में फिल्मों के प्रदर्शन से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के हिस्से के रूप में इसे अभी तक विदेशी मुद्रा में 8 करोड़ रु० की राशि प्राप्त हुई है ।

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में कोयला क्षेत्र और कोयले का उत्पादन

2293. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितना कोयला क्षेत्र है ;

(ख) उड़ीसा में छठी योजना में वर्ष-वार कोयला क्षेत्रों से कुल कितना वार्षिक अनुमानित उत्पादन हुआ ; और

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उन कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा में दो कोयलाधारी क्षेत्र हैं ; अर्थात्, तालेचर और इब घाटी ।

(ख) छठी योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में सैंट्रल कोलफील्डस लि० के तालचेर कोयला क्षेत्र में और वेस्टर्न कोलफीलल्ड्स लि० के इब घाटी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन निम्नलिखित है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	तालचेर क्षेत्र (से. को. लि.)	इब घाटी (वे. को. लि.)	उड़ीसा में कुल कोयला उत्पादन
1980-81	20.46	11.92	32.28
1981-82	20.66	12.58	33.24
1982-83	20.71	13.88	34.59
1983-84	27.25	14.46	4.71
1984-85	8.45	3.47	11.92

(पहली तिमाही अप्रैल-जून, 1984)

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विस्तार/नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :

तालचेर कोयला क्षेत्र	क्षमता (मि० टन प्रतिवर्ष)	पूंजी लागत (रु० करोड़)
1. भरतपुर ओपेनकास्ट	3.50	61.84
2. जगन्नाथ विस्तार	2.00	29.89
इब घाटी		
1. बेलपहार ओपेनकास्ट	2.00	57.38
2. लाजकुरा ओपेनकास्ट	1.00	25.80

इसके अतिरिक्त साउथ बालंदा में लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन करने की

कार्रवाई और अनंता परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई भी की गई है । इसके अलावा नांदिरा भूमिगत और तालचेर भूमिगत खानों का पुनर्गठन तैयारी की स्थिति में है।

देश में हाई स्कूल से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षित बेरोजगार

2294. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या हैं तथा इनमें उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से अधिक है ; और

(ख) बेरोजगारी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित है (अनिवार्यतः उनमें से सभी बेरोजगार नहीं हैं) जो 31-12-1983 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे, जिनकी शैक्षिक स्तर पर की गई वर्गीकृत संख्या निम्नलिखित है :—

शैक्षिक स्तर	संख्या लाखों में
1. मैट्रिक से कम (जिनमें अशिक्षित व्यक्ति शामिल हैं ।)	107.97
2. मैट्रिकुलेट्स	63.74
3. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण की (जिनमें इन्टरमीडिएट पूर्व-स्नातक शामिल हैं)	28.14
4. स्नातक	17.67
5. स्नातकोत्तर	2.01
जोड़ :	219.53

(ख) रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए छठी योजना में अनेक कदम तथा उपाय सुझाए गए हैं । मुख्य रोजगार/लाभानुभोगी अभिमुख की गई स्कीमें ये हैं—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर. एल. ई. जी. पी.), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी), (स्वरोजगार ट्राइसेम) के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने संबंधी योजना तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए योजना ।

विपक्ष के समाचार और वक्तव्यों के समाचार देना और प्रसारण करना

2295. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा विपक्षी दलों के समाचारों और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों के समाचारों को तोड़ मरोड़ कर दिया जाता है और उनके सरकार के अनुकूल अंशों को ही, सन्दर्भ से बाहर करके दिया जाता है ;

(ख) क्या सरकार समझती है कि इससे उसकी साख कम होती है ;

(ग) क्या इस अधूरे और अपूर्ण समाचार प्रसारण के कारण श्रोता प्रामाणिक समाचारों के लिए बी० बी० सी० तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्टेशन लगाते हैं ; और

(घ) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार न तो कभी अपूर्ण रहे हैं न अधूरे। ये अनिवार्य रूप से वस्तुनिष्ठ और प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

2296. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** :

श्री के० ए० राजन :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली/ऊर्जा क्षेत्र को केन्द्रीय सूची में लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इस मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों ने 4-7-1984 को हुई समिति की पिछली बैठक में सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त की थी कि बिजली को संघ सूची में अन्तरित कर दिया जाना चाहिए। यह राजाध्यक्ष विद्युत समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय व्यक्त की गई थी। इस संबंध

में 18-7-84 को हाल में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह मामला उठाया गया था जिसमें सभी राज्य व्यावहारिक रूप में इस प्रस्ताव के विरूद्ध थे।

मिदनापुर जिले में खड़गपुर के गोल बाजार में डाकघर खोलना

2297. **श्री नारायण चौबे** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में खड़गपुर के रेलवे सेटलमेंट में गोल बाजार में एक डाकघर खोलने पर सहमत हो गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए रेल विभाग से उपयुक्त भूमि को प्राप्त कर लिया है ; यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त डाकघर का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ; और

(ङ) डाक-घर के आरम्भ होने की वास्तविक निर्धारित तिथि क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दिनांक 24-2-1983 को रेलवे से भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।

(ग) जी, हाँ। अभी तक डाकघर भवन का निर्माण नहीं हुआ है।

(घ) डाकघर भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्रवाई जैसे-प्रारंभिक ड्राइंग और प्रारंभिक प्राक्कलन, पूरी की जानी थी। निर्माण कार्य 1984-85 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

(ङ) किराये पर स्थान उपलब्ध न होने के कारण विभागीय भवन का निर्माण पूरा होते ही डाकघर का कार्य शुरू हो जाएगा।

विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

2298. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन पिछले 18 जुलाई, को हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) 18 जुलाई, 1984 को हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों से सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने की आवश्यकता का पता लगाना तथा विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए विशेष रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में ध्यान देने के लिए सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श विभिन्न राज्यों

द्वारा उत्पादन और पारेषण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके सामने आई समस्याओं, केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्रों से लाभों की भागीदारी और महत्वपूर्ण जल विद्युत कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर केन्द्रित रहा था। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा सप्लाई किए गए उपस्कर में आई सामान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। क्षेत्रीय ग्रिड के इष्टतम प्रचालनों के बारे में अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों के स्वामित्व और नियंत्रण, सांविधिक क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरणों की स्थापना और राज्य बिजली बोर्डों को सशक्त बनाने के संबंध में राजाध्यक्ष विद्युत समिति की सिफारिशों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ था।

2. विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं की समस्याओं पर काबू पाने के लिए कोल इंडिया के साथ सहमत हुए उपायों की प्रगति के बारे में राज्य विद्युत मंत्रियों को सम्मेलन के दौरान जानकारी दी गई थी। उनको प्रस्तावित विद्युत वित्त और विकास निगम तथा ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में भी सूचित किया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा (तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से) विस्तृत समीक्षा करने की प्रस्तावित छूट के बारे में बिजली (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित 1 करोड़ रु० की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रु० करने के संबंध में, सांविधिक उपाय का भी जिक्र किया गया था, इससे राज्य अपेक्षाकृत लघु स्कीमों को बगैर किसी प्रशासनिक विलम्ब के क्रियान्वित कर सकेंगे।

3. कुछेक विद्युत मंत्रियों ने अपने केन्द्रों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण करते हुए अपने-अपने राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति और संभाव्यताओं का जिक्र किया। यह बताया गया कि कुछ मामलों में पर्यावरण की दृष्टि से नई परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब किया जा रहा है। वनों की कटाई के लिए स्वीकृति से संबंधित समस्याओं का भी विशेषरूप से जिक्र किया गया और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को कारगर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

4. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में विद्युत उद्योग को विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामने आने वाली समस्याओं और उनमें समग्र रूप से सुधार करने के लिए अपेक्षित उपायों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सम्मेलन में जोर डाला गया था।

अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ का ज्ञापन

2299. **श्री के० एन० राजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश के बिजली कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ ने 16 अप्रैल 1984 को केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उनकी कुछ ऐसी मांगें हैं जिनको तुरन्त पूरा किया जाना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ का एक ज्ञापन 17 अप्रैल, 1984 को दिया गया था जिसमें विद्युत

सप्लाई उद्योग से संबंधित कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ देश में विद्युत का विकास तेजी से करने, विद्युत इंजीनियरी उपस्कर की स्वदेशी क्षमता, राज्य बिजली बोर्डों का संगठनात्मक और वित्तीय पुनर्गठन, विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण की कार्यकुशलता तथा विद्युत क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों से संबंधित मामले उठाये गये हैं।

योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में सरकार विद्युत के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। छठी योजना अवधि में लगभग 14500 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने की आशा है तथा विद्युत उपस्करों के सप्लाईकत्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच समुचित परस्पर कार्यवाही को प्रति संगठित रूप से ध्यान दिया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में कार्य कर रहे अनेक निजी संस्थाओं का संचालन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है।

धारा 12क तथा 66क जोड़कर बिजली (प्रदाय) अधिनियम 1948 संशोधित किया गया है जिससे राज्य सरकारें बोर्डों के लिए उपयुक्त पूंजी आधार बना सकती हैं तथा बिजली बोर्डों के ऋणों को इक्वीटी पूंजी में परिवर्तित कर सकती है। विद्युत सप्लाई उद्योग के कार्यकरण में चहुंमुखी सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं तथा कमियों का पता लगाने और औपचारिक उपाय शुरू करने के लिए समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों/बिजली उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जा रही है।

कोयले से ईंधन तेल का उत्पादन

2300 **श्री राम लाल राही : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पर कोयले से ईंधन तेल निकालने का कार्य चल रहा है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और क्या भारत ने इन देशों से परामर्श करना उचित समझा है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या तेल के उत्पादन और सप्लाई में सन्तुलन बनाए रखने की दृष्टि से, भारत यह समझता है कि कोयले से ईंधन तेल निकालने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार कोयले से संश्लिष्ट तेल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन केवल दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है यद्यपि इसके लिए जर्मन जनवादी गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया में भी पायलट संयन्त्र या तो स्थापित किए गए हैं या किए जा रहे हैं।

कोयले को गैसीय और तरल ईंधनों में बदलने की जांच के लिए जो विशेषज्ञ ग्रुप स्थापित किया गया था उसने कोयले से संश्लिष्ट ईंधन उत्पादन करने के कार्यक्रम के तत्काल कार्यान्वयन के खिलाफ सिफारिश की है क्योंकि इस कार्यक्रम में अत्यधिक पूंजी लागत लगती है।

बांदा (उत्तर प्रदेश) में "माइक्रोवेव टावर" की स्थापना करना

2301. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांदा (उत्तर प्रदेश) के लिए माइक्रोवेव टावर की स्वीकृति कई वर्ष पहले दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके स्थापित किये जाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं । बांदा-हमीरपुर यू० एच० एफ० प्रणाली जिसका टावर बांदा में है, की मजूरी जून 1982 में दी गई थी ।

(ख) बांदा में भूमि के अधिग्रहण में पर्याप्त समय लगने के कारण ही इस परियोजना में विलंब हुआ है ।

शेयरों का अन्तरण

2302. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों के बड़ी संख्या में शेयरधारकों ने पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न शेयर दलालों और भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा उनके शेयरों के अन्तरण में अत्यधिक विलम्ब किए जाने पर सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने स्थिति का आकलन किया है और शेयर-धारकों की सहायतार्थ कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) शेयर दलालों, स्वयं के द्वारा शेयरों का अन्तरण नहीं किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक की भी शेयरों के अन्तरण में कोई भूमिका नहीं है । इसलिए विभिन्न शेयर दलालों द्वारा उनके शेयरों के अन्तरण में अत्यधिक विलम्बों के सम्बन्ध में शेयरधारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तथापि, स्टाक एक्सचेंजों, भारत वाणिज्य मण्डल, कलकत्ता से शेयरों के अन्तरण के पंजीकरण को कुछ कम्पनियों द्वारा इनकार किये जाने पर अनिवासी भारतीयों सहित शेयरधारियों द्वारा अभी हाल में की गई कठिनाइयों के सम्बन्ध में तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 में शेयरों के अन्तरण के पंजीकरण को इनकार करने पर कम्पनियों को अधिक कठोर बनाने के लिए उचित संशोधन करने का सुझाव देते हुए, कुछ प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं । इन सुझावों पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर-समिति) द्वारा दिये गये सुझावों सहित सरकार द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई

2303. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उपयोगिता परिषद ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई में प्रतिवर्ष 50 लाख टन की कमी होती रही है और यदि हां, तो परिषद ने किस तारीख को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ख) कोयला वैगन भेजने की वर्तमान प्रणाली में परिषद ने किस प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव दिया है और इन परिवर्तनों का इस प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) क्या परिषद की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय विद्युत उपक्रम परिषद ने 7-7-1984 को ताप बिजली घरों को कोयला सप्लाई संबंधित समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में यह नहीं कहा गया है कि बिजली घरों को कोयले की सप्लाई हर साल 50 लाख टन कम होती रही है।

बिजली घरों को कोयला सप्लाई हर साल बढ़ती रही है जो कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	बिजली घरों की मिड्लिंग सहित कोयला सप्लाई (मि. ट. में)	पिछले वर्ष पर वृद्धि का प्रतिशत
1980-81	36.70	+5.3
1981-82	46.35	+26.3
1982-83	51.61	+11.3
1983-84	58,11	+12.6

(ख) ज्ञापन में मुख्य रूप से सही आकार के ऐसे कोयले की सप्लाई का उल्लेख है जिसमें कंकड़ पत्थर आदि न हो। सरकार इस मामले पर पहले से ही ध्यान दे रही है। सही किस्म के कोयले की सप्लाई के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :—

1. हर कोयला कंपनी में एक स्वतंत्र किस्म नियंत्रण संगठन की स्थापना।

2. कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाना जिनमें जहां कहीं जरूरत हो वहां कोयले को तोड़ने और छनाई करने की व्यवस्था हो। इस समय 100 लघु कोयला रख-रखाव संयंत्र और 50 बड़े कोयला रख-रखाव संयंत्र कामकर रहे हैं और वे उत्पादित कोयले के 47% का रख-रखाव करते हैं। वर्ष 1986-87 तक कोयला रख-रखाय संयंत्रों की संख्या बढ़कर 308 (130 बड़े और 178 छोटे)

हो जाएगी। और कोयला रख रखाव संयंत्रों द्वारा कोयले का रख-रखाव बढ़कर उत्पादित कोयले का 88% हो जाएगा।

3. बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे कोयला कम्पनियों से ऐसे समझौते करें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयला सप्लाई से संयुक्त निर्णय लेने और सप्लाई किए गए कोयले की किस्म के अनुसार बोनस/जुर्माने के भुगतान की व्यवस्था हो।

4. एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में कोयला नियंत्रक को यह शक्ति दे दी गई है कि वह खानों में कोयला सीमों का ग्रेड निर्धारित करे और उपभोक्ताओं को सप्लाई किये गए कोयले का भी ग्रेड निर्धारित करे और इस काम के लिए या तो अपने आप अथवा इसी उपभोक्ता की शिकायत पर नमूने लेने और कोयले की जांच का प्रबन्ध करें। इन मामलों में कोयला नियंत्रक का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

5. कोयला कम्पनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह नियंत्रित विस्फोटन के जरिए और जहां कोयला रख-रखाव संयन्त्र नहीं हैं वहां कंकड़ पत्थर को मजदूरों से हाथ से निकलवाकर कोयला सप्लाई की किस्म बनाए रखने से लिए प्रयास करें।

(ग) राष्ट्रीय विद्युत उपक्रम परिषद द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन सरकार द्वारा नियुक्त अथवा मान्यता तकप्राप्त किसी सरकारी समिति की रिपोर्ट नहीं है।

इसलिए इस ज्ञापन को सभा-पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बसाए गए विस्थापित लोग

2304. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अब तक कितने विस्थापित लोगों को बसाया गया है और वे लोग कौन-कौन से स्थानों पर रह रहे हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 1983-84 और 1983-84 और 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वास्तव में कितनी धनराशि दी तथा राज्य सरकार ने कितनी की मांग की थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पात्र विस्थापित व्यक्तियों को गत 37 वर्षों के दौरान सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न योजनओं के अधीन बसाया गया है।

(लाख रुपयों में)

(ख)	1. 1980-81	26.00
	2. 1981-82	37.00
	3. 1982-83	50:00
	4. 1983-84	75.00
	5. 1984-85	85.00

(ग) चालू योजनाओं के सम्बन्ध में दी गई धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा किये गए व्यय के विवरण इस प्रकार हैं :—

वर्ष	दी गई धनराशि	किया गया व्यय
1980-81	21.78	31.01
1981-82	32.41	24.65
1982-83	46.08	34.50
1983-84	75.00	71.25
1984-85	—	13.47

इब घाटी में तापीय बिजलीघर

2305. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में इब घाटी में एक तापीय बिजली घर की स्थापना के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त तापीय बिजली घर की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वय में तेजी लाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने 4×210 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है जिसे इब घाटी के विद्युत श्रेणी के कोयले से चलाये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित लागत 424 करोड़ रुपये है। परियोजना राज्य क्षेत्र में हैं।

(घ) कोयला लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित करने के लिए मामला संबंधित एजेंसियों के साथ उठाया

गया है ताकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रस्ताव का तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन कर सके। परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि में वन क्षेत्र भी शामिल हैं और उड़ीसा सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करनी है।

भारतीय औषध कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना

2306. **श्री एम० के० शेजवलकर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 मे औषध नीति लागू किये जाने के बाद कितनी ऐसी भारतीय औषध कम्पनियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय हैं, और

(ख) इनमें से कितने लाइसेंसों को कार्यान्वित किया गया है और यदि उन लाईसेंसों को रद्द कर दिया गया है जिनको कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) 1978 में औषध नीति की घोषणा के पश्चात, प्रत्यक्ष विदेशी पुर्जो बंगली कम्पनियों को बल्क औषधों मध्यवर्तियों के निर्माण के लिये 91 औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। इनमें से 42 लाइसेंसों का कार्यान्वयन हो गया है, 4 रद्द कर दिये गये हैं और 415 लाइसेंस कार्यान्वनाधीन है।

गुजरात तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता

2307. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधक कारखाने की प्रतिवर्ष 72 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता का शत प्रतिशत उपयोग होने लगा है ;

(ख) क्या रूसी डिजाइन पर बनी इसकी एक तेल शोधक यूनिट का आधुनिकीकरण किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इन आधुनिक तेल शोधक एककों के कब से चालू हो जाने की संभावना है और इसके बाद उनकी शोधन क्षमता कितनी हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) रूस द्वारा डिजाइन किये गये विद्यमान तीन आसवन एककों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रस्ताव है।

(ग) तीन आसवन एककों में से एक पर पहले से ही कार्य हो रहा है और इसके 1986 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है जिससे इस एकक की क्षमता 1.4 मि. मी. टन प्रति वर्ष से बढ़ कर 2.00 मि० मी० टन प्रति वर्ष हो जाएगी। अन्य दो के लिए तकनीकी अध्ययन किए जा रहे हैं।

जामनगर, गुजरात में तारघर खोलना

2308. **श्री दौलत सिंह जी दजेदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में जामनगर के विकास और विस्तार को देखते हुए वहां के लोगों के लाभ के लिये जामनगर में दो और तारघर खोलने की वहां बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, उसके निष्कर्ष क्या हैं और ये तारघर कब तक खोले जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। महाप्रबंधक, दूरसंचार गुजरात को इस संबंध में जनता ने कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) वर्तमान विभागीय मानकों के अनुसार, तारों के शीघ्र वितरण की दृष्टि से जामनगर शहर के रणजीत नगर में एक विभागीय तारघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। इस नए विभागीय तार घर के लिए ज्यों ही उपयुक्त स्थान प्राप्त हो जाएगा अथवा किराए पर इमारत की व्यवस्था हो जाएगी, वह कार्य करना प्रारंभ कर देगा।

कालवा और न्यू बम्बे (वाशी) टेलीफोन लाइनों को थाणे और मनखुर्द के बम्बई टेलीफोन एक्सचेंजों से जोड़ना

2309. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालवा न्यू बम्बई (वाशी) टेलीफोन के उपभोक्ताओं द्वारा उनकी लाइनों को थाणे और मनखुर्द के बम्बई टेलीफोन एक्सचेंजों के साथ जोड़ने के लिए भारी मांग की जा रही है ताकि उनकी बम्बई के लिए कालों को स्थानीय माना जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) कालवा और वाशी, बम्बई टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र से बाहर हैं तथा बम्बई टेलीफोन के न्यू बम्बई से थाणे और मनखुर्द एक्सचेंज से इन क्षेत्रों में लाइनें जोड़ने का काई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान के जैसलमेर में "सेसमिक सर्वे" तथा "ड्रिलिंग"

2310. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस की खोज तथा तेल भंडारों का पता लगाने

के लिए राजस्थान के जैसलमेर जिले के किन-किन क्षेत्रों में "सेसमिक सर्वे" तथा "ड्रिलिंग" कार्य किया जा रहा है ;

(ख) वर्ष 1981 से अब तक की अवधि के दौरान इस जिले में किन-किन स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य किया गया है तथा उसमें कितनी सफलता मिली है ;

(ग) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास केवल एक ही ड्रिलिंग मशीन है, जिसके कारण डिलिंग कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है ; और

(घ) क्या सर्वेक्षण तथा ड्रिलिंग कार्य की गति तेज करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग वहां पर एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन भेजेगा और यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री(श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस समय भूकम्पीय सर्वेक्षण घोटारू क्षेत्र के आस-पास किया जा रहा है। सादेवाला में कुएं का खुदाई कार्य हाल ही में पूरा हुआ है और उत्पादन की दृष्टि से कुएं की जांच की जा रही है।

(ख) 1981 से आज तक घोटारू और सादेवाला में खुदाई की जा रही है और घोटारू में गैस मिली है।

(ग) और (घ) फिलहाल केवल एक ही ड्रिलिंग रिग काम में लाया गया है और खुदाई कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। यह रिग कुएं की खुदाई योजना के अनुरूप अपेक्षित गहराइयों तक कर सकता है। यदि भू-तकनीकी दृष्टिकोण से उचित समझा गया तो और अधिक रिग खुदाई कार्य में लगाये जायेंगे।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए भावी योजना

2311. **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए अगले दशक हेतु कोई भावी योजना बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस अवधि के दौरान, कितना निवेश किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सन् 2005 तक के लिए एक दीर्घावधि योजना तैयार करने में कार्यरत है। इसके ब्यौरे योजना के तैयार हो जाने के पश्चात् उपलब्ध होंगे।

आकाशवाणी, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

3212. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जून, 1984 को एक स्टाफ आर्टिस्ट (वरिष्ठ संगीतकार) तथा

कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उन पर हमला किये जाने के विरोध में आकाशवाणी, कलकत्ता के बहुत से कर्मचारियों ने 22 जून, 1984 को "सामूहिक सत्याग्रह" आरम्भ किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति को दण्ड देने तथा कर्मचारियों को इस प्रकार के हमलों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आकाशवाणी, कलकत्ता के कर्मचारियों का एक वर्ग एक उस घटना पर उत्तेजित था जिसमें आकाशवाणी के एक कर्मचारी ने उनके साथ कथित दुर्व्यहार किया था। संबंधित कर्मचारियों ने नारे भी लगाए थे, गेट पर बैठकें की थी, कार्य रोका था, कार्यालय अहाते में पोस्टर लगाए थे, आदि आदि।

किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यालय में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किए जाने के लिए सरकारी विभागों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए स्पष्ट निर्धारित नियम और विनियम हैं और इसलिए अन्य कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ये आन्दोलनात्मक रवैया अपनाएं। उक्त कर्मचारियों को यह बात बता दी गई है।

इस बीच आगे उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उस कर्मचारी, जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने दुर्व्यवहार किया, से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मध्य प्रदेश में बस्तर में दूरदर्शन सुविधाएं

2313. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बस्तर जिला एक पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, और सरकारी नीति के अनुसार दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार बस्तर के जगदलपुर शहर में जिसकी आबादी लगभग 80,000 है, दूरदर्शन सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। संसाधनों की उपलब्धता और संगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन सेवा देश के सभी भागों में उत्तरोत्तर उपलब्ध की जा रही है। बस्तर जिले में जगदलपुर में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सातवीं योजना में किया जाएगा।

इथाम्बूटोल का अधिक मूल्य वसूल करना

2314. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथाम्बूटोल फार्मूलेटरों ने वर्ष 1982-83 और 1983-84 में अपने फार्मूलेशनों के विभिन्न पैकों का बहुत अधिक मूल्य वसूल किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित तथा प्रमुख निर्माताओं द्वारा वसूल किए गए मूल्य क्या हैं ;

(ग) निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इथाम्बूटोल गोलियों के निर्माता अस्पतालों और संस्थानों को इनका उतनी प्रतिशत सप्लाई नहीं करते जितनी प्रतिशत सप्लाई करने का वचन उन्होंने मंत्रालय को दिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) मेरे मंत्रालय को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि इथम्बुटोल के फार्मूलेटरों ने अपने फार्मूलेशनों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित लीडर से मूल्य से उच्चत्तर मूल्यों पर बेचा है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

एथैम्बूटोल का मूल्य कम करने के उपाय

2315. **श्री अनवार अहमद** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के तकनीकी दल ने एथम्बूटोल के जिन निर्माताओं का दौरा किया उनके छः यूनिटों का लाभ कितना था, उन्होंने कितनी पूंजी लगाई थीं और उनकी बिक्री कितनी हुई है ;

(ख) एथैम्बूटोल का मूल्य विशेषकर जब वह बाजार में 600 रुपए प्रति किलो मिलता है, कम करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ; और

(ग) क्या तपेदिक-रोधी दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना सरकार की नीति नहीं है, यदि हां, तो अब तक उसका मूल्य कम न कराने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(ख) तथा (ग) 19 जुलाई, 1934 से इथम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड का मूल्य पहले ही 750 रुपये प्रति कि०ग्रा० से घटा कर 681 रु० प्रति कि०ग्रा० कर दिया गया है। बाजार मूल्य केवल सूचक है यह उत्पादन का सही मूल्य प्रतिबिम्बित नहीं कर सकता। इस मूल्य कटौती से टी. वी. के रोगियों को लाभ पहुंचेगा।

विवरण

रुपये लाख

क्रमांक	कंपनी का नाम	समग्र बिक्री		अचल परिसम्पत्तियों में निवेश		टैक्स से पूर्व लाभ	
		81-82	82-83	1981-82	1982-83	81-82	82-83
1.	मैं० डेक्सो लेब्स, (कं० का अक्तूबर, 1983 को समाप्त वर्ष)	अनु०	561.20	अनु०	55.88	अनु०	11·75
2.	मैं० थैमिस कैमिकल्स लि०,	640.80	824.78	122.27	134.67	15.94	9.94
3.	मैं० लुपिन लेबोरे-टरीज प्रा.लि. (जून को समाप्त वर्ष)	949·64	1410.11	312.60	460.42	76.22	171.94

दिल्ली टेलीफोन्स द्वारा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से बेकार कागज की खरीद के बारे में जांच

2316. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री त्रिलोक चन्द्र :

श्री छोटे सिंह यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन्स द्वारा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से भारी मात्रा में खरीदा गया कागज बेकार होने के कारण अप्रयुक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में कागज (मूल्य सहित) बेकार पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार ने बेकार कागज खदीदने की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जाँच की है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जी,हाँ। महानिदेशक

पूर्ति एवं निपटान के जरिए प्राप्त लगभग 34.5 लाख रुपए के 422 मीटरी टन सफेद क्रीमवेव कागज, हाई स्पीड वेव ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन पर दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के मुद्रण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

(ग) मामले की जाँच की जा रही है। महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान को सप्लाईकर्त्ता से इस कागज को बदलने के लिए कहा गया है।

तट-दूर तेल उद्योग को सुदृढ़ करने में ब्रिटेन से मांगा गया सहयोग

2317. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री वी० वी देसाई :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में तट-दूर तेल उद्योग को सुदृढ़ करने में ब्रिटेन से सहयोग मांगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तट-दूर तेल उद्योग में संयुक्त कार्यक्रम आरम्भ करने के संबन्ध में ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत-ब्रिटेन संयुक्त सहयोग कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) ब्रिटिश सरकार ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए तेल एवं गैस पर एक संयुक्त इण्डो-ब्रिटिश दल की स्थापना करने का सुझाव दिया है। हमने इस सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सहयोग के क्षेत्रों के संबन्ध में विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

महानदी बेसिन में तेल की खोज

2318. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महानदी बेसिन उड़ीसा में तेल की खोज कराने के लिए कितना निवेश किया है ;

(ख) क्या महानदी बेसिन के निकटवर्ती कुछ और क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले आकलन के अनुसार पता लगाने गये तेल के भण्डारों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में महानदी बेसिन, उड़ीसा में तेल दोहन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ङ) उड़ीसा के उस बेसिन में और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के तेल की उचित खोज के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) लगभग 90 करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग) जी हां, परन्तु अभी तक कोई वाणिज्यिक खोज नहीं की गई हैं ।

(घ) 123.32 करोड़ रुपये ।

(ङ) महानदी में खोदे जाने वाले योजनानुसार छः कुओं में से तीन कुएँ खोदे जा चुके हैं और चौथा खोदा जा रहा है । भूकम्पीय सर्वेक्षण जो पहले से ही पूरा हो गया है के आधार पर उत्तर पूर्वी समुद्र तट के आस-पास के क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए खुदाई कराने की आशा है । महानदी बेसिन के तट पर प्राप्त किये गये भूकम्पीय आंकड़ों को प्रोसेसिंग तथा उनका निर्वचन किया जा चुका है और तेल खोजी खुदाई कार्य के लिए चार व्यधन स्थानों का पता लगा लिया गया है, जिनमें से दो में खुदाई कार्य 1984-85 में कराये जाने का प्रस्ताव है ।

'फैक्ट' की मशीनरी का आधुनिकीकरण

2319. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'फैक्ट' उद्योग मंडल और कोचीन प्रभाग को इस वर्ष पुरानी मशीनरी और उपकरण से मुनाफा हो रहा है, और

(ख) क्या सरकार की योजना 'फैक्ट' उद्योग मंडल की मशीनरी का अधुनिकीकरण करने और प्रशिक्षित तथा अनुभवी कार्मिकों का उपयोग करने की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) । (क) जी हाँ । मैसर्स दि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) ने वर्ष 1983-84 के दौरान लाभ कमाया, जिसमें उद्योग मंडल तथा कोचिन डिवीजन सहित फैक्ट के सभी प्रभागों के कार्यकारी नतीजे शामिल हैं ।

(ख) प्रशिक्षित कार्मिकों का उपयोग करने के लिए उद्योग मण्डल प्रभाग के लिए नवीकरण/आधुनिकीकरण की एक क्रमिक स्कीम आयोजित की जा रही है ।

आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग में स्टाफ आर्टिस्टों के रिक्त पदों का भरा जाना

2320. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के विदेशी भाषा एककों में सहायकों, सिविल तथा साथ ही स्टाफ आर्टिस्टों के कुल कितने पद भरे गये हैं और कितने रिक्त हैं तथा किन-किन तारीखों से रिक्त हैं ; और

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और रिक्त पदों को भरने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 31-7-1984 के दिन की स्थिति के अनुसार, ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पड़े पद
1	2	3
9	5	1—1974
		1—1976
		1—1982
		1—1984

(ख) कई बार किए गए प्रयासों के बावजूद संबंधित विदेशी भाषा में अपेक्षित प्रवीणता प्राप्त उपयुक्त उम्मीदवारों को प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। इसलिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, प्रयास जारी हैं।

कालोल टेलीफोन एक्सचेंज के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतें

2321. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई, 1984 के गुजराती समाचार पत्र 'गुजरात समाचार' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कालोल टेलीफोन एक्सचेंज के खिलाफ उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या दिन प्रति दिन की छोटी-मोटी शिकायतों को भी दूर नहीं किया जाता है ; यदि हाँ, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) कालोल टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कितनी है, उस एक्सचेंज से कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं तथा प्रतीक्षा/सूची में कितने लोग हैं और उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) कालोल एक्सचेंज के नये भवन के निर्माण के बाद कितने कनेक्शन दिये गये थे और प्रतीक्षा सूची में रहने वाले लोगों को नये भवन के निर्माण के कई वर्षों बाद भी कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हाँ। भूमिगत केबिलों में खराबी आ जाने के कारण 2 क्षेत्रों अर्थात जी० आई० डी० सी० और इफको के टेलीफोन कनेक्शनों पर दुष्प्रभाव पड़ा था। सभी टेलीफोनों को यथा शीघ्र पुनः चालू कर दिया गया था।

(ख) सभी दिन-प्रतिदिन की शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है तथा जूनियर इंजीनियर और उप मंडल अधिकारी द्वारा इनकी निगरानी की जाती है।

(ग) कालोल एक्सचेंज की क्षमता 1000 लाईनों की है जिसमें 972 चालू कनेक्शन है तथा प्रतीक्षा सूची में 259 आवेदकों के नाम दर्ज हैं। इनमें से 180 आवेदकों को मौजूदा एक्सचेंज में 200 लाइनों का विस्तार करने बाद मार्च 1985 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

(घ) कालोल में नई इमारत का निर्माण 1979 में किया गया था। उस समय एक्सचेंज की क्षमता 700 लाइनों की थी। बाद में इस एक्सचेंज का 700 से 1000 लाइनों में विस्तार किया गया था और नई इमारत में एक्सचेंज स्थापित हो जाने के बाद 300 कनेक्शन दे दिये गये थे। इस समय प्रतीक्षा सूची में 259 आवेदकों के नाम दर्ज हैं जिनमें से 180 आवेदकों को एक्सचेंज में 200 लाइनों का विस्तार करते के बाद मार्च, 1985 तक कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

पुराने निष्क्रान्त सम्पत्ति अध्यादेश का दुरुपयोग

2322. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुराने निष्क्रान्त सम्पत्ति अध्यादेश के दुरुपयोग के कारण नागरिकों विशेषकर अल्पसंख्यकों को परेशान किए जाने तथा प्रतिस्थापित निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पुराने फार्म इस्तेमाल किए जाने के बारे में, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) अभ्यावेदन की प्रमुख बातें क्या हैं और उनमें से कौन सी बातें सरकार को स्वीकार्य हैं ; और

(ग) लोगों को हो रही अनावश्यक कठिनाइयों और परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) पुराने निष्क्रान्त सम्पत्ति अध्यादेश (सं० 1949 का XXVII) को निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पुराने अध्यादेश के अन्तर्गत आने वाली निष्क्रान्त सम्पत्तियों के संबंध में चल रही कार्यवाही निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत की जा सकती थी। निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन, अधिनियम को लागू करने के मामले में कुछ लोगों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है और साथ ही अधिनियम को निरस्त करने का सुझाव दिया गया है। ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह पाया गया कि कानूनी प्राधिकारियों द्वारा विनियमित कार्यों का निष्पादन करने के लिए कानूनी पुस्तक में अधिनियम को बनाए रखने की आवश्यकता है किन्तु सरकार ने, इस संबंध में कोई मत निश्चित नहीं किया है कि क्या कोई कठिनाई पेश आ रही है और यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए किन कानूनी उपायों की आवश्यकता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां

2323. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की कितनी डिस्पेंसरियों का संचालन किया जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों के संचालन की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि ये डिस्पेंसरियां एलोपैथिक डिस्पेंसरियों की तुलना में सस्ती पड़ती हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय 69 आयुर्वेदिक और 3 होम्योपैथिक औषधालय हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

I. आयुर्वेदिक

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औषधालयों की संख्या
1.	दिल्ली	3
2.	गुजरात	58
3.	कर्नाटक	2
4.	केरल	4
5.	नागपुर क्षेत्र (महाराष्ट्र)	1
6.	उत्तर प्रदेश	1
	जोड़ :	69

II. होम्योपैथिक

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	औषधालयों की संख्या
1.	बिहार	1
2.	राजस्थान	1
3.	उत्तर प्रदेश	1
	जोड़ :	3

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों को ऐसी जगह स्थापित करें जब कभी मात्रा में लाभानुभोगी ऐसे औषधालयों को स्थापित करने की मांग करें और जहां राज्य सरकार ने ऐसी पद्धति में अर्हताओं को मान्यया दी हो। इसलिए अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी उक्त शर्त के अध्यधीन आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय खोलने के लिए विचार कर सकते हैं।

चिकमंगलूर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2324. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकमंगलूर (कर्नाटक राज्य) में शीघ्र ही एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिवंगत सांसदों की स्मृति में नये डाक टिकट जारी करना

2325. **श्री ए० के० बालन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे दिवंगत सुप्रसिद्ध सांसदों की स्मृति में नये डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) अपने सुप्रसिद्ध दिवंगत सांसदों की स्मृति में नये डाक टिकटों की शृंखला जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों, जिनमें सांसद भी शामिल हैं, पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए प्राप्त कुछ प्रस्तावों को फिलैटलिक सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखने की योजना है।

तथापि स्वर्गीय श्री जयराम दास दौलतराम जो एक सुप्रसिद्ध सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, पर वर्ष 1985 के दौरान स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

बल्क औषधों और फार्मूलेशन्स के निदेशक-मूल्य और उत्पादन

2326. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बल्क औषधों और फार्मूलेशन्स की श्रेणी एक, दो और तीन का तथा सरकार द्वारा विभिन्न बल्क-औषधों/फार्मूलेशन्स के लिये निर्धारित निदेशक-मूल्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कम्पनी द्वारा किये गये बल्क-औषधों और फार्मूलेशन्स के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) श्रेणी I, श्रेणी II तथा श्रेणी III सूत्र-योगों के लिए अपेक्षित बल्क औषध, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये हैं जिसकी एक प्रति लोक सभा पुस्तकालय में भी उपलब्ध है । जनवरी, 1984 के पश्चात् बल्क औषधों के लिये निर्धारित मूल्य तथा सूत्रयोगों के निदेशक मूल्य दर्शाने वाला **विवरण-एक** संलग्न है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुछ मुख्य श्रेणी I, श्रेणी II तथा श्रेणी III बल्क औषधों का कुल उत्पादन दर्शाने वाला **विवरण-दो** संलग्न है । अलग-अलग सूत्रयोगों के उत्पादन की निगरानी नहीं की जाती ।

विवरण-एक

क्रमांक	बल्क औषध का नाम	इकाई	सरकार द्वारा निश्चित संशोधित मूल्य (रु०/कि० ग्रा०)
1.	2	3	4
	बल्क औषध		
	1. एसप्रिन	कि० ग्रा०	47.00
	2. क्लोरमफेनिकोल पाउडर एक्स-बेन्जलडीहाईड	,,	756.00
	3. क्लोरमफेनिकोल पाउडर (एक्स-एल-बेस)	,,	756.00
	4. क्लोरमफेनिकोल पाल्मीटेट	,,	733.00
	5. क्लोरोक्विन फास्फेट	,,	510.00
	6. कैफीन एनहाइड्रस	,,	241.00
	7. क्लोनिडाईन एच सी एल	,,	60000.00

1	2	3	4
	8. डाक्सीसाईक्लिन।	कि०ग्रा०	5890.00
	9. इथम्बूटोल एचसीएल	,,	681.00
	10. एफीड्राइन एचसीएल	,,	847.00
	11. मैन्थोल	,,	302.22
	12. मिथाइल डोपा	,,	1584.00
	13. पाइरोलडाइन मिथाइल टेट्रासाइक्लीन	,,	2627.50
	14. सल्फामोक्सोल	,,	23 .23
	15. सालबूटामोल	ग्राम	19.63
	16. सोडियम एस्कोरबेट	कि० ग्रा०	186.69
			(साराभाई एम कैमिकल्स)
			232.37
			(जयन्त विटामिन लि०)

सूत्रयोग

क्रमांक सूत्रयोगों एवं मिश्रण का नाम	पैक साइज	निदेशक मूल्य (रु०)
1. एसप्रिरन गोलियों 300 मिग्रा/गोली	1000 बोतल	31.76
2. क्लोरोक्वीन सल्फेट गोलियां 200 मिग्रा/गोलियां	4 की स्ट्रिप	1.17
3. आई एन एच गोलियां 100 मिग्रा/गोली	100 की बोतल	35.48
4. —वही—	5000 की बोतल	167.06
5. —वही— 300 मिग्रा/गोली	30 की बोतल	4.21

श्रेणी-II सूत्रयोग

1. क्लोरोफेनिकोल 100 मिग्रा/कैप्स	12 की बोतल	3.29
2. —वही— 250 मिग्रा/कैप्स	12 की बोतल	5.55
3. —वही— —वही—	12 की बोतल	4.51
4. क्लोरोफनिकोल कैप 250 मिग्रा/कैप्स	100 की बोतल	398.82
5. —वही— 500 मिग्रा/कैप्स	6 की बोतल	4.90
6. क्लोरोफेनिकोल कैप्सूलों के साथ/ स्ट्रेप्टोमाइसिन कैप्स 125 मिग्रा + 125 मिग्रा/कैप्स	12 की स्ट्रिप	6.18

1	2	3	4
7.	—वही—	10 का स्ट्रिप	5.02
8.	—वही—	1000 का	450.40
9.	—वही—	100 का	46.52
श्रेणी III सूत्रयोग			
1. एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट ड्राईसिरप 250 मिग्रा/5 मिलि		40 मिलि बोतल	11.74
2. एम्प्रीसिलीन ट्राईहाइड्रेट सिरप 125 मिलि/5 मिलि		40 मिलि बोतल	7.40
3. एट्रोपाइन सल्फेट इन्जेक्शन 0.6 मिग्रा/मिलि		100 × 1 मिलि	76.38
4. एट्रोपिन आई मरहम 1%		3.5 ग्राम टयूब	1.96
5. एलोपुनीनोल गोलियां 100 मिग्रा		10 × 10 का	51.76
6. बोरिक एसिड + जिंक क्रीम 1% + 3%		21 ग्राम टयूब	3.66
7. हैलोथेन वी० पी० 10% वजन/मात्रा		50 मिलि बोतल	52.72
8.	—वही— —वही—	250 मिलि बोतल	255.66
9. हाइड्रोजन पेरोक्साईड 6% डब्लू बी		140 मिलि बोतल	4.50
10.	—वही—	400 मिलि बोतल	9.40
11. हाइड्रोक्सीकोलोबामाइन इन्जेक्शन 100 एमसीजी		5 मिलि शीशी	4.02
12.	—वही— 1000 एमसीजी	—वही—	5.34
13. आइसोडिल गोलियां 10 मिग्रा/गोली		100 की बोतल	9.38
14.	—वही— 5 मिलि गोलियां	100 की बोतल	4.96
15. मोर्थाजिनामाइड, गोलियां 500 मिग्रा/गोली		10 की स्ट्रिप	8.66
16. मिथाइल अरगोटामाइन मैलिएट गोलियां 0.125 मिग्रा/गोली		500 की बोतल	244.72
17. नेप्रोक्सिन गोलियां 250 मिग्रा/गोली		10 का स्ट्रिप	14.50
18. पेन्टाजोक्साइन 30 मिग्रा/गोली		6 × 1 मिलि एम्प	14.80
19. प्रिमोडाइन गोलियाँ 250 मिग्रा/गोली		10 × 10 का स्ट्रिप	40.88
20. प्रिमोडाइन गोलियाँ 250 मिग्रा/गोली		1000 का टिन	355.30
21. रिफेम्पिसिन केप्सूल्स 150 मिग्रा/कैप्स		100 की बोतल	83.88
22.	— वही—	4 की बोतल/स्ट्रिप	4.32
23.	—वही—	12 की बोतल	10.86
24.	—वही— 300 मिग्राम	4 की बोतल।स्ट्रिप	7.02

1	2	3	4
25.	—वही—	100 की बोतल	151.50
26.	—वही— 450 मिग्राम	3 का स्ट्रिप	7.73
27.	सल्फाडिमिडाइन वी विटामिन सी 38% डब्लू०बी०	100 मिलि बोतल	21.22
8.	—वही—	450 मिलि बोतल	79.82
29.	टेट्रामिसोल एच सी एल पाउडर 30% एच सी एल साल्यूबल डब्लू/बी	10 ग्राम सेचेट	7.28
30.	—वही— 100 ग्राम	100 ग्राम	63.40
31.	ट्राइमेथोप्रिम+सल्फामेथोक्साजोल 40 मिग्रा/200 मिग्रा।मिलि	50 मिलि बोतल	6.02
32.	—वही— —वही—	100 मिलि बोतल	11.46
33.	—वही— गोली 80+400 मिलिग्रां	10×10 का	51.00
34.	--वही— पैड बोलियाँ 20+ 100 मिग्रा	10×10 का	17.44
35.	थियोपेन्टोन सोड इन्जेक्शन 0.5 मिग्रा/शीशी	1 शीशी	5.08
36.	—वही—	—वही—	8.52
37.	ट्राईमेथोप्रिम+सल्फामोक्सोल 88 + 400 मिग्रा	10×10 का	51.88
38.	पैड गोलियाँ—वही—40 मिग्रा × 100 मिग्रा	10×10 का	12.14
39.	ट्राइमेथोप्रिम+सल्फामोक्सोल 80+400 मिग्रा ससपैन्शन	50 मिलि बोतल	8.02
40.	—वही— 80 मिग्रा+400 मिग्रा	10×10 का	50.60
41.	—वही—पैड सस्पैन्शन 20 मिग्रा+10 मिग्रा	10×10 का	19.50
42.	—वही—पेड सस्पेन्शन 40 मिग्रा+10 मिग्राम	50 मिलि बोतल	6.62
43.	—वही— —वही—	50 मिलि बोतल	11.18
44.	—वही—डबल स्ट्रेन्थ गोलियाँ 160 मिग्रा×80 मिग्रा	10 की स्ट्रिप	10.82
45.	थिवोफिलिन तरल 08 मिग्रा/15 मिलि अल्कोहल कन्टेन्ट 20%	200 मिलि बोतल	0.12
46.	विटामिन सी गोलियां 100 मिग्रा/गोली	1000 की बोतल	67.83
47.	विटामिन सी ड्राप्स 100 मिग्रा/ मिलि	15 मिलि बोतल+ड्रोपर	4.24

विवरण-दो

क्रमांक	बल्क औषध का नाम	इकाई	निम्न के दौरान उत्पादन		
			1980-81	1981-82	1982-83
श्रेणी-I					
1.	एस्प्रिन	टन	886.40	924.01	1326.35
2.	आई० एन० एच०	टन	179.76	149.70	194.57
3.	पी० ए० एस० तथा इसके लवण	टन	405.46	261.97	288.40
4.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	टन	227.33	255.45	239.68
5.	पन्सिलिन	एमएमयू	336.82	360.61	358.37
श्रेणी-II					
1.	एनलजिन	टन	309.79	483.47	239.20
2.	क्लोरोक्वीन	टन	34.72	59.98	82.30
5.	डाईइथाइल कार्बामाजाइन साइट्रेट	टन	27.92	32.87	43.47
4.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	टन	129.03	114.28	119.57
8.	प्रेडनीसोलोन	किग्रा	1423.00	1273.00	824.00
श्रेणी-III					
1.	डेक्सामेथासोन	किग्रा	127.85	96.52	167.67
2.	इथम्बूटोल	टन	24.87	66.92	97.23
3.	ग्लाइबेन्कलामाइड	किग्रा	670.00	673.00	600 00
4.	मेट्रोनिडाजोल	टन	119.43	128.43	158.77
5.	सल्फासिटामाइक/सोडियम	टन	34.57	61.08	67.65

औषध आयुक्त के कार्यालय को बन्द करना

2327. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई औषध नीति, 1978 के अन्तर्गत एक स्वायत निकाय के रूप में औषध विकास आयुक्त का कार्यालय खोला गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास आयुक्त स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विकास आयुक्त के कार्यालय को बन्द करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

"मार्डनाइजेशन प्रूवड ए बेन फार रूरल लेबर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2328. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) में "मार्डनाइजेशन प्रूवड ए बेन फार रूरल लेबर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) भाग (क) में निर्दिष्ट समाचार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित उनकी प्रथम विश्व श्रम रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पूरे विश्व के समकालीन श्रम दशाओं के तथ्य, आँकड़े और विश्लेषण दिए गए हैं। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभों को ग्रामीण श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और की जा रही हैं। सरकार के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करके इन प्रयासों को और बढ़ाया जा रहा है। इन सब प्रयासों से ऐसे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व श्रम रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है।

पश्चिम बंगाल में वित्तीय बाधाओं का बिजली की कमी का मुख्य कारण होना

2329. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह बताया है कि पश्चिम बंगाल में वित्तीय बाधाएं बिजली की कमी का मुख्य कारण हैं ;

(ख) यदि हां, तो दी गई केन्द्रीय सहायता और पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी को दूर करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विद्युत क्षेत्र के लिए अधिक धनराशियों हेतु पश्चिम बंगाल सरकार की मांगों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों की मिट्टी के तेल की मांग और सप्लाई की गई मात्रा

2330. **श्री नवीन रावणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की मिट्टी के तेल की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य को वर्ष 1982-83 और 1983-84 में उनकी मांग की तुलना में कितनी मात्रा में तेल सप्लाई किया गया ;

(ग) क्या मांग की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में सप्लाई करने के बारें में सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, वर्ष 1984-85 में प्रत्येक राज्य को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) चार-मासीय ब्लाक के आधार पर, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान की बिक्री/आबंटन के ऊपर 5% की बढ़त के साथ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है ।

(ख) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मिट्टी के तेल का आबंटन और बिक्री दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भाग (क) में उल्लिखित सिद्धांत के अनुसार वर्ष 1984-85 के दौरान आबंटन किया जा रहा है ।

विवरण

1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया मिट्टी के तेल का आवंटन और बिक्री

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83		1983-84	
	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	3,81,500	376,110	396,070	395,507
2. अरूणाचल प्रदेश	5,900	5,031	6,150	5,175
3. अंडमान व निकोबार	2,300	1,222	2,100	1,456
4. असम	1,49,750	142,734	165,600	156,766
5. बिहार	2,73,300	268,422	280,010	275,733
6. चंडीगढ़	12,800	12,680	13,610	13,501
7. दादरा व नागर हावेली	2,300	2,633*	1,900	=

1	2	3	4	5
8. दिल्ली	1,54,400	147,045	161,137	156,502
9. गुजरात	4,93,700	493,418	514,302	517,319
10. गोवा, दमन व दीयु	18,200	15,555**	20,300	17,048
11. हरियाणा	93,934	96,040	103,534	101,993
12. हिमाचल प्रदेश	20,800	20,911	22,890	21,185
13. जम्मू व काश्मीर	40,200	39,208	43,080	45,090
14. कर्नाटक	2,88,200	279,156	295,300	287,777
15. केरल	1,52,000	146,877	162,400	157,161
16. मध्य प्रदेश	2,20,200	220,337	239,720	237,899
17. महाराष्ट्र	9,45,200	927,919	990,386	977,056
18. मणिपुर	13,000	12,096	14,250	12,744
19. मेघालय	10,000	9,592	10,090	9,965
20. मिजोरम	4,400	2,883	3,920	3,414
21. नागालैंड	6,000	5,599	6,220	6,316
22. उड़ीसा	97,646	87,755	93,770	92,497
23. पंजाब	1,89,300	196,547	211,940	200,299
24. पाण्डेचेरी	9,000	8,605	9,530	9,284
25. राजस्थान	1,53,400	152,164	162,170	160,569
26. सिक्किम	5,600	2,916	4,700	3,757
27. तमिलनाडु	4,25,200	414,037	439,645	434,522
28. त्रिपुरा	13,300	11,273	13,950	11,997
29. उत्तर प्रदेश	579,300	573,266	593,760	598,255
30. पश्चिमी बंगाल	448,200	449,775	484,370	489,485
31. लक्ष्यद्वीप	310	एन० ए०	360	एन० ए०
	5,209,442	5,122,806	5,467,212	5,400,272

*दमन तथा दिव में की गई बिक्री सहित।

**दमन तथा दिव में की गई बिक्री रहित।

=गुजरात राज्य में बिक्री सहित।

एन० ए० : "अनुपलब्ध" के लिये प्रयोग किया गया है।

सेवा निवृत्त उच्चाधिकारियों को बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा द्वारा नियुक्त किया जाना

2331. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि बहुत से औद्योगिक घरानों ने भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय राजस्व सेवा/भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा और अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया हुआ है और उन्हें उच्च वेतन दे रहे हैं ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा यह खर्चा किस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाता है तथा तुलन-पत्रों में इसे एक अलग परिशिष्ट के रूप में न दिखाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रावधान न होने के कारण सरकार इस प्रकार के सभी खर्चों को तुलन-पत्र में ही दिखाने तथा किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत न दिखाने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सरकार को सामान्यतः सेवा निवृत्त अधिकारियों की बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा सलाहकारों के रूप में नियुक्त किए जाने और उनको पारिश्रमिक दिये जाने की जानकारी है । उनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक और अनुबन्ध की शर्तों के ब्यौरे कम्पनीवार पृथक पृथक हैं । सम्बन्धित सरकारी नियमों के अन्तर्गत प्रश्न में निर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी सेवा निवृत्ति से दो वर्षों के अन्दर इस प्रकार का रोजगार स्वीकार कर सकते हैं ।

(ख) कम्पनी के तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के साथ पठित धारा 211 के उपबन्धों के अनुसरण में तैयार किए जाते हैं । अनुसूची 6 के अनुसार, सलाहकारों को दी गई राशि को लाभ और हानि लेखा में अलग से दिखलाया जाना अपेक्षित नहीं है । इसको विविध व्ययों में सम्मिलित किया जा सकता है । इसको लाभ और हानि लेखा में अगर यह 5000 रु० से अधिक या कम्पनी के कुल राजस्व का % से अधिक बढ़ता है जो भी अधिक हो तो विशिष्ट मद के रूप में केवल अलग से दिखलाया जाता है ।

इससे भी अधिक इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को कम्पनी के नियमित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस मामले में तब कम्पनी अधिनियम की धारा 217 के अन्तर्गत अगर वे कम्पनी से 36,000 रु० से अधिक प्रतिवर्ष पारिश्रमिक लेते हैं या अगर वे वर्ष के किसी पक्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा दिया गया पारिश्रमिक 3,000 रु० या अधिक प्रतिमाह है तो उनके नामों, योग्यताओं कुल वेतनों आदि को अलग से निदेशक की रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाना अपेक्षित है । इस प्रकार के मामलों में व्यय को लाभ और हानि लेखा में "वेतन, दैनिक पगार और बोनस" शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को दृष्टिगत करते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

महाराष्ट्र में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

2332. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित हल्दिया पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में संयुक्त भागीदारी के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है जबकि उसने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की ऐसी ही पेट्रो-रसायन परियोजना में अपनी भागीदारों का स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र की परियोजना की मोटी रूपरेखा क्या है और इसकी क्षमता और इसके उत्पादन का क्षेत्र क्या है और इसमें केन्द्रीय सरकार की साम्यता भागीदारी कितनी है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में पेट्रो-रसायन परियोजनायें पहले ही विद्यमान हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के प्रस्तावित गैस क्रेकर काम्प्लेक्स को छठी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन स्थापित करने का विचार है । इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1167 करोड़ रुपए है । इस परियोजना में इथीलिन और प्रोपीलीन तथा उन पर आधारित उत्पादों का सृजन करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में स्थापित मुख्य पेट्रो रसायन परियोजनाओं (सभी निजी क्षेत्र में) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

—दो नैफथा क्रेकर तथा डाउन स्ट्रीम यूनिटें

—एक एच० डी० पी० ई० यूनिट

—छः पोलियेस्टर यूनिटें

—छः नाइलोन यूनिटें

विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए "प्रिक्वालिफिकेशन टेन्डरिंग" कार्यविधि

2333. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने ऊर्जा मंत्रालय को सुझाव दिया है कि बिजली संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में "प्रिक्वालीफिकेशन टेन्डरिंग" प्रणाली अपनाई जाये ताकि स्थापना में अधिक लागत और अधिक समय लगने की स्थिति से बचा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग के मुख्य प्रस्ताव ये हैं कि विभिन्न उपस्करों और कार्यों के लिए पहले से अर्हता प्राप्त निविदादाताओं की सूची बनाई जानी चाहिए तथा निविदा सम्बन्धी कागजात केवल ऐसे निविदा दाताओं को ही बेचे जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त निविदाएं तकनीकी तथा प्रस्तावित कीमत के आधार पर दो भागों में आमंत्रित किए जाने चाहिए । तकनीकी प्रस्तावों पर विचार कर लिए जाने तथा तकनीकी पैरामीटरों को सामान्य वर्ग का बना लिए जाने तथा यदि कोई संदिग्धताएं हों तो उन्हें दूर कर लेने के बाद कीमत की बोलियों पर विचार किया जाना चाहिए । योजना आयोग के सुझाव राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को उनके विचारार्थ एवं क्रियान्वयन हेतु भेज दिए गए हैं ।

मिट्टी के तेल की मांग, उत्पादन और आयात

2334. **श्री चिंतामणि जैना :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में मिट्टी के तेल का कितना उत्पादन हुआ और 1984-85 में कितना उत्पादन होने की संभावना है ;

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आयात किया गया ;

(ग) वर्ष 1984-85 की संभावित मांग कितनी है और मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल का अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान मिट्टी के तेल की उत्पादित मात्रा और 1984-85 के अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

(मि० मी० टन)

1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
2.907	3.393	3.528	3.241

(ख) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान आयात की गई मिट्टी के तेल की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(मि० मी० टन)

1981-82	1982-83	1983-84
1.969	1.88	1.955

(ग) 1984-85 के लिए मिट्टी के तेल की अनुमानित मांग 6.02 मि० मी० टन की है। कुल मांग को पूरा करने के लिए शोधनशालाओं में उत्पादन के अतिरिक्त, 2.853 मि० मी० टन की मात्रा के आयात की योजना है।

(घ) शोधन क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त नई शोधनशालाओं में हाईड्रोक्रेकर का प्रयोग करके नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लगाया जा रहा है जिससे कि मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

एन० टी० पी० सी० के बिजलीघरों से मध्य प्रदेश के लिए बिजली के शेयर में वृद्धि करना

2335. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने एन० टी० पी० सी० के बिजलीघरों से मध्य प्रदेश के लिए बिजली के शेयर में वृद्धि की मंजूरी देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या कोरबा स्थित सुपर तापीय बिजलीघर के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के लिए 150 मेगावाट बिजली अनाबंटित रखी गयी थी जहां यह बिजलीघर स्थित है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रारम्भ में केवल 50 प्रतिशत बिजली वितरित की जाएगी ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल भी बिजली आबंटित नहीं की गयी है जब कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थापित एन० टी० पी० सी० के सिंगरौली बिजलीघर में 300 मेगावाट बिजली अनाबंटित पड़ी है ; और

(ङ) क्या अतिरिक्त बिजली आबंटित करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के अभ्यावेदन पर कोई फैसला किया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से मध्य प्रदेश को और अधिक विद्युत आबंटन करने के सम्बन्ध में विगत में अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) से (ङ) सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से जो कि क्षेत्रीय स्वरूप के हैं, उनसे विद्युत एक केन्द्रीय फार्मूला के अनुसार आबंटित की जाती है। इस फार्मूला को लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों के परामर्श से तैयार किया गया है और यह फार्मूला उन्हें सामान्यतः स्वीकार्य है। मध्य प्रदेश में कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के हिस्सों का बटवारा तदनुसार तय किया गया है। कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र के पहले चरण (1100 मेगावाट) की 15% विद्युत (165 मेगावाट) लाभ प्राप्त करने वाले अलग-अलग राज्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं को समय-समय पर पूरा करने के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, केन्द्र के पास अनाबंटित रूप में रखी गयी है। शेष विद्युत को केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के बीच आबंटित किया गया है, चूंकि कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र मध्य प्रदेश में स्थित है इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश

को 10% (110 मेगावाट) अतिरिक्त विद्युत दी जा रही है। कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश का कुल हिस्सा 319 मेगावाट का है।

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में नहीं है। इसलिए सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से मध्य प्रदेश को कोई विद्युत आबंटित नहीं की गई है जो कि पश्चिमी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने वाला राज्य है।

सरकार केन्द्रीय केन्द्रों से विद्युत आबंटित करने के लिए पहले से बनाए गए फार्मूला पर पुनर्विचार करना उपयुक्त नहीं समझती है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में और अधिक डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

2336. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य में और विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कितने नए डाक घर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अब भी कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, जो डाक-घरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की सुविधा के मामले में पिछड़े हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य और विशेष रूप से गुजरात में और अधिक डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति हैं ?

संचार मंत्रालय उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सूचना अनुबन्ध "एक" में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 8550/84]

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान गुजरात सहित देश में डाकघर और लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने सम्बन्धी नीति क्रमशः अनुबन्ध—"दो" और अनुबन्ध—"तीन" में दी गई है।

नई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

2337. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कुछ राज्यों में हाल ही में कुछ नई परियोजनाएं मंजूर की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1984-85 (जून, 1984 तक) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई 103 स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8551/84]

सातवीं योजना में "वल्क ड्रग्स एन्ड फारमुलेशन्स उत्पादन के लिए योजना परिव्यय

2338. **श्री अर्जुन सेठी**; क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक "वल्क ड्रग्स एण्ड फारमुलेशन" के उत्पादन को दुगुना करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित परिव्यय के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औषधों और भेषजों पर कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप अभी नहीं दिया है।

जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ड्रिलिंग कार्य

2339. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले/चालू वित्तीय वर्ष में ज्वालामुखी और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गैस/तेल का पता लगाने के लिए डिलिंग कार्य शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों में कौन सी तारीख को डिलिंग कार्य शुरू किया गया था और अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या पड़ौसी राज्यों जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा में कुछ अन्य क्षेत्रों को भी डिलिंग के लिए चुना गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है क्या इन स्थानों पर अब तक कोई प्रगति हुई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) ड्रिलिंग कार्य करने वाली कम्पनियों/एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में सुरीनसर, सम्बाल, तथा बारीगढ़ को भी खुदाई के स्थान के रूप में चुना गया है। तथापि, इन क्षेत्रों में खुदाई अभी शुरू की जानी है।

(ङ) इन क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई किए जाने का प्रस्ताव है।

अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें

2340. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 से लेकर वर्ष 1984-85 की प्रथम तिमाही तक डाक तथा तार विभाग को दिल्ली में टेलीफोनों के अधिक राशि के बिल बनाये जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें कुल कितनी धनराशि के सम्बन्ध में हैं ;

(ग) यदि इस अवधि के लिए प्रयोक्ताओं को कोई राहत दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी ; और

(ङ) क्या भविष्य में अधिक राशि के बिल बनाये जाने को रोकने अथवा उसको न्यूनतम करने के बारे में कोई कदम उठाये गये हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली टेलीफोन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां, इस अवधि के दौरान विभिन्न उपभोक्ताओं को 2,48,75,720.00 रुपए की रियायत दी गई है ।

(ङ) अधिक राशि के बिल जारी होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

1. लिपिकवर्गीय गलती ।

2. तकनीकी दोष ।

1. जहां तक लिविकवर्गीय गलतियों का प्रश्न है, इस बारे में सभी यूनिटों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिल तैयार करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाए और गलती यदि कोई हो तो, तुरन्त ठीक करें तथा जहां आवश्यक हो, उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी करें । इसके अतिरिक्त संगणना में होने वाली भूलों से बचने के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के महानगरीय जिलों में टेलीफोन बिल तैयार करने तथा लेखन कार्य का कंम्प्यूटरीकरण किया गया है ।

2. जहां तक तकनीकी दोषों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) क्रासवार एक्सचेंजों में पाजीटिव बैटरी मीटर प्रणाली शुरू करना ।

(2) दिन एवं रात्रिकालीन प्रभारों को अपनाने के लिये स्वचल प्रणाली की व्यवस्था ।

(3) उपभोक्ता द्वारा डायल की गई ट्रंक कालों के मामले में काल किए गए उपभोक्ता द्वारा प्रतीक्षा करने की स्थिति में फोसंड रिलीज अवधि को 1 से 2 मिनट से कम करके 10 से 20 सेकिंड करना।

(4) काल किए गए उपभोक्ता से उत्तर मिलने की स्थिति में उसे पहचानने के लिए ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों में 500 मिलि सेकिंड विलंब प्रणाली शुरू करना।

(5) उपभोक्ताओं के मीटरों की नियमित जाँच।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा मीटर या लाइन में उपद्रवी तत्वों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए यए हैं :—

(क) मीटरों को सील करना।

(ख) मीटर कक्ष को ताला लगाना।

(ग) मुख्य वितरण फ्रेम कक्ष (एम० डी० एफ०) में प्रवेश पर प्रतिबंध।

(घ) वितरण प्वाइंडों को ऊंचा उठाना।

(ङ) वितरण प्वाइंटों को ताला लगाना।

पहाड़ी क्षेत्रों में पोस्टल डिवीजन जैसे प्रशासनिक एककों के विभाजन के मामले में कार्यभार के मानदण्डों में ढील

2341. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र और यहां-वहाँ बिखरी हुई जनसंख्या को देखते हुए पोस्टल डिवीजन जैसे प्रशासनिक एककों के विभाजन के मामले में कार्यभार आदि के मानदण्डों में ढील देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एककों ने इस संबंध में किस प्रकार की ढील देते की अनुमति दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या डाक-तार बोर्ड इस प्रकार की ढील की आवश्यक पर बल देते हुए वित्त मन्त्रालय को आवेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस समय पर्वतीय इलाकों में डाकमंडलों के विभाजन के लिए मानकों में कोई छूट नहीं दी जाती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पहाड़ी इलाकों में डाकमण्डल के विभाजन के मानकों में कुछ छूट देने के मामले पर वित्त मन्त्रालय की कर्मचारी जांच यूनिट की परामर्श से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली टेलीफोन्स में शौर्ट ड्यूटी टेलीफोन आपरेटर

2342. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन्स में शार्ट ड्यूटी टेलीफोन आपरेटर के रूप में नियुक्ति की गई 163 महिलाएं उनेकी शोषणकारी कार्य दशाओं के विरोध में महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर 3½ महीने से धरना दे रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। वास्तविकता यह है कि वे केवल अपनी नियमित नियुक्ति की माँग के संबंध में एकत्र हुए थे। दिल्ली टेलीफोन के उप महाप्रबंधक (प्रशासन) / महाप्रबंधक ने उनकी बात को बड़े धैर्य से सुना। आन्दोलन को शांत करने के लिए उन्हें सही स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

(ख) ये उम्मीदवार टेलीफोन आपरेटर के बतौर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। चूंकि भर्ती के लिए केवल 17 रिक्त स्थान थे, अतः 17 उम्मीदवारों को नियमित नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि जैसा पहले घोषित किया गया है, उसके अनुसार रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा।

(ग) शेष (103—17) = 86 उम्मीदवारों को अल्पकालिक ड्यूटी पर ले लिया गया था। इन 86 उम्मीदवारों को भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर खपा लिया जाएगा।

उड़ीसा में खाना पकाने की गैस सप्लाई करने वाली एजेन्सियां खोलने का प्रस्ताव

2343. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन शहरों और कस्बों में चालू वर्ष के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का विचार खाना पकाने की गैस सप्लाई करने वाली एजेंसियां खोलने का है,

(ख) क्या ऐसे स्थानों के बारे में निर्णय लेते समय आदिवासी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) स्वतंत्र और आर्थिक व्यवहार्य एल० पी० जी० की एजेन्सी की विपणन क्षमता के आधार पर, तेल उद्योग (इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड) की अपनी 1984-85 की विपणन योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित शहरों में नई एल० पी० जी० की एजेंन्सियां खोलने का प्रस्ताव है।

स्थान	श्रेणी
1. राउकेला	बेरोजगार स्नातक
2. कुलद	शारीरिक रूप से अपंग
3. भुवनेश्वर	खुली
4. राजगंजपुर	खुली
5. तित्लागढ़	अनुसूचित जाति
6. कटक	बेरोजगार स्नातक
7. राउकेला	शारीरिक रूप से अपंग
8. बीरसितरापुर	अनुसूचित जनजाति

जो स्थान आरक्षित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं अथवा जो मुख्यत: अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी वाले हैं, इन समुदायों के लिए आरक्षित किये जाते हैं और वहां राज्य की योजना के अधीन 25% तक एजेन्सियों का आरक्षण किया जाता है।

(ग) उपरोक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन की मशीनों का अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बेकार पड़ा रहना

2344. **मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन की बहुत सी मशीनें/उपकरण अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का ब्यौरा क्या है और इस समय उनका कुल मूल्य कितना है।

(ग) यदि पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन को इन मशीनों/उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यहां से हटाये न जाने अथवा बेचे न जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने बुल-डोजर लेने की पेशकश की है, यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन की अण्डमान और निकोबार द्वीपों में बड़े शेष दो पूर्व यंत्रीकृत सीमा संगठन को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक श्रम न्यायालय

2345. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक स्थायी श्रम न्यायालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कोई भी श्रम न्यायालय विधिवत रूप से गठित नहीं है जैसाकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ओद्यौगिक विवादों को निपटाने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के जिला न्यायाधीश को श्रम न्यायालय के रूप में प्राधिकृत किया गया था परंतु श्रम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इसकी नियुक्ति नहीं की गई, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (घ) जी, नहीं । पहले से ही एक श्रम न्यायालय विद्यमान है। कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय की शक्तियों को जिला और सैशन जज को देने की प्रथा रही है ।

बंगलादेश के प्रवासियों को पुनर्वास की सुविधायें

2346. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के प्रवासियों के कुल कितने परिवारों को सारे देश में कोई पुनर्वास सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है । और

(ख) उन प्रवासियों के लिए कैम्पों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) बंगला देश के प्रवासी चूंकि विदेशी राष्ट्रिक हैं, अतः भारत में वे किसी पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं हैं ।

उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम

2347. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जून, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के तीन उर्वरक संगठन दक्षिण-पश्चिम और उत्तर में, देश के 18 जिलों में 6 करोड़ रुपए की लागत के भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम शुरू करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, जिलों के नामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजनायें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल के 32 जिलों में आरम्भ की जाएगी, जिनका चुनाव राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाएगा ।

(ग) यह कार्यक्रम 3 उर्वरक कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिनमें से प्रत्येक के पास इस उद्देश्य के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये का बजट होगा। यह परियोजना सेवाओं के उन्नत पैकेज, उर्वरकों के सफल तथा संतुलित प्रयोग एवं कार्बनिक अवशेषों के उचित उपयोग अपनाने में किसानों की सहायता करेगी । इस प्रकार परियोजना की प्रस्तावित गतिविधियों में किसानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, मिट्टी परीक्षण लैबोरेटरीज (स्थिर एवं गतिशील दोनों) बानस्पतिक खाद के गड्डे तथा बायो-गैस संयंत्र आदि स्थापित करना शामिल है । किसानों को विस्तार गतिविधियों, फिल्मों प्रदर्शन खण्डों के माध्यम से उन्नत निधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा ।

उड़ीसा में आयल इंडिया लिमिटेड के पास तट पर तथा तट दूर पेट्रोलियम खोज का लाइसेंस

2348. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए गए पेट्रोलियम खोज लाइसेंस तट पर की शर्तें क्या हैं और इसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र है ;

(ख) इस क्षेत्र में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई खोज के क्या परिणाम रहे हैं ;

(ग) आयल इंडिया द्वारा महानदी (उड़ीसा) तट दूर क्षेत्र हेतु प्राप्त पेट्रोलियम खोज लाइसेंस की वैसी ही शर्तें क्या हैं ;

(घ) अब तक क्या परिणाम मिले हैं ; और

(ङ) इन दोनों मामलों में उड़ीसा सरकार को कितनी राल्यटी का भुगतान किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) लाइसेंस की मुख्य शर्तें विवरण-एक में दी गयी हैं।

(ख) उड़ीसा तटीय क्षेत्र में 3814 लाईन किलोमीटर भू-गर्भीय सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है तथा आंकड़ों का संशोधन किया गया है। खुदाई में लिए चार स्थानों को निर्दिष्ट किया गया है जिनमें से दो स्थानों पर 1984-85 में खुदाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) लाइसेंस की मुख्य शर्तें विवरण-दो में दी गयी हैं।

(घ) उड़ीसा अपतटीय क्षेत्र में, तीन कुओं की खुदाई की गयी है और चौथे कुएं की खुदाई की जा रही है। अभी तक इनमें हाइड्रोकार्बनों के होने का कोई संकेत नहीं मिला है।

(ङ) जब भी अशोधित तेल एवं/या गैस का उत्पादन आरम्भ होगा, निर्धारित दर पर रायल्टी देय होगी।

विवरण-एक

I. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की मुख्य शर्तें

तटीय क्षेत्र

1. राज्य सरकार द्वारा तेल क्षेत्र (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अधीन लाइसेंस जारी किया गया है।
2. लाइसेंस 6,800 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए था।
3. लाइसेंस चार वर्षों के लिए जारी किया गया था जो 17-11-1979 से प्रभावी था और इसे 17-11-1984 तक बढ़ाया गया था।
4. निर्धारित लाइसेंस शुल्क, रायल्टी इत्यादि अनुसूची के अनुसार देय हैं।

विवरण-दो

II. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की मुख्य शर्तें

(अपतटीय क्षेत्र) महानदी

1. केन्द्र सरकार द्वारा तेल क्षेत्र (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अधीन पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी किया गया है।
2. लाइसेंस 12,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए हैं।
3. 1-4-1978 से जारी किया गया मूल लाइसेंस चार वर्षों की अवधि के लिए जारी किया गया था और इसे 1984 तक बढ़ाया गया था। बाद में, इसी क्षेत्र के लिए एक अन्य पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस किया गया था 31-3-1986 तक वैध था।

4. लाइसेंस पेट्रोलियम के लिए हैं और अगर कोई अन्य खनिज मिलता है, तो इसे सरकार के ध्यान में लाया जाये ।

5. लाइसेंस शुल्क, रायल्टी इत्यादि अनुसूची के अनुसार देय हैं ।
6. कम्पनी आवश्यक रिपोर्टें तथा विवरण (रिर्टन) प्रस्तुत करेगी ।
7. कम्पनी 2 महीनों का आवश्यक नोटिस देकर लाइसेंसबद्ध क्षेत्र वापस कर सकती है ।
8. कम्पनी एक संलेख भी भरेगी ।

नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी की खान, एल्युमिना और एल्युमिनियम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई प्रगति

2349. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की खान एल्युमिना और एल्युमिनियम परियोजना के क्रियान्वयन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी में कुल कितनी नौकरियां (जॉब) प्राप्त की गई हैं ,

(ग) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड स्थानीय लोगों को, विशेष रूप से उन आदिवासियों को, जो विस्थापित हो गए हैं अथवा इन परियोजनाओं के अन्तिम रूप से पूरा हो जाने पर विस्थापित हो जायेंगे ; सम्बद्ध कर रही है और उन्हें रोजगार मुहैया कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) खान, एल्युमिना तथा एल्युमीनियम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई प्रगति निम्नलिखित है :

	खान	एल्युमिना	एल्युमिनियम
इंजीनियरी	82.3%	70.5%	74.9%
प्रापण	81.7%	81.2%	76.2%
निविदा देना	95.0%	86.0%	78.2%
निर्माण कार्य	62.3%	29.1%	33.9%

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को खान, एल्युमिना तथा एल्युमिनियम परियोजनाओं से

संबंधित परामर्श सेवाओं और सम्पूर्ण परिश्रम के लिए परियोजना मानीटरिंग सेवाओं के लिए एकमात्र ठेका दिया गया है ।

(ग) और (घ) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड केवल निर्माण प्रबंध से संबंधित है। स्थल पर निर्माण कार्य के लिए कार्मिकों की भर्ती ठेकेदारों द्वारा की जाती है जो कार्य संपादित करते हैं।

माइक्रो पन बिजली का उत्पादन

2350. **श्री सूरज भान** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में माइक्रो-पन बिजली उत्पादन की, क्षमता लगभग 5,000 मेगावाट है और इसके पारेषण और वितरण में बहुत कम नुकसान होता है ; और

(ख) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और भविष्य में इस स्रोत से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) माइक्रो लघु जल विद्युत स्कीमें जिनकी शक्यता का विभिन्न कारणों से समुचित रूप में ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता । मोटे तौर पर अनुमान यह है कि माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों से लगभग 5000 मेगा० शक्यता प्रतिष्ठापित करने की संभावना है । तथापि यह जल के समुपयोजन की योजनाओं पर भी निर्भर करती है । माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों से सम्बद्ध पारेषण तार जाल से अलग-थलग और दूरी वाले क्षेत्रों की मांग को पूरा करने में पारेषण और वितरण हानियां तुलना में काफी कम होती हैं ।

इस समय देश के विभिन्न भागों में 159 मेगावट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की 80 माइक्रो/लघु जलविद्युत स्कीमें प्रचालनाधीन हैं । इसके अतिरिक्त अनेक स्कीमों का क्रियान्वयन, अन्वेषण तथा परीक्षण संबंधी कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

क्रम सं०	श्रेणी	स्कीमों की संख्या	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	क्रियान्वयनाधीन/निर्माणाधीन स्कीमें	63	137
2.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमें और जिनके लिए निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है।	28	102.8

1	2	3	4
3.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने के लिए स्कीमों पर कार्यवाही की जा रही है।	55	190
4.	स्कीमें जिनका अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।	143	381

1984-85 के दौरान कोयले का निर्यात

2351. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 में और इसके आगे के वर्षों में कोयले का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० पहले से ही परम्परागत खरीदारों अर्थात् बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को कोयला निर्यात कर रहा है इसके अतिरिक्त पर्याप्त उपलब्धता और अपर्याप्त घरेलू माँग के कारण यह निर्णय किया गया है कि 1984-85 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन तक विशेष वाष्पशील कोयला भारत कोकिंग कोल लि० से और प्रतिवर्ष 3 लाख टन तक कोयला सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के तालचेर कोयला क्षेत्र से निर्यात के लिए दिया जाए।

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

2352. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन को जोखिम उद्योग समझा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का क्या ब्यौरा है ;

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान कोयला खानों में मृत्यु दर में कमी हुई है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस समिति ने 66 सिफारिशें की थीं। मुख्य सिफारिशें इन बातों से संबंधित हैं— कोयला खानों में आतंरिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना, कोयले की भावी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ओपेनकास्ट खनन का विकास, पिट सुरक्षा समितियों को सक्रिय करना, भूमिगत कार्य क्षेत्र में वेट बल्ब ताप 32.50° से० से कम रखना, रेत भराई के मामले में समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करना, कोल फेस का बिजली चालित सपोर्टों वाली लांगवाल खनन प्रणाली से यंत्रीकरण, हाइड्रालिक खनन प्रणाली शुरू करना, कोल फेसों पर टोकरी द्वारा लदान के स्थान पर कन्वेयरों और यंत्रीकृत लोडरों का प्रयोग आदि।

अन्य सिफारिशें इन बातों से संबंधित हैं—डस्ट सैम्पलर उपलब्ध कराना, शोर के स्तर को 140 डेसीबोल से आगे न बढ़ने देना, कान की सुरक्षा बिना कामगारों को खान में न घुसने देना, भूमिगत अग्निस्थलों पर काबू पाने के तरीके, कोयला खानों में धंसाब से पैदा हुए खतरों से निपटना, रज्जु-ढुलाई और गैस के विस्फोटन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना आदि।

समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें भी की :—

(1) प्रति मिलियन टन उत्पादित कोयले पर मृत्यु की दर को वर्ष 1983 तक कम करके 2 किया जाए और वर्ष 1992 तक इसे 1 किया जाए, रोजगार में लगे प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु दर 1987 तक 03.3 की जाए।

(2) रोजगार में लगे प्रति 100 व्यक्तियों पर गंभीर दुर्घटना की दर कम करके 1980 तक 3.5 और 1987 में 3 की जाए और साथ ही उत्पादन के प्रति मिलियन टन पर यह दर 1980 तक 15 और 1987 तक 12 की जाए।

(घ) वर्ष 1976 से 1981 के दौरान मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। इस अवधि के दौरान प्रति मिलियन टन पर मृत्यु-दर वर्ष 1976 के 2.68 से घटकर 1981 में 1.28 हो गई। परन्तु 1982 और 1983 के दौरान मृत्यु-दर बढ़कर क्रमशः 1.31 और 1.33 हो गई। यह वृद्धि उन दो बड़ी दुर्घटनाओं के कारण हुई जो इन वर्षों के दौरान हुई। फिर भी, वर्ष 1984 के पहले 6 महीनों के दौरान, वर्ष 1983 की इसी अवधि की तुलना में मृत्यु-दर में कुछ सुधार हुआ है।

परन्तु ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित उपर्युक्त समिति द्वारा नियत लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं।

"बंबई हाई" क्षेत्र के कच्चे तेल (शेम्पेन ग्रेड) की बिक्री

2353. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बम्बई हाई क्षेत्र के कच्चे तेल (शेम्पेन ग्रेड) की बिक्री का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस आधार पर किया गया है ;

(ग) क्या "बंबई हाई" क्षेत्र से बढ़ी हुई मात्रा पर तेल-उत्पादन करना विशेषज्ञों की सलाह के विपरीत है क्योंकि इससे कुओं और देश दोनों ही को कई गुणा हानि होगी और उनसे निकलने वाली गैस को जलाना पड़ेगा क्योंकि हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते ; और

(घ) क्या यह उपाय मुख्य रूप से 6000 करोड़ रुपये से अधिक के बढ़ते हुए व्यापार अंतर को पूरा करने के लिए ऋणदाताओं के कहने पर किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तेल की निर्यात योग्य मात्रा का निर्धारण प्रोसेसिंग सुविधाओं और देशीय शोधन क्षमता और ल्यूज बेस स्टाक, विटुमन, ए०.टी० एफ० जैसे उत्पाद जिनका उत्पादन बम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तेल से नहीं बल्कि आयातित कच्चे तेल से किया जा सकता है की मांग जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ग) बम्बई हाई से तेल के उत्पादन की योजना इस क्षेत्र के संस्थापित तकनीकी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, परामर्शदाताओं और इंस्टीच्यूट आफ रिर्जवायर स्टडीज की विशेषज्ञतापूर्ण सलाह के आधार पर तैयार की गई है। गैस के प्रयोग के लिए "डाऊन स्ट्रीम" सुविधायें स्थापित की जा रही हैं और जला दिये जाने वाले गैस की मात्रा को कम करने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश में भविष्य निधि की बकाया धनराशि

2354. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1983 की भविष्य निधि में अंशदान की कुल कितनी धनराशि बकाया थी ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बकाया धनराशि में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की कुल बकाया राशि निम्नलिखित है :—

	(रुपये करोड़ों में)
छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान	42.83
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	28.72
जोड़	71.55

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि की तुलना में 31 मार्च, 1983 को मध्य प्रदेश क्षेत्र में छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों से बकाया राशि 9.33 करोड़ रुपये अधिक थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्य निम्नलिखित चार बड़ी मिलों के बारे के छूट को रद्द करने के कारण हुई :—

(1) मैसर्स होप टैक्सटाइल्स कम्पनी लि०

(2) मैसर्स बिनोद मिल्स कम्पनी लि०

(3) मैसर्स बिमल मिल्स कम्पनी लि०

(4) मैसर्स जाओरा शुगर मिल्स

भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

2355. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में समग्र रूप से, बिहार में समग्र रूप से उत्तर बिहार, छोटा नागपुर और बिहार के शेष भाग में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) देश में राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता के अनुपात में वास्तव में कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है और बिहार जैसे राज्यों को अखिल भारत स्तर पर लाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) दिनांक 3 अप्रैल के 1984, अतारांकित प्रश्न संख्या 6230 के उत्तर में अल्लिखित परियोजनाओं सहित बिहार की विभिन्न ताप और पनबिजली परियोजनाओं में बिजली का उत्पादन वास्तव में शुरू करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

2356. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य में बंधुओं मजदूरों के पुनर्वास हेतु वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए निश्चित धनराशि स्वीकृत की थी ;

(ख) मध्य प्रदेश में अनुमानतः कितने बंधुआ मजदूर हैं और वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने मजदूरों को मुक्त कराया गया ;

(ग) योजना आयोग नें इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की तथा राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का उपयोग किया ; और

(घ) क्या विभाग ने वर्ष 1984-85 के दौरान मुक्त मजदूरों के पुनर्वास संबंधी लक्ष्य पूरा करने के लिए कोई नये मार्ग निर्देश जारी किये हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) "केन्द्र द्वारा संचालित(प्लान) योजना" नामक एक योजना है, जिसके अन्तर्गत, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता बराबर-बराबर (50:50) के आधार पर दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ, योजना आयोग, केन्द्र तथा राज्य-दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिवर्ष परिव्यय की व्यवस्था करता है। योजना आयोग द्वारा बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 और 984-85 के दौरान, मध्य प्रदेश के "राज्य प्लान" में निर्धारित किए गए परिव्यय और राज्य सरकार को दिए गए केन्द्रीय अनुदान का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

वर्ष	योजना आयोग द्वारा निर्धारित परिव्यय (रुपए लाखों में)	केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि (रुपए लाखों में)
1982-83	6.00	1.36
1983-84	15.00	1.08
1984-85	9.90	1.50 (आज की तारीख तक)

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार, राज्य में पता लगाए गए और मुक्त कराये गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 2024 थी। राज्य सरकार से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (30-6-84 तक) दासता से मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या क्रमशः 257,64 और 4 थी।

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए केन्द्रीय अनुदानों तथा दिए गए अनुदानों के बदले राज्य सरकार से प्राप्त "उपयोगिता-प्रमाणपत्रों" के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	दी गई राशि (रुपये लाखों में)	जितनी राशि के लिये "उपयोगिता-प्रमाणपत्र" प्राप्त हो चुके हैं। (रुपये लाखों में)	टिप्पणियां
1982-83	1.36	0.72	यह बताया गया है इस राशि/शेष राशि को उपयोग करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।
1983-84	1.08	—	
1984-85	1.50	—*	

*"उपयोगिता-प्रमाणपत्र" देने का समय अभी नहीं आया।

चूंकि इस योजना में बराबर-बराबर आधार पर निधि देने की व्यवस्था है, इसलिए राज्य सरकार ने भी केन्द्र द्वारा अपने हिस्से के रूप में दी गई राशि से कम राशि नहीं दी होगी ।

(घ) जी, हां । इस संबंध में मार्गदर्शी—रूपरेखा 29-3-84 को जारी की गई । मध्य प्रदेश के संबंध में 1984-85 के दौरान 450 बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास का लक्ष्य है । जैसे ऊपर (क) में पहले ही बताया जा चुका है कि योजना आयोग ने मध्य प्रदेश के "राज्य-प्लान" में 1984-85 के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये 9.00 लाख रुपयों के परिव्यय की व्यवस्था की है और इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने इस वर्ष के दौरान आज की तारीख तक 1.50 लाख रुपये की राशि दी है ।

नाव अधिकरण अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय

2357. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ उच्च न्यायालयों को नाव अधिकरण विषयक अधिकारिता दी गई है जिसके अधीन इन उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें समय-समय पर नाव अधिकरण विषयक न्यायालयों के रूप में कार्य करती हैं ;

(ख) क्या समुद्रीय समुदाय और माल भेजने वालों आदि के विवादों का संक्षिप्त निपटारा करने के लिए ऐसे किन्हीं नाव अधिकरण न्यायालयों की स्थापना की गई है अथवा कोई समुद्री विवाद अधिकरण कार्य कर रहा है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समुद्री विधिक विवाद काफी समय तक चलते रहते हैं और उन को निपटाने में अत्याधिक विलंब हो जाता है ; और

(घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने समुद्री विवाद, दावे, अपीलें आदि विचाराधीन हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी, हां । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और उड़ीसा जैसे कुछ उच्च न्यायालयों में नाव अधिकरण विषयक अधिकारिता निहित है ।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मराठवाड़ा में डाकघर खोलना

2358. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मराठवाड़ा में शाखा डाकघरों और उप डाकघरों की संख्या बहुत कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों और जनसाधारण ने अधिक डाकघर खोलने के लिए विभाग से अनेक बार अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) सभी मामलों की जांच की जाती है और विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को मद्देनजर रखते हुए जहां औचित्य पाया जाता है, डाकघर वर्षवार निर्धारित योजना लक्ष्यों के अनुसार खोले जाते हैं। संसद सदस्यों द्वारा जिन 13 डाकघरों का मामला उठाया गया है, उन्हें 1984-85 में खोलने का प्रस्ताव है।

तट-पर तथा तट-दूर खोज करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की योजना

2359. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तट-पर तथा तट-दूर दोनों स्थानों पर खोज करने में गति लाने के लिए एक जबरदस्त नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तटीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में मुख्य बल दिया जाएगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तेल-क्षेत्र उपकरणों तथा सेवाओं का स्वदेशीकरण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1983-84 के दौरान किये गये आयात प्रतिस्थापन प्रयासों के कारण इस वर्ष 709.46 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत हुई जबकि पिछले वर्ष की राशि 152.32 करोड़ रु० है ; और

(ङ) विदेशी मुद्रा की बचत के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने विभिन्न बेसिनों के लिए जिसमें तटीय एवं अपतटीय दोनों क्षेत्र शामिल हैं, तेल तथा गैस की तेजी से खोज करने के लिए एक योजना तैयार की है।

(ग) और (घ) जी हाँ ।

(ङ) आयात के प्रतिस्थापन के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं और सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है जैसे कि तेल क्षेत्र उपकरणों के स्वदेशी निर्माताओं को निर्यात किया गया माने जाने का लाभ तथा घरेलू कीमत जमा करने की संकल्पना से सम्बद्ध मूल्य प्राथमिकता ।

बिजली के क्षेत्र में जनशक्ति आयोजना और प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी द्वारा दिया गया सुझाव

2360. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के क्षेत्र में जनशक्ति आयोजना और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जून, 1984 में राष्ट्रीय गोष्ठी द्वारा की गई एक सिफारिश में यह सुझाव दिया गया है कि सभी परियोजनाओं के व्यवहार्यता प्रतिवेदन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में इसके बाद से एक अध्याय होना चाहिए, जिसमें जनशक्ति आयोजना भर्ती और प्रशिक्षण नीति तथा अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने अब तक उनमें से कितने सुझावों पर विचार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित कर दिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बिजली के क्षेत्र में जनशक्ति आयोजन और प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी 29 मई से 31 मई, 1984 तक हुई थी । गोष्ठी में की गई सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी की गई थी कि सभी विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में एक अध्याय यह भी अवश्य होना चाहिए जिसमें जनशक्ति आयोजना भरती तथा प्रशिक्षण नीतियां और आधारभूत आवश्यकताएं दी गई हों । गोष्ठी की अन्य सिफारिशों में ये विभिन्न पहलू शामिल थे जैसे विद्युत संयंत्रों की प्रचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता, समेकित विद्युत प्रणालियों का इष्टतम प्रचालन, उपस्करों के उत्तरोत्तर परिष्करण को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण नीतियां तैयार करना, जनशक्ति की पहले से आयोजना करना, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की आयोजना और प्रबन्ध करना, तथा विद्युत क्षेत्र में प्रबन्ध संबंधी प्रशिक्षण देना । निष्कर्षों के संक्षिप्त रिकार्ड की प्रतियाँ बिजली बोर्डों तथा अन्य संगठनों को भेज दी गई हैं । गोष्ठी की विभिन्न सिफारिशों की जाँच की जा रही है और जहाँ-कहीं आवश्यक होगा, उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए जाएंगे ।

संविधान के अनुच्छेद 19 को कंपनियों पर भी लागू करना

2361. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि कम्पनियों, निगमों तथा अन्य कृत्रिम व्यक्तियों को वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मौलिक अधिकार दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई किसी रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि अनुच्छेद 19 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है क्योंकि "नागरिक" का प्रयोग इस प्रकार होता है कि निगमित निकाय अनुच्छेद की परिधि से बाहर हो जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अंतिम विनिश्चय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विधि आयोग ने अपनी 101 वीं रिपोर्ट जिसका शीर्षक "संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-

स्वातंत्र्य भारतीय निगमों को लागू करने की सिफारिश सरकार को 28 मई; 1984 को अग्रेषित कर दी हैं।

(ख) से (घ) उक्त रिपोर्ट, जिसमें सभी ब्यौरे और आयोग की सिफारिशें दी गई हैं, हिन्दी में उसका अनुवाद और उसकी अंग्रेजी तथा हिन्दी प्रतियां तैयार करने जैसी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाने के पश्चात संसद के समक्ष रख दी जाएगी। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। यह बताना संभव नहीं है कि अंतिम विनिश्चय करने में कितना समय लगेगा।

उड़ीसा की मिनी/माइक्रो पनबिजली परियोजनाएं

2362. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा के किन-किन स्थानों पर चुनी गई मिनी/माइक्रो पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी ;

(ख) क्या इन माइक्रो पनबिजली परियोजनाओं सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण और जांच कार्य प्रगति पर है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक किन-किन परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, पूरी होने वाली है और पूरी हो गई हैं ;

(घ) उक्त परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और उनकी परियोजना-वार उत्पादन क्षमता कितनी होने का अनुमान लगाया गया है ;

(ङ) क्या चुने गए स्थानों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण/जांच कराने हेतु कोरापुट तथा अन्य जिलों में और अधिक स्थान चुनने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ; और

(च) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इन माइक्रो परियोजनाओं की पनबिजली क्षमता का लाभ उठाने हेतु उड़ीसा सरकार और उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये गये ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले में मलकानगिरी सब-डिवीजन में 546 लाख रुपए की लागत की पोटटेरू लघु जल विद्युत परियोजना (2 × 3000 किलोवाट) को योजना आयोग ने हाल ही में अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त 11 माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों पर अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने माइक्रो/लघु जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए राज्यों में 14 स्थलों का भी पता लगाया है। इनका ब्यौरा क्रमशः विवरण-एक और दो में दिया गया है।

11 अन्वेषणाधीन स्कीमों में से 3 परियोजनाओं के बारे में राज्य प्राधिकारियों द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं और इनसे सम्बन्धित ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (किलोवाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)
1.	बारागढ़	1 × 300 किलोवाट	52.94
2.	चारम्पा	1 × 550 किलोवाट	46.05
3.	बंगौरी	4 × 90.5 किलोवाट	67.28

(च) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य प्राधिकारियों से ऐसी माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों का पता लगाने के लिए अनुरोध किया है, जिनका उपयोग अलग-थलग/सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण कार्य को, आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके तथा ऊपर पैरा 2 में बताई गई 3 स्कीमों के, जिनके परियोजना प्रस्ताव परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार कर लिए गए हैं, उनके ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी भाग तैयार करने के लिए भी अनुरोध किया है।

विवरण-एक

उड़ीसा में पता लगाए गए मिनी/माइक्रो परियोजनाओं के स्थलों की सूची

परियोजना का नाम

1. वैतरणी नदी पर माइक्रो जल विद्युत स्कीम।
   स्थान : बनसौर के निकट
   जिला : कूंझर

2. बीरीवती में तलैंडंडा नहर पर नहर प्रभात यूनिट
   स्थान : बीरीवती
   जिला : कटक

3. बिरबादिया वीयर में केन्द्रपारा नहर पर माइक्रो जल विद्युत नहर प्रपात योजना
   स्थान : जगतपुर के निकट
   जिला : कटक

4. कन्साबहियल सिंचाई परियोजना पर एम० एच० एस०
   जिला : सुन्दरगढ़

5. हरभंगी एच० ई० स्कीम
   जिला : गंजाम

6. छेलीगढ़ एम० एच० एस०
   जिला : गंजाम

7. पुटुदी जल विद्युत योजना
   जिला : फूलभनी

8. सुनेई नहर प्रपात
   जिला : मयूरभंज

9. डूमर बहल नहर प्रपात
   जिला : कलहन्डी

10. देव सिंचाई परियोजना में एम० एच० एस०
    जिला : मयूरभंज

11. दरजंग नहर प्रपात योजना
जिला : धेनकनाल

12. कोलो (पतपुर) (छोटी) नहर प्रष्ठात माइक्रो जल विद्युत परियोजना

13. कजहारी
जिला : कोनोझर

14. वैतरणी नदी पर टोडो पावर हाउस
जिला : कोनोझार

विवरण-दो

उड़ीसा में अन्वेषण की जा रही मिनी/माइक्रो परियोजनाएं

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित कुल क्षमता (किलोवाट)
1.	बुधलंगा एस० एच० पी०, गांव वांसपहाड़ी जिला मयूरभंज	10,500
2.	दल्लक एम एच पी, नरसिंहपुर, जिला कटक	2,500
3.	चरम्पा में एम० एच० एस० नहर प्रपात, निकट भद्रक, जिला बालसोर	500
4.	हरगढ़ में सालिंदी नदी पर एस० एच० पी० जिला कोयनझार	8,000
5.	जिला सम्बलपुर में बारागढ़ नहर में लो हैड उत्पादन,	10,000
6.	जिला पुरी के बंगुआरी गांव में पुरी मुख्य नहर पर एम० एच० एस०	360
7.	जिला मयूरभंज से 3 किलोमीटर दूरी पर कुलदिहार रेलवे स्टेशन पर एम० एच० एस० खोदकई	100
8.	कोयनझार कस्बे से 8 किलोमीटर दूर, संधीगरा एम० एच० एस०	100
9.	कोयनझार कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बदवागरा एम० एच० एस०	50
10.	सासन	उ० न०
11.	मंदिरा	उ० न०
	जोड़ :	32,110

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाए गए आदिवासी विकास खंड

2363. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शुरू होने के बाद से अब तक इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए आदिवासी विकास खंडों के जिला-वार नाम क्या हैं ;

(ख) अब तक प्रत्येक जिले में कितने आदिवासी गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का विद्युतीकरण होना है ;

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कुछ आदिवासी विकास खंडों में बिजली न लगाये जाने के क्या कारण हैं और उन खंडों के नाम क्या हैं ;

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से ऋण देने और योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने हेतु इन क्षेत्रों के लिए आरक्षित सामग्री के बारे में क्या नीति है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने छठी योजना अवधि के दौरान आदिवासी इलाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अलावा विभिन्न स्रोतों से निधि जुटाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आदिवासी क्षेत्रों में न्याय दिलाने की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण और विधिक सहायता का प्रावधान

2364. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि निचले न्यायालयों में छोटे-मोटे मामलों के निपटारे में विलम्ब होने के कारण जनजाति क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की परेशान किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये जनजाति क्षेत्रों में न्याय दिलाने की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) इन लोगों को विधिक सहायता और सलाह देने के लिये राज्य स्तर पर विधिक सहायता समिति द्वारा किन योजनाओं और कार्यक्रमों को अब तक छांटा गया और क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) क्या इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिये तथा उनके निवारण के तरीकों का पता लगाने के लिये राज्यों को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इस मंत्रालय के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है । उसे इकट्ठा किया जा रहा है ।

तेल और प्राकृतिक गैस में आत्म-निर्भरता

2365. **श्री एन० डेनिस** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत तेल और प्राकृतिक गैस में आत्मनिर्भर हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) इस समय माँग और उत्पादन में कितना अन्तर है ; और

(घ) 1980 में यह अन्तर कितना था और इसे कितना कम कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) देश में इस समय प्राकृतिक गैस का उत्पादन खपत से अधिक है । जहां तक तेल का सम्बन्ध है इसमें 65% तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई है । चूंकि तेल की खोज अधिक संभावनापरक है, किसी निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि तेल में आत्म-निर्भरता कब तक प्राप्त की जा सकती है।

(घ) 1980-81 में कच्चे तेल के निवल आयात के रूप में अन्तर 16.25 मि० मी० टन का था । इसके 1984-85 में करीब 6.59 मि० मी० टन हो जाने की संभावना है ।

वर्षा काल के दौरान टेलीफोनों का कार्यकरण

2366. **श्री चित्त महाटा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा काल में प्रतिदिन हजारों टेलीफोन खराब रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और/तथा सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अधिकांशतः महानगरों में ही केबिलों में खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण, संबद्ध टेलीफोन काम करना बन्द कर देते हैं ।

(ख) महानगरीय एवं बड़े शहरों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुदाई कार्य करने के कारण केबिलों में खराबी आने की आशंका रहती है । मानसून की पहली वर्षा होते ही ऐसे स्थानों पर केबिलों में नमी प्रवेश कर जाती है जहां कि केबिलें क्षतिग्रस्त होती हैं और उनमें खराबी आ जाती हैं । ये खराबियाँ शुष्क मौसम के दौरान समाप्त हो जाती हैं ।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) अपने विभाग के लिये खुदाई का कार्य करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय समितियों का गठन किया गया है और इस दृष्टि से कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं कि केबिलों में खराबी न आने पाये क्योंकि सम्बन्धित एजेंसियों की उपस्थिति में कार्य पूरा किया जाएगा ।

(2) फील्ड स्टाफ क्षतिग्रस्त केबिलों का पता लगाने के लिए केबिलमार्ग पर गश्त लगाते हैं और दोष उत्पन्न होने से पूर्व मरम्मत कार्य करते हैं।

(3) जंकशन, प्राइमरी, सेकेण्डरी केबिलों का शुष्क वायु द्वारा दाबीकरण किया जाता है, ताकि दोष का तत्काल पता चल सके और दोष का पता चलने पर उपभोक्ताओं को असुविधा से पूर्व मरम्मत कार्य किया जा सके।

(4) अब केबिलों को पाइपों में बिछाया जा रहा है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चलना

2367. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस भंडारों का पता लगाया है ;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान में जालोर, जिला, रन्त और कच्छ में तेल और गैस के भंडारों के मिलने की संभावनाओं का पता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करेगी ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) हां।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इन क्षेत्रों को हाइड्रोकार्बन का संभावी क्षेत्र नहीं समझा गया है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

राजस्थान में भीनमाल और जयपुर के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

2369. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भीनमाल और सुमेरपुर के बीच हाल में दी गई सीधी टेलीफोन लाइन अक्सर खराब रहती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भीनमाल और जयपुर के बीच स्वीकृत टेलीफोन लाइन को सीधे ही जोड़ा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सुमेरपुर टेलीफोन लाइन की खराबियों को दूर करने और भीनमाल तथा जयपुर के बीच सीधी लाइन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। भीनमाल में बार-बार पावर फेल होने के कारण जून, 84 में यह लाइन केवल कुछ समय के लिए खराब रही।

(ख) भीनमाल और जयपुर के बीच सीधी सर्किट की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) भीनमाल-सुमेरपुर के बीच सीधी सर्किट 1-6-84 को चालू की गई थी। भीनमाल में कैरियर स्टेशन के लिये अतिरिक्त पावर व्यवस्था नहीं है और इसके कारण उसकी क्षमता (56 प्रतिशत) पर जून, 84 में प्रभाव पड़ा। जुलाई, 84 के दौरान लाइन का कार्य निष्पादन संतोषजनक (80 प्रतिशत से अधिक क्षमता) रहा। भीनमाल कैरियर स्टेशन में सहायक पावर की व्यवस्था की योजना बनाई गई है। भीनमाल और जयपुर के बीच सीधी लाइन का औचित्य बनता है परन्तु भीनमाल और जोधपुर तथा जोधपुर और जयपुर के बीच अतिरिक्त चैनल की कमी के कारण सीधी लाइन की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

कस्बों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

2369. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 25 हजार से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां आबंटित करने के लिये कोई व्यापक योजना बनाई है ;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान के जालौर जिले में भिन्मल और सिरोही जिले में शिवगंज और आबू रोड में गैस की ऐजेन्सियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां। तेल उद्योग ने उन सभी शहरों को जिनको जनसंख्या 20,000 अथवा इससे अधिक है, अपनी क्रमिक विपणन योजनाओं में शामिल करने की योजना बनाई है बशर्ते कि ऐसे शहर की आर्थिक व्यवहार्य एल० पी० जी० की एजेंसी के लिये पर्याप्त क्षमता रखते हों। इस कसौटी के आधार पर तेल उद्योग ने आबू रोड पर एक एल० पी० जी० की एजेन्सी खोलने की योजना बनाई थी जिसके लिये आवेदन-पत्र समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर आमंत्रित किये गये थे, परन्तु कोई भी व्यक्ति इसके लिये उपयुक्त नहीं पाया गया था और इस स्थान के लिये शीघ्र ही पुनः विज्ञापन दिये जायेंगे। भिनमल और शिवगंज की क्षमता का मूल्यांकन अगले वर्ष की विपणन योजना तैयार करते समय किये जाने की संभावना है।

राजस्थान के सिरोही और जालौर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

2370. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सिरोही और जालौर जिलों में 1983-84 के दौरान और 1984-85 में जुलाई तक कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की गई ;

(ख) वहां कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) उन गांवों के क्या नाम हैं जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की सुविधा नहीं है और इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सिरोही और जालौर जिलों में चालू की गई लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जिला	1983-84	1984-85 (जुलाई तक)
सिरोही	शून्य	शून्य
जालौर	5	शून्य

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान यानी मार्च, 85 तक सिरोही में 9 और जालौर जिले में 13 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) बिना पी० सी० ओ० सुविधा वाले ग्रामों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

जिला	संख्या
सिरोही	427
जालौर	558

पी० सी० ओ० सुविधा प्राप्त ग्रामों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

लंबी दूरी के पी० सी० ओ० वाले गांव

सिरोही जिला

क्रम सं०	
1.	गिरवार
2.	मुंगथाला
3.	भूला
4.	हादिया
5.	वालोरिया
6.	खेधार
7.	अरथुरा
8.	लास
9.	कालान्दीरी
10.	पांडीव

जालौर जिला

क्रम सं०	
1.	बादानवारी
2.	भंसबारा
3.	भावारानी
4.	भादरानून
5.	खीहोवाना
6.	साथू
7.	सुराना
8.	टिख्खी
9.	बागौरा
10.	बारगांव
11.	घांसा
12.	घूमपारिया
13.	जोबजना
14.	कारदा
15.	मोदरां
16.	मोरसीम
17.	सिराना
18.	नासेली
19.	पुनासा
20.	अराहे
21.	चीतवालना
22.	गुंडाओं
23.	झाव
24.	केरिया
25.	पुर

औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में आसनसोल और धनबाद क्षेत्रों के लम्बित मामले

2371. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3 धनबाद में आसनसोल और धनबाद क्षेत्रों के कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 1 और 2, धनबाद में कितने भेजे गये मामले तथा अन्य मामले लम्बित हैं ;

(ग) क्या औद्योगिक न्यायाधीकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3 को आसनसोल स्थानान्तरित करने का अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरणों पर असर पड़ेगा ;

(घ) क्या सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों के लिये औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु और अधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय शुरू करना आवश्यक है ; और

(ङ) यदि हां, तो आसनसोल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस क्षेत्र में नया औद्योगिक न्यायाधिकरण शुरू करने के बजाय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3 को धनबाद से स्थानान्तरित करने के कारण तथा औचित्य क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) क्रमशः 16 और 158।

(ख) 391

(ग) धनबाद और कलकत्ता में स्थित "केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित पड़े आसनसोल क्षेत्र के मामलों को आसनसोल में स्थानान्तरित किया जायेगा और धनबाद क्षेत्र के मामले धनबाद में ही निपटाए जाएंगे।

(घ) जब कभी समय की माँग होती है, तो नये "केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों" की स्थापना की जाती है। अभी हाल ही में दो "केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय" चण्डीगढ़ और कानपुर में स्थापित किये गये।

(ङ) वित्त मंत्रालय के "कर्मचारी निरीक्षण यूनिट" ने धनबाद में तीन "केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों" का निरीक्षण किया और उनमें से एक न्यायालय को समाप्त करने की सिफारिश की। इस सिफारिश को लागू करने तथा आसनसोल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि धनबाद से एक "केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय" को आसनसोल में स्थानांतरित कर दिया जाये।

कोयला खान मजदूरों में श्वास सम्बन्धी रोग

2372. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्वास सम्बन्धी रोगों से पीड़ित कोयला खान मजदूरों की संख्या पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में न्यूमोकोनिओसिस सबसे अधिक घातक रोग रहा है, जिसके कारण बहुत सी मौतें हुई हैं, और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मशीनीकरण और विस्फोट करने से बढ़ती हुई धूल की समस्या से ये रोग पैदा हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) श्वास की बीमारियों से ग्रस्त कोलियरी कामगारों की संख्या जानने के लिए अभी तक कोई व्यापक अध्ययन नहीं हुआ है । गत समय में केवल नमूने के तौर पर कुछ सर्वेक्षण किये गये थे ।

परन्तु, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ अकूपेशनल हेल्थ) द्वारा कैनाडा के "इन्टरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेन्टर" के सहयोग से अब एक अध्ययन शुरू किये जाने की संभावना है । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से "भारतीय कोयला खान कामगारों में वायु-धात्विक रोगों का निर्धारण और निवारण" शीर्षक से एक परियोजना भी विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं । हाल के वर्षों में वायु-धात्विक रोग (न्यूमोकोनिआसिस) के कारण किसी की मृत्यु होने की रिपोर्ट नहीं है ।

(ग) "न्यूमोकोनिआसिस" फेफड़े की ऐसी बीमारी है जो अनेक वर्षों तक कोयले की धूल सांस से अन्दर लेते रहने के कारण होती है ।

(घ) कामगारों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कोल इंडिया लि० ने प्रभावी और समुचित उपाय किए हैं । कुछ उपायों में यह बातें शामिल हैं :—

(1) कोयला खानों और अन्य यूनिटों में प्रमुख धूल उत्पादन क्रिया केन्द्रों में धूल दबाने और धूल बाहर निकालने के उचित उपाय करके, कार्य स्थलों का पर्यावरण बेहतर करना ।

(2) कामगारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना जिसमें निवारक और उपचारात्मक दोनों चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं ।

(3) कामगारों की निश्चित अवधि पर डाक्टरी जांच जिसमें न्यूमोकोनिआसिस तथा श्वांस सम्बन्धी रोगों का पता लगाने के लिये डाक्टरी परीक्षण और एक्स-रे शामिल है ।

(4) कोल इण्डिया लि० की सहायक कंपनियों और कोयला खान कल्याण संगठन में "न्यूमोकोनिआसिस बोर्ड" गठित किए गए हैं ताकि कोयला कामगारों में न्यूमोकानिआसिस का पता लगाया जा सके और अपंगता का स्तर एवं देय मुआवजा निर्धारित किया जा सके ।

(5) बेहतर आवास व्यवस्था, सुरक्षित पेय जल की पूर्ति और रहने के स्थान की स्वच्छता में सुधार लाना ।

उग्रवादियों द्वारा की गई हत्याओं के बारे में फिल्म का निर्माण

2573. **श्री के० मालन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादियों द्वारा की गई हत्याओं के बारे में फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० ए० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अहमदाबाद में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज की स्थापना

2374. **श्री नवीन रावणी :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी लाइनें उपलब्ध कराई जायेंगी ;

(ग) यह एक्सचेंज कब तक स्थापित हो जाने की आशा है;

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ङ) क्या उक्त एक्सचेंज के लिए उपकरण सप्लाई करने हेतु किसी विदेशी फर्म से कोई समझौता किया गया है यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) 2000 लाइनों (1200 उपभोक्ता एवं 800 ट्रांजिट लाइन) की क्षमता वाला प्राईमरी स्विचिंग सेन्टर का प्रस्ताव है।

(ग) इसे 1985-86 तक संस्थापित कर दिया जाएगा ।

(घ) प्राक्कलित परियोजना की लागत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है ।

(ङ) जी, नहीं ।

"सोलर टिम्बर किल्न" स्थापित किया जाना

2375. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सारे देश में कुछ "सोलर टिम्बर किल्न" स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये स्थापित किए जाएंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए कार्य चल रहा है ।

ड्रिलिंग रिग्स का निर्माण

2376. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय और अप-तटीय क्षेत्रों से तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग रिग्स का निर्माण करने हेतु देश में क्या उपाय किये गये हैं तथा इस दिशा में क्या उपलब्धियां हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिए क्या क्या विदेशी समझौते तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की व्यवस्थाएं की गई हैं, और

(ग) देश में रिग्स के अतिरिक्त और किन-किन ड्रिलिंग उपकरणों का विदेशी जानकारी के साथ निर्माण किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस समय देश में तटीय ड्रिलिंग रिगों, तटीय वर्कओवर रिगों और अपतटीय ड्रिलिंग रिगों के निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता का सृजन किया गया है । ओ. एन. जी. सी. द्वारा दो जैक-अप रिगों और एक ड्रिलशिप के निर्माण के लिए क्रमशः एम. डी. एल और एच. एस. एल. को आर्डर दे दिये गये हैं । बी. एच. ई. एल. द्वारा ओ. एन. जी. सी. को पहले ही 6 तटीय रिग दे दिये गये हैं और अन्य 7 रिग पूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इसके अतिरिक्त, ओ. एन. जी. सी. ने उनको 8 रिगों और 12 वर्कओवर रिगों के लिए आर्डर भी दे दिये हैं ।

(ख) एम. डी. एल. ने अपतटीय जैक-अप रिगों के लिए बेकर मेरीन कार्पोरेशन, यू. एस. ए. से, एच. एस. एल. ने ड्रिलशिप के लिए हिताशी जोसन, जापान से, तटीय ड्रिलिंग रिगों/वर्कओवर रिगों के लिए बी. एच. ई. एल. ने अमेरिका की आयलवेल और कार्डवेल, कनाडा से और गोवा शिपयार्ड ने तटीय ड्रिलिंग रिगों के लिए नेशनल यू. एस. ए. से प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण करने की व्यवस्था की है ।

(ग) खुदाई कार्य के लिए आवश्यक जिन उपकरणों का निर्माण/विकास विदेशी ज्ञान से स्वदेश में किया जाता है, वे इस प्रकार हैं :

1. स्लश पम्प
2. रॉक रोलर बिट्स (ट्रिकोन)
3. रिग प्राइम मूवर्स
4. वायरलाइन विन्चेस और औजार
5. तेल और गैस बर्नर
6. तेल और गैस विखण्डक
7. चिकसन हौज असेम्बली
8. सबमर्सीवल सी वाटर पम्प

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों को टेलीफोन सुविधाएँ

2377. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सेवा निवृत होने वाले वे सभी सरकारी अधिकारी विशेष वर्ग के अन्तर्गत टेलीफोन सुविधा पाने के हकदार हैं जो सेवा निवृत्ति से पहले एक वर्ष से 1500 रु० प्रतिमाह वेतन पा रहे हैं जबकि संचार मंत्रालय में यह सुविधा 1100 रु० प्रतिमाह वेतन पाने वाले अधिकारियों को दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य मंत्रालयों से संबंधित अधिकारियों की तुलना में यह मामूली रियायत संचार मंत्रालय के सेवानिवृत्त होने वाले कुछ ऐसे अधिकारियों को दी गई है जिनकी वेतन सीमा 1100-1600 रु० के बीच हो। इन अधिकारियों को उक्त रियायत संचार मंत्रालय में की गई उनकी सेवा को मद्दे नजर रखते हुए दी गई है।

देश में बिजली की कमी

2378. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार देश में बिजली की कमी की पूर्ति हेतु कोई विशेष योजना बना रही है ; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष धन आबंटित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1983-84 के दौरान देश में विद्युत की कमी 10.8% थी जबकि 1979-80 में छठी योजना से पूर्व यह 16% से अधिक थी ।

(ख) विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद विद्युत की कमी है, जिसका मुख्य कारण उद्योग और कृषि में तेजी से विकास होने के परिणाम-स्वरूप मांग में अधिक वृद्धि हो जाना है। इसके अलावा आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता भी अपर्याप्त है और ताप विद्युत केन्द्रों का उत्पादन अपेक्षाकृत असंतोषजनक रहा है।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में और सुधार लाने के लिये कई उपाय किए जा रहे हैं इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र प्रतिष्ठापित करना।

(2) निम्नलिखित उपाय करके मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाना :—

(क) ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपातों में सुधार लाने के लिए उनकी मरम्मत करने में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना ;

(ख) बंदी की अवधियों को कम करने के लिये निवारक अनुरक्षक तकनीक अपनाना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करना ;

(घ) अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना तथा विद्युत केन्द्रों पर कोयले के संयुक्त सैम्पल लेना ;

(ङ) नई ताप विद्युत यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिये कृतिक बलों की स्थापना करना ;

(च) प्रचालन प्रणालियों की मानीटरिंग करने और सलाह देने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दोनों की व्यवस्था करना ; और

(छ) राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों/यूनिटों के नवीकरण और आधुनिकीकरण की स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिस पर 3 वर्ष की अवधि में 500 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे।

मंत्री का पाकिस्तान दौरा

2379. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री हरिहर सोरन :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री एन० ई० होरो :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में पाकिस्तान का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दौरे का क्या प्रयोजन था और दोनों देशों के बीच किन विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) उनकी बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यात्रा पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर की गई थी। इस यात्रा के दौरान, मैंने पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ परस्पर हित और सहयोग के विषयों पर विचार विमर्श किया था। मैंने इस अवसर का उपयोग उनका ध्यान पाकिस्तानी माध्यमों द्वारा विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के झुकावपूर्ण और आपत्तिजनक कवरेज तथा सामान्य रूप से भारत विरोधी प्रचार की ओर आकर्षित करने के लिए भी किया था। सूचना के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने की संभावनाओं का भी पता लगाया गया था। रेडियो और समाचारपत्र, संवाददाताओं के आदान-प्रदान, एक देश से दूसरे देश में पत्रकारों के दलों की यात्राओं, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के

आदान-प्रदान, टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के संयुक्त निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने तथा इन मुद्दों पर प्रगति को मानिटर करने के लिए सरकारी स्तर पर नियमित बैठकें करने के बारे में समझ-बूझ हुई थी।

देश में तेल शोधक कारखाने

2380. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री छीतूभाई गामित :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल शोधक कारखाने कहाँ-कहां पर स्थित हैं और कितने हैं तथा इस समय प्रत्येक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक तेल शोधक कारखाने में वास्तव में कितना उत्पादन हो रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि मौजूदा तेल शोधक कारखाने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या 1984-85 और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस प्रयोजना के लिए चुने गए स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) उत्पाद मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा परिशोधन क्षमता पर्याप्त नहीं है।

(घ) से (च) 1984-85 में बम्बई, विजाग, मद्रास और कोचीन स्थित रिफाइनरियों में कार्य विस्तार द्वारा 7.75 मी० टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त परिशोधन क्षमता चालू किये जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना अवधि के दौरान हरियाणा में करनाल तथा कर्नाटक में मंगलूर में, 6 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली दो नई रिफाइनरियां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

आंकड़े मी० टनों में

रिफाइनरी का नाम	स्थान	1.4.1984 को प्रतिष्ठापित क्षमता	वास्तविक कच्चे तेल का कुल उत्पादन	
			1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	बम्बई	5.25	4.49	5.26
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	बम्बई	3.50	31.12	3.31
कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड	कोचीन	3.30	3.19	2.85
मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड	मद्रास	2.80	2.86	2.64
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	विशाखापतनम	1.50	1.08	10.09
बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०	बोंगईगांव (असम)	1.00	0.60	0.65
इण्डियम आयल कारपोरेशन लिमिटेड	हल्दिया (पश्चिम बंगाल)	2.50	2.50	2.58
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	(बरौनी) बिहार	3.30	3.07	2.91
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	गेहाटी (असम)	0.85	0.80	0.87
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	दिग्बोई (असम)	0.50	0.52	0.55

1	2	3	4	5
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	कोयाली (गुजरात)	7.30	7.09	7.33
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	मथुरा (यू० पी०)	6.00	3.84	5.22
		37.80	33.16	35.26

रसायन कारखानों में प्रदूषण निवारण के लिए कदम

2381. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति तैयार की है कि रसायन कारखाने स्थापित करते समय पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदूषण रोकने के पर्याप्त उपाय किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो नए एककों की स्थापना अथवा वर्तमान एककों का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय उप भी को सम्बद्ध प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी से अनापति प्रमाणपत्र लेने के लिए दिए जाने वाले मार्ग निर्देशों अथवा निदेशों का क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) तथा (ख) जी हां। आशय पत्र जारी करने के समय आवेदक पर निम्नलिखित शर्त लगाई जाती है :—

हवा, पानी तथा मिट्टी प्रदूषण को रोकते के लिए सरकार की संतुष्टि की सीमा तक पर्याप्त कदम उठाये जाएंगे। आगे इसके अलावा ऐसे प्रदूषण निरोधक उपाय अपनाये जाने चाहिये जो उस राज्य द्वारा निर्धारित वहिस्राव एवं उत्सर्जक मान दण्डों के अनुसार हों जिसमें औद्योगिक उपक्रम का कारखाना लगाया गया हो।

सरकार ने प्रदूषण की अधिक सम्भावना रखने वाले 18 उद्योगों की सूची बनाई है जिनमें कुछ रसायन उद्योग भी सम्मिलित है तथा जिनके सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किये जाने हैं :—

(i) राज्य उद्योग निदेशक, से इस आशय की पुष्टि करना कि परियोजना स्थल को पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

(ii) उद्यमी द्वारा राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार दोनों को वायदा करना कि वह उचित उपकरणों की स्थापना करेगा तथा प्रदूषण को रोकने एवं नियंत्रण के लिए निर्धारित उपायों को कार्यान्वित करेगा।

(iii) संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकाय से प्रमाणपत्र प्राप्त करना कि प्रस्ताव पर्यावरण

अपेक्षाओं को पूरा करना है तथा स्थापित या प्रस्तावित उपकरण आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त एवं उचित है। जिन मामलों में आवश्यक होता है, उद्योगों द्वारा किये गये संतोषजनक प्रदूषण विरोधी उपायों के संबंध में पर्यावरण विभाग की सहमति ले ली जाती है।

उर्वरकों की मांग और उत्पादन

2382. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में प्रत्येक किस्म के उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है और 1983-84 के दौरान उनका उत्पादन कितना था ;

(ख) देश की कुल मांग को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या सरकार देश की कुल मांग को पूरा करने और कृषि विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी कम्पनियों के सहयोग से पिछड़े क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करेंगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष 1983-84 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता और उत्पादन

(लाख टनों में)

	नाईट्रोजन युक्त उर्वरक (एन)	फास्फेटिक उर्वरक (पी०)	पोडाशिक उर्वरक (के०)
अनुमानित आवश्यकतायें (उपभोग)	52.36	17.57	7.99
उत्पादन	34.85	10.48	पोटाशिक उर्वरकों (के) का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं है।

(ख) और (ग) इस समय 20 लाख टन नाइट्रोजन और 9 लाख टन पी० 2 ओ० 5 से अधिक कुल उर्वरक क्षमता स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गैस पर आधारित बड़े आकार के 6 नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए कदम उठाये गये हैं जिनकी कुल क्षमता 20 लाख टन नाइट्रोजन से अधिक होगी। ये संयंत्र सातवीं योजना (1989-90) के अन्त तक चालू दिये जाने की आशा है। इनमें से दो संयंत्रों की स्थापना उन जिलों में जा रही है जहां बड़े और मध्यम आकार के उद्योग नहीं है। इनमें से एक संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में, एक राज्य-सहयोग क्षेत्र में और तीन की स्थापना निजी क्षेत्र में की जा रही है।

ताप बिजली घरों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले का कम मात्रा में लदान और चोरी

2383. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री जगपाल सिंह :

श्री के० प्रधानी :

श्री मंगल राम प्रेमी

श्री टी० एस० नेगी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10-7-1984 के "पैट्रियेट" में छपी उस खबर की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार ताप बिजली घरों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले का कम मात्रा में लदान किए जाने और चोरी के कारण प्रति वर्ष लगभग 50 लाख टन कोयले का नुकसान होने का अनुमान है, जिससे उपयोग कर्ताओं को 150 करोड़ रुपये की हानि होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय विद्युत उपयोगिता परिषद् ने ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई संबंधी समस्याओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय विद्युत उपक्रम समिति राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत उपक्रमों का एक गैर सरकारी संगठन है और उसने ताप बिजली घरों को कोयला सप्लाई से संबंधित समस्याओं पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है । संक्षेप में, ज्ञापन में बिजली क्षेत्र की कोयले की जरूरत की मात्रा और किस्म दोनों पूरी करने की जरूरत पर बल दिया गया है । ज्ञापन में यह आरोप भी लगाया गया है कि बिजली घरों में पहुंचने वाले वैगनों में कोयला कम पाया जाता है ।

सरकार को यह पता है कि बिजली घरों को पर्याप्त मात्रा में और सही किस्म का कोयला सप्लाई करना बहुत महत्वपूर्ण काम है और इसीलिए सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाती रही है/उठा रही है । राष्ट्रीय विद्युत उपक्रम परिषद के ज्ञापन में की गई सिफारिशें मानने अथवा न मानने का प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि यह सरकार द्वारा नियुक्त किसी सरकारी समिति की रिपोर्ट नहीं है ।

तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए 1983-84 के दौरान सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र

2384. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए 1983-84 के दौरान जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इन भंडारों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) 1983-84 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों/बेसिनों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गये :

तटीय क्षेत्र

1. काम्बे बेसिन
2. कच्छ और सौराष्ट्र
3. राजस्थान
4. असम
5. त्रिपुरा
6. बंगाल
7. हिमाचल की तराइयां तथा गंगा घाटी
8. कृष्णा-गोदावरी
9. कावेरी
10. उड़ीसा
11. मध्य प्रदेश

अपतटीय क्षेत्र

पश्चिमी समुद्र तट

पूर्वी समुद्र तट

(ख) और (ग) इन सर्वेक्षणों के आधार पर 8 स्थानों को खुदाई के लिये निर्दिष्ट किया गया है और अधिक स्थानों पर खुदाई करने से पहले अन्य स्थानों से प्राप्त आँकड़ों का संसाधन किया जाना है तथा उनकी व्याख्या की जानी है।

दिल्ली, इलाहाबाद, बरेली की खाना पकाने की गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

2385. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, इलाहबाद और बरेली को खाना पकाने की गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल किए जाने संबंधी कितनी शिकायतें विचाराधीन हैं ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार खाना पकाने की गैस वितरकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इन स्थानों में अधिक मूल्य वसूल किये जाने से सम्बन्धित शिकायतें तेल कंपनियों के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इलाहबाद और दिल्ली में सात शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये रबड़ ट्यूब की अधिक कीमत वसूलने और प्रतिष्ठापन तथा लीकेज ठीक करने के लिए पैसे लेने से संबंधित हैं। इन मामलों में वसूल किए गए रुपये की वापसी सुनिश्चित की गई थी। इस मामले में वितरक द्वारा एक डिलीवरी मैन की सेवा समाप्त कर दी गई थी।

(ग) तेल कंपनियों के क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों में तथा सप्लाई केन्द्रों पर, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, ग्राहक सेवा कक्ष स्थापित किए गए हैं। प्राप्त सभी शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है और सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, वितरक के प्रतिष्ठापनों की आवधिक जांच/निरीक्षण किए जाते हैं। गलती करने वाले वितरकों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जाती है।

लो टेम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लांट धनकुनी

2386. **श्री अजित बाग** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनकुनी स्थित लो टेम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लांट की क्या प्रगति है ;

(ख) यह कब तक पूरा हो जाएगा, और इसका पिछला लक्ष्य क्या था ;

(ग) इस पर कितनी धनराशि पहले ही खर्च हो गयी है ;

(ख) इसका प्रारंभिक अनुमान कितना था ;

(ङ) क्या यह सच है कि धनराशि की कमी के कारण इसकी प्रगति में बाधा पड़ी है ;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(छ) इस संयंत्र के चालू होने पर कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा ; और

(ज) वहां कितने व्यक्ति पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) (1) डिजाइन और इंजीनियरिंग का काम पूरा हो गया है।

(2) सिविल कार्य 75% तक पूरा हो गया है।

(3) गढ़ाई कार्य लगभग 40% तक पूरा हो गया है ।

(4) संयंत्र और उपकरण के आदेश देने का काम 75% तक पूरा हो गया है।

(5) संयंत्र लगाने का कार्य अपने पूरे जोरों पर है और निर्माण-स्थल पर काफी मात्रा में उपकरण प्राप्त हो गए हैं।

(ख) संयंत्र के नवम्बर, 1985 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है जबकि इसे पूरा करने की लक्ष्य तारीख पहले मार्च, 1985 थी ।

(ग) फरवरी, 1984 तक पहले ही खर्च की गई राशि रु० 27.08 करोड़ है। परियोजना का संशोधित अनुमान तैयार किया जा रहा है।

(घ) सरकार द्वारा अनुमोदित मूल अनुमान रु० 49.27 करोड़ था जो अक्टूबर, 1977 के कीमत-सूचकांक पर आधारित था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) जब इसका काम चालू होगा तो कुल लगभग व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

(ज) दानकुनी कोयला कम्प्लैक्स में इस समय 31 अधिकारी और 46 स्टाफ/कामगार कर्मचारी सूची में हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए जा रहे ड्रिलिंग कार्य

2387. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस समय भारत में कितने स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है ;

(ख) जिन स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य चल रहा है उनका राज्य-वार नाम एवं ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए ड्रिलिंग कार्यों के माध्यम से आज तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) फिलहाल तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश में 58 स्थानों पर (44 तटीय और 14 अपतटीय) खुदाई कार्य कराया जा रहा है ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) अभी तक पश्चिम बंगाल में हाईड्रोकार्बन की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं की गयी है ।

विवरण

वे क्षेत्र जहां तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा व्यधन संचालन किये जा रहे हैं :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	स्थानों की संख्या
गुजरात	मेवाद	15
	सोंभासन	
	पश्चिम सोभासन	
	बोरी साना	
	बसनोली	
	माही हाई	
	झालोरा	
	सिसोदरा	
	दबका	
	उत्तर काड़ी	
	(2 स्थान)	
	वलोल	
	कलोल	
	नवागाम	
	लखपत	
असम	बदरपुर	18
	गलेकी	
	(6 स्थान)	
	लकवा	
	(3 स्थान)	
	लखमानी	
	(2 स्थान)	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	स्थानों की संख्या
	बोर सिल्ला मेकरंग चम्पंग देमुलगांव चंगमाईगांव बोर पथार	
राजस्थान	सदेवाला	1
बिहार	गंडक	1
पश्चिम बंगाल	बोदरा धनंजयपुर मोजू	3
त्रिपुरा	रोखिया बारामुरा (2 स्थान)	3
आंध्र प्रदेश	काईकालुर मोदी अम्लापुरम	3
अपतटीय		
योग-14		
पश्चिम कोस्ट		10
पूर्व कोस्ट		4

कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

2388. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान दुर्घटनाएं कम करने के लिए अब तक क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं अथवा अपनाए जाने हैं ; और

(ख) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोयला खानों

में दुर्घटनाएं रोकने की दृष्टि से सुरक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए कोयला कंपनियों ने सांविधिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के उपाय किए हैं । कोयला खानों में सुरक्षा का और कामगारों की कार्यदशाओं का विनियमन करने के लिए खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम सांविधिक आधार बनते हैं।

प्रशासनिक उपायों में सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर गठित विभिन्न समितियों/सम्मेलनों की सिफारिशों का कार्यान्वियन और कंपनियों के सुरक्षा संगठनों की कार्रवाइयां शामिल हैं। सुरक्षा के सम्बन्ध में गठित महत्वपूर्ण समितियाँ/सम्मेलन निम्नलिखित हैं :—

(1) खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन

(2) खानों में सुरक्षा पर समिति

(3) खान अधिनियम के अधीन दुर्घटनाओं के लिए जांच अदालतें, और

(4) सुरक्षा संबंधी स्थाई समिति

(ख) सुरक्षा उपायों को लागू करने के परिणाम स्वरूप 1976 से 1981 तक मृत्यु दर में लगातार कमी होती रही है और इस अवधि में कोयला उत्पादन के प्रति मिलियन टन पर मृत्यु दर 1976 के 2.68 से घटकर 1981 में 1.28 हो गई थी। परन्तु 1982 और 1983 में मृत्यु दर बढ़कर क्रमशः 1.31 और 1.33 हो गई थी। इस वृद्धि का कारण वह दो बड़ी दुर्घटनाएं हैं जो इन वर्षों में हुई थी।

वर्ष 1976 में स्थापित सुरक्षा संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि मृत्यु दर को कोयला उत्पादन के प्रति मिलियन टन पर 1983 तक दो और 1992 तक एक कर दिया जाए। वास्तव में तो यह हुआ है कि समिति द्वारा अनुशंसित मृत्यु दर से भी कहीं कम मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है क्योंकि 1983 में प्रति मिलियन टन पर यह दर घटाकर 1.33 कर ली गई है जबकि 1983 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य प्रति मिलियन टन पर दो था।

केन्द्रीय मजदूर संघों की सदस्यता की जांच

2389. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मजदूर संघों की वर्तमान सदस्यता की जांच करने संबंधी कार्य कब शुरू होगा ; और

(ख) इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार, नई सदस्यता सत्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। सरकार ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श करके इस बात पर विचार करने का निर्णय किया है कि पिछले

अनुभव को और इस संबंध में दिए गए बहुत से सुझावों और की गई सिफारिशों को देखते हुए क्या वर्तमान सत्यापन-प्रक्रिया में किसी संशोधन की आवश्यकता है। वास्तव में यह भी इस शर्त के अध्यधीन होगा कि किसी प्रकार का मौलिक परिवर्तन करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन की औपचारिक अनुमति की आवश्यकता होगी। सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय किया है।

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

2390. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

श्री पीयूष तिरकी :

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चालू वर्ष के अन्त तक 180 दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे, और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए किन स्थानों (राज्य-वार) को चुना गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के शुरू में देश में 18 दूरदर्शन ट्रांसमीटर थे। जून, 1983 तक यह संख्या बढ़कर 41 हो गई थी। छठी योजना की शेष अवधि के दौरान लगाए जाने के लिए जुलाई, 1983 में उच्च शक्ति वाले 26 दूरदर्शन-ट्रांसमीटर तथा अल्प शक्ति वाले 113 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्वीकृत किए गए थे। इनको मिलाकर देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की कुल संख्या 180 हो जायेगी। 180 दूरदर्शन केन्द्रों के राज्य-वार स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य	उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर
1	2	3
1. असम	गोहाटी	डिब्रगढ़ तेजपुर
2. आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा हैदराबाद	काकीनाडा वारंगल

1	2	3
	विशाखापत्नम	राजामुंद्री
		नेल्लौर
		निजामाबाद
		कुर्नूल
		अनन्तपुर
		तिरुपति
		अडौनी
		कुडप्पा
		महबूब नगर
		करीम नगर
3. बिहार	रांची	धनबाद
	मुजफ्फरपुर	जमशेदपुर
	पटना	गया
		भागलपुर
		दरभंगा
		मुंगेर
		पूर्णिया
		बेतिया
4. गुजरात	अहमदाबाद	सूरत
	राजकोट	बदोदरा
	पिज	भावनगर
	द्वारका	नवासरी
		भरूच
		पाटन
5. हरियाणा	—	हिसार
		भिवानी
6. हिमाचल प्रदेश	कसौली	कुल्लू
		शिमला
7. जम्मू व काश्मीर	श्रीनगर	लेह
	जम्मू	कारगिल
	पुंछ	

1	2	3
8.	गुलबर्गा	धारवाड़
	बंगलौर	मैसूर
		मंगलौर
		बेलगांव
		बेल्लेरी
		देवनगेरे
		भद्रावती
		बीजापुर
		रायचूर
		गडग-खेतगड़ी
		हौसपेट
9. केरल	त्रिवेन्द्रम	कालीकट
	कोचीन	कन्नानौर
		पालघाट
10. मध्य प्रदेश	भोपाल	जबलपुर
	इन्दौर	ग्वालियर
	रायपुर	रतलाम
		सागर
		बरहामपुर
		रीवा
		मुखाड़ा
		बिलासपुर
		कोरबा
		संगरौली
11. महाराष्ट्र	बम्बई	शौलापुर
	पुणे	नासिक
	नागपुर	कौल्हापुर
		औरंगाबाद
		सांगली
		अमरावती
		मालेगांव

1	2	3
		अकोला
		धूले
		नांदेड़
		अहमदनगर
		जलगांव
		जालना
		भुसावल
		चन्द्रपुर
		लातूर
		परभनी
		गोंदिया
12. मणिपुर	—	लोकताक
		इम्फाल
13. मेघालय	—	तुरा
		शिलांग
14. नागालैण्ड	—	कोहिमा
15. उड़ीसा	कटक	राऊरकेला
	सम्बलपुर	बरहामपुर
		कोरापुट
		भुवनेश्वर
16.	भटिंडा	पठानकोट
	जलंधर	
	अमृतसर	
17. राजस्थान	जयपुर	सूरतगढ़
		जोधपुर
		अजमेर
		कोटा
		बीकानेर
		उदयपुर
		अलवर

1	2	3
		गंगा नगर
		भीलवाड़ा
		खेतड़ी
		जैसलमेर
		बाड़मेर
18. सिक्किम	—	गंगतोक
19. तमिलनाडु	कोडेकनाल	तिरुचिरापल्ली
	मद्रास	सलेम
		वेल्लोर
		कुम्भकोनम
		कोयम्बेतूर
		नेवली
20. त्रिपुरा	अगरतला	—
21. उत्तर प्रदेश	वाराणसी	देवरिया
	गोरखपुर	बरेली
	मसूरी	मुरादाबाद
	लखनऊ	अलीगढ़
	कानपुर	झांसी
	इलाहाबाद	सुल्तानपुर
	आगरा	रायबरेली
		फैजाबाद
		इटावा
		बहराइच
		शाहजहांपुर
		रामपुर
		पौड़ी
		फरूखाबाद
		सम्बल
		नैनीताल

1	2	3
22. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता आसनसोल मुर्शिदाबाद कुर्सियांग	खड्गपुर बर्दमान सिलीगुडी बेलूरघाट शान्ति निकेतन माल्दा
संघ शासित क्षेत्र		
1. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	—	पोर्ट ब्लेयर
2. अरुणाचल प्रदेश	—	इटानगर
3. चण्डीगढ़	—	—
4. दादरा और नागर हवेली	—	—
5. दिल्ली	दिल्ली	—
6. गोवा, दमन और दीव	पणजी	—
7. लक्ष्य द्वीप	—	—
8. मिजोरम	—	—
9. पाण्डिचेरी	—	पाण्डिचेरी
	47	131

कुल 178 + 2* 180

* दो ट्रांसमीटरों के स्थानों को मौजूदा ट्रांसमीटरों को स्थानान्तरित करके अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की उपलब्धता पर अन्तिम रूप दिया जाना है।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ताप विद्युत परियोजना

2391. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में 840 मेगावाट की एक ताप विद्युत परियोजना को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव अब किस चरण पर है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 800 मेगावाट क्षमता के क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना की थी । तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया था कि वे पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा राज्य क्षेत्र में बीरभूम जिले में (3×210 मेगावाट) के एक ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना को वरीयता देंगे । सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर अपनी सहमति दे दी है । अपनी परियोजना को क्रियान्वित करने का कार्य अब पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड का है ।

बंधुवा मजदूर मुक्ति मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें

2392. **श्री चित्त बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंधुआ मुक्ति मोर्चा के गत 1 से 3 जुलाई को दिल्ली में हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) प्रेस रिपोर्टों आदि के माध्यम से सरकार का ध्यान बन्धुआ मुक्ति मोर्चा के त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है । सम्मेलन नई दिल्ली में 29 जून से पहली जुलाई, 1984 तक हुआ (1-3 जुलाई 1984 को नहीं, जैसे कि प्रश्न में बताया गया है) ।

(ख) यह बताया गया है कि उक्त सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(i) समस्या-प्रवृत्त क्षेत्रों में बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए विशेष अधिकरणों को गठित करना ;

(ii) बंधुआ श्रमिक को मुक्त करने के तुरंत बाद उसे "ग्रामीण श्रम रोजगार गारन्टी योजना" के अन्तर्गत अग्रता आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए ।

(iii) आकाशवाणी से ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करना, जिनमें "बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियनम, 1976" के उपबंधों को स्पष्ट किया जाए तथा बंधुआ श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाए ।

(ग) इन सिफारिशों, सुझावों को सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नोट कर लिया गया है ।

तट-दूर क्षेत्र में तेल की खोज के सम्बन्ध में ओ. एन. जी. सी. और फ्रांस के सी. पी. एफ. के बीच सहयोग के लिये वार्ता

2393. **श्री चित बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तट दूर क्षेत्र में तेल की खोज के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और फ्रांस की सी. पी. एफ. के बीच सहयोग के लिए वार्ता आरम्भ की है और आशाजनक परिणाम निकलने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला खानों के कर्मकारों द्वारा हड़ताल, उन्हें दी गई सजा और घन और उत्पादन में हुआ नुकसान

2394. **श्री चित्त बसु :**

श्री सूर्यनारायण सिंह :

श्री नारायण चौबे :

श्री ए० के० राय :

श्री मोहम्मद इस्माइल :

श्री सुधीर गिरि :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले जून के महीने मे कोयला खानों के कर्मकारों ने दो दिन की हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त हड़ताल को अवैध घोषित किया ;

(ग) यदि हां, तो उक्त हड़ताल को अवैध घोषित करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या हड़ताल में भाग लेने के लिए सजा दी गई है ;

(ङ) यदि हां, तो कितने कर्मकारों को सजा दी गई ;

(च) उक्त हड़ताल के कारण कोयला खानों को धन तथा उत्पादन के रूप में कितना नुकसान हुआ ;

(झ) हड़ताल को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए ; और

(ज) किस माँग के लिए हड़ताल की गई और उक्त मांग की प्रत्येक मद के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) यह हड़ताल-औद्योगिक विवाद अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन गैर-कानूनी थी क्योंकि यह अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन करके की गई थी ।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) कोल इण्डिया लि० में कुल मिलाकर चार और पांच जून को उत्पादन में हानि क्रमशः 1.06 और 1.08 लाख टन रही थी ।

(छ) हड़ताल की नोटिसें मिलने के तुरन्त बाद ही यह नोटिसें संबंधित प्रबंध मण्डलों ने संराधन के लिए भेज दी थी । प्रबंध मंडलों ने कामगारों के नाम हड़ताल में भाग न लेने की अपीलें भी जारी की थीं ।

(ज) संलग्न विवरण के अनुसार ।

विवरण

	मांग	स्थिति
1.	कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक तुरन्त बुलाना ।	कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति का गठन मुख्य रूप से राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता iii करने के लिए किया गया था । इस समिति की बैठक बुलाने की जरूरत तभी होती है जबकि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता के अधीन व्यवस्थाओं के निर्वचन/कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों को तय करने के लिए गठित उप-समितियां असफल होने की रिपोर्ट दें । ऐसी स्थिति अभी तक नहीं पैदा हुई है ।
2.	राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता iii के सभी खंडों का पूरा और समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना :—इनमें सेवा-	कोल इण्डिया लि० के अनुसार मजदूरी और अन्य लाभों से संबंधित अधिकांश मदों के बारे में कार्यान्वयन निर्देश दिए जा चुके हैं । बाकी मदों पर राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता iii के अधीन गठित विभिन्न उपसमितियां

	मांग	स्थिति
	निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देना पेंशन आदि से संबंधित खंड शामिल हैं।	विचार कर रही हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने से संबंधित व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया है ।
3.	कोयला खानों से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सभी टुकड़िया हटा दी जाएँ।	यह बल अभी केवल ई० को० लि० और भा० को० को० लि० में लगा है और कोयला क्षेत्रों में कर्मचारियों और संपत्ति की रक्षा के लिए सराहनीय काम कर रहा है ।
4.	को० इ० लि० प्रबंध मंडल द्वारा की गई सभी बदले की और दंडात्मक कार्रवाई वापिस ली जाए जिसमें आठ दिन की मजदूरी की कटौती, सेवाओं से बर्खास्तगी और सेवा समाप्ति शामिल है । अब तक कटी सारी मजदूरी का भुगतान।	यह उपाय अक्सर अनुपस्थित रहने और अचानक हड़तालें करने की प्रवृत्ति को मजदूरी भुगतान अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार रोकने के लिए किए गए थे। आठ दिन की मजदूरी कटौती को कुछ उच्च न्यायालयों ने स्थगित कर दिया है और को० इ० लि० ने सभी कंपनियों को कहा है कि न्यायालयों से अन्तिम निर्णय होने तक कटौती लागू न करें।
5.	कोयला खानों में समुचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।	कोयला कंपनियों ने सुरक्षा स्तर सुधारने के लिए विधायी और प्रशासनिक दोनों प्रकार के उपाय किए हैं।
6.	रा० को० म० स०—iii के खंडों का उल्लंघन बंद करना।	किसी उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं मिली है।
7.	कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति द्वारा गठित सभी उप-समितियों की रिपोर्टें जल्दी तैयार हों।	यह बात प्रबंधमंडल और कामगारों के आपसी सहयोग पर निर्भर करती है क्योंकि कामगारों के भी प्रतिनिधि उप-समितियों में हैं।

"नेटवर्क टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस"

2395. **श्री नीरेन घोष : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10,000 वीडियो थियेटरों का प्रस्ताव रखा गया है ;

(ख) क्या इस प्रस्तावित वीडियो प्रदर्शन के पीछे "नेटवर्क टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस" का हाथ है ;

(ग) क्या इसके विज्ञापनों में 400 प्रतिशत तक का लाभ होता है और इसके लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के आई० टी० टी० के साथ सहयोग किया गया है ;

(घ) क्या आई० टी० टी० ने एन० टी० सी० के साथ किसी भी समझौते से इन्कार किया है ;

(ङ) एन० टी० एस० के निदेशक मंडल में कौन-कौन से व्यक्ति हैं ;

(च) क्या सरकार का विचार एन० टी० एस० के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) 10,000 वीडियो थियेटर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, नेटवर्क अटेलीकम्यूनिकेशनस सिस्ट्म प्रो. लि. नामक एक गैर-सरकारी संस्था (न किननेटवर्क टेलीकम्यूनिकेशनस सर्विस, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है) द्वारा समाचारों में जारी एक विज्ञापन, जिसमें 10,000 वीडियो केन्द्रों के संजाल की घोषणा की गयी है, इसके ध्यान में आया है।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार को खण्डन की जानकारी नहीं है।

(ङ) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में 2-3-1984 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत नेटवर्क टेलीकम्यूनिकेशनस सिस्टम प्रा. लि. के निदेशक मंडल में इसके निगमन के समय निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

1. श्री रवि रिक्खे
2. श्री नवीन ललित
3. कुमारी रचना रिक्खे
4. श्री सुधीर खन्ना

(च) और (छ) संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं सोचा जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई तब की जा सकती है जब किसी सांविधिक उपबन्ध का उलंघन होता हो।

ड्यूटी करते समय मरने वाले कर्मचारी की मुआवजा राशि में वृद्धि

2396. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में ड्यूटी करते समय मरने वाले कर्मचारी की देय मुआवजा राशि में वृद्धि कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) मृतक के परिवार को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मृत्यु होने पर मुआवजे की न्यूनतम राशि को 7,200/- रुपये से बढ़ाकर 20,000/- रुपये कर दिया गया है। पहले स्वीकार्य अधिकतम 30,000/- रुपये की राशि के बदले अब ऐसी अधिकतम राशि 95,400/- रुपये तक हो सकती है जो कि कर्मकार की मृत्यु के समय उसकी मजदूरी और आयु पर निर्भर करती है। अधिनियम की परिधि में आने के लिए मजदूरी- सीमा हटा दी गई है। इसलिए अब कितनी भी मजदूरी होने पर सभी कर्मचारी, अधिनियम के अधीन मुआवजा लेने के हकदार हैं।

कृषि और उद्योग को बिजली की सप्लाई के लिए अलग प्रबंध

2397. **श्री रामलाल राही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की चोरी संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कृषि और उद्योग के लिए बिजली वितरण हेतु अलग-अलग प्रबंध करना उचित समझती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि बिजली की चोरी का भार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर ही पड़ता है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई के लिए अलग से लाइनों की लागतों को मद्देनजर रखते हुए व्यवहार्य नहीं समझा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता और वितरण सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने के लिए सतत् रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और बिजली की चोरी को रोकने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली उद्यमों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) आकस्मिक जांच करने के लिए सतर्कता दस्तों की स्थापना करना ;

(2) विद्युत सीधे प्राप्त करने से रोकने के लिए मीटरों के ऊपर कट आउट की व्यवस्था करना;

(3) मीटर कवर के ऊपरी भाग पर टेढी मेढी तथा नम्बर अंकित सीलों को लगाना कट-आउट लगाना और नकली सीलों को पकड़ने के लिए लगाई गई सीलों का हिसाब रखना ।

(4) मीटरों में हेराफेरी को रोकने के लिए ऊर्जा मीटरों में ऊपरी भाग के अंदर की ओर के स्थान पर इनके बीच वाले भाग में शक्यता लिकों की व्यवस्था करना ;

(5) सिंगल कोर वी० आई० आर०, तार जिनसे सीधे विद्युत लेने में आसानी रहती है, के स्थान पर सर्विस लाइनों में पी० वी० सी० मल्टीकोर वाले केबलों का प्रयोग करना ; और

(6) खपत में महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता लगाने की दृष्टि से औद्योगिक उपभोक्ताओं के मीटरों के रीडिंग की ऐसे ही अन्य उपभोक्ताओं के मासिक रीडिंग के साथ तुलना करना ।

बांदा, उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

2398. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बांदा, उत्तर प्रदेश के लिए भवन सहित एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की मंजूरी कई वर्षों पहले दे दी गई है ; और

(ख) इस बारे में अत्यधिक देरी तथा निष्क्रियता के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं । तथपि, बाँदा के लिए 600 लाइनों का एक कन्टेनराइज्ड एक्सचेंज अलाट कर दिया गया है ।

(ख) कन्टेनराइज्ड एक्सचेंज प्राप्त करने के लिये विश्वव्यापी निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं तथा तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उनकी उपयुक्तता की जांच की जा रही है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन विभागों को सुव्यवस्थित करना

2399. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माताओं के बीच बार-बार परिवर्तन स्थानान्तरण किए जाने और उन्हें हटाये जाने के कारण भारी रोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के निर्माण विभागों को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। स्टेशनों, केन्द्रों द्वारा प्रोड्यूसरों की भर्ती विशिष्ट विधाओं/भाषाओं में कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार जाँच की जाती है। कार्य के हित में विरल अवसरों के सिवाय आमतौर पर प्रोड्यूसरों का स्थानान्तरण नहीं किया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी/दूरदर्शन में कार्यक्रम के आयोजन/प्रस्तुतीकरण को सुव्यवस्थित करना एक सतत् प्रक्रिया है और सुधार लाने के लिए हमेशा उपाय किए जाते हैं।

दूरदर्शन कार्यक्रम

2400. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के लोगों को जानकारी देने, शिक्षा और मनोरंजन करना है ; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन कार्यक्रम लोगों को शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन द्वारा किए गए श्रोता अनुसंधान-सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि दूरदर्शन के बड़ी संख्या में कार्यक्रमों को काफी लोग देखते हैं और वे अभिप्रेत प्रयोजन को पूरा करते हैं।

निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

2401. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में की गई सिफारिशों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन सुधारों पर एक प्रस्ताव समूह 30 सितम्बर, 1983 को भेजा है। 5 अप्रेल, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 5754 के उत्तर में इन प्रस्तावों से सम्बन्धित ब्यौरे दे दिए गए थे।

यह स्वीकार करते हुए कि सरकार के विचाराधीन निर्वाचन संबंधी सुधारों के प्रस्ताव-समूह में अन्तर्विष्ट निर्वाचन संबंधी सुधारों के कुछ प्रस्तावों पर राजनैतिक दलों से परामर्श करते हुए, गहन अध्ययन आवश्यक हैं, उक्त प्रस्तावों-समूह में अंतर्विष्ट उन प्रस्तावों को छांट लिया गया है जिन्हें उसके विचार में, अत्यावश्यक होने के आधार पर पृथक और प्रक्रियागत किया जा सकता है। आयोग द्वारा इस प्रकार पृथक किए गए प्रस्तावों के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन की और आयोग के परामर्श से, उनकी आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों का संशोधन करने संबंधी उपाय केवल ऐसे परामर्श के और सरकार द्वारा अन्तिम रूप से विचार किए जाने के पश्चात ही किए जा सकते हैं।

टेलीफोनों और ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और विकास का कार्यक्रम

2402. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न टेलीफोनों, दूरसंचार और ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों आदि के विस्तार और विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) क्या राज्यों में टेलीफोनों की बढ़ी हुई मांग के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिए क्या उपाय सुझाये गये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रामीण एवं अर्धग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख परियोजनायें चल रही हैं :—

(1) एक प्रमुख योजना के बतौर देश के 12 क्षेत्रों में मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली की संस्थापना।

(2) छोटे कस्बों के लिए छोटे एलेक्ट्रॉनिक ग्रामीण एक्सचेंजों की 30,000 लाइनों का प्रापण।

(3) जिला कस्बों में कटेनराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की 60,000 लाइनों का संस्थापन।

(4) देश के 20 जिलों के लिये समेकित अंकीय नेटवर्क परियोजना।

(5) एम० ए० आर० आर० उपस्कर का देश में ही विनिर्माण।

जामनगर, गुजरात में डाकघर भवन का निर्माण

2403. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के जामनगर शहर में नये बहुमंजिले डाकघर भवन का निर्माण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो डाकघर को उस भवन में स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस डाकघर द्वारा कब कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जैसे ही निर्माण कार्य, जिसे मॉनीटर किया जा रहा है और जो समाप्त ही होने वाला है, उसके पूरा होते ही तथा बिजली, पानी आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था हो जाएगी, वैसे ही नए भवन में डाकघर खोल दिया जाएगा ।

बम्बई ट्रंक एक्सचेंजों के कार्यकरण के सुधार

2404. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन के प्रयोक्ता ट्रंक एक्सचेंजों के कार्यकरण से बहुत असंतुष्ट हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रयोक्ताओं को "180" और "181" नम्बर मिलने में बड़ी कठिनाई होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कॉल बुक कराने के बाद भी प्रयोक्ताओं को कॉल की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया जाता और क्योंकि वे 181 से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते इसलिये उन्हें अपनी कॉल के लिये अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार ट्रंक एक्सचेंजों का कार्यकरण सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) व्यस्त समय के दौरान 180 और 181 ट्रंक सेवाओं पर कभी-कभी कुछ उपभोक्ता नम्बर मिला पाने में असफल रहते हैं ।

(ग) कुछ मामलों में ट्रंक एक्सचेंज के कर्मचारी उपभोक्ताओं को उनकी ट्रंक-काल की स्थिति बतलाने के लिये उनसे संपर्क करने में असमर्थ रहते हैं ।

(घ) ट्रंक काल बुक करने और अपने ट्रंक कालों के बारे में पूछताछ करने में कठिनाई को देखते हुए वैकल्पिक टेलिफोन नं० 272797 (9 लाइनें) और 270127 (2 लाइनें) की व्यवस्था

की गई है। इसके अतिक्ति ट्रंक काल बुक कराने के लिये एक और टेलीफोन नं० 325041 (10 लाइनें) की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय ट्रंक एक्सचेंज की वृद्धि के बारे में विचार किया जा रहा है।

बम्बई टेलीफोन केन्द्रों में एक जैसी तारों और सहायक उपकरणों की कमी

2405. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन केन्द्र में एक जैसी तारों और सहायक उपकरणों की कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इससे बहुत से कार्यों विशेषकर नए कनेक्शनों के आवंटन में देरी हुई है ;

(ग) क्या उक्त कमी के कारण, उपकरण उपचार और मशीनें कई बार बेकार पड़ी रहती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं, सामान्य कमी नहीं है। कुछ विशेष आकार के केबिलों की कमी कुछ समय तक रही और इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग ने आवश्यक कार्रवाई की है। वास्तव में बम्बई टेलीफोन को 5.73 लाख कंडक्टर किलोमीटर (एल० सी० के० एम०) केबिल 83-84 के दौरान सप्लाई किया गया था और 1983-84 के दौरान 41273 डी० ई० एल० (सीधी एक्सचेंज लाइनें) चालू की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) एक अल्पकालीन उपाय के बतौर लार्ज साइज के 14 एल० सी० के० एम० केबिलों के आयात के लिए कार्रवाई की जा रही है। हिन्दुस्तान केबिल (डाक तार को केबिलों की सप्लाई का मुख्य सप्लाईकर्त्ता) की क्षमता में अतिरिक्त 30 एल० सी० के० एम० की वृद्धि की जा रही है। भविष्य में कमी न हो इस दृष्टि से 14 राज्य औद्योगिक विकास निगमों और प्राइवेट फैक्ट्रियों को जेलीभरी टेलीफोन केबिलों की संस्थापना/विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

बम्बई में डाकघरों का खोला जाना

2406. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बम्बई में (एक) गरोडिया नगर (घाटकोपर) (दो) छेदानगर (चेम्बूर) (तीन) कंजूर ईस्ट और (चार) विखरोली वेस्ट में डाक घर खोले जाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन डाकघरों को कहां पर खोला जायेगा ;

(ग) सरकार द्वारा इन डाक घरों को खोलने की इच्छा के बावजूद इनको अभी तक न खोले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन में से प्रत्येक डाकघरों के कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

संचार उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) गरोडिया नगर (घाटकोपर), छेदा नगर (चेम्बूर) एवं कन्जूर पूर्व में विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मामले की जांच की गई है और इन स्थानों पर डाकघर खोलने का औचित्य पाया गया है। नए पदों के सृजन पर लगे मितव्ययी आदेशों के हटने पर डाक घर खोल दिए जाएंगे, बशर्ते कि उपयुक्त स्थान उपलब्ध हों। विखरोली पश्चिम विभागीय उप-डाक घर का दर्जा बढ़ाकर उसे मुख्य डाक-घर बनाए जाने के बारे में जाँच की जा रही है।

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2407. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सेवा में आरक्षण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा आरक्षण नीति को किस तारीख से अपनाया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गंगी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक सीधी भर्ती का प्रश्न है इंजीनियर्स इंडिया लि० द्वारा आरक्षण नीति अप्रैल, 1969 से अपनाई गई थी। कम्पनी ने जुलाई, 1976 से पदोन्नति के संबंध में रोस्टर रखना आरम्भ किया था।

7,50,000 टनभार वाले "बोयाज" की खरीद

2408. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की है जो इमोडको सोफेक इंकारपोरेटेड तथा अन्य दो कम्पनियों का निरीक्षण करने के लिए गये थे ;

(ख) "बोयाज" की सप्लाई हेतु टेंडर देने वाली सभी फर्मों का उनके द्वारा निरीक्षण न किये जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या "सोफेक" इंकारपोरेटेड नवीनतम तकनीकी के 7,50,000 डी० डब्ल्यू० टी० "बोयाज" सप्लाई करने वाली एकमात्र फर्म थी ; और

(घ) क्या 23 करोड़ डालर का अधिक भुगतान किये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए अमरीका स्थित भारतीय दूतावास द्वारा कोई जांच कराई जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) दल ने केवल तेल नौकाओं के स्वयं प्रतिष्ठापन के अधीन चल रही प्रणाली के परिवर्तन की संभाव्यता के निर्धारण के उद्देश्य से दौरा किया था।

(ग) मैसर्स सोफेक इंक की आपूर्ति सूची से यह देखा गया कि मैसर्स सोफेक इंक ने सिंगल एंकर लेग-मूरिंग (एस० ए० एल० एम) प्रणाली, जो 750,000 डी० डब्ल्यू० टी टैंकरों के लिए उपयुक्त है, की सप्लाई की थी न कि सी० ए० एल० एम० प्रकार की प्रणाली की जैसा कि इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा अपेक्षित थी।

(घ) जी नहीं ।

डाक-तथा तार विभाग को संचार विभाग से अलग किया जाना

2409. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग को संचार विभाग से अलग करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) जनता को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये दोनों विभाग कब तक अलग कर दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) यह मामला अत्यधिक उच्च स्तर पर सरकार के विचाराधीन है । चूंकि इसके दोनों सेवाओं पर दूरगामी प्रभाव होंगे, अतः अंतिम निर्णय लेने से पूर्व, इस पर गहराई से विचार करना होगा ।

उपग्रह-1 बी के माध्यम से दूरसंचार सुविधाएं बढ़ाने का कार्यक्रम

2410. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में इनसेट-1 बी उपग्रह की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ख) क्या इस उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इनसेट-1 बी से द्वीपों, पर्वतीय, और दुर्गम भू भाग में स्थित दूरवर्ती स्थानों के लिये विश्वसनीय संचार सुविधा की व्यवस्था करने में सहायता मिली है । इसके अतिरिक्त, उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से महानगरीय स्थानों और देश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों के बीच भारी संख्या में अतिरिक्त ट्रंक सर्किटों की व्यवस्था करके आवश्यक वैकल्पिक माध्यम के बतौर सेवा प्रदान की जा रही है ।

(ख) जी हां। उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। दूरवर्ती, द्वीपों, और पर्वतीय इलाकों में 19 अतिरिक्त भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने की परियोजना की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में सागर डीघी में ताप विद्युत संयंत्र

2411. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर-डीघी मुर्शिदाबाद में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिये पश्चिम बंगाल का कोई प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सागरडीघी में 4 × 500 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1982 में प्राप्त हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने बाद में सूचित किया था कि पहले चरण में 5 × 210 मेगावाट की यूनिटें स्थापित करने तथा 2 × 500 मेगावाट की यूनिटें बाद में स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड प्रस्ताव में संशोधन कर रहा है। संशोधित प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त नहीं हुआ है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा स्यूटिकल्स लि० द्वारा घटिया स्तर की "6 ए० पी० ए०" औषध का उत्पादन

2412. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा उत्पादित "6 ए०-पी० ए०" औषध घटिया स्तर की है ;

(ख) वर्ष 1983-84 और अप्रैल-जून, 1984 के दौरान "इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०" द्वारा इस औषध का कितना उत्पादन किया गया ;

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान "6-ए० पी० ए०" औषध की किन-किन कम्पनियों को सप्लाई की गई और प्रत्येक को कितनी मात्रा में और किस-किस मूल्य पर बिक्री की गई ;

(घ) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०" द्वारा बेची गई "6—ए० पी० ए०" औषध किन-किन कंपनियों द्वारा लौटाई गई अथवा उसकी घटिया किस्म के बारे में शिकायत की गई ;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने जिन सभी उत्पादों की/में फारमाकिन (इटली) प्रौद्योगिकी से तैयार करने की स्वीकृति दी थी और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० द्वारा उनकी

पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं किया जाता है, यदि हां, तो प्रत्येक "वल्क औषध" के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों की स्थापित क्षमता और उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(च) प्रत्येक औषध के लिए संयंत्र और मशीनरी पर कितना व्यय किया गया है और प्रौद्योगिकी के लिए कितना शुल्क अदा किया गया ?

रसायन और उर्वरक मत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1983-84 के दौरान 17.1 मी० टन और अप्रैल-जून 1984 के दौरान 3.5 मी० टन का उत्पादन हुआ।

(ग) आई० डी० पी० एल० ने 1982-83 के दौरान किसी भी कम्पनी को ए० पी० ए० सप्लाई नहीं किया । 1983-84 के दौरान कम्पनी ने कारखाने से बाहर 1230 रुपये प्रति किलो ग्राम की एक समान दर पर कुल 9305 किग्रा मात्रा की सप्लाई 11 कम्पनियों को की। प्रत्येक कम्पनी का नाम और उन प्रत्येक को सप्लाई की गई मात्रा को बताना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(घ) किसी भी कम्पनी द्वारा कोई मात्रा नहीं लौटाई गई । तथापि, दो कम्पनियों ने किस्म के बारे में शिकायत की थी ।

(ङ) आई० डी० पी० एल० विभिन्न संयंत्रों का क्षमता उपयोग बाजार माँग और लागत पर निर्भर करता है । जिन मदों के लिए फर्माफिन से प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई थी, गत दो वर्षों के दौरान उनकी स्थापित क्षमताओं और उत्पादन ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

मद	स्थापित क्षमता	उत्पादन	
		1982-83	1983-84
पोट.	230 एम.एम.यू.	92.70 एम.एम.यू.	123.10 एम.एम.यू.
पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन	200 मी० टन	126.00 मी० टन०	113.00 मीटन
एम्पीसिलीन ट्राइहाइडेट	35 मी० टन	1.00 मी० टन	0.20 मी० टन
एमोक्सीलिन डाईक्लोक्सीसिलीन		3.90 मी० टन	5.10 मी० टन
एरिथ्रोमाइसिन	36 मी० टन		1-10 मी० टन

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा 6-ए० पी० ए० सहित "इन्टरमीडिएटस" तथा "पेनुलटिमेटस" का आयात

2413. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान "एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड विभिन्न औषधियों के उत्पादन हेतु 6-ए० पी० ए० सहित इन्टरमीडिएटस तथा, "पेनुलटीमेटस" का आयात कर रहा है ;

(ख) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष "इन्टरमीडिएटस" "पेनुल्टीमेट" में से प्रत्येक का कितनी मात्रा में आयात किया गया, आयात का स्रोत क्या है तथा सी० आई० एफ० मूल्य क्या है तथा प्रत्येक वल्क ड्रग का नाम क्या है जिसके लिये इसका उपयोग किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा आयातित मूल के कुछ "इन्टरमीडिएटस को स्थानीय तौर पर भी प्राप्त किया गया है यदि हां, तो कितनी मात्रा में प्राप्त किया गया तथा इसकी प्राप्ति स्रोत क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितने मूल्य का भुगतान किया गया ; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने सरकार तथा अस्पताल से सम्बन्धित कार्यों के लिये किसी एजेंट अथवा वितरक की नियुक्ति की है यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों के वितरकों की संख्या क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान इसका कितना व्यापार किया गया, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड की नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी हां। कम्पनी द्वारा अपनी अपेक्षाओं तथा आयात नीति के उपबन्धों के अन्तर्गत ही आयात किये जाते हैं। ब्यौरे विवरण-एक में दिये गये हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एच० ए० एल० ने 1982-83 में लार्क कैमिकल्स, बम्बई से 67,000/-रु० के मूल्य का 0.2 मीटरी टन सी० सी० सी० का आयात किया जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन के लिये एक मध्यवर्ती है।

(घ) बिक्री बढ़ाने तथा शीघ्र वसूली की दृष्टि से, एच० ए० एल० ने वितरकों के अतिरिक्त परामर्शदाता नियुक्त किये हैं। वितरकों तथा परामर्शदाताओं की संख्या तथा उनके द्वारा 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्राप्त किये गये व्यापार से सम्बन्धित सूचना विवरण-दो में दी गई हैं।

विवरण-एक

विभिन्न औषधों के उत्पादन के लिए एच० ए० एल० द्वारा मध्यवर्तियों/उपान्तिमों के ब्यौरे

(मूल्य लाख रुपयों में) (मात्रा टनों में)

क्रमांक	मध्यवर्ती उपान्तिम	किसके लिए प्रयुंज औषध प्रयोग किया गया	1981-82			1982-83			1983-84		
			स्रोत	मात्रा	मूल्य	स्रोत	मात्रा	मूल्य	स्रोत	मात्रा	मूल्य
1.	डी-एलफा पी. जी. सी. एम.	एम्पिसिलिन	चिमिका बुल सीएच इटली	1,000	2.68	ओ सी ई एनडीनो हालैंड	8,505	20,96	निचिमेन जापान	3,570	7.79
			ओ.सी.ई. एन.डी.नो. हालैंड	3,045	7.34				ओसीईएन्डीनों हालैंड	5,985	12.06
									अलफाचेम इटेलियना इटली	0.070	0.16
									डेरिवडस डेल इटाइल, स्पेन	0.070	0.13

2. प्रोकेन एच. सी. ई.	प्रोपेनिसिलिन	केमपोल सो.चोस्लोविक्स	5.580	3.82	चेमपोल चेक	5,000	4.00	चेमपोल, चेक	10,000	7.25
					नेशनल चेम कं० चीन	2,000	1.61			
3. डेन साल्ट	एमोक्सीलिन	रिकोंडेटि इटली	0.175	0.67	—	—	—	कानचा सिंगापुर	0,200	0.54
4. सी. सी. ए.	जेन्टामाइसिन	पाइरील इटली	0.100	5.80	—	—	—	—	—	—
5. 6-ए. पी. ए.	एम्पिसिलिन	निचिमेन जापान	5.000	31.26	निचिमेन जापान	16,000	82.83	निचिमन जापान	6,000	37.88
								जिस्ट ब्रोकेडस होलैण्ड	2,000	12.96
6. सी. सी. सी.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	निचिमेन जापान	9.820	22.97	निचिमेन जापान	20,000	51.70	निचिमेन जापान	15,000	40.21

विवरण-दो

एच० ए० एल० द्वारा संस्थागत व्यापार को बढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए क्षेत्रवार वितरक/परामर्शदाता

	वितरकों की संख्या		वितरकों द्वारा प्राप्त किया गया व्यापार		परामर्शदाताओं की संख्या		परामर्शदाताओं की सेवाओं से अर्जित आर्डर	
	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
महाराष्ट्र	2	2	62	48	—	—	—	—
गुजरात	1	1	60	28	—	—	—	—
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा	1	—	24	—	—	2	—	182
हिमाचल प्रदेश, जे.के. उत्तर प्रदेश	1	1	75	90	—	5	—	104
आसाम	1	—	10	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	1	—	137
राजस्थान	1	1	66	67	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	3	—	30
आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	1	—	14

अधिष्ठापित क्षमता को मान्यता देना तथा क्षमता को पुनः स्वीकृति देना

2414. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** 8 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 10446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उत्पादों के सम्बन्ध में अधिष्ठापित क्षमता को मान्यता या क्षमता को पुनः स्वीकृति देना के अनुसार औषध नीति के पैरा 21 में की गई अपेक्षा आधार भूत निर्माण की शर्तें लगायी गई हैं ;

(ख) कितनी कम्पनियों द्वारा इन शर्तों का पालन किया गया है और उन उत्पादों के नाम क्या हैं, जिनके सम्बन्ध में इनका पालन किया गया है ;

(ग) अधिष्ठापित क्षमता को मान्यता देने/क्षमता को पुनः स्वीकृति के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार न करने के क्या कारण हैं कि मूल स्तर पर निर्माण का प्रस्ताव नहीं है और इंटरमीडिएटस/पेनल्टीमेटस के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ; और

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इंटरमीडिएटस और बल्क ड्रग्स के आयात में वृद्धि हुई है यदि हां, तो 1982-83 और 1983-84 में कितना आयात किया गया और इसके क्या कारण थे और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) क्षमता के पुनः पृष्ठांकन की नीति के अधीन फैरा कम्पनियाँ केवल मूल अवस्था से उच्च प्रौद्योगिकी निहित बल्क औषधों और उन पर आधारित फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में उच्च क्षमता के लाभ की हकदार है। जहां तक स्थापित/अधिक क्षमता को मान्यता/विनियमित करने की 1980 की नीति का सम्बन्ध है, केवल दो विदेशी कंपनियों अर्थात मैं० अलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (अब इण्डियन एक्सप्लोजिव्ज लि०) को प्रोप्रोनोलोल और सेलिरामाइड के सम्बन्ध में और मैं० आर्गेनान (आई) लि० (अब मैं० इनफर एक भारतीय कंपनी) को आस्ट्राडियल फिनाइल प्रोपियोनेट, आस्ट्राडियम बेन्जोएट, टेस्टोस्टेरोन फिनाइल प्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन आइसोकेप्रोयेट और टेस्टोस्टेरोन डेकानोएट के सम्बन्ध में अनुमति दी गई है। उनके द्वारा इन मदों का मूल्य अवस्थाओं से निर्माण किये जाने की सूचना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषध नीति विषयक विवरणपत्र के पैरा 21 को इस मंत्रालय के दिनांक 17-10-81 के प्रेस नोट के साथ पढ़ा जाय जिसके माध्यम से सरकार और औषध निति के प्रावधानों को सम्भावित सीमा तक क्षमता को मान्यता देने/विनियमित करने की नीति के नजदीक लाने का प्रयास किया है।

(घ) गत वर्षों की तुलना में 1983-84 के दौरान रसायनों और घोलकों सहित बल्क औषधों और मध्यवर्तियों के आयात में बल्क औषधों के कुल स्वदेशी उत्पादन के प्रतिशत के रूप में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है।

न्याय पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

2415. **श्री भोखाभाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में न्यायिक सदस्यों अथवा वकीलों के रूप में न्यायिक अनुभव प्राप्त सक्षम और दक्ष लोगों की कोई कमी नहीं है ;

(ख) क्या सरकार दक्षता के आधार पर सभी अच्छे और पात्र व्यक्तियों को अस्वीकार कर देती है ;

(ग) क्या सरकार की यह पूर्व धारणा है कि दक्ष और बुद्धिमान लोग पिछड़े वर्गों में जन्म न लेकर केवल कुछ विशिष्ट वर्गों में ही जन्म लेते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी नीति को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य महोदय का संकेत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की ओर है । ये नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं । किसी व्यक्ति वर्ग या व्यक्ति समूह के पक्ष में आरक्षण करने के लिए कोई उपबंध नहीं हैं ।

सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से पुनः कहा है कि उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को वर्तमान आरक्षण की अपेक्षा बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया जाये ।

यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि नियुक्ति करने की वर्तमान पद्धति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध विभेदकारी है । वर्तमान पद्धति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करने का उपबंध है और यह एक श्रेयस्कर उपबंध है ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की प्रतिशतता

2416. **श्री भोखा भाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जतजातियों की क्या प्रतिशतता है ;

(ग) क्या आय-कर अधिकरण, लोक सेवा आयोग, राज्य अधिकरण जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए अनुसूसित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सक्षम उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1-8-1984 को पदासीन न्यायाधीशों की संख्या और 31-1-1984 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्तियां, संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं । किसी व्यक्तिवर्ग या व्यक्तिसमूह के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं है ।

सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से इस बारे में पुनः कहा है कि उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, वर्तमान से बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया जाये ।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	1-8-1984 को पदासीन न्यायाधीशों की संख्या	31-1-1984 को न्यायाधीशों की संख्या	
			अनुसूचित जाति के	अनुसूचित जन जाति के
1	2	3	5	6
1.	इलाहाबाद	56	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	21	2	—
3.	बम्बई	38	1	—
4.	कलकत्ता	38	1	—
5.	दिल्ली	26	—	—
6.	गौहाटी	8	—	—
7.	गुजरात	19	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	4	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	4	—	—
10.	कर्नाटक	24	1	—

1	2	3	4	5
11.	केरल	14	—	—
12.	मध्य प्रदेश	27	—	—
13.	मद्रास	20	1	—
14.	उड़ीसा	10	—	—
15.	पटना	34	—	—
16.	पंजाब और हरियाणा	17	—	—
17.	राजस्थान	15	—	—
18.	सिक्किम	3	—	—
		378	6	—

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए एक ही निगम

2417. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक ही निगम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस प्रकार के प्रस्ताव के गुण-दोष क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खासतौर पर उड़ीसा में चुनीन्दा कोयला खानों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम

2418. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी योजना के दौरान कुछ चुनीन्दा कोयला खानों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान कौन-कौन से कोयला क्षेत्रों का आधुनिकीकरण हेतु चयन किया गया ;

(ग) उड़ीसा की उन कोयला खानों के क्या नाम हैं जिन्हें उक्त योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है ; और

(घ) उड़ीसा राज्य में कोयला खानों के आधुनिकीकरण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। वस्तुतः सभी प्रमुख ज्ञात कोयला क्षेत्र विकास/आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधीन ले आए गए हैं जैसे—झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, राजमहल, तालचेर, इब घाटी, करनपुरा, वर्धा घाटी, पेंच कन्हान और तावा, सी आई सी और कोरबा, ईस्ट और वेस्ट बोकारो, काम्प्टी-उमरेर, गोदावरी घाटी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के कोयला क्षेत्र।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विस्तार/नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :—

तालचेर कोयला क्षेत्र		पूंजी लागत (रु० करोड़)
1.	भरतपुर ओपेनकास्ट	61.84
2.	जगन्नाथ विस्तार	29.89
इब घाटी कोयला क्षेत्र :		
1.	वेलपहार ओपेनकास्ट	57.38
2.	लाजकुरा ओपेनकास्ट	25.80

इसके अतिरिक्त, साउथ वालंदा की संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए भी कार्रवाई की गई है और तालचेर कोयला क्षेत्र में अनंता परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई की गई है।

केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय संशाधन बढ़ाने की योजना

2419. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार का कोई ऐसी योजना बनाने का विचार है जिसमें विशेषकर राज्य स्तर पर वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से और निजी निगमित क्षेत्र से भी की जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ; और

(ग) क्या सरकार वित्त और प्रौद्योगिकी की समस्याओं को हल करने में राज्य की सहायता करेगा ताकि वर्तमान पुरानेपन को दूर किया जा सके और अधिक प्रगति की जा सकें ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बन्दी की अवधियों को कम करने के लिए संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और शुरू करने तथा निवारक अनुरक्षण तकनीकें अपनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता दी जाती है। अपेक्षित गुणवत्ता के कोयले और अन्य आवश्यक निवेशों

प्रचालन कार्मिकों को प्रशिक्षण देने आदि की व्यवस्था करने में भी सहायता दी जाती है। नई उत्पादन यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए कृतिक बलों का गठन किया गया है तथा ताप विद्युत केन्द्रों की प्रचालन प्रणालियों की मानीटरिंग करने तथा जहां आवश्यक हो सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दल दौरे करते हैं।

संयंत्र और उपस्कर के निर्माताओं/सप्लाईकर्ताओं और अन्य एजेंसियों के साथ राज्य बिजली बोर्डों की आवश्यकताओं/समस्याओं को उठाकर उनकी सहायता की जा रही है।

विद्युत वित्त तथा विकास निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर भी अलग से विचार किया जा रहा है।

जांच की प्रक्रिया में सुधार के तरीकों के सम्बन्ध में मजदूर यूनियनों के विचार जानने के लिए बैठक

2420. **श्री के० ए० राजन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन सभी मजदूर यूनियनों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है जो केन्द्रीय मजदूर यूनियन बनने की पात्र है ; जिससे उनके विचार सुनिश्चित हो सकें तथा जांच की प्रक्रिया में सुधार हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी मजदूर यूनियन केन्द्रीय मजदूर यूनियन बनाने की पात्र हैं तथा उक्त बैठक कब बुलाये जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यह प्रस्ताव है कि उन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के विचार जानने के लिए एक बैठक बुलाई जाये, जिनकी 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार सदस्य संख्या का सामान्य सत्यापन किया जाना था। आशा है कि उक्त बैठक सितम्बर, 1984 में आयोजित की जाएगी।

तट पर और समुद्र में गैस का दैनिक उत्पादन

2421. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में तट पर और समुद्र में स्थित तेल-क्षेत्र में प्रतिदिन गैस कितनी मात्रा में उत्पादन होता है ;

(ख) छठी योजना के अंत तक गैस के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ;

(ग) गैस की वर्तमान मांग कितनी है और भविष्य में इसमें कितनी वृद्धि का अनुमान है ; और

(घ) घरेलू खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं को और इसके अन्य उपयोगों के लिए गैस उपलब्ध कराने की क्या योजनायें हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) गैस

का तटीय उत्पादन 7.80 मि० टन मी० टन और अपतटीय उत्पादन 10.45 मि० घन मीटर प्रतिदिन (अप्रैल 1984 के आकड़ों के अनुसार) है।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक गैस का उत्पादन बढ़कर 19.00 मि० घन मी० टन प्रतिदिन हो जाने की सम्भावना है।

(ग) गैस की वर्तमान मांग का अनुमान 9.90 मि० घन मी० टन प्रतिदिन लगाया गया है; भावी वृद्धि का अनुमान और गैस की उपलब्धि, और उन परियोजनाओं की संख्या जो गैस का प्रयोग करती हैं और पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और वे विचाराधीन हैं, के अधीन लगाया जायेगा।

(घ) गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात उर्वरक उत्पादन और पेट्रो-रसायनों के लिये फीड-स्टाक और एल० पी० जी० निष्कर्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा। इस देश में प्राकृतिक गैस में से सी-3/सी-4 भंजक प्रणाली से एल० पी० जी० के रूप में प्रयोग करने के लिए निकाला जाता है। अपतटीय गैस की इस भंजक प्रणाली के आधार पर उरान में चरण I एल. पी. जी. निष्कर्षण संयंत्र पहले से ही काम कर रहा है। इस संयंत्र का चरण II और हजीरा में एल. पी. जी. रिकबरी प्लांट कार्यान्वित हो रहा है। गैस बहुत भिन्न-भिन्न स्थानों से एल. पी. जी. निकालने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त गैस का उपयोग करने के लिये ऐसे अन्य उपभोक्ताओं का भी पता लगा लिया गया है जो फौस बैंक आधार पर गैस का उपयोग कर सकेंगे।

मिस्र के साथ सूचना के क्षेत्र में सहयोग

2422. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र ने सूचना के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में गहन रुचि व्यक्त की है;

(ख) क्या मिस्र और भारत ने सूचना के क्षेत्रों में सहयोग करने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क), (ख) और (ग) भारत और मिश्र के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है जिसमें दोनों देशों के बीच सूचना के क्षेत्र में सहयोग की भी व्यवस्था है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में सूचना से सम्बन्धित उपबन्धों और उसके कार्यान्वयन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने मिश्र के साथ 1980 में तीन वर्ष के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि नए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को

अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय पुराने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के 1983 में समाप्त हो जाने के बावजूद उसी को कार्यान्वित करता रहा है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित जो उपबन्ध हैं वे रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान ; पत्रकारों के आदान-प्रदान ; एक-दूसरे के देश में फिल्म सप्ताहों का आयोजन और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने के बारे में हैं।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन माध्यम एकक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की सम्बन्धित मदों को यथा सम्भव हद तक कार्यान्वित करते रहे हैं। आकाशवाणी ने 1980 में 13 कार्यक्रम, 1981 में 64 कार्यक्रम, 1982 में 20 कार्यक्रम, 1983 में 43 कार्यक्रम और 1984 में (जून तक) 11 कार्यक्रम भेजे। इन कार्यक्रमों में कव्वाली, कजरी, नात, सुगम संगीत, संस्कृत के श्लोक, पारम्परिक भजन और विभिन्न क्षेत्रों के लोक गीत शामिल हैं। मिश्र से प्राप्त एक फिल्म को 23-7-1983 को, जो मिश्र का राष्ट्रीय दिवस है, टेलीकास्ट किया गया था। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत, पत्र सूचना कार्यालय ने सितम्बर, 1983 में एक पत्रकार को भेजा था जबकि मिश्र के दो पत्रकारों ने 19 से 28 जनवरी, 1984 तक यहां की यात्रा की। फिल्म समारोह निदेशालय मिश्र को भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित कर रहा है। उसने उनमें भाग लिया है। परस्पर सम्बन्धों के रूप में भारत ने भी मिश्र के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। नवम्बर, 1983 में काहिरा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बाद वहां भारतीय फिल्म सप्ताह का आयोजन किया गया था।

3. नए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के विचाराधीन है।

औद्योगिक और श्रम न्यायालयों के लिए पृथक विधिक सहायता समितियां

2423. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के श्रमिक वर्ग को विधिक सहायता देने के लिए औद्योगिक और श्रम न्यायालयों के लिए पृथक विधिक सहायता समितियों का गठन करने के लिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस विषय में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मेहसाना टेलीफोन केन्द्र से नए टेलीफोन कनेक्शन देना

2424. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेहसाना टेलीफोन केन्द्र से कितने टेलीफोन कनेक्शन पहले ही दे दिए जा चुके हैं और कितने नए कनेक्शनों के मामले अभी लम्बित हैं और ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे ;

(ख) क्या उक्त केन्द्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसको कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या उक्त केन्द्र के लिए बनाई जा रही इमारत पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं जिसकी वजह से नए कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1-8-1984 को मेहसाना एक्सचेंज से पहले से ही प्रदान किए गए, टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2060 है। 603 नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए माँग लंबित है, जिसमें से अधिकांश 1985 तक पूरी कर दी जाएगी।

(ख) सन् 1985 में इस एक्सचेंज को 3000 लाइनों के कनटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदला जा रहा है।

(ग) इलेक्ट्रानिक कनटेनराइज्ड एक्सचेंज की सहायक आवश्यकताओं के लिए भवन तैयार है।

(घ) जी नहीं।

मेहसाना टेलीफोन केन्द्र के उपभोक्ताओं से शिकायतें

2425. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहसाना टेलीफोन केन्द्र के उपभोक्ताओं से बार-बार ये शिकायतें प्राप्त होती हैं कि टेलीफोन ठीक से काम नहीं करते हैं ; और

(ख) उक्त सभी शिकायतों पर कब तक ध्यान दिया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) सभी शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

सोडा राख का उत्पादन/आयात

2426. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने निकट भविष्य में सोडा राख की सम्भावित कमी के प्रति चिंता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सम्भावित परिस्थिति में सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा सरकार का विचार क्या उपाय करने का है,

(ग) क्या यह भी सच है कि सितम्बर 1982 के बाद कोई आयात नहीं किया गया है, और

(घ) क्या सरकार सितम्बर, 1982 से सितम्बर, 1983 तक के लिये सोडा राख की मासिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान सोडा ऐश के उत्पादन में एक लाख टन से अधिक वृद्धि होने की आशा है। 1984-85 के प्रारम्भ में लगाये गये अनुमानों के अनुसार, 1984-85 में 8.50 लाख टन सोडा ऐश की पूर्वानुमानित मांग की तुलना में उत्पादन 9.04 लाख टन होने की आशा थी।

इसके अलावा, 1984-85 की आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 6 के अन्तर्गत सोडा ऐश खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। 1983-84 और 1984-85 के दौरान डी० जी० टी० डी० ने आयात के लिये सोडा ऐश की अभी तक 35,000 टन की कुल मात्रा पंजीकृत की है।

तथापि, सितम्बर 1982 के पश्चात सोडा ऐश की वास्तविक आयात सांख्यिकी तत्काल उपलब्ध नहीं है। इस सांख्यिकी का संकलन और प्रकाशन महानिदेशक वाणिजिक आसूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा किया जाता है। आंकडों के संकलन और प्रकाश में सामान्यतः समय लगता है। सांख्यिकी का संकलन हो जाने पर उसे उसे भारत के विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी के भाग II में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध होती है।

नए देहाती कुकिंग स्टोव

2427. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** :
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा अथवा उसके द्वारा दी गई सहायता से डिजाइन किए गए नए देहाती कुकिंग स्टोव का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विकसित किए गए विभिन्न प्रकार के स्टोवों, उसके मूल्यों, उन पर दी जाने वाली राज सहायता और देश में उनकी उपलब्धता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ये देहाती कुकिंग स्टोव आम आदमी द्वारा खरीदे और घरों में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) अभी तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग ने न तो स्वयं किसी उन्नत प्रकार के कुकिंग स्टोव का डिजाइन तैयार किया है और न ही

किसी की प्रत्यक्ष रूप में सहायता की है। फिर भी उन्नत प्रकार के स्टोवों के प्रदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 विभिन्न प्रकार के कुकिंग स्टोवों को प्रचार-प्रसार के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। इन स्टोवों का डिजाइन सक्षम संगठनों द्वारा तैयार किया गया है। स्टोवों की एक सूची और डिजाइनरों/सप्लायरों के नाम संलग्न **विवरण-एक** में दिए गए हैं। अनुमोदित स्टोवों में कइ नमूने स्थापित प्रकार के हैं, जिनकी केन्द्रीयकृत-उत्पादन द्वारा सप्लाई नहीं की जा सकती बल्कि प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं द्वारा उसी स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। विवरण में बताए गए संगठन मास्टर प्रशिक्षक और/अथवा अनुमोदित नमूनों का डिजाइन भेजने में सक्षम हैं। गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग द्वारा भी विभिन्न नोडल एवं कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों को डिजाइन सप्लाई किए जाते हैं। विभिन्न नमूनों की कीमत प्रयोग में लाई गई सामग्री और स्थानीय दशाओं के आधार पर बदलती रहती है। बजट के उद्देश्य से प्रत्येक नमूने की कीमत 50/-रुपये प्रति नमूना नियत की गई है। राजसहायता का नमूना संलग्न **विवरण-दो** में दर्शाया गया है। उन्नत प्रकार के स्टोवों के प्रदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 25000 से भी अधिक उन्नत प्रकार के स्टोव घरों में स्थापित कर दिए गए हैं।

विवरण—एक

उन्नत प्रकार के चूल्हों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय परियोजना

उन्नत प्रकार के चूल्हों के अभिनिर्धारित
नमूनों एवं संगठनों/संस्थाओं की सूची

क्र०सं०	नमूना	प्रकार	संगठनों/संस्थाओं का नाम व पता
1	2	3	4
1.	नादा	स्थिर	(i) मै० मधु सरीन, 48 सैक्टर-सी, चंडीगढ़। (ii) निदेशक, सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, — जगजीतनगर—173203, **हिमाचल प्रदेश**। — चोपाल—17121।, **शिमला, हिमाचल प्रदेश**। — मदा—314001, डुंगरपुर, **राजस्थान**। — खोरी—123191, महेन्द्रगढ़, **हरियाणा**। — नानीसारसन—पंचमहल, **गुजरात**। — तिलोनिया, **राजस्थान**। (iii) कस्तूरबा गांधीग्राम, इन्दौर, **मध्य प्रदेश**। (iv) गृह विज्ञान कालेज, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, **हरियाणा**। (v) विनियोजन प्रौद्योगिकी विकास संघ, लखनऊ, **उत्तर प्रदेश**।

1	2	3	4
			(iv) रासायनिक इन्जीनियरिंग विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, **चंडीगढ़** ।
2.	धौलाधर	स्थिर	भारत-जर्मन फार्मवानिकी परियोजना, धौलाधर, पालमपुर, **हिमाचल प्रदेश** ।
3.	थपोली	स्थिर/सफरी	थापर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, (समुदायिक विकास विंग) पटियाला, **पंजाब** ।
4.	जल निगम	स्थिर	(i) श्री ज्ञानसागर, अधीक्षक अभियंता, 12, एच-सर्कल, गोपेश्वर (**चमोली**), उ० प्र० ।
5.	जूनागढ़	स्थिर	(ii) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6, राणा-प्रताप मार्ग, **लखनऊ** ।
6.	प्राद	स्थिर	(iii) निदेशक, योजना अनुसंधान और कार्य प्रभाग, कलाकांकर हाऊस, **लखनऊ** ।
7.	हर्ल	स्थिर	(i) निदेशक, हैदराबाद इन्जीनियरिंग और अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, **आंध्र प्रदेश**।
			(ii) मुख्य प्रशासक, कृषि पम्पसैट एवं औजार लि० (राज्य सरकार का उपक्रम), विजयनगर कालोनी, हैदराबाद, **आंध्र प्रदेश** ।
8.	सहयोग	स्थिर	(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौजखास, **नई दिल्ली**—110016 ।
9.	ज्वाला (अग्निमित्र)	स्थिर/ सफरी	(i) अध्यक्ष, ग्रामीण विकास और विनियोजन प्रौद्योगिकी, आई० आई० टी०, **दिल्ली** ।
10.	कल्लूपट्टी	सफरी	(ii) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान बंबई हाऊस। 24, होमीमोदी स्ट्रीट, **बंबई**—400023।
11.	मदुरै	सफरी	(ii) गांधी निकेतन आश्रम, कल्लूपट्टी—626702, मदुरै, जिला **तमिलनाडु** ।
12.	प्रियाग्नि	सफरी	(i) वरिष्ठ उप-निदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, **कर्नाटक** ।
			(ii) मैं० हीट सिस्टम्स. 61, डोमलर लेआउट, **बंगलौर-1, कर्नाटक** ।

1	2	3	4
			(iii) मैं० एक्सपोर्ट ओरिएन्टल, 21, अपस्टेयर्स, प्रथम मेन रोड, सेशाद्रिपुरम, बंगलौर-560020
			(iv) मैं० अपर्ना क्रियेशन्स, 8/416, मेनरोड, गुंटकल—512801।
			(v) मैं० नीता इन्टरनेशनल, आर—419, गोवर्धन गिरी, बंगूरनगर, गोरेगांव पश्चिम, बंबई—400090
			(vi) मैं० डी० जे० जोब एण्ड कं० एस०—107, औद्योगिक क्षेत्र, जालंधर—144004.
13.	कृष्णा	सफरी	श्री सी० वी० कृष्णा, वरिष्ठ विकास अधिकारी सरकारी औजार फैक्ट्री, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
14.	तारा	सफरी	डिवलपमेंट आल्टरनेटिव्स, 27, पालम मार्ग, नई दिल्ली।
15.	अस्तरा ओल	स्थिर	अस्तरा, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

नोट : यह एक खुली सूची है। इस सूची में होने वाली उत्तरोत्तर वृद्धि को मिला लिया जाएगा।

विवरण—वो

उन्नत प्रकार के चूल्हों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत प्रकार के चूल्हों पर राजसहायता का नमूना

चूल्हे का प्रकार	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
(क) चूल्हे का स्थिर नमूना	हार्डवेअर की पूरी लागत (चिमनी, जाली, डैंपर्स)	हार्डवेअर की पूरी लागत (चिमनी, जाली, डैंपर्स)
(ख) चूल्हे का सफरी नमूना	नमूने की अनुमोदित यूनिट लागत का 75 प्रतिशत	नमूने की अनुमोदित यूनिट लागत का 50 प्रतिशत

"बीड़ी मजदूरों का शोषण"

2428. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 जुलाई, 1984 के "जनसत्ता" में "बीड़ी मजदूरों का घोर शोषण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन गरीब मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीड़ी श्रमिकों के रोजगार की शर्तें "बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966" द्वारा नियंत्रित होती हैं । बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए उक्त अधिनियम में निहित कानूनी उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें "समुचित-सरकारें" हैं। उक्त समाचार का ब्यौरा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया है।

भूमि अधिग्रहण के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों को रोजगार

2429. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के मेहसाना जिले में कालोल, कादी, जटोना और शोभासन के गैस और तेल युक्त क्षेत्रों में अब तक कितने कुएँ खोदे गए हैं और क्षेत्रवार अभी और कितने कुएँ खोदे जाने हैं ;

(ख) इन कुओं की खुदाई के लिए कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और उनमें से कितनों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है तथा उनमें से कितनों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और शेष लोगों को कब तक रोजगार, उपलब्ध करा दिए जायेंगे ; और

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में श्रेणी तीन और चार के कितने पद मंजूर किए गए हैं और उनमें से कितने भरे गए हैं, कितने रिक्त पड़े हैं और श्रेणी तीन और चार के कितने पदों को उन किसानों के रिस्तेदारों को नौकरी देकर भरा गया है जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और क्या शेष पदों को भरने के लिए इन किसानों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

हिसार का टी० वी० टावर

2430. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिसार रिले केन्द्र का ऊंचा टेलीविजन टावर, रिले केन्द्र का उद्घाटन होने से पहले ही एक 12 वर्षीय बच्चे पर गिर पड़ा और बच्चे की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं और इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) और (ख) हिसार में 30 मीटर ऊँचा मास्ट, जिसे ठेकेदार द्वारा खड़ा किया जा रहा था, 21-7-84 को गिर पड़ा था। गुल्ला राम सुपुत्र श्री कौर सिंह, आयु 10-12 वर्ष को सिर में चोट लगी और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। बाद में चोट के कारण लड़के की मृत्यु हो गयी । ठेकेदार मृत लड़के के पिता को 6000/-रु० का मुआवजा देने के लिए राजी हो गया है । सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि दी जा रही है ।

उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की नीति का कार्यान्वयन

2431. **श्री डी० के० नायकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी उच्च न्यायालयों के एक तिहाई न्यायाधीशों सहित वहां के मुख्य न्यायमूर्तियों की जनहित में दूसरे न्यायालयों में स्थानांतरित करने का विनिश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विनिश्चय को, अभी तक पूरी तरह लागू न करने के कारण क्या हैं ; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश बाहर से होने चाहिए। ऐसे किसी विनिश्चय को धीरे-धीरे ही कार्यान्वित किया जा सकता है। यद्यपि विभिन्न उच्च न्यायालयों में अधिकतर अवर न्यायाधीश अभी भी बाहर से ही लिए जाने हैं, तो भी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् नियत किए गए कतिपय व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार इस नीति को कि सभी उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से हों, कार्यान्वित करने की शुरूआत कर दी गई है ।

28-1-83 को घोषित उक्त नीति के फलस्वरूप बाहर से 11 मुख्य न्यायमूर्तियों का स्थानांतरण की नियुक्ति 3-8-84 को अधिसूचित कर दी गई है ।

शेष उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों की बाहर से नियुक्ति की जाने की बात सरकार के ध्यान में है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों को मयूर बिहार में आबंटित फ्लैट

2432. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों को मयूर बिहार में कितने फ्लैट आबंटित किए गए हैं ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए कितने कर्मचारियों ने आवेदन किया उनमें से कितने आवेदनों पर विचार किया गया ; और कितनों को अस्वीकार कर दिया गया ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (**श्री गार्गी शंकर मिश्र**) : (क) 300 फ्लैट ।

(ख) 968 कर्मचारियों ने फ्लैटों के लिए आवेदन किया था जिसमें से 300 कर्मचारियों को आबंटन किया गया था ।

(ग) निगम के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1980 में 150 के हिसाब से दो किश्तों में मयूर विहार में 300 मकानों का आवंटन किया था । इन मकानों के आवंटन के लिये, कुल 968 कर्मचारियों ने अपनी रुचि दिखायी थी परन्तु आवंटन के लिए उपलब्ध मकानों की संख्या प्राप्त आवेदनों की तुलना में कम थी, वास्तविक आबंटन निगम के विभिन्न कार्यालयों अर्थात् विपणन, रिफाइनरी पाइपलाइन, अनु० एवं विकास तथा अध्यक्ष के कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की आन्तरिक वरिष्ठता के आधार पर तय किया गया था ।

जिन कर्मचारियों के अपने मकान थे या जो निगम से गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने के पात्र नहीं थे, उनके आवेदनों पर मकानों के आवंटन के लिए विचार नहीं किया गया था । बंटितियों के लिए यह आवश्यक था कि निगम के गृह निर्माण अग्रिम के अधीन निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करें ।

गैस पर आधारित बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों की स्थापना

2433. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर मंत्रालय समूह ने भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए गैस पर आधारित बिजली का उत्पादन करने वाले संयंत्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने का अर्थ पहले की नीति के विपरीत जाना होगा,

जिसके अन्तर्गत उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन संयंत्रों के लिए गैस को "फीड स्टाक" के रूप में उपयोग करने की योजना थी ;

(ग) क्या दक्षिण बसीन जैसे सिद्ध किये जा चुके क्षेत्रों से तथा हाल ही में खोजे गये नये गैस क्षेत्रों से भारी मात्रा में गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 250-250 मेगावाट क्षमता के चार से छः गैस टरबाइन संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों को कहाँ-कहाँ पर स्थापित किया जायेगा तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रमुख रूप से उर्वरकों और पैट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है । प्राथमिकता देने के संबंध में दिए गए वचनों के संदर्भ में तथा गैस की उपलब्धता के वर्तमान मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता की जांच की जा रही है । इसकी जांच करने के लिए एक अन्तः मंत्रालयीय दल गठित किया गया था । प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण दिल्ली छावनी क्षेत्र में टेलीफोनों का काटा जाना

2434. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, मार्च, 1984 में दिल्ली छावनी के कुछ उपभोक्ताओं के टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन बिलों की अदायगी न करने के कारण काट दिए गए थे ;

(ख) क्या इन उपभोक्ताओं ने मई, 1984 में बकाया बिलों का भुगतान कर दिया था और दोबारा कनेक्शन दिए जाने के लिए शुल्क जमा करवा दिया था ;

(ग) क्या टेलीफोन बिलों और पुनः कनेक्शन दिए जाने के लिए शुल्क की अदायगी किए एक महीना गुजर जाने के बाद भी अभी तक टेलीफोन कनेक्शन पुनः नहीं दिए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; टेलीफोन कनेक्शन पुनः कब जोड़े जाएंगे और क्या टेलीफोनों के खराब पड़े रहने के बाद भी उनका मासिक किराया वसूल किया जाएगा ; और

(ङ) क्या यह सच है कि उनकी टेलीफोन अनधिकृत रूप से किन्ही अन्य लोगों को दे दी गयी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ङ) महाप्रबंधक, टेलीफोन, नई दिल्ली से जानकारी एकत्र की जा रही है, और इसे यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अतिरिक्त क्षमता का नियमितीकरण

2435. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधि और फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अतिरिक्त क्षमता

के नियमितीकरण हेतु आवेदन किया है कम्पनी-वार उत्पादों, लाइसेंस शुदा क्षमता और नियमितीकरण के लिए आवेदित अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कितने मामलों में मंजूरी दी गयी है, उन कम्पनियों अन्तर्ग्रस्त मदों और क्षमताओं का भी ब्यौरा क्या है और अब तक रद्द किए गए/अन्तिम रूप दिये जाने के लिए लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) अगस्त, 1980 की मान्यता देने, उत्पादन अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने की नीति के अन्तर्गत 62 कंपनियों से 71 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । इन कंपनियों के नाम तथा उन 13 मामलों के संबंध में ब्यौरे, जिनमें मान्यता/विनियमन प्रदान किया गया है तथा मदों एवं क्षमताओं के ब्यौरे 28 फरवरी, 1984 को अ० प्र० सं. 674 का उत्तर देते हुए पहले ही दिए जा चुके हैं। अभी तक लंबित पड़े या रद्द किए गए आवेदन पत्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

कंपनी वार तथा उत्पादवार लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा आवेदित अतिरिक्त क्षमता दर्शाना संभव नहीं है क्योंकि आवेदित की गई कुल मदों की संख्या बहुत अधिक है और इन मदों तथा अपेक्षित क्षमताओं को संलग्न करने में काफी समय एवं श्रम लगेगा ।

विवरण

रद्द/निर्णीत आवेदनपत्रों के ब्यौरे आर. आई. सी. नीति, 1980 के अन्तर्गत प्राप्त

कम्पनी का नाम

1. मै. थेमिस फार्मास्युटिकल्स लि. (इरीथ्रोमाइसिन)
2. मै. थेमिस कैमिकल्स लि.
3. मै. निकोलस लेब्स,
4. मै. सिब्रातुल लि.
5. मै. केडिला लेब्स,
6. मै. धुफर इन्टरफ़ान
7. मै. होचेस्ट (होमासोल)
8. मै. होचेस्ट (पी. एम. टी.)
9. मै. यूनी सेन्क्यो लि.
10. मै. अलकली कैमिकल्स कार्पो०, आफ इंडिया लि० (कोरिहिक्सिडिन)
11. मै. फेयरडील कार्पो०

कम्पनी का नाम

12. मै. फार्मास्युटिकल्स केपसुल्स
13. मै. अबोट लेब्स,
14. मै. जर्मन रिमेडीज लि.
15. मै. एलम्बिक कैमिकल्स लि.
16. मै. हमदर्द
17. मै. बायोलोजिकल इवेन्स लि.
18. मै. ग्लेक्सो लेब्स (आई) लि., (वेसीनस)
19. मै. आस्ट्रा आई. पी. एल. लि.
20 मै. रेनबेक्सी लेब्स,
21. मै. सर्ले (आई) लि.
22. मै. सिनबायोटिक्स
23. मै. थेमिस फार्मास्युटिकल्स (पारा सिटामोल)
24. मै. रेकिट एण्ड कोलमन लि.
25. मै. सिपला
26. मै. इन्डो फार्मा
27. मै. स्टेन्डर्ड फार्मा
28. मै. एंग्लो फ्रेंच
29. मै. रेलिस इंडिया लि.
30. मै. रोचे प्रोडक्ट्स लि.
31. मै. अतुल प्रोडक्ट्स लि.

आर. आई. सी. 1980 नीति के अधीन प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के ब्यौरे

1. मै. होचेस्ट लि. (बल्क औषध)
2. मै. रुसल
3. मै. सारा भाई कैमिकल्स लि.

कम्पनी का नाम

4. मै. मर्क शार्प एण्ड डोहमे
5. मै. बेयर इंडिया लि.
6. मै. चौगुले लि.
7. मै. बूट्स इंडिया लि.
8. मै. होचेस्ट फार्मा (फार्मूलेशन्स)
9. मै. ग्लेक्सो लेब्स (बल्क ड्रग)
10. मै. जोहन एण्ड जोहन लि.
11. मै. सेन्डोज इंडिया लि.
12. मै. ई मर्क लि.
13. मै. सीबा गेगी लि. (अब मै. हिन्दुस्तान सीबा गेगी लि.)
14. मै. रिचर्डसन हिन्दुस्तान
15. मै. मे एण्ड बेकर (इंडिया) लि.
16. मै. वेयथ लेब्स लि.
17. मै. स्मिथ केलाइन एण्ड फ्रेंच लि.
18. मै. वानर हिन्दुस्तान लि.
19. मै. पार्क डेविस लि.
20. मै. सिनामिड (इंडिया) लि. (बल्क ड्रग)
21. मै. ग्लेक्सो लेब्स (फार्मूलेशन्स)
22. मै. साराभाई एम. कैमिकल्स
23. मै. सुधीर गेगी लि. (अब एस. जी. फार्मा)
24. मै. बुरोज बेलकम लि.
25. मै. फाइजर लि.
26. मै. सिनमिड (इंडिया) लि. (फार्मूलेशन)
27. मै. अलबर्ट डेविड लि. ।

भारत-सोवियत सहयोग से निर्मित वृत्तचित्र "नेहरू"

2436. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-सोवियत सहयोग से निर्मित वृत्तचित्र "नेहरू" पूरा हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे राष्ट्र के निर्माता को गलत रूप से न दिखाया जाए, इसको फिल्माने की अनुमति देने से पूर्व इसकी पटकथा की सावधानीपूर्वक जांच कर ली थी ; और

(ग) क्या सरकार इस फिल्म को पहले देखेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) यह देखने के लिए कि पंडित जी का जीवन और गतिविधियाँ प्रमाणिक और उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत हो, भारतीय पक्ष ने पंडित जवाहर लाल नेहरू पर भारत सोवियत सह-निर्माण फिल्म की स्क्रिप्ट की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल की है। फिल्म मुकम्मल होने वाली है । फिल्म के रिलीज होने से पहले भारतीय पक्ष इसका प्रिव्यू करेगा।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा इक्विटी कम किया जाना

2437. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल फार्मूलेशन्स और बल्क औषधों के निर्माण में रत जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोग नहीं होती है सभी बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों ने अपनी विदेशी इक्विटी को 40 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जो उन्हें वर्ष 1978 की नई औषध नीति की घोषणा के फौरन बाद करना जरूरी था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में इन दोषी बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों के विरुद्ध अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) तथा (ख) मै० स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रेंच (एस. के. एफ.) को छोड़ कर सभी फेरा कम्पनियों ने जो केवल औषध सूत्रयोगों अथवा उच्च प्रौद्योगिकी सहित प्रपुन्ज औषधों के निर्माण में संलग्न थी तथा जिनको अपना विदेशी साम्य 40 प्रतिशत तक घटाने का निदेश दिया गया था, वैसा कर लिया है। मै० स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रेंच अपने विदेशी साम्य को 40 प्रतिशत तक घटाने की प्रक्रिया में है।

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

2438. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अप्रैल, 1984 के "इकानामिक टाइम्स" में "हाफ आफ

लेवर आउटलेट टू गोअनस्पैन्ट" शीर्षक के अंतर्गत तथा 13 जून, 1984 के "पेट्रियट" में "रिहेबिलिटेशन आफ ब्रान्डेड लेबर स्लो. एलेजेज प्लानर्स रिपोर्ट" के अंतर्गत छपे समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने और इन रिपोर्टों में उल्लिखित बाधाओं को दूर करके बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री धर्म वीर) : (क) सरकार ने इन दोनों ससाचारों को नोट किया है। ये मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए परिव्यय ; लक्ष्यों और उपलब्धियों ; कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निधियां देना तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु "केन्द्र द्वारा संचालित योजना के मूल्यांकन के संबंध में योजना आयोग की रिपोर्ट से संबंधित हैं।

(ख) योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान "केन्द्र द्वारा संचालित योजना" में मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु (केन्द्रीय सहायता के हिस्से के रूप में) 25.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। फिर भी यह राशि श्रम मंत्रालय को वास्तव में उपलब्ध नहीं की गई है। ये परिव्यय प्रतिवर्ष मुक्त कराए गए उन बंधुआ श्रमिकों, जिन्हें कि वित्तीय वर्ष के आरम्भ में पुनर्वास सहायता दी जानी है, की संख्या के आधार पर तथा प्रस्तावित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। श्रम मंत्रालय इन परिव्ययों का 1978-79 में इस योजन के प्रारम्भ होने से 1982-83 तक पूरी तरह उपयोग करता आ रहा है। फिर भी कुछ बाधाओं के कारण 1983-84 के दौरान कुछ कमी आई है।

इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों के 1984-85 के दौरान पुनर्वास हेतु कार्रवाई करने के एक ठोस समयबद्ध कार्यक्रम की व्यापक मार्गदर्शी रूप रेखाएं 29-3-1984 को राज्य सरकारों को उनके मार्ग-दर्शन हेतु भेजी गई है। आशा है कि यदि राज्य सरकारें इन मार्ग-दर्शी रूप रेखाओं का कड़ाई से पालन करेंगी, तब 1984-85 के दौरान वास्तविक संख्या और वित्तीय दोनों प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा।

बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना और फिर पुनर्वासित करने का उत्तरदायित्व तथा पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त हैं। इस तरह केन्द्र द्वारा केन्द्रीय सहायता के हिस्से से निधियों को प्रदान करना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार पुनर्वास-योजनाओं को तैयार करने, उन पर विचार करने तथा उन्हें मंजूरी देने में शीघ्रता करें तथा पिछले वर्षों के दौरान दी गई निधियों के खर्च के समर्थन में "उपयोग-प्रमाणपत्र" भी शीघ्र भेजे।

बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु "केन्द्र द्वारा संचालित योजना" के मूल्यांकन के बारे में योजना आयोग की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को नोट कर लिया गया है ताकि राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित पक्षों से परामर्श कर के इन पर उचित कार्रवाई की जा सके।

दूरदर्शन के कैमरामैनों की पदोन्नति और वेतनमान में संशोधन

2439. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कैमरामैनों की पदोन्नति और उनके वेतन मान में संशोधन के बारे में भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है ; यदि नहीं , तो इससे क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि इन्हें स्वीकार कर लिया गया है, तो इसके अब तक लागू न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन में कैमरामैनों के लिए पदोन्नति अवसर उपलब्ध करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है । तथापि, कैमरामैनों के मौजूदा ग्रेडों के शुल्कमानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र तथा अन्य दूरदर्शन केन्द्रों के प्रसारण समय में वृद्धि

2440. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के केन्द्र तथा अन्य दूरदर्शन केन्द्रों का प्रसारण समय बढ़ा दिया गया है ;

(ख) क्या प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में कर्मचारियों की भारी कमी है तथा परिवहन और आवास समस्या आदि जैसी समस्यायें विद्यमान हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या बच्चों की शिक्षा पर अधिक समय तक होने वाले प्रसारण के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सरकार का विचार प्रसारण समय को दो घंटे कम करने अर्थात् 9.30 बजे रात्रि तक ही प्रसारण करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली और इसके रिले ट्रांसमीटरों के प्रेषण समय में 15.4.1984 से 30 मिनट की वृद्धि की गई थी । जयपुर, रायपुर, मुजफ्फरपुर गुलबार्गी, हैदराबाद, बंगलौर, संबलपुर तथा नागपुर के अन्य रिले केन्द्रों ने भी 15.7.84 से अपने प्रेषण समय को

बढ़ाकर रात 11.30 बजे तक कर दिया था ताकि दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों को उपरोक्त के प्रेषण के अन्त तक रिले किया जा सके।

(ख) और (ग) स्वीकृत मानकों के अनुसार जहाँ भी आवश्यक है कर्मचारियों और अन्य संसाधनों में वृद्धि की जा रही है।

(घ) मौजूदा प्रेषण समय को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बच्चों की शिक्षा माता के मार्गदर्शन के अन्तर्गत होने की उम्मीद की जाती है।

स्टाफ आर्टिस्टों के लिये नई योजना लागू करना

2441. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाफ आर्टिस्टों के लिए नई योजना किस तारीख से लागू की गई है और इसके क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष 1982, 1983 और 1984 में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जनरल की श्रेणी में कितनी पदोन्नतियां दी गई और पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसी अवधि में प्रोड्यूसर ; डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर सीनियर प्रोड्यूसर और चीफ प्रोड्यूसर की श्रेणियों में पदोन्नत किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 6 मार्च, 1982। नियमित सरकारी कर्मचारी समझे जाने के लिये, नई स्कीम के लिए जिन स्टाफ कलाकारों ने विकल्प दिया था, उनकी स्क्रीनिंग चल रही है।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में पदोन्नतियों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1982	1983	1984 (31-7-84 तक)
कार्यक्रम निष्पादक	5	7	—
सहायक केन्द्र निदेशक	33	4	17
केन्द्र निदेशक (साधारण ग्रेड)	3	21	2
केन्द्र निदेशक (चयन ग्रेड)	38	6	—
उप महानिदेशक	5	5	—

(ग) आकाशवाणी में, प्रोड्यूसर का पद पदोन्नति का पद नहीं है। वस्तुतः प्रोड्यूसरों के पदों को स्टाफ आर्टिस्टों की सभी श्रेणियों में से सीमित चयन द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है।

दूरदर्शन में उप मुख्य प्रोड्यूसर या वरिष्ठ प्रोड्यूसर का कोई पद नहीं है।

इस अवधि के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत, मुख्य प्रोड्यूसर के ग्रेड में कोई पदोन्नति नहीं की गई है। दूरदर्शन में प्रोड्यूसर ग्रेड—1 मामले में भी यही स्थिति है।

आकाशवाणी में वरिष्ठ प्रोड्यूसर तथा दूरदर्शन में प्रोड्यूसर ग्रेड—2 की शेष श्रेणियों में पदोन्नति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1982	1983	1984
आकाशवाणी में	3	2	—
वरिष्ठ प्रोड्यूसर	—	—	—
आकाशवाणी में उपमुख्य प्रोड्यूसर	—	1	—
दूरदर्शन में प्रोड्यूसर ग्रेड—2	1	35	3

सागर, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2442. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यह केन्द्र कब तक तैयार हो जाएगा और उसका कितने क्षेत्र को लाभ मिलेगा तथा तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सागर में दूरदर्शन रिले केन्द्र के लिये भवन उपलब्ध है। कुछ उपकरण प्राप्त हो गये हैं। ट्रांसमीटर के अगस्त, 1984 के दौरान प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

(ख) सागर में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर को सितम्बर, 1984 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है। ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होगी और इसके अन्तर्गत लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आयेगा और यह लगभग 3.94 लाख जनसंख्या, जिसमें 2.07 लाख शहरी तथा 1.87 लाख ग्रामीण जनसंख्या होगी, को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करेगा।

भारतीय औषध निर्माताओं द्वारा मूल अनुसंधान के निवेश न किया जाना

2443. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध निर्माताओं द्वारा नई औषधियों के विकास के लिए नूल अनुन्धान में निवेश न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों के बीच जानकारी के संबंध में निरन्तर आदान-प्रदान नहीं होने तथा उनको राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निरन्तर सम्बद्ध न किये जाने के कारण दोहरे अनुसंधान प्रयत्न किये जा रहे हैं, और

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालायें मुख्य रूप से करों एवं आयातों में रियायतें प्राप्त करने की दृष्टि से गैर सरकारी क्षेत्र से प्रक्रिया किस की अनुसंधान परियोजनायें ले रही है जिस काम को कम्पनियों द्वारा प्रयोजित किया जाता है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) अनेक भारतीय औषध उत्पादक औषध 'क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित औषध विकसित किये गए हैं, उनमें से कुछ की मूल खोज की गई हैं ।

कम्पनी का नाम	औषध का नाम
1. एच० ए० एल०	हेमाइसीन औरियोकुमिन
2. यूनिकैम	टोमारिल
3. तमिलनाडु दाधा फार्मास्यूटिकल्स	सिस प्लाटिन डैनाजोल सोडियम बलप्रोएट

(ख) सरकारी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच सूचना का सतत आदान प्रदान होता है ; हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०, सरकारी क्षेत्र के एकक ने इंस्टिट्यूट फार रिसर्च इन रिप्रोडक्शन बम्बई आई० सी० एम० आर० का संस्थान के सहयोग से गर्भावस्था का पता लगाने के लिए एक "नॉनसी किट" विकसित की है।

(ग) ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आयी है ।

मूल अवस्थाओं में औषधियों का उत्पादन

2444. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कितनी कम्पनियों अपनी अनुसंधान और विकास व्यवस्था के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक मूल अवस्था से औषधियों का उत्पादन करने और आयातित कच्चे माल के स्थान पर देशी कच्चा माल लगाने के लिये प्रयास कर रही है ; और

(ख) क्या आवश्यक संसाधनों और क्षमताओं की उपलब्धता के बावजूद देश की 50 प्रतिशत आवश्यक औषधियों का आयात दिया जाता है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1972-83 के दौरान 77 औषध निर्माण कम्पनियों को मान्यता दी गई और जो औषधों की प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास, प्रक्रिया सुधार, आयात प्रतिस्थापन आदि में व्यस्त है ।

(ख) जी, नहीं।

कोंडियाहाट और दोन्डीसाही में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को खोलना

2445. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा के कटक जिले में कोंडियाहाट और दोण्डीसाही में एक-एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में एक सौ नवासी लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए हैं ।

(ख) दोण्डीसाही में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की माँग प्राप्त हुई है लेकिन कोंडियाहाट के संबंध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) एक आर्थिक सहायता के आधार पर दोण्डीसाही लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर का पात्र नहीं है तथा वित्तीय दृष्टि से भी यह व्यवहार्य नहीं है । प्रत्येक 5 कि० मी० के षट-भुजाकार में एक लंबी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने संबंधी संशोधित नीति के आधार पर इस प्रस्ताव की पुनः जाँच की जा रही है ।

कोंडियाहाट के संबंध में, विशेष वितरण नीति के अंतर्गत आने पर इस मामले की जांच की जाएगी ।

प्रतिदिन 32 मिलियन घन मीटर गैस उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजा गया कार्यक्रम

2446. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रतिदिन 32 मिलियन घन मीटर गैस उपयोग करने के लिए कार्यक्रम भेजे हैं ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में बड़े औद्योगिक एककों तथा बंबई में उपभोक्ताओं और कपड़ा मिलों द्वारा गैस का उपयोग शासित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम की मन्जूरी देने में पहले काफी बिलंब हो चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसे कब तक मन्जूरी दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्ञापन भेजा है जिसमें महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाले विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता बतायी गयी है जो कुल लगभग 32 मि० घन मीटर प्रतिदिन है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने ट्राम्बे तथा थाल वेशिट में उर्वरक संयंत्रों, दीपक फर्टिलाइजर्स, टाटा थर्मस स्टेशन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, ऊरान, घरेलू उपभोक्ताओं, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गैस क्रेकर तथा पेट्रोरसायन काम्पलेक्स (एम. जी. सी. सी. और एम. पी. सी. सी.) इत्यादि को गैस सप्लाई करने के लिये पहले ही स्वीकृति दे दी है। उर्वरक संयंत्रों जैसे उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, की गैस की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही अन्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की और अधिक मात्रा उपलब्ध कराते की संभावना पर विचार किया जायेगा।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दर्शायी गयी गैस की आवश्यकता

परियोजना का नाम	मि० घन मी० प्रतिदिन में गैस की अधिकतम मांग
1	2
आर. सी. एफ., ट्राम्बे	2.33
आर. सी. एफ., थाल-वेशिट	4.46
दीपक फर्टिलाइजर, तालोजा	0.30
एल. पी. जी. का उत्पादन तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वयं उपभोग	1.20
टाटा थर्मल स्टेशन, ट्राम्बे	3.27
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, ऊरान	3.68

1	2
घरेलू उपभोक्ता, बम्बई	1.00
कपड़ा मिल, बम्बई	1.02
भारत इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंडो असाही (टी. वी. शेल्स) गैस	0·09
क्रेकर एण्ड पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स नागोथाने (एम. जी. सी. सी. एण्ड एम. पी. सी. एल.)	1.60
हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स, रसायनी	0.48
मिथेनोल--3000 टी. पी. डी.	3.00
स्पोंज आयरन प्रोजेक्ट	0.50
नये उर्वरक संयंत्र	
(i) 1350 टी. पी. डी. आफ अमोनिया + डी. ए. पी.	2.40
(ii) 900 टी. पी. डी. आफ अमोनिया + डी. ए' पी.	1.60
यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड	0.12
नई परियोजनाएं जैसे मिथाइल मिथेक्राइलेट हाइड्रोसाइनिक एसिड, क्लोरोमिथेन्स, इत्यादि	0·86
ग्लास इंडस्ट्रीज	0.30
नासिक, पुणे, थाने, अम्बरनाथ, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण, इत्यादि में घरेलू उपभोक्ता	0.60
उपरोक्त क्षेत्रों के उद्योगों में	3.00
	31.81

पश्चिम कोसी नहर आदि से बिजली का उत्पादन

2457. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में बिजली घरों का क्षमता से कम कार्य होने के बार में 24 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8515 के भाग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य पश्चिमी कोसी नहर और इसकी शाखा नहरों से बिजली पैदा करने में क्या कठिनाइयां हैं और क्या इस दिशा में कोई प्रयास करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या नेपाल की शाही सरकार की ओर से पूरे कोसी नहर के बेसिन का सर्वेक्षण करने वाले जापानी दल ने कोसी नदी के नियंत्रित करने तथा इसे उपयोग के अनुकूल बनाने का अपना कार्य इस बीच पूरा कर लिया है ; यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और बड़ा क्षेत्र के प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय बांध के बारे में इस दल का मत क्या है;

(ग) क्या नेपाल की शाही सरकार ने सोवियत संघ से बागमती नदी पर ननथेर में एक बहुउद्देश्यीय बांध बनाने का कार्य करने के लिए कहा था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पश्चिमी कोसी नहर पर जल-विद्युत परियोजना स्थापित करने के संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) नेपाल की महामहिम सरकार ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय को कोई संकेत नहीं दिया है।

टेलीफोन नम्बरों का "65 लेबल" से "66 लेबल" में अन्तरण

2449. **श्री रशीद मसूद :**

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने "65 लेबल" के टेलीफोन नम्बरों को "66 लेबल" में अंतरित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है यह अंतरण किन कारणों से किया गया है ;

(ख) क्या संसद सदस्यों से इस प्रकार का अंतरण के कोई अनुरोध विचाराधीन हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उनके बारे में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यह एक आम धारणा है कि "65 लेबल" से "66 लेबल" में उक्त अन्तरण प्रचालन की दृष्टि से नहीं, वरना पूर्णतया केवल कतिपय समृद्ध व्यापारियों के मामले में ही किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार, प्रचालन के आधार पर नहीं किये गये अन्तरण के इन व्यक्तिगत मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय ए० पाटिल) : (क) जी, हां। प्रचालन कारणों और "66" एक्सचेंज में क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए विशेष अनुरोध पर "65" एक्सचेंज से "66" एक्सचेंज में कुछ टेलीफोन नम्बरों को बदल दिया गया है।

(ख) जी नहीं। इस प्रकार के टेलीफोन नम्बरों के बदलने के बारे में किसी भी संसद सदस्य का कोई अनुरोध लम्बित नहीं है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

खापरखेरा विस्तार और उरान यूनिट संख्या 8 को मंजूरी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध

2449. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से खापरखेरा विस्तार और उरान यूनिट संख्या 8 की मंजूरी देने का अनुरोध किया है क्योंकि इस स्थान पर सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड मंजूरी मिलते ही कार्य आरंभ कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-1 (2x210 मेगावाट) को 397.03 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर जून, 1984 में अनुमोदित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-2 (2 × 210 मेगावाट) और उरण गैस टरबाइन विस्तार यूनिट-8 (1 × 108 मेगावाट) की प्रतिष्ठापना के लिए मई, 1984 में संक्षिप्त व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी है। गैस/एल. एस. एच. एस. की उपलब्धता तथा कोयले जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित हो जाने और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति मिल जाने के बाद इन प्रस्तावों पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के बारे में विचार किया जा सकता है।

नये दूरदर्शन केन्द्रों में प्रोड्यूसर ग्रेड-एक तथा कैमरामैन ग्रेड-एक नियुक्त किया जाना

2450. **श्री दया राम शाक्य** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबसे वरिष्ठ तथा अनुभवी प्रोड्यूसर ग्रेड-एक, कैमरामैन ग्रेड-एक, वरिष्ठ डिजाइनर तथा मेकअपमैन आदि को बंगलौर, त्रिवेन्द्रम तथा गोहाटी जैसे हाल ही में चालू किए गए दूरदर्शन केन्द्रों पर नियुक्त किया जा रहा है ताकि इन केन्द्रों का कार्य चलाया जा सके , और

(ख) यदि हां, तो प्रथम दस विशिष्ठतम प्रोड्यूसरों ग्रेड-एक तथा कैमरामैनों ग्रेड-एक का ब्यौरा क्या है जिन्हें नये ढांचे को सुगठित करने का अवसर दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर कर्मचारियों की तैनातियों केन्द्रों की कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं, भाषायी आवश्यकताओं, व्यक्तियों की अर्हता एवं अनुभव आदि के आधार पर की जाती है । किसी कतिपय श्रेणी के वरिष्ठतम व्यक्ति को किसी कतिपय केन्द्र पर तैनात करना न ही तो हमेशा आवश्यक है और न ही संभव ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कैमरामैनों द्वारा विदेशों में कार्य किया जाना

2451. **श्री दया राम शाक्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अति विशिष्ट व्यक्तियों/परम विशिष्ट व्यक्तियों के साथ समाचार भेजने के लिए कितने ए० आई० बी० डी० प्रशिक्षित कैमरामैन साथ विदेश यात्रा पर गए थे ;

(ख) उन कैमरामैनों की संख्या क्या है जिनको ए० आई० बी० डी० द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया तथा उनको समाचार भेजने के लिए विशेष भेजा गया ; और

(ग) क्या इस प्रकार के विदेशी कार्यभार के लिए ए० आई० बी० डी० द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों को अधिमान नहीं दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) समाचार भेजने के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों परमविशिष्ट व्यक्तियों के साथ 9 ए. आई. बी. डी. प्रशिक्षित कैमरामैन विदेश गए थे।

(ख) समाचार भेजने के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों/परम विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विदेश गए ऐसे कैमरामैनों की संख्या 21 थी जो ए. आई. बी. डी. द्वारा प्रशिक्षित नहीं थे।

(ग) कैमरामैनों को विदेशों में अति विशिष्ट व्यक्तियों/परम विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं को कवर करने के लिए उनके अनुभव तथा प्रशिक्षण और इस प्रकार के कवरेजों के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भेजा जाता है।

हानिकर औषधियों और घास पात नाशकों के तथा कृमिनाशकों के निर्माण पर प्रतिबंध

2452. **श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका और पश्चिम योरोप के देशों में अनेक औषधियों, कृषि नाशकों, घास-पात नाशकों आदि के उत्पादन और/अथवा प्रयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि वे मानव जीवन, पर्यावरण आदि के लिए हानिकारक सिद्ध हो चुके हैं विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश में उनका प्रयोग करने हेतु निर्माण और/अथवा बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों/कृषि नाशकों/घास-पात नाशकों आदि और हमारे देश में इनका निर्माण करने वाले और/अथवा इनकी बिक्री करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मानव जीवन, पर्यावरण आदि के लिए हानिकारक इस प्रकार की औषधियों के निर्माण और/अथवा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगातार मांग की जा रही है ; और

(घ) सरकार का विचार भारत में इस प्रकार की हानिकर औषधियों, कृषि नाशकों, घास पात नाशकों आदि के निर्माण और/अथवा प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (घ) भारत में पेस्टीसाईड्स का आयात एवं निर्माण अन्य बातों के साथ-साथ इंसेक्टीसाईड्स अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है । देश में पेस्टीसाईड्स के प्रयोग की अनुमति देने से पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित पंजीकरण समिति सुरक्षा, विषाक्तता, भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में मानव एवं पशुओं पर इसका प्रभाव जैसे सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करती है।

ऐसी मांगें प्राप्त हुई हैं कि सरकार उन पैस्टीसाइड्स के प्रयोग पर पुनरवलोकन करें जिनके प्रयोग पर यू. एस. ए. तथा यूरोपियन देशों ने निषेध अथवा प्रतिबंध लगाया है । किसी पैस्टीसाईड्स के प्रयोग पर प्रतिबन्ध तभी लगाया जाता है जब इस बात का पूरा मूल्यांकन किया जाये कि इस देश के कृषि-जलवायु विषयक परिस्थितियों के अन्तर्गत उसका प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा । इसके अलावा यदि भारत में आयात/निर्माण के लिए पहले ही पंजीकृत किसी कीटनाशक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल शिकायत प्राप्त होती है, तो पहले संबद्ध विवरण एकत्र किए जाते हैं तथा देश में इसमें निरन्तर प्रयोग के प्रभावों के सन्दर्भ में उनका अध्ययन किया जाता है जिसके पश्चात् देश में इसके प्रयोग को चालू रखने की अनुमति के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में प्रयोग के लिए निर्मित/व्यापक रूप से प्रयुक्त पैस्टीसाईड्स में, जिनका प्रयोग यू. एस. ए. में वर्जित है अथवा कुछ अन्य देशों में प्रतिबन्धित है, डी. डी. टी. एवं बी. एच. सी. का उल्लेख किया जा सकता है । जहाँ पहले का निर्माण हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाईड्स लि० द्वारा मुख्यतः राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है, दूसरे का निर्माण निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा किया जाता है :—

1. एलकली और कैमिकल्स कार्पो० आफ इंडिया (अब इंडियन एक्सपलो सिब्स लि०)
2. टाटा कैमिकल लि०
3. केनोरिया कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि०
4. मिका फार्म कैमिकल्स लि०
5. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०

बी. एच. सी. के सम्बन्ध में भी, काफी मात्रा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में प्रयोग की जाती है ।

औषधों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ देशों में वर्जित 24 औषधों में से 18 औषधों को भारत में भी वर्जित अथवा विपणन के लिये अस्वीकृत कर दिया गया है। बाकी 6 औषधों अर्थात नाईट्रोफूरेन कम्पाउंड फोनफोरमिन, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन न्युतपत्रिया, उच्च डोज लिनेस्ट्रोनोल उत्पाद पिपराजाईन तथा फेनिलबुटाजोन, आक्सीफेनबुटाजोन के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि देश की चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह से कुछ मामलों में लेवल/पैकेज सन्निवेश पर सचेतक विवरण तथा अन्तर्विरोधी तथ्य देने के शर्त के साथ उनको विपणन की अनुमति दी जाये।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रिक्त पद

2453. **श्री एन० ई० होरो : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मंजूर शुदा पदों की संख्या संगठन के भारी काम को पूरा करने की दृष्टि से एकदम अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ आयुक्तों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली होने वाले कुछ पदों सहित क्षेत्रीय आयुक्तों के कुछ पद कई महीनों से रिक्त पड़े हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के रिक्त पदों को भरने हेतु समय पर पैनल तैयार करने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों पर पदोन्नति के लिये अनेक पात्र अधिकारी उपलब्ध होने के बावजूद इन पदों को भरने में सरकार ने क्यों विलम्ब किया तथा अभी भी विलम्ब कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। इन पदोन्नतियों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा विचार किया जाता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के ग्रेड के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप और पदों के भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों को बुलाने के प्रस्तावों को संघ लोक सेवा आयोग को भेजने से पहले कतिपय कार्यविधि और प्रशासनिक शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव पर पहले ही कार्यवाही की जा रही हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या

2454. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में केन्द्रीय कार्यालय सहित कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत सोलह क्षेत्रीय कार्यालय और एक केन्द्रीय कार्यालय काम कर रहा है।

राजस्थान में बिजली का अत्यधिक अभाव

2,455. **श्री बिरदा राम फुलवारिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में बिजली की बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों से राजस्थान को बिजली की सप्लाई अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान में ऊर्जा स्रोत स्थापित करके इस राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1 अप्रैल, 1984 से 27 जुलाई, 1984 तक राजस्थान को सिंगरौली भाखड़ा और सतपुड़ा से अपने कुल 6262 लाख यूनिट के हिस्से की तुलना में कुल 6138 लाख यूनिट विद्युत प्राप्त हुई है, जो उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों में भारी कमी को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त नहीं है ।

(ग) निम्नलिखित निर्माणाधीन परियोजनाओं के चालू हो जाने के पश्चात् राजस्थान में विद्युत की उपलब्धता में और सुधार हो जाएगा :

(1) कोटा विस्तार	2×210 मेगावाट
(2) माही बजाज सागर	2×25+2×45 मेगावाट
(3) अनूपगढ़	6×1.5 मेगावाट

इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में स्थापित की जा रही केन्द्रीय परियोजनाओं से भी राजस्थान को अपना हिस्सा मिलेगा ।

कोयला खानों में हड़ताल और कोल इंडिया लि० द्वारा सामूहिक समझौते की क्रियान्वित

2456. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 और 5 जून को 24 घंटे की हड़ताल करने वाले कोयला खान मजदूरों की मुख्य मांग कोल इण्डिया लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष हस्ताक्षर किए गए उद्योग-वार सामूहिक समझौते की समुचित और पूरी क्रियान्विति थीं ;

(ख) यदि हां, तो मजदूर संगठनों द्वारा किन प्रावधानों को क्रियान्वित न करने का आरोप लगाया गया था ;

(ग) हड़ताल करने से पहले असंतोष की जांच और निपटान के लिए जे. वी. सी. सी. आई. की कोई बैठक क्यों नहीं बुलायी गयी थी ; और

(घ) क्या सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा हड़तालियों के विरुद्ध किए गए सेवा से बर्खास्तगी निलम्बन और 4 दिन की मजदूरी की कटौती जैसे दमनात्मक उपायों को मंजूरी दे दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह मांगों में से एक माँग थी ।

(ख) सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नौकरियों, पेंशन आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का निश्चित उल्लेख किया गया था ।

(ग) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III के अधीन प्रबन्ध मंडल और कामगारों दोनों के ही प्रतिनिधियों को लेकर जो विभिन्न समितियां गठित की गई हैं वह अपने सामने आने वाले विभिन्न मामलों पर नियमित विचार विमर्श कर रही है तथा कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि किसी भी समिति ने किसी भी मामले पर असफल रहने की रिपोर्ट नहीं दी है । सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरियों सम्बन्धी व्यवस्था का कार्यान्वयन न्यायालय ने रोक दिया है ।

(घ) प्रबन्ध मंडल संगत आदेशों और नियमों के दायरे में हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है ।

12.00 म०प०

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, श्रीलंका पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है...(**व्यवधान**) 35 निर्दोष तमिलों की हत्या हुई है । सरकार ने पिछली बार यह आश्वासन दिया था कि इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जायेगा । किन्तु अब इस समस्या ने पुनः गंभीर रूप धारण कर लिया है...(**व्यवधान**) इस सभा में श्रीलंका के मामले पर पुनः बाद-विवाद करने की आप अनुमति अवश्य दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, आप कालिंग अटैन्शन नोटिश दे दीजिये, फिर मैं देखकर करवा दूंगा, देख लेता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकार को उस पर वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में पूछूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं सभा में, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहा हूं । मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । यह मामला सभा में हमारी टिप्पणियों के रिकार्ड के बारे में है । अनेक अवसरों पर हम लोग आपसे यह कहते हुए अनुरोध करते हैं कि

स्थगन प्रस्ताव, जैसे कुछ प्रस्तावों की अनुमति दी जाए। कल मैंने आपकी अनुमति ली थी और मैंने बाबा संता सिंह के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के बारे में निवेदन किया था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी थी।

प्रो० मधु दंडवते : जब हम आपकी अनुमति मांगते हैं, तब यह आप पर निर्भर करता है कि स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करें अथवा स्वीकार न करें और हम आपकी बात मानकर बैठ जाते हैं...

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया था।

प्रो० मधु दंडवते : किन्तु अनेक अवसरों पर जब आपने स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी, तब भी आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया है। संसदीय सम्वाददाता भी इस बात का विश्वास कर लेते हैं कि आपने हमारे अनुरोध भी कार्यवाही वृतांत से निकाल दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ना मैं एक्सपंज करता हूं, मैंने एलाऊ ही नहीं किया है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया आप हम लोगों की बात तो सुनें ; व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं सुना जा रहा है। कल, जब मेरे अनुरोध करने पर आपने कहा कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा जाती है, तब मैंने उसे मान लिया था। किन्तु जब हमने अनुरोध किया था, तो यह बात तो कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया था। मैं किसी अनुरोध को मानने के लिये बाध्य नहीं हूं।

मुझे आप बताइये, मैं नाट एलाउट करता हूं तो उसका अर्थ है, मैं आपके सबमिशन को एलाऊ नहीं करता।

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० तिवारी ने भी अनुरोध किया था और मैंने कहा था कि उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये और उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कर लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप जिद करते रहेंगे, आपसे मुझे यह उमीद नहीं है कि आप इस तरह से बोलते रहते हैं। मैं जब कुछ कहता हूं, आप सुनते भी नहीं हैं। आपको कोई शंका हो तो मुझे बता दीजिये। आप मुझसे ज्यादा एम्सपीरिएंस्ड भी हैं, मुझे समझा दें कि मैं यह गलती करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हमें पूरे तर्क प्रस्तुत करने दीजिये। किसी भी स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करना अथवा स्वीकार न करना आपके अधिकार में है। किन्तु इसके पहले, हम जो भी अनुरोध करते हैं उसे हमेशा कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाता है। गत 40 वर्षों से इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। कृपया एक नया पूर्वोदाहरण स्थापित न करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपसे आपके कक्ष में मिलूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे मिलने के लिये सदा तैयार हूं और मैं किसी भी सुझाव को मानने को तैयार हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सभा में कोई बात-चीत नहीं करना चाहता हूं। किन्तु आपसे इतना अवश्य कहूंगा कि अन्तुले के मामले में हम लोग अनेक बार अनुरोध कर चुके हैं और उन्हें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया गया है। यद्यपि आपके स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था किन्तु मैंने जो कुछ कहा था वह सब कार्यनाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हो समझा है कि मैंने उन अनुरोध को अस्वीकार न किया हो और मैंने आपके अनुरोध मान लिए हों। वह कोई और बात है। किन्तु जिस अनुरोध को मैं स्वीकार नहीं करता, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाता।

प्रो० मधु दंडवते : इसका भी निर्णय होना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा और आपके कक्ष में आपसे बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इसमें कौन सा है? आपका ही है, आपके लिए ही चला रहा हूं। कोई गलती होगी तो ठीक करूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम इस पर चर्चा आपके कक्ष में करेंगे। किन्तु होता यह है कि हम यह नहीं समझ पाते कि आपने वास्तव में क्या स्वीकार किया है अथवा क्या अस्वीकार किया है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिसे आप स्वीकृत कर देते हैं, उसे ही आप कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ बातों को अस्वीकृत कर देता हूं जिसे मैं असंगत समझता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पश्चिम बंगाल में अत्यधिक अशांति के बारे में मैंने आपको दो सूचनायें दी थीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी संघों ने एक संकल्प पारित किया है। संविधान के अन्तर्गत, आप इस सभा में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवाओं के बारे में गृह मंत्रालय की मांगों के अन्तर्गत चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के एक अधिकारी को स्थानीय मंत्री ने गाली दी थी...

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने लिख कर कुछ दिया है? आप लिखकर दीजिये। मुझे इसका निर्णय करना पड़ेगा। मुझे इस बात का पता करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि यह मामला केन्द्रीय सरकार के अधीन आता है अथवा नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी कटाक्ष की बातें अपने तक रखिये। उन्हें रिकार्ड पर म लाइये। यह इनकी आपस की बात है। यह हमारे रिकार्ड का पार्ट नहीं है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम-रोको प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय: वह तो मैंने एलाऊ नहीं किया है। अगर आप मुझे समझा देंगे, तो मैं कर दूंगा।

श्री मनी राम बागड़ी : मेरी कठिनाई यह है कि मैं अंग्रेजी में नहीं बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा है कि आप अंग्रेजी में बात करें ?

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा आरोप है कि जो अंग्रेजी में बोलता है, उसी की बात सुनी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आपके साथ हिन्दी में बात कर रहा हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : अखबारों में लिखा है कि भाखड़ा नहर को तोड़ कर हरियाणा में पानी का अकाल पैदा कर दिया गया है। पानी के बगैर लोग बहुत परेशान हैं। जो लोग प्यासे मर रहे हैं, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुमति अभी नहीं दे रहा हूं।

मैंने आपको कब रोका है। मुझे आपकी बात का ध्यान है।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं चाहता हूं कि मेरी बात अखबारों में जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि मेरी बात देश के लोगों तक जाए। उन लोगों को भी पता लगे कि लोक सभा उनकी बात करती है, वर्ना मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात जाएगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : इनकी बात रेडियो और टेलिविजन दोनों में आएगी।

श्री मनी राम बागड़ी : आनी चाहिए, क्योंकि इसका सम्बन्ध लोगों से है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक सदस्य के एजार्नमेंट मोशन को पढ़ता हूं और हमारे जो आधार है, उनके हिसाब से रिजेक्ट करता हूं। मैंने आपका एजार्नमेंट मोशन रिजेक्ट किया है, दूसरा कोई मोशन रिजेक्ट नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं गया हूं उस इलाके में। मैं मैं स्वयं उस इलाके का रहने वाला हूं। मुझे पानी की कीमत का पता है। मैंने प्यास देखी है और तड़पते हुए लोग देखे हैं। मैंने जाते हुए टैंकर देखे हैं और बताया है कि वे किस तरीके से भेजे जाने चाहिए। आप नियम 377 में दे दीजिए या कालिंग एटेन्शन नोटिस दे दीजिए। लेकिन यह एजार्नमेंट का विषय नहीं बनता है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : पंजाब में चौथी बार नहर काटी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप हर एक बात को इस तरह न लें। आपने खेती नहीं की है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सुरक्षा का क्या इन्तजाम है ?

अध्यक्ष महोदय : नहर को काटने या ब्रीच करने के हर मामले को टेररिस्ट्स के साथ मत मिलाइए। भाखड़ा वाली बात अलाहिदा है। मैं स्वयं कट्स के खिलाफ लड़ता रहा हूं। जब मैं इरिगेशन मिनिस्टर था, तो मैंने कटस के खिलाफ संसार का सबसे बड़ा अभियान चलाया था और इसके लिये सजा दिलाई थी। मैं जानता हूं कि किसान को कितना पानी चाहिए। पानी आंख से निकलता है, मगर पीने के लिए नहीं मिलता है। मैं आपको भी एलाऊ करूंगा और सरकार से भी कहूंगा कि जहां पानी नहीं पहुंचता है, वहां पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार से आप एक बयान दिलवा दें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं ? मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद करवाऊंगा। बिलकुल कराऊंगा।

...(व्यवधान)...

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, आपका ध्यान निश्चित रूप से केरल में हुए सीमेंट घोटाले की ओर दिलाया गया होगा जिसकी पूरे देश में चर्चा है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया प्रोफेसर।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे नाडार साहब, सुबह बात की थी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सबसे बुरी बात है। जब मैं खड़ा होता हूं तब भी आप बैठना नहीं चाहते हैं। वह जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। यह बहुत ही गैर जिम्मेदराना तरीका है। किसी बात की अनुमति नहीं दी गयी है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री शिवशंकर।

12.12 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8541/84]

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। वह बेकार चिल्ला रहे हैं । वह सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : आप की आज्ञा शिरोधार्य है । आप एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सुन रहा हूं । वह मेरी बात नहीं सुनते ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने यह फैसला किया है कि अब फैलोशिप जो पी. एच.डी. की मिलेगी, उस का इम्तहान अंग्रेजी में होगा, तमिल, तेलगू, मलयालम वगैरह में नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिएगा मैं करवा दूंगा । जो यथोचित बात होगी मैं जरूर करूंगा । मैं इन को भी यही बताना चाहता था कि मुझे देख लेने दीजिए । ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं बनता है, मैं दूसरे तरीके से करवा दूंगा । मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस तरीके से करते हैं जिसमें उसका सारा अर्थ गवाँ देते हैं । उसकी सारी इम्पार्टेन्स लूज कर देते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मेरी बात रह गई ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि सोच कर करूंगा । कर लूंगा ।

श्री ई० बालानन्दन (मुकंदपुरम) : सीमेंट के घोटाले के बारे में क्या रहा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा । मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और तदनुसार निर्णय लूंगा । मैंने आपको यही कहा है । इस सभा में किसी बात को उठाने की पाबंदी नहीं है ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप से दस दफा बात हो गई प्रोफेसर साहब । मैंने आपकी बात भी सुन ली, मुझे इनकी भी सुन लेने दीजिए ।

प्रो० के० के० तिवारी : वह राज्य का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजेक्ट होगा तो नहीं करूंगा। मुझे इस में बताने की आवश्यकता तो नहीं है। मैं स्टेट सबजेक्ट नहीं करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अध्यक्ष महोदय, एक बुनियादी सवाल है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने अब यह फैसला किया है कि फैलोशिप में वह इम्तहान लेंगे पी. एच. डी. करने वाले लड़कों का···

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा, मैं देख लूंगा। आप दोबारा उस को दोहरा रहे हैं।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मैं देख कर उस पर निर्णय करूंगा। मुझे स्टडी कर लेने दीजिए।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : कल माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मद्रास के हवाई अड्डे में मारे गये लोगों के बारे में एक वक्तब्य दिया था·····

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक दूसरा प्रस्ताव दीजिये।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मैं आपको प्रस्ताव दे चुका हूं। इस सभा में आपने आश्वासन दिया था कि आप प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे···

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : उस विषय में आपकी रुचि नहीं थी। अन्यथा आपका प्रतिनिधि अथवा आप कार्य मंत्रणा समिति की कल की बैठक में अवश्य सम्मिलित होते। हम लोगों ने उस पर भली-भांति विचार-विमर्श किया था। आप अपने अन्य मित्रों से पूछिये, जो वहां पर उपस्थित थे, कि उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया था। परसों वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में रखा जा रहा है। इसके बारे में आपको अपने मित्रों से पूछना चाहिये था। वास्तव में मैंने आपको उपस्थित रहने के लिए कहा था, किंतु आप उपस्थित नहीं हुए। मैं आपको इस लापरवाही का दोषी ठहराता हूं।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मैं आज की बैठक में उपस्थित रहूंगा।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : महोदय, आप केरल में हुए सीमेंट कांड के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैं इस की जांच करूंगा, मैं इस मामले का अध्ययन करूंगा, इस बारे में सभी तथ्य प्राप्त करके कार्यवाही के बारे में निर्णय करूंगा।

श्री ए० के० बालन : आपने प्रधान मन्त्री को श्री अराकल द्वारा लिखे गये पत्र को देखा होगा··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है। मेरे मित्र, आप योंही समय क्यों बरबाद कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये। मैं उसके सभी पहलुओं का अध्ययन करूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : राजस्थान और अन्य प्रान्तों में पानी का इतना अभाव है···

अध्यक्ष महोदय : और मैंने क्या कहा है ? सारी रात रोये और···

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारों के मुताल्लिक कहा।

———

12.14 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महा सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1984, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 2 अगस्त, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

———

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात पहले भी कही है। क्या आप उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ? जब मैं सदन में यह बात कर रहा था तो आप कहाँ थे ? मैंने कह दिया है। बार-बार मुझ से क्या कहलवाना चाहते हैं ? वह क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर।

श्री नीरेन घोष : महोदय ·· महोदय·····

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?···आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना सभा के लिये एवं स्वयं उनके लिए अपमानजनक है।

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : कुछ शरारती तत्वों ने इलाहाबाद में नीलांचल एक्सप्रैस के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में आग लगा दी···

अध्यक्ष महोदय : यह विधि और व्यवस्था का मामला है। वे इसकी ओर ध्यान देंगे। आप इस बारे में मुझे या राज्य सरकार को लिख सकते हैं।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग को 254 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। आप इस मामले को उठाने के लिये मुझे एक उचित प्रस्ताव दें।...इसे इस तरह से न उठाए।

श्री नीरेन घोष : **

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने हड़ताल कर दी है और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाया है।

श्री ए० के० बालन : सीमेंट के मामले पर आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको कितनी बार बताना होगा ? आप पहले कार्यवाही-वृतान्त को देखें और फिर मेरे पास आयें। सभा की कार्यवाही का पूरा वृतान्त उपलब्ध है। कृपया आप सभा का समय न लें।

12.17 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने में कठिनाइयां, पाठ्य पुस्तकों और कापियों की अनुपलब्धता और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने में कठिनाइयां और पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों की अनुपलब्धता जिसके परिणामस्वरूप काला बाजार और इनके मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण छात्रों के समक्ष भारी समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं तथा इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, माननीय सदस्यों ने शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले में कठिनाइयों, पाठ्यपुस्तकों और कापियों के उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप काला-बाजारी तथा इनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण छात्रों को होने वाली गंभीर समस्याओं का उल्लेख किया है। इन मामलों में छात्रों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका क्योंकि कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, अतः मैं इन समस्याओं पर सामान्य रूप से विचार करूंगी।

प्रत्येक शैक्षिक सत्र के शुरू में यह स्वाभाविक है कि छात्र विभिन्न स्कूलों और पाठ्यक्रमों में अपने दाखिले से सम्बन्धित संभावनाओं के बारे में चिंतित होते हैं। जहां तक स्कूलों का सम्बन्ध है, मुख्यतः यह समस्या इस कारण से उत्पन्न होती है कि बहुत से छात्र अपनी मर्जी के विशिष्ट स्कूलों में दाखिले के लिए उत्सुक होते हैं। जहां तक सरकार के पास उपलब्ध सूचना का सम्बन्ध है, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध विद्यमान है कि किसी भी छात्र को उस कक्षा में दाखिले के लिए इन्कार न किया जाए, जिसके लिए वह पात्र है।

उच्च शिक्षा की संस्थाओं में दाखिला सम्बन्धी कठिनाइयां मूल रूप से इंजीनियरी तथा चिकित्सा शिक्षा के व्यावसायिक कालेजों तक ही सीमित है। इन संस्थाओं की क्षमता सीमित है और आमतौर पर, दाखिले योग्यता परीक्षाओं के आधार पर किए जाते हैं। छात्रों को अध्ययन पूरा करने पर सम्बन्धित व्यवसायों में खपाने के लिए अर्थव्यवस्था सम्बन्धी क्षमता पर विचार किए बिना; सरकार इन संस्थाओं की अनियोजित वृद्धि के पक्ष में नहीं है।

12.20 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ऐसे मामलों को छोड़ कर, जहां दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या तो अधिक होती है किन्तु सभी छात्रों को इन कालेजों में दाखिल करने की क्षमता नहीं होती, विश्वविद्यालयों में गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से सम्बन्धित स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है। कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर दाखिला चयन के आधार पर करना होता है। यह भी सच है कि देश में लगभग 30% कालेजों में अधिक छात्रों को दाखिल किए जाने की गुंजाइश है। पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी उच्च शिक्षा के विकल्प हैं।

स्कूलों तथा कालेजों, दोनों के मामले में आमतौर पर शैक्षिक सत्र के शुरू में यह समस्या गंभीर प्रतीत होती है परन्तु यह स्थिति दाखिलों के पूरा होने के लगभग एक माह के अन्दर ही ठीक हो जाती है, जब एक से अधिक पठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को अपनी मर्जी के पाठ्यक्रम में अंतिम रूप से दाखिला मिल जाता है।

महोदय, जहां तक स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के उपलब्ध न होने का सम्बन्ध है, हमें इनकी कमी से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं सदन को सूचित करती हूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूलों के लिए राष्ट्रीय तौर पर विकसित पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्य-पुस्तकें तैयार की हैं। इसने वर्ष 1984 के दौरान 203 पाठ्य-पुस्तकें/कार्य पुस्तकें/पूरक रीडर प्रकाशित की हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के बिक्री केन्द्रों के माध्यम

से ये सभी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं और इनकी कोई कमी नहीं है। राज्यों में समय पर पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

मूल्य स्तर में आम वृद्धि के कारण पाठ्य-पुस्तकों और कापियों के मूल्य में भी कुछ वृद्धि हुई है। राज्य सरकारों को पाठ्य-पुस्तकों और कापियों के लिए सफेद मुद्रण कागज क्योंकि रियायती दर पर आवंटित किया जाता है, अतः हमारी सूचना यह है कि उत्पादन सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए इनकी कीमतों में हुई वृद्धि सामान्यतः समुचित सीमा के अन्दर ही हुई है। तथापि, पेपर मिलों द्वारा कागज के कम उत्पादन के कारण सफेद मुद्रण कागज में हाल ही में कमी आंई है। यह मामला उद्योग मंत्रालय के माध्यम से पेपर मिलों के साथ उठाया गया है और अब स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।

महोदय, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि सरकार का यह प्रयास होगा कि वे छात्रों को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करें विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकों और कापियों को उचित मूल्य पर मुहैया करें। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार वचनवद्ध हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं माननीया मन्त्री जी का बहुत ही आदर करता हूं किन्तु जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, मेरे विचार से उसमें ऐसी स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है जिसका आज हमारे छात्र सामना कर रहे हैं।

महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों में तथा राजधानी में दिल्ली विश्व विद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले की बहुत भारी समस्या है। हम विश्वविद्यालयों में दाखिले की बात नहीं करते। सबसे पहले तो प्राथमिक स्कूलों में दाखिले की बात आती है।

प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के लिये दाखिला लेना एक बड़ी भारी समस्या बन गयी है। अनेक संसद सदस्य माननीया मन्त्री जी को केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए पत्र लिखा करते हैं। केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में हैं और फिर भी अनेक समस्यायें बनी हुई हैं। हम मन्त्री महोदया को अनेक पत्र लिखते रहे हैं। अधिकांश संसद सदस्यों ने पत्रों में यही लिखा है कि जिन छात्रों के दाखिले की उन्होंने सिफारिश की है, उन्हें दाखिला दिया जाना चाहिए। किन्तु उनमें से अधिकांश अस्वीकृत करा दिए गये हैं। पिछले वर्ष मुझे सूचना दी गई थी कि यदि कोई संसद सदस्य किसी केन्द्रीय स्कूल में किसी की दाखिले के लिये सिफारिश करता है तो उसे वहां अवश्य दाखिला मिल जाता है। इस वर्ष मैंने एक छात्र के दाखिले की सिफारिश की थी किन्तु मेरे विचार से उस लड़के को दाखिला नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे मन्त्री महोदया से कोई उत्तर नहीं मिला। अब, केन्द्रीय स्कूलों में किसी संसद सदस्य की सिफारिश पर भी दाखिला नहीं मिलता। यदि स्थिति ऐसी है तो आप अन्य शैक्षिक संस्थानों में चल रही स्थिति का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

अब ऐसे अनेक स्कूल हैं जहां बच्चों को दाखिला देने के लिए उनके अभिभावकों से बड़ी धनराशि ली जाती है और ऐसा दिल्ली में ही हो रहा है। देश में अनेक संस्थानों द्वारा लिये जा रहे प्रादेशिक शुल्क के बारे में सभी जानते हैं। मन्त्री महोदया यह भली भांति जानती हैं कि अनेक

शैक्षिक संस्थानों में विशेष रूप से इन्जीनियरिंग एवं चिकित्सा विज्ञान आदि में दाखिले के लिये जब तक अभिभावक प्रादेशिक शुल्क के रूप में बड़ी राशि नहीं देते इन महाविद्यालयों में छात्रों को दाखिला नहीं मिलता। देश के अनेक भागों में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसे अनेक पब्लिक स्कूल हैं जहाँ दाखिले से पहले अभिभावकों से एक बड़ी धनराशि ली जाती है।

अब, जहां तक ऊंची कक्षाओं में प्रवेश का सम्बन्ध है।

मैंने पहले ही कहा है कि दिल्ली विश्व विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना बहुत कठिन हो गया है। इन विश्वविद्यालयों में छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने प्रवेश देने की भिन्न नीति अपना ली है। इसलिए अनेक छात्रों को उसमें प्रवेश से वंचित होना पड़ा है। इस विश्वविद्यालय की नई नीति के कारण ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले छात्रों की प्रवेश नहीं मिलता। ऐसी नीति क्यों अपनाई गई है जिससे देश के एक बड़े वर्ग को छात्रों को प्रवेश न मिल सके। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन को अनुदेश दिया जाये कि वह अपनी प्रवेश सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करे, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। देश में विभिन्न विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली का अलग ढंग अपनाते हैं। यदि इन विश्वविद्यालयों में भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करके इन छात्रों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता तो मेरे विचार से यह उनके साथ अन्याय है। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को वर्तमान प्रवेश नीति को बदलने के लिए कहा जाये और पुरानी नीति फिर लागू की जाये।

महोदय, यदि सरकार अनेक छात्रों को जो विभिन्न कालेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं, प्रवेश नहीं दिला सकती और साथ ही उन्हें कहीं रोजगार भी नहीं मिलता तो वे छात्र कहाँ जाये ? आज समूचे छात्र समुदाय के समक्ष यह भारी समस्या हैं। इसीलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इन समस्याओं की ओर देखें। अनेक समाचार पत्रों में बहुत सी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। मैं दिल्ली विश्व विद्यालय में छात्रों के प्रवेश की समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक दैनिक पत्र 'पैट्रियार' के इन जुलाई, 1989 के अंक में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है :

"प्रवेश : इस मामले में गड़बड़ी करने वाले कालेजों को अनुशासित करने में विश्व-विद्यालय असफल।"

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनेक कालेजों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुदेश दिये हैं लेकिन वे उनका उल्लंघन करते हैं।

"नये शिक्षा सत्र के लिये प्रवेश शुरू होने के बाद से प्रवेश सम्बन्धी शिकायत समिति को कलेजों द्वारा अनियमिततायें बरतने सम्बन्धी सैकड़ों शिकायतें मिली हैं लेकिन भारी कागजी कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त शायद ही कोई सफलता मिली है।"

"छात्रों की सूची को कालेजों द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने के बाद से, समिति खालसा

कालेज और सेंट स्टीफन कालेज से कहती रही है कि वे इन सूचियों के बारे में बतायें। लेकिन विश्वविद्यालय खुलने में केवल 5 दिन रह जाने पर भी समिति को अभी तक कोई सूची प्राप्त नहीं हुई।"

उन्होंने सूची देने से मना कर दिया है। सूची नहीं मिली है और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कालेजों में प्रवेश देने से मना कर दिया गया है। स्थिति यह है इन छात्रों के लिए 22.5% स्थान आरक्षित हैं फिर भी विश्वविद्यालय द्वारा इन छात्रों को दी गई अस्थायी प्रवेश की पर्चियाँ देखने के बाद भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता, और उनकी अवहेलना की जाती है। एक छात्र ने 76% अंक लिए और वह राँची से यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज सेंट स्टीफन कालेज में प्रवेश के लिए आया था लेकिन उसे इस आधार पर मनाकर दिया गया कि उसकी आयु अधिकतम आयु के बारे में या आयु के आधार पर किस पात्र को प्रवेश दिया जाये, इस बारे में कोई अनुदेश नहीं दिये हैं लेकिन सच यह है कि उसे प्रवेश देने से मनाकर दिया गया।

एक माननीय सदस्य : वह ईसाई नहीं होगा।

श्री हरिकेश बहादुर : हो सकता है वह अलग समुदाय से हो। इसी तरह सत्यवती कालेज, लक्ष्मीबाई कालेज तथा किरोड़ीमल कालेज में भी बहुत से अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने कालेज व्यावसायिक अध्ययन कालेज में भी इन छात्रों को प्रवेश देने से मना कर दिया गया। कार्यवाहक प्रिंसिपल ने समिति को बताया कि उन्होंने पहले ही अनुसूचित जाति के काफी छात्रों को प्रवेश दे दिया है और अब किसी पात्र को प्रवेश नहीं दूंगी। रामलाल कालेज ने भी मनाकर दिया। इन सबके बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक पंजीयक (रजिस्ट्रार) कहते हैं कि अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रवेश की कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर तथ्य यह है कि छात्र मारे-मारे फिरते है और उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। समाचार पत्रों में भी ऐसा छपा है। अधिकारियों को भी पता है कि उनकी प्रवेश पर्चियों को विभिन्न कालेजों में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वे उनके अनुदेशों का पालन नहीं करते। फिर भी पंजीयक का दावा है कि कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये है। पता नहीं वास्तव में क्या हो रहा है। सरकार को इन समस्याओं की ओर ध्यान देना जरूरी है।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के मामले में भी धाँधली हुई है। प्रवेश परीक्षा तो स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयोजित की थी। यह तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी में हो रहा है। प्रवेश में इस धांधली के बारे में समाचार पत्रों में भी छपा है हर प्रत्येक को इस दुःखद स्थिति का पता है। सरकार को इस मामले की गम्भीरता से जांच करनी चाहिए।

एक और समस्या भी है। इस वर्ष सरकार ने, मेरा मतलब है विश्वविद्याल अनुदान आयोग ने इस वर्ष शायद यह निर्णय लिया है कि अनुसंधान के लिए शिक्षा वृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जायेगी जो परीक्षा में बैठेंगे और इस परीक्षा के लिए उन्होंने केवल अंग्रेजी को ही माध्यम रखा है, किसी अन्य भाषा को नहीं। इससे भारी समस्या पैदा हो गई है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र शीघ्र ही आन्दोलन करने जा रहे हैं। अनुसन्धान शिक्षा वृत्ति के लिए अंग्रेजी को ही माध्यम क्यों रखा जाये ? हिन्दी को भी क्यों नहीं रखा जाता ? मैं यह नहीं कहता कि आप अन्य क्षेत्रीय

भाषाओं को शिक्षा अथवा परीक्षा का माध्यम न बनायें लेकिन जब आप अंग्रेजी की बात करते हैं तो व्यय से कम आप उन हजारों छात्रों को वंचित न करें जो केवल हिन्दी के माध्यम से पढ़े हैं। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को नहीं माना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदेश दिये हैं कि छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से परीक्षा में बैठना चाहिए और किसी माध्यम से नहीं यह बड़ी गलत बात है और सरकार को इसे नहीं चलने देना चाहिये। इस विशेष मामले पर छात्र बहुत क्षुब्ध हैं। यदि संसद का अगला सत्र होता है तो सरकार के समक्ष इस बारे में एक और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जायेगा।

महोदय, प्रवेश के अतिरिक्त अन्य समस्याएं भी हैं। पाठ्य-पुस्तकें एवं कापियां आदि उपलब्ध न होने की बात भी है। मंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिये हैं और अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है—"स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने की या उनकी कमी की कोई सूचना हमें नहीं मिली है।" मुझे पता नहीं कि ऐसी रिपोर्ट उन्हें मिली है या नहीं लेकिन कभी तो है, यह एक तथ्य है, सच्चाई है, हर कोई यह जानता है। अपने वक्तव्य में मंत्री जी ने माना है कि कागज मिलों के उत्पादन में कमी होने के कारण मुद्रण के लिए सफेद कागज की कमी हो गई है। अतः कमी का कारण तो दे दिया गया है। चाहे उन्हें रिपोर्ट मिली हो या न मिली हो।

(व्यवधान)

यदि राज्यों से सूचना मांगी जाती है तो वे निश्चिय ही बतायेंगे कि कई कारणों से कमी हुई है।

अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें। कमी के कारण इस क्षेत्र में काफी काला बाजार चल रहा है। कापियों के मूल्य बढ़ रहे हैं और व्यापारी जमाखोरी आदि के द्वारा समस्यायें पैदा कर रहे हैं। वे काला बाजारी और मुनाफाखोरी करके छात्रों को तंग कर रहे हैं। 6 और 7 अगस्त के 'टाइम्स आफ इण्डिया' के अंकों में दो लेख प्रकाशित हुए हैं 'एजुकेशन गोइंग आउट आफ रीच" और "प्राइवेट स्कूल्स स्ट्राइक इट टिच" इनसे सरकार की आंखें खुल जायेंगी। इन लेखों में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है और दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक के अनुसार शिक्षा पर लागत पिछले 5 वर्षों से हर वर्ष 9% बढ़ रही है और इस वर्ष तो यह बढ़ कर शायद 12% तक होगी स्थिति यह है। दिल्ली में एक मार्डन स्कूल है जो बहुत महंगा पब्लिक स्कूल है। यह गरीबों के लिए नहीं है। यह केवल काले धन से समृद्ध लोगों के लिए हैं इस वर्ष मार्डन स्कूल ने 25% फीस बढ़ा दी है और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में पड़ने वालों के लिए शिक्षण शुल्क लगभग 200 रु० प्रति पास है। इन संस्थाओं पर जो इतना अधिक रुपया ऐंठ रही हैं, सरकार का कुछ नियंत्रण होना चाहिये। ये शिक्षा संस्थायें केवल अमीरों के लिए रह गई हैं, गरीबों के लिए नहीं। इसीलिए महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और शिक्षा को सस्ता बनायें और वह आज जितनी महंगी न रहे।

एक ओर तो कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर कापियां तथा पाठ्य-पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं। इसीलिए काला बाजार हो रहा है। सरकारी नीति, मुद्रा स्फीति के कारण कीमतें बढ़ रही हैं और कागजके मूल्य भी बढ़ रहे हैं। उससे छात्रों के लिए संकट पैदा हो गया है जिन्हें काफी अधिक कीमत पर कापियां और पाठ्य-पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं।

महोदय, मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि छात्रों को इस मामले में रियायत दी जाये जिससे स्कूल अपने बिक्री डिपो खोल सकें और छात्र वहां से सस्ती दरों पर इन्हें खरीद सकें।

यदि यह नहीं किया गया तो मुझे पक्का विश्वास है कि कमजोर वर्गों के छात्रों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक दृष्टि से कुछ अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों और कापियों आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। सभी गरीब छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर गौर करने के लिये और कुछ आर्थिक सहायता देने के लिये प्रयास करने का अनुरोध करता हूं। हमारे विद्यालयों, विशेषकर गांवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है ? भारत सरकार इस प्रयोजन के लिये अनेक राज्य सरकारों को सहायता देती है। यही कारण है कि मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश के अधिकांश विद्यालयों में आप देखेंगे कि वहां पर उनके लिए कोई इमारतें, श्याम पट्ट (ब्लैक बोर्ड) और चटाइयां नहीं हैं। विशेषकर बरसात के मौसम के दौरान छात्रों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे विद्यालयों में नहीं जा सकते हैं। बरसात होने पर वे वृक्षों के नीचे नहीं बैठ सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में भी मैं देखता हूं कि बहुत से विद्यालयों की इमारतें नहीं हैं। कक्षायें तम्बुओं के अन्दर ही लगायी जा रही हैं। उनके पास कुछ "केनवस" टेंट आदि हैं जहां विद्यालय लगाये जा रहे हैं।

शिक्षा बहुत मंहगी हो गई है। सरकार पांचवें दशक के शुरू की तुलना में इस समय शिक्षा पर कम खर्च कर रही है। इसका कारण क्या है ? यह मुद्रा-स्फीति के कारण हो सकता है। धन-राशि में वृद्धि हो सकती है लेकिन चूंकि प्रत्येक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हुई है जिससे दिखाई देता है कि पहले की तुलना में शिक्षा पर कम धनराशि खर्च की जा रही है। सरकार को इस पर भी गौर करने और शिक्षा के लिये बजट में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिये।

मेरे दो मुद्दे अभी रहते हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों के शिक्षक आज से हड़ताल पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं ताकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित कर सके जिन्होंने गत वर्ष ही इनकी मांगें स्वीकार करने के लिये वायदा किया था। शिक्षकों के संघर्ष के बावजूद वहां पर राज्य सरकार ने कुछ भी कार्यवाही करने से मना कर दिया है। अतः शिक्षक हड़ताल पर हैं। सरकार को इस मामले पर गौर करना चाहिए।

जाली डिग्रियों की भी समस्या है। 5,000/- रुपये देकर लोग डिग्री ले लेते हैं। प्रथम श्रेणी की डिग्री भी धन देकर उन्हें मिल जाती हैं।

(व्यवधान)

मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। वहां पर इस तरीके से डिग्रियां खरीदने की कोई परम्परा नहीं है। मैं नहीं जानता कि कौन-सी संस्थायें इन कार्यों को कर रही हैं।

ये मूल समस्यायें हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन पर गौर करे और इन्हें हल करने का प्रयास करे। अन्यथा पूरी शिक्षा अव्यवस्थित हो जायेगी।

यह पहले से ही अव्यवस्थित है। गरीबी के कारण लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। जो कारण मैंने बताये हैं, उनकी वजह से लोग दुखी हैं। अतः सरकार प्रभावी ढंग से इन समस्याओं को हल करने के लिये अवश्य प्रयास करे।

श्रीमती शीला कौल: माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों से मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि स्कूल शिक्षा अभी तक राज्यों की जिम्मेदारी है। अतः भारत के विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न भागों में विद्यालयों में प्रवेश राज्यों के अथवा यह प्राइवेट स्कूलों जैसी अन्य संस्थाओं के नियंत्रण के अन्तर्गत है।

लेकिन सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं और वह इसके लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रयास कर रही है। मैं चौथे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराये गये कुछ आंकड़े देना चाहती हूं। प्राथमिक विद्यालय संबंधी सुविधायें 4,51,455 ग्रामीण निवासियों को उपलब्ध थी जो ग्रामीण आवादी का 78.53 प्रतिशत शामिल करती है। माननीय सदस्य ने केवल शहरों के बारे में उल्लेख किया है। मैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि हमें केवल शहरों के बारे में बातचीत न करके समग्र रूप में शिक्षा पर विचार करना है। प्राथमिक शिक्षा के लिये 92.82 प्रतिशत ग्रामीण लोगों को स्कूल जाने के लिये 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल स्कूल हैं जो 32.6 प्रतिशत आवादी की आवश्यकता पूरी करते हैं। 78-80 प्रतिशत ग्रामीण आवादी को 3 किलोमीटर की दूरी के अन्दर स्कूलों में जाने की सुविधा प्राप्त है। हम आदिवासियों तथा अन्य समुदायों के लिये जिन्हें स्कूल जाने के लिए कभी अवसर नहीं मिला था, पिछड़े क्षेत्रों में भी स्कूल खोलने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

मुझे अभी तक संघ राज्य क्षेत्रों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस रिपोर्ट के मिलते ही हम इस पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्य ने केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के बारे में पूछा है। वास्तव में इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि एक संसद सदस्य एक उम्मीदवार को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिला सकता है अथवा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी एक उम्मीदवार की सिफारिश कर सकता है। मैं महसूस करती हूं कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। अतः गत तीन वर्षों से हमने संसद सदस्यों की सुविधा के लिए, जब वे यहाँ पर अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए आते हैं, यह व्यवस्था शुरू की है। लेकिन केन्द्रीय विद्यालय स्थानांतरणीय सरकारी कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है, के बच्चों के लिए हैं। वे सभी बच्चे जिनके माता-पिता का स्थानांतरण होता रहता है, सरकार महसूस करती है कि इन बच्चों की शिक्षा को संरक्षण दिया जाये। इन सभी बच्चों को शामिल करने के बाद वे अन्य वर्गों को प्रवेश देते हैं। लेकिन जब प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या अधिक हो जाती है और सभी अन्य छात्र इनमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो अन्य समुदायों के बहुत से छात्रों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है और प्रतीक्षा-सूची तैयार की जाती

है। इन छात्रों के नाम हमेशा प्रतीक्षा-सूची में रहेंगे। किसी सीट के खाली होने पर प्रतीक्षा-सूची के अगले छात्र को प्रवेश दिया जायेगा।

इसके बाद माननीय सदस्य ने अधिक प्रावेशिक शुल्क जो लिया जाता है, के बारे में उल्लेख किया है। विभिन्न राज्यों में कालेजों द्वारा शुल्क की वसूली विनियमित करने के लिए राज्य सभा में एक विधेयक पुरः स्थापित किया गया था। और यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किया गया है। मैं इसे लोक सभा में प्रस्तुत करूंगी।

वास्तव में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया ग्रामीण अथवा किसी अन्य वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं करती है। वास्तव में यह प्रवेश परीक्षा और गुणावगुण के आधार पर प्रवेश देने की प्रतियोगिता के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करती है जिससे कि देश के सभी भागों के छात्र परीक्षा दे सकें। प्रवेश परीक्षा 21 केन्द्रों में आयोजित की जाती है जो पूरे देश में फैले हुए हैं और छात्रों को प्रवेश परीक्षा देने के बेहतर और अधिक अवसर मिलते हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस समय प्रवेश कार्य चल रहा है और यह विश्व-विद्याजय केवल एम० ए०, एम० एस० सी०, एम० फिल तथा पी० एच० डी० के छात्रों को प्रवेश देता है। माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख किया है कि हिन्दी का ज्ञान रखने वाले छात्रों के मामेलों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : 'रिसर्च फैलोशिप' के लिए।

श्रीमती शीला कौल : मैं इस पर विचार करूंगी।

सेंट स्टीफन कालेज में प्रवेश के मामले में एक लड़की को प्रवेश नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी अपनी प्रक्रिया है कि लड़की के माता-पिता को दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि वे छात्रावास में लड़कियों को नहीं रखना चाहते हैं। अतः उन्होंने कहा कि यदि लड़की के माता-पिता यहां रहते हैं तो उसे प्रवेश दिया जा सकता है। इस लड़की को 'मिरांडा' में प्रवेश दिया गया था, लेकिन उसे 'मिरांडा' कालेज पसंद नहीं था और वह सेंट स्टीफन्स कालेज में प्रवेश चाहती थी और सेंट स्टीफन्स के प्राधिकारी अपने छात्रावास में लड़कों के साथ कोई लड़की नहीं रखना चाहते थे। स्वाभाविक है कि इससे समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी।

दूसरा मामला एक छात्र का अर्थशास्त्र विषय में 'आनर्स पाठ्यक्रम' में प्रवेश का है। इस छात्र को प्रवेश शिकायत समिति के चेयरमैन के हस्तक्षेप पर दाखिला दिया गया है। उनकी सिफा-रिश पर इस लड़की को प्रवेश मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उस छात्रा ने आकर उन्हें यह बताया है अथवा उनका धन्यवाद किया है।

श्रीमती शीला कौल : यही दिक्कत है। वे कभी भी आकर हमें यह नहीं बताते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : वे नहीं आए थे।

श्रीमती शीला कौल : अगर मुझे बता दें कि आपका क्या बाकी रह गया है तो,

श्री हरिकेश बहादुर : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में बता दें।

श्रीमती शीला कौल : अगला मुद्दा यह था कि अनुसूचित जाति के कुछ छात्रों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। हमें मालूम हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये विज्ञान विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें हैं और वे इन्हें सीटें दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयन्ती पटनायक।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, हम अपने मंत्री महोदय के बड़े ही आभारी हैं जो यह पहले ही बता चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और अविकसित क्षेत्रों तक फैलाने के लिए सरकार ने सम्मिलित प्रयास किए हैं। परन्तु छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं तक, विश्व-विद्यालय स्तर तथा व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश पाने में कठिनाई है और यह एक समस्या है। अर्ध-शहरी क्षेत्रों के अत्यन्त निकट ही ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ के छात्र प्रायः अपने मन पसंद के विद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं निस्संदेह, मंत्री महोदय ने यह बताया हैं कि समस्या केवल इस-लिए उठ खड़ी होती है कि अपनी मनपसन्द के विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की संख्या अधिक होती है। परन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि चूंकि ये विद्यालय वहां स्थित हैं और सरकार की बात माने बिना, उन्होंने बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया है और इसीलिए आवश्यक व्यापक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि ऐसी बात है तो हमें उन कठिनाइयों को देखना होगा कि जिनका चार वर्ष की आयु-वर्ग में, छोटी कक्षाओं के छात्रों द्वारा सामना किया जाता है, और उन्हें दूर करना होगा। चार वर्ष की आयु के बच्चे के लिए भी या पांच वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चे के लिए भी प्रवेश के समय अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। यदि वह अपनी योग्यता सिद्ध कर भी देता है तो कुछ विद्यालयों की अपनी विशेष प्रवेश प्रणाली है जो कि प्रवेश देते समय भारी पंजीकरण शुल्क, शिक्षा शुल्क और चन्दा आदि लेते हैं। परन्तु मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इन कठिनाइयों को दूर करने के उपायों और साधनों की खोज करे। कम से कम प्रवेश परीक्षा लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों में बाह्य परीक्षक भेजे जा सकते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि ये विद्यालय केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए होते हैं जिनका कि स्थानान्तरण होता रहता है। परन्तु तब केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को यह कहकर प्रवेश नहीं दिया जाता है कि उसके पिता की नौकरी स्थानान्तरणीय नहीं है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं हो सकता। यदि भविष्य में उसे चतुर्थ श्रेणी में भी पदोन्नति मिलती है और ऐसा कोई उसमें पद नहीं है तो उसे कहीं और स्थानान्तरित करना होगा। अतः इस आधार पर उसे प्रवेश देने से कैसे मना किया जा सकता है ?

यदि प्राइवेट और पब्लिक विद्यालय नहीं होते तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सीटों की उप-लब्धता और मांग के बीच कितना अन्तर होता ?

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जो होड़ चल रही है उससे जमा दो नीति की असफलता का

पता चलता है। जमा दो की टर्मिनल व्यावसायिक प्रणाली के सिद्धांत को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली आकर्षक नहीं रही हैं और इसीलिए छात्र महाविद्यालय शिक्षा की ओर भागते हैं। मैं इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहती हूं। गत वर्ष समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि दिल्ली में 10,000 योग्य छात्रों को हो सकता है, स्नातक-पूर्व कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिले। और यदि अन्य राज्यों से भी छात्र प्रवेश के लिए आते हैं तो संख्या और बढ़ जायेगी। यह बताया गया था कि विज्ञान, वाणिज्य और कला में क्रमशः 4015, 6600 और 12000 स्थान उपलब्ध थे और इन पाठ्यक्रमों के लिए जिन छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था उनकी संख्या क्रमशः 8000, 9200 और 17000 थी। दिल्ली में इस वर्ष क्या स्थिति है ?

माननीय सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई प्रवेश नीति का उल्लेख किया है। 5 अगस्त के 'दि स्टेट्समैन' में एक नया समाचार छपा है जिसमें कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय में अपनाई जा रही नवीन प्रवेश नीति से, आवश्यक रूप से इसके शैक्षिक स्तर को उठाए बिना, विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्वरूप के नष्ट होने की संभावना है। यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों और आर्थिक पिछड़ेपन के मुद्दों को छोड़ दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय में प्रवेश नीति में परिवर्तन उड़ीसा जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के छात्रों के विरुद्ध है, जहां से इससे पहले काफी लोग आते थे। इससे महानगरों के छात्र फायदे में हैं। अस्थायी आंकड़े यह बताते हैं कि इस वर्ष इस विश्व-विद्यालय में दिल्ली से लगभग 42 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दिया गया है, जबकि गत 9 वर्षों में दिल्ली के छात्रों का प्रतिशत लगभग 20 से 25 रहा है। यह क्या सत्य नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय अपने उस स्वरूप को खोता जा रहा है जो कि पहले था।

एक और कारण यह भी है कि नई नीति के अधीन 10+2+3 शिक्षा पद्धति से आने वाले छात्र इसके पात्र हैं। पाठयक्रम विवरणिका में यह बताया गया है कि जिन छात्रों ने 10+2+3 या उसके समान शिक्षा पाई है वे प्रवेश के योग्य है। परन्तु 'समान' शब्द की व्याख्या भिन्न रूप से की गई है। विद्या परिषद् ने निर्णय लिया है कि 11+2+2 पद्धति वाले राज्यों की स्नातक उपाधि भी वैध होगी। परन्तु ऐसे मामले भी हुए हैं जबकि छात्रों को इस आधार पर प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई कि इन विश्व-विद्यालयों ने केवल 10 वर्ष तक विद्यालय में पढ़ने के बाद जमा

1.00 म० प०

दो श्रेणी में दूसरे राज्यों के स्कूलों से आने वाले छात्रों के मामलों में प्रवेश दिया है। गत वर्ष से ही उड़ीसा जैसे बहुत से राज्यों में इस एक समान 10+2+3 पद्धति को लागू किया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि केवल पांच या छह वर्ष बाद ही ये छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के योग्य हो सकेंगे और इन तमाम वर्षों में बिहार और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। अतः मैं अनुरोध करूंगी कि सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करे।

कुछ केन्द्राय विश्व-विद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी भाग-दौड़ रहती है, क्योंकि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की वर्तमान अनुदान नीति के कारण केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को और अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की कुल सहायता राशि का पचास

प्रतिशत केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को जाता है और शेष पचास प्रतिशत देश भर के अन्य विश्व-विद्यालयों को जाता है। अतः, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि अन्य विश्व-विद्यालयों में वेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वह इस नीति पर पुनर्विचार करें। वि० अ० आयोग की कुल सहायता राशि का 75 प्रतिशत अन्य विश्व-विद्यालयों को मिलना चाहिये और 25 प्रतिशत केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि यदि अविकसित क्षेत्रों की जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान देना है तो महानगरों में प्रवेश की होड़ को कम किया जाए, । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए वह आदिवासी-बहुल राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में अलग से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रावधान पर विचार करेंगे ?

अब मैं पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता की समस्या पर आती हूं। यह सच है कि छात्रों और माता-पिता को पुस्तक-विक्रेताओं के यहां लम्बे समय तक लाइन लगानी पड़ती है या पाठ्य पुस्तकों की खोज में एक दूकान से दूसरी दूकान तक पागलों की तरह भागना पड़ता है, विशेषकर प्रत्येक शिक्षा वर्ष के प्रारंभ में। मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, मंत्री महोदय ने बताया था कि छूट प्राप्त सफेद छपाई कागज के कोटे को कम कर दिया जाता है और राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यह कागज आवंटित नहीं किया जा सका। पाठ्य-पुस्तकों की कमी का यह भी कारण होगा। दूसरे, जब कागज उपलब्ध कराया जाता है तो हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या पांडुलिपि समय पर मुद्रणालय में जायेगी ? अतः, विलम्ब से बचने के लिए, हमें यह सब सोचना पड़ता है।

और फिर, महोदय जैसाकि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि कागज की कीमतें भी बढ़ गयी हैं। यद्यपि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि पाठ्य-पुस्तकों की कीमतों को सीमा में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु मैं कहूंगी कि इन पाठय-पुस्तकों के अलावा अन्य पूरक पुस्तकें भी हैं जिनकी कीमतें आकाश को छू रही हैं। अतः, मैं यह जानना चाहूंगी कि राज्यों को और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या अन्य संस्थाओं को कागज का आवंटन करने के अतिरिक्त, सरकार आवश्यकता को पूरा करने के लिए और क्या-क्या कदम उठा रही है? कुछ अन्य कारण भी हैं। कागज की सप्लाई के लिए, प्रकाशकों को कागज के आवंटन की पद्धति को अपनाना पड़ता है, जो कि एक विस्तृत प्रक्रिया बन गई है । इसका यह अर्थ हुआ कि विश्व-विद्यालयों और विद्यालयों से लिखित प्रमाण लेकर, प्रकाशक को ऐसे कागज के लिए यह कह कर मांग भेजनी होगी कि पुस्तकें निर्धारित कर दी गई हैं और वहां के छात्रों की संख्या के अनुसार अमुक मात्रा में कागज चाहिये। निस्सन्देह, यह सब असंगति से बचने के लिए है, परन्तु इससे अनावश्यक विलम्ब होता है। कभी-कभी शिकायतें सुनी गई हैं, कि यह वास्तविक छात्र संख्या तक नहीं पहुंच पाता है। इन सभी बातों को देखते हुए पाठय-पुस्तकों की कमी को दूर करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किये जाने हैं ? क्या सरकार ने कोई नई पाठय-पुस्तक नीति लागू की है ? यदि हां, तो यह कब लागू की गई थी और पाठय-पुस्तकों की कमी को दूर करने में ऐसी नीति कहां तक सहायक रही है ? क्या पाठय-पुस्तक निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो, यह कब स्थापित किया जायेगा और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

अब मैं पाठ्य-पुस्तकों हेतु सस्ती दरों पर अच्छे कागज की सप्लाई की बात करती हूं। मंत्री महोदय ने 1983-84 के आंकड़े दिए हैं। मैं गत दो वर्ष के आंकड़े जानना चाहती हूं और 1984-85 में क्या संख्या होगी। क्या छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ कागज के आवंटन में भी वृद्धि हो रही है? छात्रों और पुस्तकों के बीच अनुपात क्या हैं?

अब चूंकि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि कागज का कोटा पर्याप्त नहीं है तो क्या आप इसका आयात करने जा रहे हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालयों से समन्वय करने के लिए मंत्रालय कौन से उपाय कर रहा है?

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या नारवे सरकार और भारत सरकार के द्विपक्षीय समझौते में कागज को भी सम्मिलित किया गया है और यदि हां तो, क्या उससे राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कागज की कमी पूरी हो जायेगी।

जहां तक कापियों की सप्लाई की स्थिति है; यद्यपि मंत्री महोदया का यह कहना है कि उन्हें किसी राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है, परन्तु हम जानते हैं कि छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उन्हें ऊंचे दामों पर कापियां खरीदनी पड़ रही हैं। इससे कापियों के निर्माण के मामले में सरकारी सहायता देने का उद्देश्य ही असफल हो जाता है। यदि राज्य सरकारें इस पर नियमित रूप से निगरानी नहीं रख रही है तो उन पर कड़ा से कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये। हमें यह भी सोचना चाहिये कि क्या उपभोक्ता संघ इस मामले में कोई भूमिका निभा रहा है।

क्या सरकार कागज की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कागज को आवश्यक वस्तु घोषित करने पर विचार कर रही है? क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कापियां बाजार में कभी नहीं पहुंचती हैं? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पाठ्य-पुस्तकों की छपाई के लिए जो कागज का कोटा दिया जाता है उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसका अन्य किताबें छापने में उपयोग किया जा रहा है अथवा काला-बाजारी की रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या केन्द्र सरकार कोई पाठ्य-पुस्तकें छाप रही है?

श्रीमती जयंती पटनायक : राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद किताबें छापती हैं।

मैं आशा करती हूं कि माननीया मंत्री जी इन प्रश्नों का जवाब देंगी।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, माननीय सदस्या ने इतने प्रश्न पूछ डाले हैं कि समझ नहीं आ रहा कहां से जवाब देना शुरू करूं।

उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने की बात कही। मैं उन्हें जानकारी दे दूं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं परन्तु उन बच्चों के माता-पिता की नौकरी स्थानान्तरणीय होनी चाहिये और वे सरकारी कर्मचारी होनी चाहिएँ।

श्रीमती जयंती पटनायक : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी स्थानांतरणीय कर्मचारी हैं।

श्रीमती शीला कौल : अत: जब उनका स्थानांतरण होता है, तो वे विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। अगर बच्चा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में आता है तो उसे दाखिला प्राप्त करने में अच्छी सम्भावना रहती है। परन्तु जिनके पिता को चार या पांच दफे तबादला हो चुका है, उस बच्चे को दाखिला मिलने की अधिक संभावना है, बजाय उस बच्चे के जिसके पिता का सिर्फ एक बार तबादला हुआ है। अत: केन्द्रीय विद्यालयों ने बच्चों के दाखिले के लिए कतिपय शर्तें निर्धारित कर रखी हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : परन्तु ऐसे भी मामले हैं जिसमें दो या तीन बार पिता का तबादला हो चुका है परन्तु उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिला है।

श्रीमती शीला कौल : ऐसा इसलिए होगा कि अन्य बच्चों की संभावना अधिक होगी और वे उच्चतर श्रेणी में आते हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की धारणा है कि उनके बच्चों को वहां दाखिला नहीं मिल रहा है।

श्रीमती शीला कौल : यह सही नहीं है। अगर आप दाखिलों को देखें तो आप पायेंगे कि हमारे यहां कोई शर्त नहीं है कि बच्चा सिर्फ उच्च श्रेणी अथवा समृद्ध वर्ग का होना चाहिए और चतुर्थ श्रेणी के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जायेगा यह सच नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि हमें दिमाग में ऐसे विचार नहीं लाने चाहियें क्योंकि हम समाज के समाजवादी ढांचे की प्राप्ति की ओर कार्यरत हैं। हमारे लिये सभी बच्चे समान हैं। उनके माता-पिता अमीर हों अथवा निर्धन जब वे केन्द्रीय महाविद्यालयों में दाखिला लेने आते हैं तो सभी शर्तें पूरी करने पर उन्हें वहां दाखिला मिल जाता है।

विद्यालयों में जो भी लोग दाखिला लेना चाहें आम तौर पर सभी के लिये सीटें होती हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में दाखिला लें और हमने पंजीकरण अभियान शुरू किया है। क्योंकि हम सभी को प्रारम्भिक शिक्षा देने की शर्त को पूरा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिला लें।

यह भी सच है कि शिक्षा के व्यावसायीकरण में भी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी हम चाहते थे। इसका मुख्य कारण है कि यह राज्य का विषय रहा है और राज्य सरकारें इस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं हो सकी हैं। केन्द्र सरकार शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए राज्य सरकरों से निरन्तर सिफारिश करती आयी है। हम अधिक व्यावसायीकरण कार्यक्रमों को लागू करना चाहते हैं सातवीं योजना में यह भी हमारा एक लक्ष्य है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पात्रता के संबंध में, मैंने पहले बताया है कि 10+2 पद्धति के पश्चात एक प्रवेश परीक्षा है। जिन छात्रों ने 19 वर्षों की शिक्षा से डिग्री प्राप्त की थी वे छात्र एम. ए. अथवा एम. एस. सी. की प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करके इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं।

कुछ विद्यार्थियों ने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की है और मामला अदालत के समक्ष हैं। परन्तु व्यक्तिगत रूप में मैं महसूस करती हूं कि ये सभी दाखिला नीतियां विद्या परिषद बनाती हैं और हम, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालयों के कार्य में दखल नहीं देते।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : परन्तु विद्या परिषद ने इस 11+2+3 योजना को स्वीकार कर लिया है।

श्रीमती शीला काल : तो फिर यह मान्य होगी।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : किन्तु वे नहीं ले रहे हैं। यही मेरा मुद्दा है। विश्वविद्यालय उन्हें नहीं ले रहा है।

श्रीमती शीला कौल : तो हम इस इसकी जांच करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे।

पाठय-पुस्तकों के बारे में दिक्कत के संबंध में, मैं बताना चाहूंगी कि यह कागज की कमी के कारण है। उद्योग मंत्रालय हमें कागज देता हैं और उसमें से शिक्षा मंत्रालय विभिन्न राज्यों को कागज आवंटित करता है और यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि जहां कहीं भी जरूरत हो वहां कागज का वितरण करें। इस कार्य को करने के लिए उनकी अपनी समितियां हैं, और यह पूर्णतया उन्हीं पर निर्भर है कि वे इस कागज का वितरण किस तरह करें। हम कागज पहले ही दे देते हैं ताकि पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकायें तथा परीक्षा पत्र आदि सभी पहले से ही भेज दिए जायें और सारा कार्य ठीक से होता रहे।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : परन्तु राज्यों को अपेक्षित आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्रीमती शीला कौल : यह सही है। ऐसा कागज की कमी के कारण हैं। किसी अन्य वजह से कागज की कमी है। हड़तालें हो रही हैं। बिजली नहीं है कभी-कभी कच्चे माल का अभाव रहता है इसी तरह की स्थितियां होने से अपेक्षित कागज की कमी है।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी और सहानुभूति दिखलाई है। लेकिन कई समस्यायें ऐसी हैं, जिन को हरिकेश बहादुर जी और श्रीमती जयन्ती पटनायक जी ने आप के सामने रखा है, में उन को नहीं दोहराऊंगा और ज्यादा समय न लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा। आजादी के 36 साल बीत जाने के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को जो आरक्षण दिया गया हैं, उन का कोटा हर क्षेत्र में आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में केन्द्रीय स्कूलों मे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण के कोटे के बराबर नहीं लिया जाता है। इस बारे में हम लोगों ने बारबार मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, फिर भी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है।

आरक्षण का आजकल कुछ अजीब अर्थ निकाला जाता है। हमारे गुजरात में अनुसूचित

जातियों की आवादी 30 लाख है और 7 परसेन्ट उनको आरक्षण दिया जाता है। वहां पर मैडिकल कालिज में अनुसूचित जातियों को-11 सीटें 1983 में मिलीं। जिन लोगों को आरक्षण के आधार पर एडमीशन मिला—वह भी छूआछूत के बेसिज पर नहीं था। जैसे हमारे यहां मोची जाति छूआछूत में नहीं आती है, वह आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ रहती है, हरिजनों से छूआछूत रखती है, मरे हुए पशुओं को नहीं उठाती है, कच्चे चमड़े को नहीं छूती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको शेडयूल्ड कास्ट्स में लिया गया और सरकार ने उन 11 सीटों में से 9 सीटें मोची जाति के विद्यार्थियों को दीं, इस तरह से 30 लाख शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के बीच केवल 2 सीटें दी गई और वह भी शेडयूल्य कास्ट्स के उन बच्चों को दी गई जिन के 75 से 80 परसेन्ट मार्क्स थे, जब कि जैनरल में 56 से 60 परसेन्ट मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को भी एडमीशन मिला। ऐसा क्यों हुआ ? आरक्षण के मायने यह नहीं हैं कि उनको जैनरल में मौका न दिया जाय। इन दो विद्यार्थियों को जिन के 75 से 80 परसेन्ट मार्क्स थे उनको जैनरल में मौका दिया जाना चाहिये था। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं—आरक्षण के नियमों में जो विघटन हो रहा है इसको ठीक करने की जरूरत है. जितने लोग मार्क्स के आधार पर जैनरल में आ सकते थे उनको जैनरल में लिया जाना चाहिये था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बनिये, ब्राह्मण, पटेल, ठाकुर, राजपूत ये सब जैनरल सीटें ले जायेंगे और हम लोगों को दो-तीन से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो मेरे बच्चे डाक्टर, प्रोफेसर और एडवोकेट कैसे बनेंगे। यह जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए प्रतिबन्ध है इसको हटाया जाना चाहिए।

जब हमारा देश आजाद नहीं था तब हमारे गायकवाड़ी राज में सयाजीराव गायकवाड़ ने गांव-गांव में पिछड़े समाज के लोगों के और हरिजन लोगों के पढ़ने के लिए अलग-अलग स्कूल खोल रखे थे। अगर उन स्कूलों में हिन्दू टीचर पढ़ाने को नहीं जाते थे तो मुसलमान टीचर रखे जाते थे। क्या सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे लाने के लिए गांव-गांव में उनके लिए अलग स्कूल बनाने पर विचार कर रही है ? मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसी व्यवस्था करे। उनके लिए मैडिकल कालिज और इंजीनियरिंग कालेज भी खोले जाएं।

बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रधान मंत्री जी ने टेक्नीकल ट्रेनिंग स्कूल शुरू किये हैं। उनमें भी हरिजनों और आदिवासियों का कोटा पूरा नहीं होता है। ऐसे स्कूलों में भी पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरा स्थान नहीं मिलता है। इस बारे में मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रही हैं ?

सब जानते हैं, मंत्री जी भी जानती होंगी कि बहुत से लोगों को मैडीकल और इंजीनियरिंग कालेजों में डोनेशन देने पर एडमीशन मिल जाता है। हमारे यहां एक डाक्टर की लड़की है जो कि पचास परसेंट से कम अंकों से पास हुई थी फिर भी उसको कलकत्ता में सवा लाख रुपया दे कर एडमीशन मिल गया। इस तरह से आज शिक्षा बिक रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समानता और स्वतंत्रता के आधार पर लोकतंत्र चलता है। अगर शिक्षा में भी ऐसी बातें होंगी तो समानता कैसे आयेगी ? इस विषय में सरकार क्या कर रही है ?

मैं मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करता हूं कि मोची जाति को गुजरात में शेड्यूल्ड कास्ट्स से निकाला जाए क्योंकि ये लोग अनटचेबल नहीं हैं। आप इनको हटाने के लिए काम करें।

अभी मंत्री जी ने जबाव देते हुए बताया कि यह प्राब्लम स्टेट की है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर राज्य नहीं होते तो केन्द्र कैसे बनता। ये सारे राज्य मिल कर ही तो केन्द्र को बनाते

हैं। राज्यों के आधार पर केन्द्र है। राज्यों में जो गड़बड़ी होती है उससे न्याय दिलाने के लिए केन्द्र बीच में नहीं आयेगा तो कौन आयेगा ? लोगों को केन्द्र के बीच में आये बगैर न्याय कैसे मिलेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों के बीच में केन्द्र को आना चाहिए। बगैर राज्यों के केन्द्र नहीं हो सकता है। इस माननीय सदन के सारे सदस्य भी राज्यों से चुन कर आते हैं और उन्हीं से यह पार्लियामेंट बनी है। स्टेटों में अगर कोई अन्याय होता है तो उससे केन्द्र को न्याय दिलाना है और साथ ही स्टेटों पर केन्द्र को नियंत्रण भी रखना है। अगर केन्द्र स्टेटों की प्राब्लम स्टेटों पर छोड़ देगा तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटों के सवाल पर केन्द्र को बीच में आना चाहिए।

दूसरे मैं यह भी चाहता हूं कि जो धनी लोग डोनेशन दे कर स्कूल में अपना हक जमा लेते हैं उसे खत्म किया जाना चाहिए। किसी ने 60 हजार रुपया किसी स्कूल में डोनेशन दे दिया अब उसे उस स्कूल में जिन्दगी भर के लिए चार-चार सीटें मिल जाती हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में एक-एक सीट के लिए लाखों रुपया लिया जाता है। ऐसी प्रथा को सरकार को नेस्तो-नाबूद करना चाहिए। नहीं तो लोगों को न्याय नहीं मिल पायेगा।

पूरक पुस्तकों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर इनकी कीमतें आप नहीं घटायेंगे तो यह गरीब विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। इन पूरक पुस्तकों की कीमतें सरकार को घटानी चाहिए।

मैं छात्रावासों के बारे में बताना चाहता हूं। सन् 1950-52 में तीन रुपये का बीस किलो बाजरा आता था अब वह चालीस रुपये का आता है। तीन रुपये की जगह वह 40 रुपये कीमत हो गई है लेकिन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए उसी अनुपात से उनकी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई गई है। इसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो मोची का सवाल, अनुसूचित जन-जातियों के लिए अलग स्कूल और कालेज बनाने का सवाल उठाया है, उन पर केन्द्र सरकार की ओर से ध्यान दिया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक नया सुझाव आया है। पेज--84, कालम--15 और पैरा--13 में लिखा है कि आरक्षण आमदनी के आधार पर दिया जायेगा। जिस व्यक्ति की आमदनी एक साल की बारह हजार हो गई तो उसका बच्चा पढ़ेगा नहीं और न ही उसको नौकरी मिल पायेगी। इससे हम लोगों को समान अधिकार देने की भावना जो बनी है, उसका खण्डन होगा। मैं मांग करता हूं कि इस पैरा--13 को निकाल दिया जाए।

श्रीमती शीला कौल : अभी श्री परमार ने कहा है कि पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है, वह पूरा नहीं किया जाता क्योंकि वहां जो मोची जाति के लोग हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट्स में माना जाता है।

श्री हीरालाल आर० परमार : मोची जाति अलग है।

श्रीमती शीला कौल : किसको शेड्यूल्ड कास्ट माना जाए और किसको नहीं माना जाए, यह तो होम मिनिस्ट्री डील करती है। बेहतर यह होगा कि हमारे सदस्य महोदय होम मिनिस्ट्री को इस विषय में लिखें। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी मिनिस्ट्री में यह नहीं

होता है। इन्होंने, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए अलग से होस्टल व स्कूल आदि बनाने के लिए कहा है। मेरा तो यह नजरिया है कि सब एक हैं और सब भगवान के बच्चे हैं। यह जरूर है कि जो पढ़ने-लिखने में पिछड़ गए हैं, उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाए। इन्सान के टुकड़े कर देंगे तो वह इन्सान नहीं दिखेगा। कहीं पर उसके हाथ होंगे और कहीं पर पांव होंगे। कम्पलीट आदमी वह नहीं दिखेगा। मैं तो यही चाहती हूं कि हम सब मिलकर रहें उतना ही इन्सान के लिए बेहतर होगा। कैपीटेशन फीस के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। मैंने पहले भी बताया था कि कैपीटेशन फीस के बारे में हमने राज्य सभा में एक बिल पास करवाया है। उसमें यह है कि किस तरह से हम फीस को रेग्युलेट कर सकें और जहां ज्यादा चार्ज किया है, वह क्यों और कैसे किया जा रहा है। इस सत्र में इस सदन में भी उस बिल को लाने का इरादा है। मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में उस वक्त जरूर बोलें। इन्होंने एक डॉक्टर की बात भी कही है। वह तो हैल्थ मिनिस्ट्री का मामला है। उनको भी हम लिख देंगे कि किस तरह से वहां पर गड़बड़ हुई है, इसकी जानकारी ले लेंगे। यह भी जिक्र किया गया कि कुछ जिम्मेदारी जो कि स्टेट की है, वह केन्द्र सरकार को उठानी चाहिए। इसके लिए तो एक नया कास्टीच्युशन ही लाना पड़ेगा। मैं नहीं समझती कि यह कहां तक मुनासिब होगा ?

श्री जैनुल बशर : (गाजीपुर) उपाध्यक्ष जी, सब को समान अवसर के सिद्धांत की जितनी हत्या शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है, उतनी शायद किसी दूसरी जगह नहीं हो रही है। एक तरफ समाज का वह भाग है, जहां आज एडमीशन के लिये बोर्ड लगे हुये हैं। चाहे वे पब्लिक स्कूल हों, अच्छे कालेज हों या अच्छी यूनिवर्सिटी हों, वहां दाखले के लिये हर तरह के फेयर एण्ड फाउल तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ समाज का वह भाग है, जो कि बहुत बड़ा है, उसके लड़कों को पढ़ने की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं है। आज हिन्दुस्तान में 70 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल बिना छत के पड़े हुये हैं जहां बरसात के मौसम में पढ़ाई-लिखाई नहीं हो सकती। लाखों स्कूलों का अपना कोई भवन नहीं है और खुले आकाश के नीचे विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। उनमें कोई साज-सज्जा भी नहीं है। हमारे देश का एक बड़ा भाग ऐसी शिक्षा ग्रहण करने पर मजबूर हो रहा है। मैं देखता हूं कि इस असमानता को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हम सभी लोग,चाहे वे समाज के नेता हों, अधिकारी हों, राजनीतिज्ञ हों या मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हों, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान देश के उन करोड़ों बच्चों की तरफ नहीं जाता जो शिक्षा के मामले में उपेक्षित हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं।

हमारी सरकार यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजूकेशन की बात करती है, लेकिन उस दिशा में क्या पग उठाये जा रहे हैं, उस पर कितना अमल किया जा रहा है। क्या 1990 तक आप उस लक्ष्य को पूरा कर पायेंगे ? आज उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त आठवीं कक्षा तक एजूकेशन फ्री है। लेकिन सिर्फ फीस माफ कर देने से ही मंशा पूरी नहीं हो सकती। आप अच्छी शिक्षा कैसे देने जा रहे हैं। एक तरफ तो अच्छे स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं और दूसरी तरफ गांवों के स्कूलों और म्युनिसिपैलिटीज के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं, यदि उन दोनों का टैस्ट लिया जाए और कहा जाए कि आपका एडमीशन मैरिट के आधार पर किया जाएगा तो मैरिट तो पब्लिक स्कूल में पढ़े बच्चों की ही बनेगी। म्युनिसिपैलिटी या गांव के स्कूलों में पढ़े बच्चों की मैरिट बनने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए उसका एडमीशन मैरिट के आधार पर कैसे हो सकता है ? इसका हमारे माननीय मंत्री जी के पास क्या जवाब है ?

मैं यहां एक और बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। क्या शिक्षा में समानता लाने की दिशा में आप वास्तव में कदम उठाने जा रहे हैं ? क्या आप पब्लिक स्कूलों को खत्म करने जा रहे हैं या नहीं ? क्या आपने नेबरहुड स्कूल के सिद्धांत को लागू करने जा रहे हैं या नहीं ? जब तक ये बातें आप नहीं करते, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर की बात कहना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है।

आप एडीमीशन में मैरिट की बात करते हैं लेकिन समाज के किस तबके के बच्चों में आज मैरिट मिलता है। क्या मैरिट वाली बात समाज के निम्न तबके के लिए कहते हैं या दूसरे लोगों के लिए भी कहते हैं। गांव में पढ़े लिखे बच्चों और म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़े बच्चों के मैरिट पर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां शिक्षा के अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं हैं क्या उसके लिए मैरिट की बात की जाती है। इसलिये शिक्षा को आपको समान रूप देना पड़ेगा। नेबरहुड स्कूल के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। गांव के स्कूलों, शहर के स्कूलों, म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों और कस्बों के स्कूलों की शिक्षा का स्तर ऊंचा करना होगा तथा पब्लिक स्कूलों में, जहां फेयर एण्ड फाउल आधार पर एडमीशन होते हैं, आज ये स्कूल व्यापार के रूप में विकसित हो रहे हैं, चाहे वे बड़े शहरों में हों, छोटे शहरों में हो या कस्बों में हों। आज 15, 20, 25 रु० फीस ली जाती है और एडमीशन्स में 5,000 रु० से लेकर 50,000, 1,00,000 रु० डोनेशन के नाम पर लिया जाता है तब जाकर एडमीशन्स होते हैं। तो बुनियादी सवाल यह है कि इस मामले में आप क्या करने जा रही हैं।

जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक अच्छी परम्परा कायम की गई थी कि वहां पर पिछड़े क्षेत्र से आये हुए लड़कों को वेटेज मिलता था, उनके अंकों में 5, 7, 8, 10 परसेंट का वेटेज मिलता था जिसका नतीजा यह होता था कि पिछड़े क्षेत्र के कुछ लड़के, वह भी मेरिट में आये हुये तेज लड़के ही यहां दाखिला पा जाते थे। लेकिन वह सिस्टम खत्म कर दिया गया। शिक्षा मंत्री कह रही हैं कि 21 स्थानों पर उसके सेलेक्शन्स, ऐग्जामिनेशन्स होते हैं। लेकिन 21 स्थानों में दिल्ली के आदमी को भुवनेश्वर में बैठने से कौन रोक सकता है ? बम्बई के आदमी को अहमदाबाद में बैठने से कौन रोक सकता है ? समाचार-पत्रों में जो खबरें आयी हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो ऐडमीशन्स हुए हैं उसमें 60, 70 प्रतिशत लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और अभी जगहें खाली हैं, पूरे ऐडमीशन्स नहीं हुए हैं। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार कीजिये, इस बात को लेकर देश में बहुत असंतोष है कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो बैकवर्डनेस और बैकवर्ड एरियाज को वेटेज मिलता था वह मिलना चाहिये। आप यह नहीं कह सकतीं कि ऐकेडेमिक काउन्सिल ने यह फैसला किया है। आखिर सरकार किस लिए है ? अगर ऐकेडेमिक काउन्सिल किसी के साथ ज्यादती करती है, किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव करती है, कमजोर लोगों के ऊपर उठने के रास्ते में रुकावट बनती है तो सरकार को दखल देना चाहिये। हर मामले में नहीं, लेकिन इस दाखिले के मामले में जरूर आपको दखल देना चाहिये, और यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि ऐकेडेमिक काउन्सिल ने फैसला किया है इसलिये हम दखल नहीं देंगे। इसमें सरकार को जरूर दखल देना चाहिये और मैं मांग करता हूं कि सरकार इस मामले में दखल दे।

हमारी शिक्षा मंत्री जी बड़ी उदार हैं, ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं, हमें कोई उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे इतना उनसे जरूर निवेदन करना है कि जवाहरलाल यूनीवर्सिटी की ऐडमीशन पौलिसी को बदलिये और जो ऐडमीशन पौलिसी पहले थी उसको लागू कीजिये।

उपाध्यक्ष जी, अब मैं यूनीवर्सिटी के ऐडमीशन्स की तरफ आना चाहता हूं । सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली यूनीवर्सिटी में ऐडमीशन के लिये होती है । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि दिल्ली यूनीवर्सिटी हमारे देश में शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बनती जा रही है । सारे देश के अच्छे लड़के दिल्ली में आकर पढ़ना चाहते हैं और दिल्ली में भी उन कालेजों में पढ़ना चाहते हैं, 4, 5 कालेज जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं । इसलिये यह भीड़ होती है । मंत्री जी सही कहती हैं पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से कालेज दिल्ली में हैं वहां जाकर पढ़ें । लेकिन वह लड़के चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश या पिछड़े क्षेत्र से आते हों वह दिल्ली में आ कर पढ़ने के लिये लालायित हैं, और दिल्ली यूनीवर्सिटी की पढ़ाई भी अच्छी है । जो हमारे यहां आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, ऐलाइड सर्विसेज के इम्तहान होते हैं उसमें भी दिल्ली यूनीवर्सिटी के लड़के काफी संख्या में आते हैं । इसलिये दिल्ली यूनीवर्सिटी की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है । इस समस्या का समाधान कैसे हो? पहले हमारे देश में कुछ यूनीवर्सिटीज बहुत अच्छी मानी जाती थीं, जैसे इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास यूनीवर्सिटीज...और भी कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी मानी जाती थीं । वहां भी अच्छे, ब्राइट, तेज लड़के जाया करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे और कम्पीटीशन में भी बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन अब कुछ हवा उलट गई है, पता नहीं क्यों, उन यूनिवर्सिटीज में अच्छे लड़के नहीं जाते ? अब वे दिल्ली में आना चाहते हैं, उसका एक मुख्य कारण यह है कि उन यूनिवर्सिटीज की जो हैसियत पहले थी, जिस प्रकार उनमें पढ़ाई-लिखाई का काम होता था, वह समाप्त होता जा रहा है । वह यूनिवर्सिटीज स्टेटस की हैं और स्टेट गवर्नमेंटस उन यूनिवर्सिटीज के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती हैं जो किसी नई खुली हुई यूनिवर्सिटी के साथ करती हैं ।

हमारे यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, मुझे सौभाग्य है कि मैं उस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी समझी जाती थी, लेकिन आज राज्य सरकार उसको कोई विशेष रियायत नहीं देती । उसे भी उसी प्रकार सुविधा देनी पड़ेगी जिस प्रकार से मेरठ, गोरखपुर और दूसरी यूनिवर्सिटीज को देते हैं ।

जैसा हमारी माननीय सदस्या श्रीमती जयन्ती पटनायक ने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन सबसे अधिक सहायता सैंट्रल यूनिवर्सिटीज को देता है और दूसरी यूनिवर्सिटीज को बहुत ही कम सहायता देता है ।

मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि अब ऐसा समय आ गया है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या भी बढ़ाई जाये और ऐसी यूनिवर्सिटीज, जो पहले पास्ट में, भूतकाल में अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थीं, जैसे इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास यूनिवर्सिटीज, इनकी भी सैंट्रल यूनिवर्सिटीज बना दिया जाये । अगर इन्हें भी सैंट्रल यूनिवर्सिटीज बना दिया जाये और इन्हें भी उसी प्रकार की सुविधाएं दी जायें, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को दी जाती हैं तो मैं समझता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बोझ कम हो जायेगा और लोग इनमें भी पढ़ना शुरू कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदया, अब समय आ गया है कि ऐसी यूनीवर्सिटीज को भी सैंट्रल यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया जाये और मुझे आशा है कि आदरणीया शिक्षा मंत्री जी और उनका विभाग इस मामले में गंभीरता के साथ विचार करेगा ।

जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि कैपिटेशन फीस, डोनेशन्ज, चन्दे के नाम पर पब्लिक स्कूलों में, मैडिकल कालेजेज और इंजीनियरिंग कोलेजेज में एडमीशन् हो रहे हैं, मंत्री महोदय ने एक बिल पेश किया है, मैंने उसे देखा नहीं है, उसके आने पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

टैक्स्ट बुक्स और कापीज के बारे में मंत्री महोदय कह देंगी कि यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन मुझे यह बात याद दिलानी है कि हमारे संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, पहले यह राज्य की सूची में हुआ करता था। शिक्षा कान्कैरंट लिस्ट में नहीं था, स्टेट लिस्ट में था, लेकिन जबसे इसे कान्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में रखा गया है तो सोच-विचार कर ही रखा गया होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का अधिकार ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए उसको कानकरन्ट लिस्ट में रखा गया था।

जिन बच्चों का एडमिशन पाँच हजार या पचास हजार रुपये का डोनेशन देकर कराया जाता है या जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पेयरेंटस और गार्डियन्ज के लिए कापी की कीमत साठ पैसे से बढ़ कर दो रुपए होना परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जहां तक उन करोड़ों विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, जो गांवों के स्कूलों में या शहरों के म्यूनिसिपल बोर्ड या कार्पोरेशन के स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर कापी की कीमत साठ पैसे से अस्सी पैसे हो जाए, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।

हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां पर आम शिकायत है कि टैक्स्ट बुक्स और कापियां नहीं मिल रही हैं और खुले-आम उनका ब्लैक चल रहा है। कापी पर साठ पैसे मूल्य लिखा हुआ है, लेकिन वह एक या सवा रुपये में बिक रही है। कापियों का साइज भी लगातार कम हो रहा है। बच्चों के लिये सप्लीमेंटरी बुक्स जरूरी है, मगर उनके लिए कागज का कोई कोटा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनके दाम भी आसमान को छू रहे हैं। टैक्स्ट बुक्स की भी वही हालत है। जितनी आवश्यकता है, उतनी टैक्स्ट बुक्स उपलब्ध न होने के कारण वे भी ब्लैक में बहुत अधिक दाम पर बिक रही हैं।

मैं अक्सर गांवों में घूमता रहता हूं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं, जिन्हें साल बीतने के बाद भी टेक्स्ट बुक्स और कापियां उपलब्ध नहीं होतीं। यह ठीक है कि यह राज्य सरकार का काम है, लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी देखना चाहिये कि विद्यार्थियों को टेक्स्ट बुक्स और कापियाँ मिलें। सप्लीमेंटरी बुक्स के लिये जो कागज का कोटा दिया जाता है, उसके उपयोग का ध्यान कौन रखता है? क्या उसको राज्य सरकार देखती है या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय देखता है? अक्सर वह कागज टेक्स्ट बुक्स और कापियों की छपाई में खर्च नहीं होता है, बल्कि प्रैस वाले उसको ब्लैक में ज्यादा दामों पर बेच देते हैं या उस पर नावल और कहानियां के रिसाले वगैरह छप जाते हैं और विद्यार्थी परेशान रहते हैं।

मैं चाहता हूं कि मैंने जो बुनियादी मुद्दे उठाए हैं, मंत्री महोदय उनका विस्तार के साथ जवाब दें।

श्रीमती शीला कौल: उपाध्यक्ष महोदय, श्री जैनुल बशर ने कहा है कि शिक्षा में समान

अवसर के सिद्धांत की हत्या हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि पब्लिक स्कूलों को बन्द किया जाए। हमारे कास्टीट्यूशन में कहा गया है कि हर एक आदमी को अपना कारोबार चलाने का हक है। उस नाते जो स्कूल चल रहे हैं, हम उनको बन्द करें, यह मुमकिन नहीं है। क्योंकि यह भी है कि जो हमारे माइनारिटीज के स्कूल्स हैं उनमें भी हम दखल नहीं दे सकते हैं। माइनारिटीज को हक है कि जैसे वह चाहें अपना स्कूल चलाएं जब तक कि वह समाज का नुकसान न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि यूनिवर्सिटीज को जो आटोनामी दी हुई है उस आटोनामी में रोकथाम करनी चाहिए। यह आटोनामी पार्लियामेंट की दी हुई है, तो यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ कर सकूं। यह बात दूसरी है कि हम अपनी राय कुछ भी रखें लेकिन इसके बारे में ऐक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।

यू जी सी स्टेट यूनिवर्सिटीज को मेंटिनेंस और डेबलपमेंट के लिए ग्रान्ट देती है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इसी तरह से ग्रान्ट मिलती है। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उन को स्टेट भी देती है और यू जी सी भी देती है। तो उनको तो दो तरफ से मिलता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एक तरफ से मिलता है। तो यह कहना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ज्यादा ले जाती हैं, ठीक नहीं है। अपना-अपना हिस्सा सबको मिलता है और अपना अपना जैसा काम करने का ढंग है, तरीका है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। यह कहना कि कुछ यूनिवर्सिटीज को सरकार ले ले, यह मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि हमारी पालिसी यह है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वह स्टेट की रहें और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वह यूऐन ऐक्ट आफ पार्लियामेंट बनी है तो यह मुमकिन नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटीज को पालिसी के खिलाफ जाकर हम ले सकें।

किताबें और कागज वगैरह के बारे में जिक्र किया गया कि वह महंगी हैं। मैं इसके बारे में बोल चुकी हूं। माननीय सदस्य ने बताया कि कागज की कमी क्यों है लेकिन तब भी हम पूरी इस कोशिश में लगे हैं कि टेक्स्ट-बुक्स कायदे से मिलें और किताबें कापियां वगैरह कायदे से मिलें।

कार्य मंत्रणा समिति

65वां प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 6 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 65 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 6 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी ।

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : महोदय, मेरा सुझाव है कि नियम 377 के अधीन मामले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले लिए जाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को नियमों सम्बन्धी समिति में उठाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

1.53 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पाकिस्तान द्वारा दी गई धमकी को देखते हुए परमाणु विकल्पों के सम्बन्ध में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है । लेजली गल्ब और एलन कास जैसे जिम्मेदार अमरीकी पत्रकारों ने न्यूयार्क टाइम्स और फाइनेन्शियल टाइम्स में लिखा है कि चीन ने अपने चौथे परीक्षण का शस्त्र डिजाइन पाकिस्तान को दिया है । राष्ट्रपति रीगन ने जिस अति-प्रचारित 20 बिलियन पाऊंड समझौते पर अपनी चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये थे, वह निलम्बित कर दिया गया है क्योंकि अमरीकी गुप्तचर संस्थाओं ने चीन की पाकिस्तान के साथ 'शस्त्र विकास कार्यक्रम' में सांठगांठ का भंडाफोड़ दिया है । सिनेटर करेनसटन ने पाकिस्तान द्वारा बम के ट्रिगर बनाने के प्रयासों के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट सिनेट को प्रस्तुत की है । हाल ही में अमरीकी ग्रेंड जूरी ने तीन पाकिस्तानियों की परमाणु शस्त्र केट्रिगर बनाने में काम आने वाले 50 क्राईटोन तस्करी करके पाकिस्तान ले जाने के लिए निन्दा की है । इस प्रकार के समाचार हैं कि पाकिस्तान अपने काहूटा यूरेनियम परिशोधन केन्द्र में चोरी-छिपे 'वेपन ग्रेड मैटिरियल' का निर्माण कर रहा है ।

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पाकिस्तान ने परमाणु अस्त्र दक्षता प्राप्त कर ली है या करने वाला है । वास्तव में हमारे प्रति उसके दोहरे दृष्टिकोण से यह विश्वास हो जाता है कि वह केवल उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब तक पूर्ण तैयारी की स्थिति में नहीं पहुंच जाता ।

भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान से परमाणु खतरे को देखते हुए सरकार को इस खतरे का उचित प्रतिकार करने की दिशा में अबिलम्ब विचार करना चाहिए जिसमें हमारी परमाणु नीति पर पुनर्विचार का प्रश्न भी सम्मिलित है ।

(दो) रेणुकूट में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के दक्षिणांचल में 14 कल-कारखाने स्थित हैं जिनमें लाखों मजदूर कार्यरत हैं । यही नहीं, यह क्षेत्र आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र है परन्तु पिछले लगातार 4

वर्षों से मेरे बराबर मांग पर भी रेणुकूट में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का कार्य शुरू नहीं किया गया जबकि भूतपूर्व मंत्री श्री वसन्त साठे ने मेरे एक पत्र के उत्तर में स्वीकार किया था कि दूरदर्शन हेतु वहां सभी शर्तें मौजूद हैं। संसाधन की उपलब्धि पर दूरदर्शन की स्थापना की जायेगी। क्षेत्र के इन स्थानों पर केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित शर्तें मौजूद हैं। खेद है कि इसके बावजूद देश की 70 प्रतिशत जनता को दूरदर्शन का लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन यह जो औद्योगिक, हरिजन बहुल क्षेत्र है, इस सुविधा से वंचित है।

इसलिए यहां की स्थानीय जनता के हित में उनके ज्ञानार्जन एवं मनोरंजन हेतु मैं अविलम्ब सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए रेणुकूट में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग करता हूं।

(तीन) खीरी (उत्तर प्रदेश) के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खीरी) उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हमारे चुनाव क्षेत्र जनपद खीरी, उत्तर प्रदेश की तीन तहसीलों—लखीमपुर, धौरहरा तथा निघासन--पुनः बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। यह बाढ़ मुख्यतया शारदा, घाघरा व कौड़ियाला नदियों से आती है। क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित होने के कारण काफी नुकसान हुआ है। इस बाढ़ को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य है क्योंकि यह एक शाश्वत समस्या जनपद खीरी के लिए बनी हुई है। शासन को इस दिशा में ध्यान देना अनिवार्य है। प्रति वर्ष इस जनपद में उक्त नदियों में बाढ़ आती है तथा लाखों रुपयों का नुकसान होता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनपद की आर्थिक अवस्था पर पड़ता है। शारदा बराज एवं गिरजा बराज से पानी छोड़ने के उपरान्त तहसील धौरहरा व निघासन के सैकड़ों गांव जलमग्न एवं टापू की शक्ल में हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में बाढ़ पर नियन्त्रण पाने हेतु शासन को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बनवसा बराज (पीलीभीत) से पानी छोड़ने के पश्चात् जनपद का पलिया व सम्पूर्णा नगर क्षेत्र प्रभावित होता है। इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है जो बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ का कारण बराज से यकायक पानी छोड़ना है। यदि बाढ़ का पानी बराज से नियमित छोड़ा जाए तो बाढ़ पर कुछ सीमा तक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, यह मेरा सुझाव है। और जिन गांवों के पास से यह नदियां गुजरती हैं उनके पास ठोकरें भी लगाना बहुत ही जरूरी है। यह मेरा सुझाव है।

(चार) भारत आने वाली चार्टर्ड उड़ानों की सुविधा मद्रास को भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री एस० के० टी० जक्कायन (पेरियाकुलम) : महोदय, मद्रास हवाई अड्डा एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वहां पर गोवा और त्रिवेन्द्रम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार गोवा और कोवलम (केरल) में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं और मद्रास के निकट महाबलीपुरम समुद्र-तट भी, यदि अधिक नहीं, तो इतने ही पर्यटक आकर्षित कर रहा है। फिर भी, मद्रास में चार्टर्ड उड़ान की सुविधा नहीं है जबकि गोवा, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर चार्टर्ड उड़ान की सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है; वास्तव में इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को नहीं माना गया है।

मैं अनुरोध करता हूं कि मद्रास हवाई अड्डे पर भारत आने वाली चार्टर्ड उड़ानों की सुविधा प्रदान की जाए ।

2.00 म० प०

(पांच) रेल विभाग में ठेका मजदूर प्रथा को समाप्त करने और उन मजदूरों को रेल कर्मचारी माने जाने की आवश्यकता

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, रेलवे कोयले को चढ़ाने और उतराने के लिए जिसमें राख आदि की सफाई और राख आदि उठाना भी सम्मिलित है ठेका मजदूरों को इस्तेकिया जाता है । उसके साथ-साथ माल और पार्सल उतारने-चढ़ाने हेतु भी उनका उपयोग किया जाता है।

1969 में रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये कार्य सदा चलते रहने वाले हैं इसलिए इन कार्यों पर दिहाड़ी मजदूर न लगाए जाएं । सरकार ने इस पंचाट को स्वीकार कर लिया था परन्तु रेलवे ने इसे क्रियन्वित नहीं किया ।

ठेका मजदूर (विनियम और उत्साहन अधिनियम, 1970 के अनुसार इन कार्यों पर ठेका मजदूरों को लगाने की अनुमति नहीं है। रेलवे ने उस अधिनियम को भी क्रियान्वित नहीं किया ।

1977 में केन्द्रीय ठेका मजदूर सलाहकार बोर्ड ने कोयले को उतारने चढ़ाने के लिए जिसमें राख संभालने और राख उठाने का कार्य भी सम्मिलित है, ठेका मजदूरों को लगाने के लिए मना किया था परन्तु रेलवे ने पुनः इसे क्रियान्वित नहीं किया ।

इन कार्यों में मजदूर लगाने के विषय में पूर्ण अराजकता व्याप्त है । उदाहरण के लिए मध्य रेलवे और दक्षिणी रेलवे के एक भाग में कोयले का उतारने-चढ़ाने का काम विभागीय मजदूरों द्वारा किया जाता है जबकि अन्य स्थानों पर अधिकांशतः दिहाड़ी और ठेका मजदूरों को इस काम पर लगाया जाता है । खड़गपुर, गड़हारा और अन्य कुछ ट्रांसशिपमेंट शेडों में तथा चक्रधरपुर प्रभाग में माल और पार्सलों को उतारने-चढ़ाने के लिए केवल स्थायी मजदूरों को लगाया जाता है जबकि अन्य स्थानों पर ठेका मजदूरों को लगाया जाता है । यह भेदभाव पूर्ण है तथा हमारे संवैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन है ।

डीजल और बिजली से गाड़ियां चलाने के कारण अधिकाधिक ठेका मजदूरों की छँटनी का सामना करना पड़ रहा है । सरकार को तत्काल अधिसूचना जारी करके रेलवे में ठेका मजदूर प्रथा समाप्त करनी चाहिए और मजदूरों को रेल कर्मचारी समझा जाना चाहिए ।

(छः) राजस्थान के कुछ जिलों में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कुछ जिलों में, उदाहरण के लिए भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अजमेर, जयपुर और सीकर में किसान लम्बे समय से सिंचाई सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे । भूमि अत्यन्त उपजाऊ है परन्तु सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण किसान पूर्णतया वर्षा पर निर्भर हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में नलकूप

लगाने की योजना आरम्भ की गई थी और यह दिसम्बर, 1983 में शुरू की गई थी परन्तु इस योजना पर बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है। इन जिलों की आबादी का एक बड़ा भाग, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिन्हें मेव कहा जाता है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे और उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। यदि इस सिंचाई योजना को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है तो सरकार इस अल्पसंख्यक वर्ग तथा इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही है अतः यह अनुरोध है कि राजस्थान सरकार से इन सिंचाई योजनाओं का कार्य जिसमें गुड़गांव नहर परियोजना भी सम्मिलित है, शीघ्र पूरा किया जाए और इस अल्पसंख्यक वर्ग के क्षेत्र का विकास किया जाए और एक मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की जाए जैसाकि हरियाणा राज्य में किया गया है।

(सात) टेलीफोन सेवाओं में गिरावट

श्री राजनाथ शास्त्री (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी का ध्यान देश में टेलीफोन की गिरती हुई साख की ओर ले जाना चाहता हूं। आज देश में टेलीफोन की स्थिति काफी दयनीय हो गई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, जैसे वाराणसी, गाजीपुर जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद आदि शहरों में टेलीफोन की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति विगत दस वर्षों में कभी भी नहीं रही। कुछ लोगों के टेलीफोन दो-दो माह से खराब पड़े हैं। लाख शिकायतों के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारी आते हैं, बनाकर ज्यों ही घर से बाहर जाते हैं, टेलीफोन बिगड़ जाता है।

आम लोगों के फोन तो खराब रहते हैं, पर ऊंचे व्यावसाइयों के फोन सदा ठीक रहते हैं। जन प्रतिनिधियों के फोन का तो और भी बुरा हाल है। अधिकारियों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है।

वाराणसी में टेलीफोन नम्बर 55001 बी.आई.पी. टेलीफोन है। इस फोन की हालत गत 5 माह से बराबर दयनीय है। दिन भर में लगभग पचास बार यह बनता है और उतनी ही बार बिगड़ता है। अधिकारियों को कहते-कहते थकान हो गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

टेलीफोन के बिलों की तो बहुत बुरी हालत है। हमेशा मनमाने ढंग से बिल आते हैं। विनम्रता और शालीनता टेलीफोन सेवा से दूर होती जा रही है। 197 और 198 पर कार्यरत कर्मचारी भी अपने कर्तव्य के प्रति प्रायः उदास रहते हैं। शिकायतों को या तो सुनते नहीं हैं और सुनते हैं तो उत्तर में मौन ही रहते हैं।

ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से पुनः संचार मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करूंगा कि वे टेलीफोन सेवा की ओर अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करें। आधुनिक जिन्दगी की इस महत्वपूर्ण सेवा को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में कदम उठायें। कर्मचारियों अधिकारियों में जिम्मेदारी की भावना का विकास करें।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं डाक-तार विभाग में काफी समय तक रहा। जब तक मैं वहां रहा, यह बहुत कुशल था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 में जो मामले

प्रस्तुत करते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या बात है, इस मामले को हमने कई बार हाउस में उठाया है कि नियम 377 में उठाए गए मामलों का प्रापर उत्तर नहीं मिलता है। कोई प्रापर कार्यवाही नहीं होती है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार गवर्नमेंट को कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इसकी जाँच करेगी।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : यहां पर केवल वित्त मंत्री हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे केबिनेट मंत्री हैं जो डाक-विभाग को पैसा दे रहे हैं।

(आठ) कपड़ा उद्योग में संकट और बंद मिलों को पुनः चालू करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : कपड़ा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली तथा ऐसे ही कुछ अन्य स्थानों पर कपड़ा मिलें बन्द होती जा रही हैं।

बम्बई में कपड़ा मजदूरों की डेढ़ वर्ष लम्बी हड़ताल के पश्चात् सरकार ने बम्बई में की 13 मिलों को अपने हाथ में लेने के निश्चय के बारे में घोषणा की थी। लेकिन अभी तक एक भी मिल ने काम करना आरंभ नहीं किया है। इसके कारण हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हैं। हड़ताल में भाग लेने के कारण मिल मालिकों ने उन्हें पुनः रोजगार देने से इन्कार कर दिया है।

इस वर्तमान् स्थिति के मुख्य कारण ये बताए गए हैं। कपड़ा मिलों के मालिकों ने मजदूरों का शोषण करके जो लाभ की राशि एकत्र की थी उसे उन्होंने अन्य लाभप्रद उद्योगों में लगा दिया है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की जिसका काम कपड़ा उद्योग को संकट से बाहर निकालना है, विफलता का मूल कारण अकुशलता और बढ़ता हुआ कदाचार हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे और इन मिलों को तुरन्त फिर से चालू करने के लिए अविलम्ब कदम उठाये ताकि मजदूरों को पुनः रोजगार देकर भुखमरी से बचाया जा सके। इसके साथ-साथ मिल मालिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

(नौ) गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) में कुछ बड़े उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोकमहत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें भी गड़चिरौली जिला, जोकि आदिवासी इलाका है, सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों के पास न पहनने को पर्याप्त कपड़ा है और न खाने को अन्न, क्योंकि वहां कोई ठोस रोजगार नहीं है। यह जिला आन्ध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश से

लगा हुआ है तथा यहां का मुख्य उत्पादन सेंदुपत्ता तोड़ना है जिसकी उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल पाती । इसी का परिणाम है कि इस क्षेत्र में नक्सलपंथियों का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार ने तत्काल इस ओर कोई उचित ध्यान नहीं दिया तथा मजदूरी उचित नहीं दिलाई तो स्थिति बहुत अधिक बिगड़ जाएगी । आज भी हालत यह है कि न तो अधिकारी और न ही व्यापारी वहां डर की वजह से जाते हैं ।

इसके साथ ही मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि इस स्थिति में सुधार लाने के लिए वहां कुछ बड़े उद्योग लगाए जायें । सूरजगढ़ में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर की भांति एक स्टील प्रोजैक्ट लगाया जा सकता है । इसके लिए आवश्यक पोटेंशियलिटी है । लकड़ी, कोयला तथा लोहा वहां उपलब्ध है और 30 साल से एक बड़ा लोह उद्योग की यहां योजना प्रस्तावित है ।

यहां न तो सड़कें हैं और न पुलिया, न सिंचाई या संचार साधन की व्यवस्था है। बरसात में इस जिले का शेष देश से सम्पर्क कट जाता है । औद्योगिक वातावरण निर्माण होने से ही यहां लोगों में जागृति आ सकती है जिससे नक्सालपंथियों का आतंक और प्रभाव कम होने में राहत मिलेगी ।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस अविकसित और पिछड़े जिले की तरफ यथाशीघ्र ध्यान देकर नौ-इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट होने के नाते इस जिले में कोई रोजगार पोटेंशियलिटी वाला पर्याप्त रोजगार उपलब्धता की क्षमता का एक बड़ा उद्योग खाले और इसमें नियुक्ति में यहां की जनता को प्राथमिकता दी जाए ।

2.10 म० प०

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब दिनांक 6 अगस्त, 1984 को श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात :

> "कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना और औद्योगिक पुनरुज्जीवन के लिये प्रत्यय और पुनर्निर्माण अधिकरण के रूप में कृत्य करने और उसमें लगी हुई अन्य संस्थाओं के वैसे ही कार्य का समन्वय करने और औद्योगिक विकास में सहायता तथा उसका संप्रवर्तन करने और औद्योगिक समुत्थानों का पुनरुद्धार करने के लिये उक्त पुनर्निर्माण बैंक को समर्थ बनाने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के नाम से ज्ञात निगम के उपक्रम का उक्त पुनर्निर्माण बैंक को अन्तरण करने और उसमें निहित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो० रूप चन्द पाल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, विधेयक का प्रारूप बहुत ही खराब ढंग से तैयार किया गया है । जैसा कि आप भी देख सकते हैं शुद्धि पत्र द्वारा 75 गलतियाँ सुधारी गई हैं।

इस विधेयक में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के स्थान पर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक स्थापित करने का उपबन्ध किया गया है। यह कहा गया है कि यह विधेयक आई० आर० बी० आई०, भी उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए ऋण देने वाली और पुनर्निर्माण की मूल संस्था के रूप में काम करने वाली एजेंसी बनने में सहायक होगा। और समन्वय करना भी इसका कार्य होगा।

यह विधेयक समस्या को केवल किनारे से ही छूता हे, अर्थात उद्योगों की बढ़ती हुई रुग्णता को, जिसके बारे में हमने सभा में कई बार चर्चा की है। हाल ही में माननीय मंत्री ने भी कहा था कि यह एक बहुत गंभीर समस्या है। पिछले वर्षों में लगभग, 439 बड़ी इकाइयां और 29,000 से भी अधिक छोटे पैमाने की और बहुत ही छोटी इकाइयां रुग्ण हो गई हैं परन्तु आई० आर० सी० आई० इस संबंध में बहुत थोड़ा ही कार्य कर पाया, हालांकि कि हाल ही में दावे ये किये गये हैं कि 70% रुग्ण एककों को, जिन्हें आई० आर० सी० आई० ने सहायता दी है, फिर से चालू कर दिया गया है और उन्हें उत्पादन योग्य बना दिया है। मैं ऐसे दावों को नहीं मानता। यह विधेयक पूर्व निगम के स्थान पर एक बैंक को स्थापित करने के लिये लाया गया है। परन्तु मुझे इस ससस्या के स्वरूप और समाधान में कोई मूल परिवर्तन नहीं लग रहा है। अत: मैं नहीं समझता कि इस विधान से रस बढ़ती हुई रुग्णता के संबंध में कोई खास मदद मिलेगी।

आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री द्वारा सभा के अन्दर अथवा बाहर आई० आर० सी० आई० के कार्य के बारे में जून 1982 तक दिये गएं आंकड़ों के अनुसार कह रहा हूं कि औद्योगिक इकाइयों को सहायता के रूप में आई० आर० सी० आई० ने 2723 करोड़ रुपए की रकम के ऋण दिए।

अन्य आंकड़े भी हैं। बड़े पैमाने की इकाइयों ने जो रुग्ण हो गई हैं, वाणिज्यिक बैंकों से दिनांक 31-12-1982 तक 1804 करोड़ रुपए से भी अधिक के ऋण लिए हैं। मझौली इकाइयों ने 207 करोड़ रुपए तक के ऋण लिए हैं और छोटे पैमाने की इकाइयों ने 567 करोड़ रुपए तक के ऋण लिए हैं। रुग्ण उद्योगों को अन्य संस्थाएं भी ऋण देती हैं।

आजकल उद्योग को रुग्ण बनाना एक अच्छा धन्धा बन गया है। इस सदन में हमने कई बार चर्चा की है कि उद्योगपति जानबूझ कर उद्योगों, एम० आर० टी० पी० के० अधीन आने वाले उद्योगों को भी, रुग्ण बनाते हैं। उन्होंने आई० आर० सी० आई० तथा अन्य संस्थाओं से ऋण लिया हैं और उस ऋण को वापस नहीं किया है। पैसे को खा गए और उसे अन्य धन्धों में लगा दिया और उन्होंने तुरन्त मुनाफा देने वाले क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए।

माननीय मंत्री द्वारा पिछले वर्ष दिनांक 3 अगस्त, को राज्य सभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार, आई० आर० सी० आई० ने 123 इकाइयों को ऋण दिये हैं। जिन्होंने अपेक्षित समय पर पैसा नहीं लौटाया है। जहाँ तक अन्य वित्तीय संस्थाओं की बात है, उनके बारे में यहां कुछ चर्चा की जा सकती है। यदि हम सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, जैसे आई० डी० बी० आई० की भूमिका का विश्लेषण करें तो मंत्री महोदय के दूसरे सदन में दिए गए वक्तव्य के अनुसार टाटा तथा बिडला पर ही आई० डी० बी० आई० के 100 करोड़ रुपए से भी अधिक के ऋण बकाया हैं। परन्तु उद्योगों को रुग्ण बनाना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा धन्धा बन गया है और उन्हें पैसा देने के लिए आई०

आर० सी० आई किसी तरह उनके साथ मिल गया है। यह मेरा कथन नहीं है। यह उन लोगों की पूछताछ का परिणाम है जो इन बातों को जानते हैं।

2.17 म० प०

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

इस बारे में कम से कम जो कहा जा सकता है वह यह कि आई० आर० सी० आई० रुग्ण उद्योगों को बहाल करने में बुरी तरह से असफल रहा है और यह भ्रष्टाचार और चोरी का अड्डा बन गया है और इस प्रकार आई० आर० सी० आई० को स्थापित करने का उद्देश्य ही समाप्त ही गया है। यह बात कई रिपोर्टों में कही गई है जिन्हें प्रस्तुत किया जा चुका है। आई. आर. सी. आई. के बारे में, इसके कार्यकलापों के बारे में निजी क्षेत्र के लोगों के साथ इसकी मिली भगत के बारे में और किस प्रकार धन व्यर्थ गंवाया गया है और किस प्रकार यह लौटाया नहीं गया है, इस बारे में कई प्रकार की जांच किए जाने की इस सदन में और दूसरे सदन में मांग की गई है।

जहां तक बढ़ती हुई रुग्णता और इसे समाप्त करने की बात है, सरकार ने अक्टूबर, 1981 में अपनी नीति-निर्देश जारी किए हैं। और मेरे विचार से सरकार उन नीति-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही है। उन नीति-निर्देशों में सरकार ने कहा है कि वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रण रखने के लिए अनुदेश दिए गये हैं। हाल ही में मंत्री ने यह भी कहा है कि इस बढ़ती हुई रुग्णता का उपचार यही है कि इसका जल्दी पता लगाया जाए। परन्तु इसका तुरन्त समाधान करने की बजाए, उपचारक उपायों के प्रति उपेक्षा प्रकट की जाती है। हालांकि सभी द्वारा, मजदूर संघों द्वारा, आम जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा यह मांग लगातार की जाती रही है कि एक स्थाई समिति होनी चाहिए जो कम से कम वित्त मंत्रालय के साथ अथवा उद्योग मंत्रालय के साथ सम्बद्ध हो। उसका कार्य यह होगा कि यदि रुग्णता का कोई लक्षण है तो वह शुरू में ही इस पर गंभीर रूप से विचार करे और पर्याप्त उपाय किए जाए। हालांकि यह नीति-निर्देशों में कहा गया है परन्तु न ही आई. आर. सी. आई. और न ही किसी अन्य संस्था ने यह कार्य किया है। वह सब पैसा तो दिया गया, परन्तु रुग्णता की रोकथाम न हो सकी, इसका उपचार नहीं हो सका अथवा उद्योगों को बहाल नहीं किया जा सका।

महोदय हमने देखा है कि रुग्ण उद्योगों को इस स्थिति से बहार निकलने में सहायता देने की बजाय सरकार ने अपनी नीति द्वारा और भ्रम में डाल दिया है, समस्या को और जटिल बना दिया है। क्योंकि, सरकार द्वारा बार-बार यह कहा गया है कि वे केवल ऐसे रुग्ण उद्योगों की सहायता देंगे जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। अब इस बात को साबित किया जा रहा है कि हो सकता है इन उद्योगों को वापस कर दिया जाए, बेच दिया जाए अथवा पट्टे पर दे दिया जाए। क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार रुग्ण उद्योगों का उपचार करने में ज्यादा विश्वास करती है ताकि मक्कारी की प्रथाएं जारी रहें, उद्योगों को जानबूझ कर रुग्ण होने दिया जाए, उन्हें वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की जाए और बाद में जब वे अपने पांव पर खड़े हो जाएं उन्हें मालिकों अथवा एकाधिकार भवनों को वापस कर दिया जाए।

सामाजिक उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा करने से कौन से सामाजिक उद्देश्य

की पूर्ति होती है यदि अपने पांव पर खड़े हुए अथवा जिन्हें अपने पांव पर खड़ा हुआ समझा जाता है, उद्योगों को केवल सहायता अथवा सहयोग दिया जाए अथवा उन्हें हाथ में ले लिया जाए और उनका उपचार करने के बाद उन्हें फिर देश को लौटा दिया जाए। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति इसी बात से हो सकती है कि ऐसे उद्योगों की सहायता की जाए जो कि अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हों और उनको श्रमिकों के सहयोग से अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाया जाए क्योंकि उद्योगों में मजदूरों को सबसे अधिक दांव पर लगाया जाता है। उनकी रोटी छिन जाती है। जब उद्योग बन्द हो जाते हैं तो मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होती है न ही भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में, जिसका बनाने का प्रस्ताव है और न ही रुग्ण उद्योगों को हाथ में लेने के लिये बनाई गई सलाहकार समिति में उनकी कोई सुनवाई होती है। क्या सरकार की नीति इस प्रकार कार्य करती है। मजदूरों की भागीदारी, प्रबन्ध में मजदूरों की सही भागीदारी का उल्लेख किया जा रहा है। मैं पृष्ठ 8 का उल्लेख कर रहा हूं जहां बोर्ड के गठन के बारे में बताया गया है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति है, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाला अध्यक्ष, रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि, अन्य स्थानों अन्य वित्तीय संस्थाओं से निदेशक गैर-सरकारी सदस्य आदि होंगे परन्तु उसमें मजदूरों का चुना हुआ प्रतिनिधि शामिल नहीं किया जाएगा। क्या सरकार का प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी के संबंध में अपनी नीति का पालन करने का यही तरीका है। यही स्थिति उस सलाहकार समिति की है जो उन उद्योगों के बारे में है जिन्हें हाथ में लिया जाना है अथवा जिनकी सहायता की जानी है। वहां भी मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं हैं। वहाँ भी मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है जिनके सक्रीय सहयोग पर उद्योगों की बहाली निर्भर है अथवा जिनके सहयोग से रुग्ण उद्योग अपने पांव पर खड़े किये जा सकते हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि श्रमिकों को चुनावों के माध्यम से लोक तांत्रिक ढंग से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

अब मैं पृष्ठ 16 का उल्लेख करता हूं। इसमें पुनर्निर्माण सहायता निधि का उल्लेख है। यह कहा गया है कि सम्बद्ध उद्योग के लिए इस प्रकार कोई ऋण अथवा अग्रिम देने अथवा इस प्रकार के करार के लिए उद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति लेगा। यदि वे सोचते हैं कि राजनीतिक आधार पर इस कम्पनी की सहायता हो सकती है, तो उनको सहायता दी जाएगी वरनः उन्हें सहायता नहीं दी जाती। और इसके अलावा, अनुभव के आधार पर हमने इन पिछले 13 वर्षों में भारतीय उद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की भूमिका को देखा है। इसमें कुछ राजनीतिक दवाब हैं। राजनीतिक अवधारणाऐं हैं और कभी-कभी तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता—कभी-कभी तो यह सोचा जाता है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को कितना धन मिलेगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : हमारी सरकार की बात क्यों करते हो ? पश्चिम बंगाल सरकार की बात क्यों नहीं करते ?

प्रो० रूप चन्द पाल : क्योंकि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की बात आती है। अगर ऐसा है तो यह भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की भूमिका को प्रभावित करेगी क्योंकि प्रत्येक कार्य का यहाँ से संचालन किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ से की जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है

कि यह उनकी इच्छानुसार कार्य करेगा। अध्यक्ष हमेशा केन्द्र की ओर देखेगा। एक रुग्ण उद्योग के बारे में क्या सही होगा, उसे पुनः चालू कैसे किया जाएगा, इसे अर्थक्षम कैसे किया जाएगा, इस प्रकार के तथ्यों को महत्व नहीं दिया जायेगा।

इस बड़े और गम्भीर कार्य के लिये, जबकि वर्तमान में 29,000 छोटे एवं लघु एकक, 439 से अधिक बड़े एकक रुग्ण हो गये हैं, उनमें से अधिकांश पूरी तरह बन्द पड़े हैं और लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं, भूख से मर रहे हैं, आपने उनके सुझावों को सुना नहीं है। अब आप यह विधेयक लाए हैं कि इस बैंक की, जोकि एक प्रमुख ऋण एवं पुनर्निर्माण एजेन्सी है, की प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपये एवं चुकती पूंजी 50 करोड़ रुपये होगी। इस धनराशि के साथ, एक प्रमुख ऋण एवं पुनर्निर्माण एजेन्सी के रूप में उनसे इतना बड़ा कार्य सम्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस धनराशि में वृद्धि करें, क्योंकि इस छोटी-सी धनराशि से कुछ नहीं किया जा सकता है।

अन्त में, मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि इस विधान से किसी भी समस्या का समाधान होगा क्योंकि उद्योगों की रुग्णता इस सरकार की आधारभूत नीति से सम्बद्ध है। सरकार की नीति पूंजीपतियों, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, भूस्वामियों, आदि का समर्थन करती है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : पश्चिम बंगाल विरोधी।

प्रो० रूपचन्द पाल् : इतना होने पर भी वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता हमारे साथ है।

मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि अनेक सिफारिशें हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। सभी कार्मिक संघों द्वारा सर्वसम्मति से दिये गये अनेक अन्य सुझाव और सिफारिशें तथा ज्ञापन भी हैं। किन्तु आपने श्रमिकों के सुझावों को नहीं सुना है। इतना होने पर भी आप यह विधान लाए हैं। यह तो समस्या का आंशिक समाधान ही करेगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक ऐसा व्यापक विधान लाएं जो उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता की समस्या का समाधान कर सके।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को एक नया रूप देना है। किन्तु इसके उद्देश्यों सम्बन्धी कथन में दिये गये दो आधारभूत कारण हैं। एक पिछले 12 वर्षों से अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करना है। जहाँ तक इस विधेयक का तथा इसके उद्देश्यों का सम्बन्ध है, दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :—

> "पुनर्निर्माण बैंक को उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता की समस्या का समाधान तथा उस पर नियन्त्रण के लिये प्रभावी अधिकार देना।"

इस विषय पर मेरे विचार से अनेक अन्य सदस्यों ने अनेक बार अपने विचार व्यक्त किए हैं और अनेक समाधानों का सुझाव दिया है। तथापि, उद्योग हमारे समूचे आर्थिक विकास में मह-

त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप छठी पंच-वर्षीय योजनावधि के दौरान विकास दर को देखें तो आपको पता चलेगा कि औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस दिशा में बजट सम्बन्धी उदार उपबन्धों एवं विधान के साथ आगे आई है।

अब सातवीं पंच-वर्षीय योजना का नीति पत्र भी उपलब्ध है। इस सन्दर्भ में उन तथ्यों और आंकड़ों, जिन्हें मैंने कल एक अन्य विधेयक की बहस में भाग लेते हुए उद्धृत किया था, में से कुछ यहां प्रस्तुत करना सही होगा। एल० के० झा० समिति का प्रतिवेदन आ गया है और एक दैनिक समाचार में एक सम्पादकीय लेख भी प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने लगभग 30,029 करोड़ रुपये की राशि केवल 209 उद्यमों में निवेश की है और विकास काफी निराशाजनक है। समिति ने इसके लिए दो आधारभूत कारण बताए हैं—पहला यह है कि अत्यधिक केन्द्रीयकरण किया गया है और दूसरा नौकरशाही का नियन्त्रण है।

इस समस्या का मूल प्रश्न यह है जिसका हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विश्व में हमारी स्थिति काफी अच्छी है, इसमें मुझे सन्देह नहीं है किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने विभिन्न समितियों की कुछ सिफारिशों पर विचार किया होता और उन्हें लागू किया होता तो विकास और तीव्र गति से होता। मैं सरकारी क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि सरकारी उद्यम ब्यूरो ने अनेक प्रतिवेदन प्रकाशित किए हैं। 1982-83 के सरकारी उद्यम सर्वेक्षण में यह उल्लेख है कि वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त लगभग 184 वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रम चल रहे हैं, जिनमें से 82 उपक्रमों ने 1517 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है और शेष को 821 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस सन्दर्भ में आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन, जिसे हम सब ने पढ़ लिया है, के पृष्ठ 37 पर यह कहा गया है कि सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ की दर 0·84 प्रतिशत है। यदि सरकारी क्षेत्र की स्थिति यह है तो हमें इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिये पुनः सोचना होगा। इस विधेयक का उद्देश्य ऋण सुविधाएं उपलब्ध करना है किन्तु मेरे विचार से ऋण सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कुछ और गहराई से सोचा जाना होगा और उसका कार्यान्वयन करना होगा।

औद्योगिक रुग्णता के बारे में स्थिति यह है कि 25000 करोड़ रुपये की राशि बड़े, मध्यम एवं लघु उद्योगों में निवेश की गयी है। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, जैसाकि मैंने कल भी कहा था, केवल वित्तीय संस्थाओं ने 1982 में 2, 389 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया है और जब हम 1983 वर्ष के आंकड़े देखते हैं तो निवेश की राशि एकदम बढ़ कर 3,179 करोड़ रुपये हो गई है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं, तथा हम इस धनराशि का कैसे उपयोग करने जा रहे हैं तथा क्या इस राशि के वापस होने की कोई सम्भावना हैं? जब हम औद्योगिक ऋण व्यवस्था की बात करते हैं तो यह लक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि पश्चिम बंगाल सरकार के बड़े अथवा लघु रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या सबसे अधिक है।

(व्यवधान)

हमारे देश में 26,226 लघु उद्योग हैं जो प्रति वर्ष 27,700 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अन्त-उत्पाद पैदा करते हैं। ये देश की औद्योगिक स्थिति से सम्बन्धित तथ्य और आंकड़े हैं।

कोई भी व्यक्ति यह आशा करता है कि एक बार संसद द्वारा विधेयक पारित कर दिये जाने के बाद सरकार उनसे निपटने के लिए व्यवहारिक प्रक्रिया अपनाएगी।

मैं यह कहूंगा कि क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए जिनमें वे अन्तिम निर्णय ले सकें। अब निर्णय में बहुत विलम्ब हो चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है यद्यपि हम समय के महत्व को कभी नहीं समझते हैं। यदि किसी को ऋण सुविधाएं प्राप्त करनी हैं तो यह सब ऐसा है जैसे सुई के छेद में से ऊंट गुजारना। ऐसे विलम्ब से बचा जाना चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया सरल की जानी चाहिए। यदि आप को ऐसे कुछ उद्योगों के बारे में कडुवा अनुभव है तो आपको पता चलेगा कि सरलीकरण से मेरा क्या अभिप्राय है। जब तक इस विधेयक द्वारा इन दो मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, मुझे आशंका है कि इससे वह सब प्राप्त नहीं हो सकेगा जो सरकार प्राप्त करना चाहती है।

उद्योग के विकास हेतु हमारे यहां कई वित्तीय संस्थाएं और अभिकरण हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि कृषि क्षेत्र में, जो कि इतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, निवेश हेतु इसी प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए।

मैं औद्योगिक रुग्णता के सभी कारणों या धन अथवा ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इन तीन सुझावों पर गौर करेंगे और इस सम्बन्ध में समुचित उपाय करेंगे।

इन्ही शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, हम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक, 1984 पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले साढ़े चार सालों में केन्द्रीय सरकार ने कितने ही रुग्ण उद्योगों को अपने हाथ में लिया, आर्डिनेंस के द्वारा या बिल लाकर, और हमने उस पर चर्चा की। मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि पता नहीं, केन्द्रीय सरकार इस देश को किस तरफ ले जाना चाहती है, क्योंकि उसने जो व्यवस्था पैदा की है, उसमें देश के चन्द लोगों के हाथों में पैसा एक्युमुलेट हो रहा है। हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों ने एक तरीका निकाल लिया है कि कारखाने के उत्पादन से मुनाफा कमा कमा कर काला धन इकट्ठा करते चले जाते हैं और जब कारखाना रुग्ण हो जाता है, तो केन्द्रीय सरकार के ब्यूरोक्रेटस के साथ साजिश करके उसे केन्द्रीय सरकार पर थोप देते हैं। केन्द्र सरकार करोड़ों करोड़ रुपया उद्योगों के ऊपर लगा करके और फिर उनको नया बना करके देती है। आज इस बिल में भी आप सफाई से यह नहीं कर रहे हैं कि जिन रुग्ण उद्योगों को जिन उद्योगपतियों के पास लेकर केन्द्र सरकार सहायता देकर उनको नया बनाने का काम करेगी उनको उन्हें वापस नहीं देगी। कभी आप इस बात को नहीं कहते।

मैं आज भी आपसे यह कहना चाहता हूं कि उन उद्योगपतियों के खिलाफ जब तक आप सख्त कदम नहीं उठाते जो उद्योगपति अपने प्राफिट का 25 प्रतिशत अपनी इंडस्ट्री पर नहीं लगाते हैं तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। आप उनके खिलाफ इस सदन के द्वारा कानून बनाइए, हम पूरे अपोजीशन के लोग उसका समर्थन करेंगे। वे रुग्ण क्यों होते हैं? क्योंकि वह उद्योगपति आज अपनी इंडस्ट्री के प्राफिट का कोई परसेंट उन पर नहीं लगाता। केन्द्र सरकार को इस पर बिल लाना

चाहिए कि हर उद्योगपति अपने टोटल प्रोडक्शन के प्राफिट का 25 प्रतिशत अपने उद्योग पर लगाएगा। आप कब तक इन पूंजीपतियों के पुराने और बेकार उद्योगों को लेकर हिन्दुस्तान के लोगों के ऊपर थोपते रहेंगे ?

आज एक तरफ देश में भुखमरी पैदा हो रही है, इस देश के लोगों को आप पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, मकान नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के रूग्ण कारखानों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके नया बना कर फिर उनको वापस देने का काम कर रहे हैं, यह कब तक आप करते रहेंगे ? मैं मांग करता हूं कि इस बिल में आप यह ले आइए कि जो इंडस्ट्रिअलिस्ट अपने कारखाने के ऊपर अपने प्राफिट का 25 प्रतिशत खर्च नहीं करेगा उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ऐसे उद्योगपतियों को ब्लैक लिस्टेड करके नये लाइसेंस उनको दूसरे उद्योग खोलने के लिए मत दीजिए।

इससे हमारे देश के अंदर मजदूरों की जो हालत होती है वह भी शोचनीय है। वह उद्योगपति धीरे-धीरे अपनी पूंजी निकालते चले जाते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। तो वर्किंग क्लास के इन्टेरेस्ट का भी सवाल है। आप उनको गारन्टी दीजिए कि जो वर्किंग क्लास की हालत इस प्रकार के उद्योगों में होती है कि उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती है, समय पर बोनस नहीं मिलता, उनकी ग्रेच्युइटी की भी व्यवस्था नहीं होती है, गवर्नमेंट आफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सरकार इसके लिए गारन्टी नहीं दे पाती है, तो वह गारन्टी आप उनको दीजिए। कोई नहीं देखता कि उनके साथ किस तरह का सलूक होता है।

मैं वर्किंग क्लास के इन्टरेस्ट की एक बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके के उद्योगों को मजदूरों की साझेदारी से आप चलवाने की कोशिश करें। अगर एक बार आप मजदूरों को अपने पैरों पर खड़े करके इन उद्योगों को चलवाने की कोशिश करेंगे तो यह स्थिति फिर नहीं आने पाएगी। वर्किंग क्लास को आप अच्छी ट्रेनिंग दें। आखिर कारखानों को मजदूर ही चलाते हैं, पूंजीपति नहीं चलाते हैं। मैनेजमेंट के लोग जो मध्यम श्रेणी से आते हैं, जो नौकरशाही के लोग हैं और मजदूर जो किसानों और मजदूरों के बेटे हैं वही मिल कर कारखाने को चलाते हैं।

आप एक बार उनको अपने पैरों पर खड़ा करके उनको असिस्टेंस देकर के कोशिश कीजिए कि मजदूर अपनी भागीदारी से उन कारखानों को मैनेजमेंट के साथ मिल कर चलाए। मेरा सुझाव है यह कोशिश आप कीजिए। मैनेजमेंट और मजदूर को बराबर का साझीदार बना कर कारखाने को चलाने की प्रथा आप चलाएंगे तो हिन्दुस्तान का कोई इंडस्ट्रिअलिस्ट यह हिम्मत नहीं करेगा कि वह पूंजी के नाम पर या मशीन की खराबी के नाम पर या बिजली न मिलने के नाम पर, किसी भी नाम पर कारखाने को रूग्ण घोषित करके चला जाये। एक बार आपको हिन्दुस्तान के कैपिटलिस्टस के मन में, यहां के उद्योगपति के मन में, यहां के मोनोपली हाउसेज के मन में यह टेरर पैदा करना होगा कि हिन्दुस्तान के कैपिटलिस्ट ही हिन्दुस्तान के कारखाने को नहीं चला सकते, मजदूर भी जो डाउनट्रोडन क्लास से आया है, जो हजारों साल से दबा और पिसा है उसके अन्दर भी यह क्षमता है कि वह भी कारखाने को चला सकता है। जो मैनेजमेंट के लोग हैं वह कोई बड़े घरानों से नहीं आते हैं। बड़े घरानों के लोग तो हाथ पर हाथ रखे अपनी कोठियों और बंगलों में बैठे रहते हैं। मजदूर और मैनेजमेंट के लोग मिल कर कारखाने को चलाते हैं। एक बार यह टेरर आप यहां के कैपिटलिस्टस के माइंड में पैदा करिए ताकि कोई केपिटलिस्ट अपने उद्योग को पूंजी निकाल कर

और ब्लैक मनी कमा करके बन्द न कर सके और गवर्नमेंट आफ इंडिया पर बोझ न डाल सके। आप कितने उद्योगों को लेंगे ? अभी आपने बम्बई की टेक्सटाइल मिलों को लिया, कुछ शुगर फैक्टरीज को भी लिया और अमृतसर में एडिबल आयल्स की इण्डस्ट्री को लिया। इन इण्डस्ट्रीज की पूंजी कहां चली गई ? जब तक आप सख्त कानून नहीं बनायेंगे हालत सुधरने वाली नहीं है। इस काम में पूरा अपोजीशन आपको समर्थन देगा। आप उद्योगपतियों के खिलाफ कानून बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के उद्योगपतियों को आप रिजर्व बैंक या दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कोई भी असिस्टेंस मत दीजिए। एक तरफ तो आप उनकी सिक इण्डस्ट्रीज को ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनको आप नयी इण्डस्ट्रीज के लिए लाइसेन्स भी दे रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस के द्वारा उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप यह सब बन्द करके नयी इण्डस्ट्रीज को पैदा कीजिए।

आप टोटल बजट का सिर्फ 8 परसेन्ट ही एग्रीकल्चर पर खर्च कर रहे हैं। यह भारत सरकार की बहुत गलत नीति है। इण्डस्ट्रीज के ऊपर जितना आप खर्च करते हैं उतना ही खर्चा आपको एग्रीकल्चर पर भी करना चाहिए। बिना एग्रीकल्चर के बढ़ाये हुये कब तक आप तेल और दूसरी खाने की चीजों को इम्पोर्ट करते रहेंगे ? आप विदेशों से गेहूं चीनी आयात कर रहे हैं। यहां तक कि सुअर की चर्बी भी आपने बाहर से मंगाकर इस देश के लोगों को खिला दी। इसलिए मेरा सुझाव है कि 8 परसेन्ट के बजाए टोटल बजट कम से कम 25 परसेन्ट आप एग्रीकल्चर खर्च करें। आप पर देश में अधिक एडिबल आयल्स पैदा करने की व्यवस्था करें। देश में अधिक गेहूं पैदा करने की व्यवस्था करें। चावल और दूसरी चीजें पैदा करने की व्यवस्था करें। लेकिन आप तो हर चीज विदेशों से ला रहे हैं। हमारे देश की जो बैकबोन है एग्रीकल्चर, उस पर आप केवल 8 परन्सेट ही खर्च करते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह जो स्थिति है इसको बदलिए। यह जो बिल है इसकी भावना से तो मैं सहमत हूं, इसका विरोध नहीं करूंगा लेकिन मेरी यह मांग है कि टोटल बजट का 8 परसेन्ट के बजाये कम से कम 25 परसेन्ट आप एग्रीकल्चर पर खर्च करें।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुलम) : महोदय, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण विधेयक, 1984 के संबंध में मैं अपने दल अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, लिमिटेड की स्थापना 1971 में की गई थी। साधनों की कमी की वजह से यह निगम उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सका जितनी इससे अपेक्षा की गई थी। इसे स्थापित करने का उद्देश्य ऋण देकर रूग्ण औद्योगिक ईकाइयों को पुनः स्थापित करना और नवजीवन प्रदान करना था। जब सरकार ने यह देखा कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त स्रोत जुटाने में असमर्थ है तो इस निगम को औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बैंकिंग संस्था के लिए रूग्ण ईकाइयों को पुनः स्थापित करने के लिए साधन जुटाना कठिन नहीं है। यह

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विधेयक औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में परिवर्तित करने के लिए है। मुझे विश्वास है कि यह पुनर्निर्माण बैंक देश में औद्योगिक वातावरण को पुनर्गठित करने में एक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण संस्थान साबित होगा। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

मैं मांग करता हूं कि इस बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास में स्थापित किया जाये जिसे मामले के गुण-अवगुणों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार दो।

इस वित्तीय संस्था को प्रभावी कार्य करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। चूंकि औद्योगिक आवश्यकताएं राज्यवार भिन्न-भिन्न होती हैं इसलिए इसका विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये।

मद्रास में, वर्किंघम एण्ड कर्नाटक मिल जो एक बड़ी टेक्सटाइल मिल है, कई महीनों से बन्द पड़ी है। इसी प्रकार पांडिचेरी की एंग्लो-फ्रेन्च मिल लगभग 14 मास से अब तक बन्द पड़ी है। कोअम्बटूर की कुछ कपड़ा मिलें भी बन्द पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में सैकड़ों छोटी औद्योगिक इकाइयां रूग्ण पड़ी हैं। औद्योगिक रूग्णता का प्राथमिक कारण है धन का अभाव। हजारों श्रमिकों के भूखों मरने की नौबत आ गई है। सच्चाई तो यह है कि एंग्लों-फ्रेन्च टेक्सटाइल मिल, पांडिचेरी के लगभग 30 श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है। यह केवल रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास का ही प्रश्न नहीं है, यहं तो भूखों मर रहे श्रमिकों को आड़े वक्त में सहायता प्रदान करने का प्रश्न है। मेरी यह मांग है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को तमिलनाडु की रूग्ण कपड़ा मिलों को और धनाभाव में बन्द पड़ी लघु औद्योगिक इकाइयों को भी ऋण-प्रदान करना चाहिये।

इस विधेयक में मैंने पाया है कि इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये है और चुकती पूंजी 50 करोड़ रुपये की है। मेरा यह सुझाव है कि इस 100 करोड़ की राशि को चुकती-पूंजी में बदल दिया जाए जिससे कि रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए इस बैंक के पास पर्याप्त धनराशि हो जाए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय सभापति जी, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक, 1984 का मैं स्वागत करता हूं। इसके उद्देश्य में जो परिभाषा दी है, वह बहुत ही अच्छी है। हमारे जो उद्योग हैं, उनकी स्थिति को आप देखें। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो कार्यक्षेत्र में जो कारखाने हैं, उनमें बड़ा भारी घाटा हो रहा है। घाटा इसलिये/नहीं हो रहा है कि कोई उसका प्रबन्ध ठीक नहीं है। प्रबन्ध ठीक है, लेकिन वहां जो लोग लगाए जाते हैं. वे कोई इंजीनियर नहीं होते हैं। मैं इस बारे में आपको कई मिसालें दे सकता हूं।

हिमाचल प्रदेश में एक कारखाना एक सौ साल से नहान-फाउन्ड्री के नाम से चलता है। वह कारखाना भारत सरकार के अण्डर भी रहा है और इसके बाद वह राज्य सरकार के पास आया है। और अब उसमें जो भी मजदूर हैं वे सब बेकार हैं, उनको सरकार को तनख्वाह देनी पड़ती है। उनके पास काम करने का सामान नहीं है। जो नये कारखाने लगे हैं, उनमें भी घाटा ही घाटा हो

रहा है। हमारी राष्ट्रीय पोलिसी अच्छी है, इसके लिए जब तक पैदाबार का टार्गेट फिक्स नहीं किया जाता है, ठीक पैदावार नहीं बढ़ सकती और यह भी बात है उसमें अब तक मजदूरों को भागीदार नहीं बनाया जाता है, तब तक मैं समझता हूं कि वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो बोर्ड बना है, उसमें भी जानकार आदमी होने चाहिए। ताकि वे कारखाने को चलाने का ठीक से इन्तजाम करें। जहां तक इनको मदद देने का सवाल है, इस दिशा में माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है।

कारखानेदार लोग जब कारखाना लगाते हैं तो उस वक्त मजदूरों की तादाद बता देते हैं कि इतने मजदूर उसमें लगायेंगे। बड़े-से-बड़ा नक्शा बनाकर सब्सिडी ले लेते हैं और फिर बाद में उसका मिसयूज करते हैं। कई तो इस प्रकार के लोग होते हैं जो भारत सरकार से लाइसेंस ले लेते हैं और फिर बाद में कारखाना नहीं लगाते हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत सी जगहों पर मजदूरों का शोषण होता है। मैं हिमाचल प्रदेश के परमाणु क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जहाँ पर कि उद्योग की दृष्टि से विकास हो रहा है। वहां मजदूर कारखाने के मालिक के खिलाफ नारे लगाते हैं और बदतमीजी से पेश आते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई आप ऐसा मत कीजिए और जो आपकी मांगे हैं, उनको आप सामने रखिए। विपक्ष वाले कहते हैं मजदूर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे लोग जो उनसे हमदर्दी करते हैं और बड़े अच्छे होटलों में रहते हैं, सरकार को यहां कोसते हैं, विपक्ष वाले कम से कम मजदूरों को सिखायें कि वे ऐसा न करें।

अभी बंगाल के बारे में बात आई तो बंगाल में तो बैंक खुल रहा है। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमको शिकायत है कि नहीं बना है, लेकिन वहां पर बन रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के लाखों मजदूरों को बेकार रखना हो तो इसी तरह से रहने दो उद्योगों को, नहीं तो यदि धन का ज्यादा से ज्यादा प्रावधान होगा तो वे सुचारू रूप से चलेंगे। लाठी-चार्ज और झगड़ा होने की वजह से पंजाब के सारे उद्योग बन्द हैं और वे लोग अब हिमाचल प्रदेश की ओर आ रहे हैं। राजस्थान के लोग भी हिमाचल प्रदेश की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बिजली उपलब्ध है। इसी प्रकार केरल की भी स्थिति है। जहां बिजली है वहां की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जहां कुछ भी नहीं है, चूंकि वहां के लोग शोर-शराबा मचाते हैं, इसलिये उन की तरफ ध्यान देते हैं। इसलिये हिमाचल प्रदेश का जो बार्डर एरिया है, पंजाब लगता है, वहां से इण्डस्ट्रीज को हटा कर हिमाचल राज्य के बीच में उन इण्डस्ट्रीज को लगाया जाय, क्योंकि पंजाब का जो झगड़ा है, वह हम को बहुत तंग करता है। आज बार्डर एरियाज में जो उद्योग बन्द पड़े हैं, चाहे वे पंजाब में हों, हिमाचल में हों, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हों, अगर उनको उद्योग ठीक प्रकार चलाया जाय तो उनकी पूरी कीमत मिल सकती है, जब कि सरकार को उन में लगे रुपये पर करोड़ों रुपयों का ब्याज देना पड़ता है। 26 हजार ऐसे उद्योग हैं, हमें देखना चाहिये कि उनमें कितना प्रोडक्शन होता है। हमें उनके प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिये।

हम जिस बिल को पास करने जा रहे हैं—हमें यह भी देखना चाहिये कि जो उस का बोर्ड बनेगा उस में ऐसे लोगों को लेना चाहिये जिनको उस काम के बारे में जानकारी हो और साथ ही वे उस इलाके में रहते हों। आप बोर्ड में ऐसे लोगों को ले लें, जिनके यहां बैंक की एक भी ब्रान्च न हो, जैसे काश्मीर से किसी को ले लिया जाय जब कि वहां एक भी ब्रान्च नहीं है तो इस से कोई

लाभ नहीं होगा । जहां इस निगम को काम करना है वहां के लोगों को इसमें लेना चाहिये जिस से उस इलाके की जानकारी का लाभ उठाया जा सके ।

आप जिस निगम को बनाने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसे अफसरों को लिया जाय जिनको उस काम की जानकारी हो । ऐसा नहीं होना चाहिये कि इण्डस्ट्री फर्टिलाइजर की है और उसमें पुलिस के किसी एस० पी० को लगा दिया जाय जिसको उस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है या एग्रीकल्चर पर बेस्ड कोई कारखाना हो और उस में किसी आइ० ए० एस० आफिसर को लगा दिया जाय जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो इस तरह से वह इण्डस्ट्री नहीं चल सकती है । हमें ऐसे लोगों को लेना चाहिये जो उस काम के माहिर हों ताकि ऐसे उद्योग कामयाब हो सकें और हमारा देश तरक्की कर सके । कृषि इस देश की शक्ति है लेकिन अफसोस यह है कि किसानों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है । यह ठीक है—आई० आर० डी० पी० के प्रोग्राम हैं और उससे लोग लाभान्वित होते हैं लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो आम गरीब आदमी को उससे कोई फायदा नहीं होता है । इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये । आज कठिनाई यह है—अगर कोई फलोर मिल खोली जानी है तो उसका लाइसेंस बड़े बड़े सेठों को मिल जाता है और वे क्या करते हैं—सिविल सप्लाईज से कनक खरीद कर और उसमें पंजाब का नं० 2 का सड़ा गन्दुम मिला कर पीसते हैं और बेचते हैं। इसलिये, मंत्री जी, आपको थोड़ा सतर्क होकर काम करना चाहिये । अपोजीशन वाले तो इसी तरह से बोलते रहते हैं, इनकी मुखालफत पर तवज्जह न दीजिये, हमारे पास प्रोग्राम है, आज जगह-जगह छापे पड़ रहे हैं जिनसे मुल्क में तहलका मचा हुआ है । कई लोग जानबूझ कर अपने उद्योग में घाटा डालते हैं—इन सबको देखना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : सभापति महोदय आप जितना भी थोड़ा सा समय मुझे देते हैं, मैं अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करता हूं ।

मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं; क्योंकि उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किये हैं । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और विकास हेतु अनेक कदम उठाये हैं । यह एक ऐसा उपाय है जिसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे ।

3.00 म. प.

यह कहा जाता है कि बहुत से उद्योग बीमार हो गये हैं, क्योंकि उनके प्रवर्तकों और उनके निदेशकों द्वारा पूंजी ले ली गई है। फिलहाल, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका काम यह अध्ययन करना हो कि किसी उद्योग विशेष में, या क्षेत्र-विशेष में या संगठन विशेष में रुग्णता कैसे आ जाती है। हम उस अवस्था को पार कर चुके हैं जब हम उद्योगों को प्रोत्साहित किया करते थे और प्रति वर्ष खोली जाने वाली इकाइयों की संख्या बहुत थी । जब गुजरात जैसे उन्नत राज्यों में एक संसदीय समिति गई तो उसे यह पता लगा कि वे प्रत्येक वर्ष के दौरान लगभग एक लाख नई इकाइयां खोल रहे थे परन्तु उनमें से कितनी इकाईयां रुग्ण थीं, कितनी स्वस्थ थीं और कितनी बन्द हो गई थीं उन्हें इसका पता ही नहीं था और इस बात का अध्ययन करने के लिए ऐसा कोई अभिकरण नहीं

था । जो हमें यह बता सके कि वे किस वस्तु का उत्पादन कर रहे थे और उसकी किस प्रकार से बिक्री जा रही थी ।

वित्त मंत्री महोदय ने एक बैंक स्थापित करने के लिए एक विधान पेश किया है जिसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और वे भली भांति चलाये जायें। उसका काम न केवल यह देखना होगा कि उद्योगों को प्रोत्साहन किया जाए उनका पुनर्वास किया जाए परन्तु यह सलाह तकनीकी, प्रबन्धकीय, विधिक, प्रशासनिक और विपणन सहायता के रूप में सेवाएं भी प्रदान करेगा । ऐसी सभी प्रकार की सहायता बैंक प्रदान करेगा । एक बेजोड़ संस्था है जिसकी लम्बे समय से प्रतीक्षा थी ? उन्नत राज्यों से आने वाले लोग, हो सकता है, इसकी सराहना न करें। परन्तु हमारे जैसे पिछड़े राज्यों से आने वाले लोग और यहां तक कि उन्नत राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लोग भी इसकी सराहना करेंगे कि यह किस प्रकार का विधान है, यह कितना लाभदायक होगा और कितने दिन से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी ।

इसको और भी कई उपयोगी भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी । इसको रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ यह अन्य अनेक अभिकरणों द्वारा किए जा रहे समान कार्यकलापों में समन्वय भी स्थापित करेगा । अभिकरण अनेक है । परन्तु उनके कार्य कलापों में समन्वय स्थापित करने वाली कोई संस्था नहीं है जिन लोगों का थोड़ा सा प्रभाव होता है वे प्रत्येक अभिकरण का लाभ उठा रहे हैं परन्तु जिन लोगों का कोई प्रभाव नहीं है और जिनको वास्तव में सहायता और मार्ग दर्शन चाहिये वे यूं ही व्यर्थ भटकते फिरते हैं ।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जितना ही गहन हम इसका अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक हम इसको चाहने लगेंगे । जो कोई भी इसका अध्ययन करेगा, इसको चाहेगा । मैं यह तो नहीं जानता कि कृषि में प्रतियोगिता कहां से आती है । कृषि को भी सहायता चाहिये । परन्तु उद्योगों को प्रोत्साहन दिए बिना हम विकसित भी नहीं हो सकते हैं । हम केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं कर सकते हैं । जब तक औद्योगिक विकास नहीं हो जाता है और यह नहीं देख लेते हैं कि उद्योगों का समुचित विकास हो और विशेषकर उनको उन पिछड़े क्षेत्रों में रुग्ण नहीं होने दिया जाए जो कि अनेक हैं और बहुत विशाल क्षेत्र हैं तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है । इस कदम के लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं जो कि मैं कहूंगा कि देर से उठाया गया कदम है उसको छोड़ कर आप वित्त मंत्री महोदय की आलोचना कीजिए कि उन्हें यह विधान पहले लाना चाहिए था। इस विधान की कोई आलोचना हो ही नहीं सकती है ।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधान का समर्थन करता हूं और इस विधेयक को पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को एक बार फिर बधाई देता हूं । यह समस्त देश और विशेषरूप से पिछड़े राज्यों और उन्नत राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी वरदान सिद्ध होगा ।

3.03 म० प०

(श्री आर. एस. स्वैरो पीठासीन हुए)

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक 1984 का समर्थन करते हुए उनको बधाई देना चाहता हूं और

इस संबंध में जो मेरे विचार हैं वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि रुग्ण उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है या उद्योग की तरफ बढ़ते हुए पिछड़े हुए अपने देश में विकास करना और औद्योगिक क्षेत्र में उसका संरक्षण करना।

इस दृष्टिकोण से हमारा यह कर्तव्य है कि जो उद्योग शासकीय या अशासकीय क्षेत्र का है, उसे कमजोर न होने देना। इस दिशा में शासन पूर्ण रूप से जागरूक है। बहुत से उद्योगपति उद्योग लगाने के नाम पर जो आकर्षक या राष्ट्रीय हित के उद्योग हैं, उनको सामने रखते हैं। फिर, उसमें कठिनाई दिखाकर, दूसरे उद्योग जिससे उनको लाभान्वित होना है, उसकी तरफ पूंजी का परिवर्तन शुरू कर देते हैं और इस उद्योग को घाटे का या बीमार उद्योग बता देते हैं। इसलिए, इस चीज को जांचने और देखने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह देखना चाहिए कि हम कैसे उद्योग को मजबूत बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्योग को कमजोर करने के लिए जान-बूझकर प्रयत्न किया गया है। जिस तरीके से ग्रामीण बैंक का निर्माण किया गया है, उसी तरीके से इस मामले में भी सावधानी बरतना जरूरी है।

मेरा सुझाव है कि हम उन उद्योगों को एक राष्ट्रीय उद्योग के ऊपर ले जाएं और उसकी एक पूंजी निश्चित कर लें। उसके अन्दर जो बचत है, वह स्वयं की उसकी पूंजी है बाकी समाज, उसमें पूंजी निहित कर रहा है। उस पूंजी को एक शेयर के रूप में रख दिया जाए। जो पूंजी शासन लगा रहा है; वह शासन की पूंजी रहेगी। उसी तरीके से जो उसकी बचत है, वह केवल मात्र उसकी रहे। ज्यादा से ज्यादा उद्योग रुग्ण होने से सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ के कर्मचारियों को होता है। उसे भागीदार के रूप में सामने लाया जाना चाहिए। पूंजी के अन्दर छोटे से छोटे भागीदार को भी आगे जाना चाएिह। तब जाकर इस उद्योग को खड़ा करना चाहिए। यह ठीक है कि जो रुग्ण उद्योग हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। बहुत से नए उद्योगपति हैं जो उद्योग की समझ रखते हैं।

जिनके पास थोड़ी पूंजी होती है, यदि ऐसे शिक्षित नौजवान और बेरोजगार लोग यदि बैंकों से सहायता प्राप्त करके अपना कोई उद्योग लगाते हैं तो पूंजी कम होने के कारण उनके सामने कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और कुछ समय बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, बारिश के समय उठता है और फिर समाप्त हो जाता है, वैसी ही हालत इनकी भी होती है और कुछ समय पश्चात् इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारी सरकार को ऐसे छोटे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं जो कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तथा हमारी औद्योगीकरण की नीति को बढ़ाने में भागीदार होते हैं। लेकिन आज कम पूंजी वाले उद्योगों को कहीं से गारन्टी नहीं मिलती और वे अपनी पूंजी लगाकर बर्बाद होते हैं। सरकार की ओर से संरक्षण मिले बिना उनका विकास नहीं हो सकता और वे अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि जहां हम विकास की ओर जा रहे हैं, हमारा देश औद्योगिक उन्नति कर रहा है, यहां उद्योगों का विकास हो रहा है, जैसा हमारे कुछ पूर्व-वक्ताओं ने कहा, हमारा ध्यान इसके साथ साथ कृषिके विकास पर भी जाना चाहिए और जहां की भूमि में उपज ज्यादा होती है, वहां पैदा होने वाली चीजों पर आधारित उद्योगों को उसी क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता है। यदि वहां कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होंगे तो इससे कृषि के विकास को धक्का लगता

है, किसानों को उनकी कृषि का लाभ नहीं होता। उदाहरण स्वरूप मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां आजकल गन्ने की खेती, सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण, बढ़ती जा रही है, मगर वहां शक्कर का कारखाना एक भी नहीं है। यदि हमारी सरकार उन स्थानों पर शक्कर के कारखाने लगाये, जहां गन्ना पैदा न होता हो और उन स्थानों पर गन्ने की पैदावार बढ़ाये, जहाँ शक्कर का कारखाना न हो तो ऐसी स्थिति में खेती और कृषि का विकास सही मानों में नहीं हो सकता और न ही उद्योगों का विकास हो सकेगा। हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कृषि पर आधारित काम तो हो रहे हैं, लेकिन कोई उद्योग नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को कृषि के सही मायनों में विकास के लिए यह आवश्यक है कि जहां जिस चीज की पैदावार होती है, उसी पर आधारित उद्योग वहां लगें।

अन्तिम निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आप कृषि को भी उद्योगों की तरह मानकर बढ़ावा दीजिए। जिस तरह सिक उद्योगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में यह सरकार काम कर रही है, जो उद्योग कमजोर हैं, उनको लाभान्वित करने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाये हैं, मैं चाहता हूं कि उसी तरह कृषि के विकास पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जब तक हम कृषि को उद्योगों के समान दर्जा नहीं देंगे, किसानों को वैसी सुविधायें नहीं देंगे जैसी सुविधायें छोटे उद्योगों के विकास के लिए दी जा रही हैं, तब तक हमारी कृषि लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि जब कोई किसान अपनी फसल पैदा करता है तो उसको पानी और सिंचाई की आवश्यकता होती है, वहां ट्यूबवैल लगाने की जरूरत होती है। यदि उसको सिंचाई पानी की सुविधाएं न मिलें तो खेती में वह जितना पैसा लगाता है, देख-रेख नहीं कर पाता और वह ऋणी होता जाता है। क्यों कि जितना पैसा ऋण के रूप में वह प्राप्त करके अपनी फसल तैयार करने पर लगाता है, उससे उसकी मुक्ति नहीं होती। मेरा उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि कृषि के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह की सुविधाएं आप उद्योगों के विकास के लिए उपलब्ध करवाते हैं, वैसी ही सुविधाएं कृषि के विकास के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएं। यही मेरा निवेदन है।

श्री चित्त बसु (बारसत्ट) : सभापति महोदय, इस विधेयक का संबंध, देश में इस समय व्याप्त एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य से है जिसका नाम है औद्योगिक रुग्णता। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में सहर्ष उल्लेख किया है :

> "पुनर्निर्माण बैंक को औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती हुई बीमारी का मुकाबला करने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी शक्तियों से विनिहित करने के लिए।"

मुझे प्रसन्नता है कि औद्योगिक रुग्णता के इस तथ्य विशेष की ओर सरकार का ध्यान गया है और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय करने की दृष्टि से एक विधेयक लेकर आई है।

आरम्भ में, हमें यह जान लेना चाहिए कि आज औद्योगिक रुग्णता का परिणाम क्या है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि 1979 रुग्ण में उद्योगों की संख्या 22,366 थी जो 1980 में बढ़कर 28,230 हो गई।

ऐसी धारणा है कि रुग्णता केवल लघु क्षेत्र में ही फैली है या फैल रही है। लेकिन

ऐसी बात नहीं है । यह बड़े क्षेत्र में भी फैल गई है । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि 1979 में रुग्णता से ग्रस्त बड़ी इकाइयों की संख्या 378 थी···(व्यवधान) यह पश्चिम बंगाल की बात नहीं है । मैं केरल की ओर भी आऊँगा । आपके मुख्य मंत्री, श्री करुणाकरण ने आपकी सरकार से अनुरोध किया था कि केरल में 10,000 से अधिक इकाइयाँ रुग्ण हैं । यह केवल बंगाल की समस्या नहीं है, यह सारे देश की तथा आपकी भी समस्या है । क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं ?

जबकि 1980 में बड़े उद्योगों में रुग्ण इकाइयों की संख्या 378 थी, 1981 में यह बढ़कर 422 हो गई तथा 1983 में यह और भी ऊपर पहुँच गई तथा 485 हो गई । इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल छोटे उद्योग ही इस दुष्यघटना से प्रभावित हुए हैं ।

एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एम० आर० टी० पी० घरानों द्वारा संचालित बड़ी इकाइयाँ भी इसकी शिकार हुई हैं । कुछ आंकड़े उद्धत किए गए हैं, जिनमें कहा है कि 3000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों ने उपलब्ध कराई है । मैं समस्या के उस पहलू में नहीं जाऊँगा । लेकिन, इसमें अधिक चिंता की बात यह है कि रुग्णता हमारे परम्परागत उद्योगों में भी फैल गई है और फैल रही है । पटसन उद्योग रुग्णता से ग्रस्त है । कपड़ा उद्योग रुग्णता से प्रभावित हुआ है । कागज उद्योग भी रुग्णता से ग्रस्त है । टीन उद्योग भी रुग्णता से ग्रस्त है तथा इंजीनियरिंग और कुछ कैमिकल उद्योग भी इस औद्योगिक रुग्णता से ग्रस्त हैं । यह बहुत चिंतित तथा व्याकुल करने वाली बात है, और मैं समझता हूं कि सभी इससे सहमत होंगे ।

अब स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न उठता है कि इस रुग्णता के फैलने के क्या कारण हैं । आप मुझ पर यह आरोप लगा सकते हैं कि मेरे कुछ राजनीतिक झुकाव हैं । यह स्वाभाविक है कि मुझे कुछ सर्वेक्षणों तथा रिपोर्टों का सहारा लेना होगा जो इस बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता के मूल कारणों को इंगित करते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 100 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया और कुछ चौंका देने वाले तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया इसमें कहा गया है कि 'दो इकाइयाँ श्रमिक विवाद के कारण रुग्ण हुईं' । आप उसी एक शब्द के पीछे बहुत अधिक अनुरक्त हैं कि पश्चिम बंगाल में समस्या श्रमिक विवादों के कारण है । लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बड़े उद्योग क्षेत्र की 100 रुग्ण इकाइयों में से श्रमिक विवादों के कारण केवल दो इकाइयां रुग्ण थी । '23 इकाइयाँ मंडी में मंदी के कारण प्रभावित थीं । 9 इकाइयाँ बिजलीकी कमी तथा कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण रुग्ण थीं तथा शेष अपने ही कुप्रबन्धक की शिकार थीं ।' इसलिए, अधिकतर मामलों में रुग्णता कुप्रबन्ध के कारण हुई है । रिजर्व बैंक ने इस संबंध में और आगे कहा है कि इसमें बैंकों की भी भूमिका है । बैंकों ने अपना धन लगाया है और उनका कहना है कि यदि बैंकों ने सही समय पर हस्तक्षेप किया होता तो यह स्थिति पैदा ही न हुई होती । अब, हमारे कुछ मित्रों की यह धारणा होगी कि रुग्णता केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ही होती है । यदि हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि देश की कुल रुग्ण इकाइयों में से 70 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा है, लगभग 60-63 प्रतिशत कुप्रबन्ध के कारण रुग्ण हैं । इसलिए, रोग का सही निदान करने की आवश्यकता है ।

मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि इस स्थिति का लाभ निजी क्षेत्र वाले उठा रहे हैं, अर्थात्, वे इकाइयों को रुग्ण बनाकर इससे लाभ उठा रहे हैं । मैं विस्तार से समझा दूँ । आपने बम्बई की 13

मिलों का अधिग्रहण किया है और यह पाया गया कि उनकी कुल पूँजी केवल 12 करोड़ रुपए थी और उन्होंने वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से 270 करोड़ रुपए के ऋण ले रखे थे और अन्ततः आपको इन रुग्ण कपड़ा मिलों को अधिग्रहीत करना पड़ा। यह भी एक बहुत चिंता की बात हैं। इससे सभी को चिंता है, विशेषकर इसलिए कि ग्यारह बड़े औद्योगिक घरानों ने केवल 126 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है और उनका 26,000 करोड़ रुपए की पूँजी पर नियंत्रण है। यदि यह आंकड़ा सही है—यदि गलत है तो मैं ठीक कर लूंगा—तो बहुत ही कम राशि पूंजी के रूप में लगाकर ये बड़े औद्योगिक घराने सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के पूंजी निवेश का उपयोग कर रहे हैं तथा औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्ध में अत्यधिक नियंत्रण किए हुए हैं। यदि इनमें कुप्रबन्ध होगा तो इनका रुग्ण होना निश्चित है और यदि रुग्णता होगी तो मैं समझता हूं कि हमारी ओर से आवश्यक मांग होगी "कामगारों को बेरोजगार होने से बचाओ" तथा इन इकाइयों का अधिग्रहण करो। और जब हम यह सब कहते हैं आप हमसे बहुत नाराज हो जाते हैं। अतएव, यह ऐसी चीज है जिसकी और आगे जांच करने तथा गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है।

महोदय, आम तौर पर, राज्य सरकारों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए जाते हैं, जिनमें से पश्चिम बंगाल सरकार सदैव कोपभाजित रही है। मैं जानता हूं कि रुग्ण इकाइयों की सर्वाधिक संख्या हमारे राज्य में है। लेकिन, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहाँ केन्द्र सरकार के पास लाइसेंस जारी करने तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से पूंजी विवेश करवाने की सभी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं है, न वित्तीय और न ही अन्य। मैं समझता हूं कि मानीनय मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि आपके पास औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम है जिसके द्वारा सरकार प्रबन्ध के मामले में कुछ नियामक कदम उठा सकती है।

यदि कुप्रबंध है तो आप जांच करा सकते हैं। आप कुछ समुचित कदम उठा सकते हैं। आप बैंकों को चेतावनी दे सकते हैं। आप कुछ और कर सकते हैं। लेकिन क्या राज्य सरकार को इस संबंध में कोई अधिकार प्राप्त है ? राज्य सरकार को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है। आप उस मामले में किसी इकाई की रुग्णता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को या किसी राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। भारत सरकार की नीति के कारण ही कोई इकाई विशेष रुग्ण होती है और रुग्णता को राज्य सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती। क्या राज्य सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र या राज्य में किसी अन्य इकाई में कोई विनियमनात्मक उपाय कर सकती है ? क्या राज्य सरकार किसी इकाई के अच्छे प्रबंध के लिए कुछ कदम उठाने के संबंध में किसी प्रबंध को कोई आदेश जारी कर सकती है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : लेकिन राज्य सरकार स्वतः मामले की जांच नहीं कर सकती। क्या राज्य सरकार के पास एक इकाई विशेष के प्रबंध कार्यों की स्वतः जांच करने का अधिकार है ? जी नहीं महोदय। जांच केन्द्र सरकार कराएगी और यदि उसे लगता है कि कुछ कुप्रबंध है, तो वह कुछ विनियमनात्मक और सही कदम उठा सकती है। फिर आप राज्य सरकार को दोषी कैसे ठहरा सकते है ? राज्य सरकारों को कानूनन सही कदम उठाने या प्रबंध को चेतावनी देने के न तो वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं न ही वह विनियमनात्मक उपाय कर सकती हैं। अतः अतन्तः इसके लिए राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। वह समाधान नहीं कर सकती जो भी हो, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पूर्वपीठिका पर ध्यान देना चाहिये तथा इस तथ्य को मानते हुए, यद्यपि भारतीय औद्योगिक

पुनर्निर्माण बैंक के नाम से एक बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता। लेकिन कुछ कदम उठाने होंगे। माननीय वित्त मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों के लिए बढ़ते हुए औद्योगिक नगरों से उत्पन्न हो रही स्थिति का सामना करना संभव है ? वित्तमंत्री से मुझे यही प्रश्न पूछना है।

महोदय, आपकी पूंजी केवल 50 करोड़ रुपये है और इस राशि को पूरा करना आपके लिए संभव हो सकती है। इसमे कोई संदेह नहीं है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों और बैंकों के संसाधन हैं और सभी संसाधनों को गतिशील बनाया जा सकता है। लेकिन मात्र यह कदम उठाने से कि आई. आर. सी. आई. को आई. आर. बी. आई. में बदला जाए, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या बहुत बड़ी है। समस्या फैल गई है और इस समस्या के समाधान के लिए आप इस विधेयक के माध्यम से जो उपाय करने जा रहे हैं वह बहुत ही अपर्याप्त है। समस्या बड़ी है और विधेयक के रूप में किया जा रहा उपाय बहुत छोटा है। इससे वर्तमान परिस्थिति का सामना नहीं किया जा सकता। अतः मेरा कहना है कि यदि सरकार ईमानदारी से औद्योगिक रुग्णता के बढ़ते हुए संकट का मुकाबला करना चाहती है तो इसके लिए कुछ अन्य तरीके, विस्तृत तरीके खोजने होंगे।

अब मैं विधेयक विशेष पर आता हूं। मुझे खण्ड 49 के बारे में कुछ कहना है। उसमें एक पुराना खंड है कि भारत सरकार दो वर्षों के लिए किसी भी अनुबंध या समझौते या किसी भी संविदा को रद्द कर सकती है, और उसे अगले दो वर्षों तक और स्थगित किया जा सकता है। मान लीजिए यह बैंक किसी विशेष इकाई का अधिग्रहण करता है जिसमें श्रमिकों और प्रबंध के बीच कोई समझौता हुआ था। आपको उस समझौते को उस करार को आरम्भ में दो वर्षों के लिए स्थगित करने का अधिकार है और उसके बाद उसे अनिश्चित काल तक के लिए लम्बित किया जा सकता है। इससे श्रमिकों का कल्याण नहीं होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कितने मामलों में उन्होंने ऐसा किया ?

प्रो० चित्त बसु : मैं नहीं जानता, लेकिन वे यह अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं।

सरकार का यह रुख उचित नहीं है। श्रमिक काम करने की कुछ शर्तों के अधिकारी है, श्रमिको को करार करने, समझौते करने, पंचाट आदि के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। और यदि आप इस अधिकारिता को रद्द करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं इससे श्रमिकों को बहुत परेशानी होगी। यदि सरकार को श्रमिकों के कल्याण में रुचि है तो उसे इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। इस बिल की भावना का समर्थन करते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 50 करोड़ की पूंजी किस लिए रखी है ? उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :—

"यह विधेयक औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड को, जो कंपनी अधिनियम के अधीन 12 अप्रैल 1971 को···कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।"

1971 के बाद क्या काम किया गया ? 1971 में आपने एक कम्पनी बनाई उसने क्या काम

किया ? उसने काम यह किया कि सिकनेस और बढ़ गई ? आपने एक बड़ा अच्छा काम यह भी किया कि इस कम्पनी को बनाने के बाद अब 30 हजार से ज्यादा इंडस्ट्रीज सिक हो गई है । जून के अन्त में रुग्ण इकाइयों क की सूची में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों का नाम था जिसमें बैंक के करीब 30,000 करोड़ रु० अवरुद्ध थी आपका 30 हजार करोड़ रु० ब्लाक होगया है। इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बीमार हो गई हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है । (व्यवधान) मैं अपने बंगाल के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके कारण इस देश का बड़ा नुकसान हो गया है। चेतावनी के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते कहता हूं कि आपकी वजह से इस देश की बैंकें खाली हो जायेंगी। आज 30 हजार करोड़ रुपया ब्लाक हो गया है । एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, सरकार की आय में कमी आई है और यह सब मिसमैनेजमेन्ट की वजह से हुआ है। आज सरकार एक बिल लेकर आ गई है। जब भी सरकार अपने काम में सफल नहीं होती है तो बिल ले आती है । यह जो मरी हुई इंडस्ट्रीज हैं उनको आप क्यों जिन्दा करते हैं ? जिनमें खून नहीं है, तो तपेदिक की हैं उनको मरने दीजिए । यह क्या तरीका है कि सिक इंडस्ट्रीज को आप पैसा देते चले जायें । जो वायबल इंडस्ट्रीज हैं जो आगे अच्छा काम कर सकती है उनको आप पैसा दीजिए, सिक इंडस्ट्रीज को क्यों देते हैं ?

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : आपके विचार से बीमार को दवा न दी जाए ?

श्री मूलचन्द डागा : आप बैठिए । (व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिक इंडस्ट्रीज पर आपका कन्ट्रोल क्या है और हैं सिक होती हैं ।

निश्चित रूप से हमारे जैसे निर्धन देश में यह स्थिति बहुत ही विकट है जहां जनता के करोड़ों रुपयों की रकम का उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा। केवल इतना ही नहीं, इसका अर्थ यह भी है कि कुप्रबन्ध के कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ।

एक बात यह भी है कि मिस-मैनेजमेंट की वजह से प्रिवैंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गये। जब इन्डस्ट्री सिक हो गई, तो उसको एक स्टैचूटरी कारपोरेशन बना दिया। हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए क्या आपका 50 करोड़ या 200 करोड़ का कैपिटल सफिशियेंट होगा । यह सवाल है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक बात यह है कि औद्योगिक विकास का निर्धन को लाभ नहीं मिला है । हिन्दुस्तान में आपने काफी इन्डस्ट्रीज बढ़ा ली हैं, लेकिन अभी आपके सामने आया है कि—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन से पता चला है कि तीव्र औद्योगिक विकास की अवधि के दौरान भी कुल आय में भिन्न आय वर्ग का अंश घटा है ।

इतना रुपया लगाने के बाद भी गरीब आदमी की आर्थिक हालत नहीं सुधरी है । मैं आपको हिन्दुस्तान टाइम्स के 6 अप्रैल, 1984 की कोटेशन दे रहा हूं—

"औद्योगिक विकास से निर्धन व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है।"

सिक इन्डस्ट्रीज में जो वायबल यूनिट्स हैं, जो कुछ आगे बढ़ सकती हैं, उनको आप फाइनेंस कीजिए । आपने जो बोर्ड बनाया है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सारे के सारे नोमिनेटेड हैं,

जो कि कागज पर आफिस में बैठ कर काम करते हैं और तनख्वाहें पाते हैं। उन्होंने इन्डस्ट्री कभी नहीं चलाई। पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर श्री प्रणब मुखर्जी के बहुत भाषण सुनेंगे, एफ. सी. आई. में कई बार भाषण दिए हैं कि हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स का घाटा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी खुली बातें कही हैं। कहते हैं कि वही तनख्वाह ऊंची ले सकता है, जो ठीक तरह से काम कर सकता है। काम के आधार पर तनख्वाह होगी। आपने जो भाषण दिए हैं, उनमें चिन्ता व्यक्त की है। मैं कहना चाहता हूं कि चिन्ता को व्यक्त करते हुए आप सोशियल आब्जेक्टिव को पूरा कर पायेंगे या नहीं। एक मौका आफिसर लोगों को मिल गया, आफिसर लोग मिल कर इन्डस्ट्री को सिक कर देते हैं। सिक करने के बाद आपके यहां एक्ट बना हुआ है, उसके मुताबिक काम हो जाता है। लेकिन वे लोग दूसरी कंपनी बना लेते हैं और काम भी कुछ नहीं होता। आपका जो बोर्ड है, उसमें इन्डस्ट्रियलिस्ट और लेबर के लोग होने चाहिए और एक्सपर्टस का नोमिनेशन होना चाहिए। जो प्रैक्टिली काम करते हैं, उनको ज्यादा अनुभव होता है। किताबी ज्ञान और प्रैक्टिल ज्ञान में काफी बड़ा फर्क होता है। आपने किसी आफिसर को मुकर्रिर कर दिया और काम सुपुर्द कर दिया और वह थोड़े दिन बाद कहेगा कि जैसी पहले हालत थी और अब भी वही हालत है। यह कानून 1971 में बना था, आज 13 साल के बाद आप यह बिल लेकर आये हैं। इस की सब ने सराहना की है और कहा है कि यह नया कदम है और जो इण्डस्ट्रीज बीमार हो रही हैं यह उनकी सहायता।

श्री राम प्यारे पनिका: सराहना तो आप ने भी की है।

श्री मूल चन्द डागा: मैं भी सराहना कर रहा हूं लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सावधानी बरतें। हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखें, बोर्ड में ऐसे लोगों को लें जो काम करने वाले हों। दो चार इण्डस्ट्रीज को ले कर खुद भी चलायें। जब गवर्नमेन्ट कहती है कि हम काम कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेन्ट खुद क्यों नहीं करती है। इस बैंक को कहिये—10-20 इण्डस्ट्रीज को चलाकर देखे, तब आप दुनिया के सामने कह सकेंगे कि हमारा मैनेजमेन्ट एफिशियेन्ट है, लेबर ठीक काम कर रही है। हम मार्डन टेकनालाजी को काम में ले रहे हैं।

मैंने जो सुझाव दिये हैं उनका आप ध्यान रखें। मेरा नाम बोलने वालों की सूची में नहीं था, लेकिन आपने कृपा कर मुझे मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, सदन इस समय भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक, 1984 पर वाद-विवाद कर रहा है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा यह निश्चित मत है कि कोई भी विधान जो किन्हीं महत्वपूर्ण मामलों से संबद्ध हो अनिवार्यतः संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक विशेष के संबंध में, जिस पर कि चर्चा चल रही है, कई सदस्यों ने, जिनमें मेरे मित्र श्री डागा भी शामिल हैं, विषय के एक पहलू पर बल दिया है, मानो यह विशेष विधेयक रुग्ण इकाइयों को पुनः चलाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि मामला यह नहीं है और माननीय वित्त मंत्री मुझसे सहमत होंगे और बाद में निश्चित रूप से कहेंगे कि इस बैंक विशेष का काम केवल रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्त देना नहीं है, यदि इसका उद्देश्य यही है, तो इसका विधेयक का नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक नहीं होना चाहिए था अपितु इसका नाम 'भारतीय औद्योगिक चिकित्सा बैंक विधेयक, या कुछ और हो सकता था।

मैंने विधेयक के उपबंधों को ध्यानपूर्वक देखा है क्योंकि मुझे अपने दल के सचेतक श्री शेजबलकर द्वारा केवल 1 घंटा पूर्व ही यह कहा गया कि मुझे इस विधेयक पर अवश्य बोलना चाहिए। पहले इस पर श्री आर. एल. पी. वर्मा को बोलना था लेकिन हमारे सचेतक चाहते थे कि इस पर मैं बोलूं। अतः आधे घंटे में ही मैंने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर नजर डाली और मैंने देखा कि इस विधेयक के उपबंधों का उद्देश्य केवल औद्योगिक दृष्टि से रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करना नहीं है। इसका एक उद्देश्य यह भी है। किंतु विधेयक के खंड 11 में दिए गए उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हैं और संभवतः सरकार पहली बार अपना बैंक बना रही है। यह सरकारी बैंक है। सरकार आरंभिक भुगतान के रूप में 50 करोड़ रुपए उपलब्ध करायेगी और 200 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी देगी। यदि बाद में इस बैंक को और राशि की आवश्यकता होगी तो सरकार के अनुमोदन से कुछ शेयर आदि भी जारी किए जा सकते हैं और यह बैंक विशेष कुछ ऋण और अग्रिम राशि भी ले सकता है। इस बैंक की कार्यवाही भारत तक ही समिति नहीं है वे विदेशों में भी है।

इस बैंक का कार्य केवल रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को ग्रहण देना ही नहीं बल्कि औद्योगिक विकास करना भी है। उस संबंध में आपका अधिक समय न लेने हुए, मैं इस विधेयक के मूल लक्षणों पर विचार करूंगा। मैं सदन का ध्यान विधेयक के 18 वें खंड की ओर दिलाऊंगा जिसमें पुनर्निर्माण बैंक के उद्देश्यों और कार्य का उल्लेख किया गया है।

इससे सभी बातें स्पष्ट हो जायेंगी कि इस बैंक के कार्य क्या हैं और अब माननीय वित्तमंत्री का कर्त्तव्य है कि वे सदन को बतायें क्या इस विशेष बैंक का दायित्व न सिर्फ रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता देना अथवा दोबारा चालू करना ही है अपितु औद्योगिक विकास करना भी है और शोध कार्य, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन जैसी अन्य गतिविधियाँ करना भी है तथा सरकार को यह सलाह-मशविरा देना भी है कि किस तरह औद्योगिक रुग्णता दूर की जा सकती है और देश में सम्पूर्ण विकास से संबंधित बहुत सी अन्य चीजों की जानी हैं।

इस संदर्भ में कुछ बातों को उद्धृत करते हुए मैं सदन का ध्यान विधेयक के पृष्ठ 11 खण्ड 18 की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

"पुनर्निर्माण बैंक उद्योगों का आधुनिकीकरण विस्तार, पुनर्संगठन, विविधीकरण का सुव्यवस्थीकरण करके और उसमें लगी हुई अन्य संस्थानों के समान कार्य का समन्वयकरके औद्योगिक पुनरुज्जीवन के लिये प्रधान प्रत्यय और पुनर्निमाण अभिकरण के रूप में कृत्य करेगा और औद्योगिक विकास, पुनर्निर्माण और उनके पुनरुत्थान में सहायता और उसका संवर्धन करेगा तथा सहायता की व्यवस्था करके या उसे प्राप्त करके और उसके लिये स्कीमों का कार्यान्वयन करके औद्योगिक समुत्थानों का पुनरुद्धार करेगा और उक्त उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित सभी या किसी कारोबार को चलायेगा और करेगा अर्थात् :—"

इस विशेष खण्ड में उन्होंने क से ब तक के कार्य बंद दिए हैं भ, म और य उन्होंने छोड़ दिये हैं। अन्यथा, उन्होंने 'क' से लेकर 'य' तक ले लिए हैं और उन्होंने खण्ड (ख) में बताया है जिसमें से कुछ को मैं उद्धृत करता हूं :—

"निम्नलिखित के संबंध में यथास्थिति, प्रत्याभूति देना, प्रति-प्रत्याभूति देना या क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना—(एक), ii, iii तथा ग।"

इसके पश्चात पृष्ठ 11, में आगे यह कहा गया है :—

"औद्योगिक समुत्थानों को उधार और अग्रिम धन अनुदत्त करने के लिए किसी राज्य स्तर के अभिकरण या अन्य विहित संस्थान या अभिकरण को ऋण देना ।"

रुग्णता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है । इसमें आगे कहा गया है ।

"औद्योगिक समुत्थान की ओर से उधार और अग्रिम धन अनुदत्त करने के लिये या उसकी ओर से प्रत्याभूति देने के लिए या लोक वित्तीय अनुसूचित बैंक और राज्य सहकारी बैंकों के लिए ऋण की व्यवस्था करना या उसे उनसे प्राप्त करना । अवर-संरचना असुविधाओं और कच्चे काव्य की व्यवस्था करना ।"

इस बैंक का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । इसके अतिरिक्त आगे कहा गया है :

"पट्टे पर या भाड़ा-क्रय के आधार पर मशीनरी और अन्य उपस्करों की व्यवस्था करना ।"

कार्य संचालन का क्षेत्र अभी भी बहुत विशाल है । यह लगभग पट्टे पर उधार देने वाली कम्पनी की भांति कार्य करेगी, क्योंकि आप पट्टे पर या भाड़ा-क्रय के आधार पर मशीनरी और अन्य उपस्करों की व्यवस्था करेंगे । अतः यह न सिर्फ वित्तीय सहायता और अग्रिम उधार देने के कार्य से ही संबंधित होगा, अपितु वे पट्टे पर या भाड़ा-क्रम के आधार पर मशीनरी और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करेंगे, अर्थात् वे व्यापारिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं अर्थात् व्यापार गतिविधियों में भी प्रवेश करेंगे । विधेयक के पृष्ठ 12 में कहा गया है :

"ऐसे विनियम-पत्रों और वचन पत्रों का, जो किसी औद्योगिक समुत्थान द्वारा या एक औद्योगिक समुत्थान द्वारा विनिर्मित पूंजीगत माल का दूसरे औद्योगिक समुत्थान को विक्रय करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए, प्रतिगृहीत किए गए या पृष्ठांकित किए गए हो, प्रतिग्रहण करना या मिती काटे पर भुगतान करना ।"

यहां आप जो कार्य निष्पादन करेंगे वह दलाल के कार्य की तरह का कार्य है । इसमें और आगे यह कहा गया है :—

"औद्योगिक समुत्थानों को, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीयकृत उपक्रम भी हैं, अपने काडर से या इस प्रयोजन के लिए गठित किसी पृथक् प्रबंध पूल से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करके प्रबंधकीय सहायता देना ।"

अतः यह बैंक राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों तथा अन्य इकाइयों को प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करेगा और उसके लिए वह फीस भी लेगा । इसमें यह भी कहा गया है :—

"विपणन या विनिधानों के मूल्यांकनार्थ या उनके बारे में अनुसंधान और सर्वेक्षण करना और उद्योग के पुनर्निर्माण और विकास तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत कार्मिकों

का प्रशिक्षण भी है, संस्थानों की स्थापना के संबंध में, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करना। औद्योगिक रुग्णता और औद्योगिक विकास से संबंधित सभी सम्बद्ध अभिकरणों से जानकारी संगृहीत करना।

अतः औद्योगिक रुग्णता के संदर्भ में इस विधेयक के प्रावधानों के संबंध में ही जोर देना उचित नहीं होगा। इसका एक विशाल क्षेत्र है; और इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को सावधान करना चाहता हूं ... **(व्यवधान)** मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं।

प्रो० रंगा आप मेरी आदतों को पिछले साढ़े चार साल से जानते हैं। अगर मैं संतुष्ट हूं कि विधेयक के प्रावधान ठीक हैं तो बिना दूसरों की बातों पर ध्यान दिए बिना मैंने उनका स्वागत किया है और इसी उद्देश्य से मैं आप से भी यही आशा रखता हूं। अब मैं आपका ध्यान खंड 23 पर आकर्षित करता हूं खण्ड 23 विदेशी मुद्रा में ऋण से संबंधित है।

23(1) "विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में या विदेशी मुद्रा से संबद्ध किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी पुनर्निर्माण बैंक, इस अधिनियम के अधीन उधार और अग्रिम अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ, किसी विदेश स्थित बैंक या वित्तीय संस्था से या अन्यथा, विदेशी करेंसी केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति से उधार ले सकेगा।

(2)

(3) उपधारा (1) के अधीन उधार ली गई विदेशी करेंसी में से पुनर्निर्माण बैंक द्वारा अनुदत्त सभी उधार और अग्रिम धन उसके अनुदान के समय भारत में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार संगठित भारतीय करेंसी के समतुल्य विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त किए जाएंगे और उनके अधीन संदेय रकम, ऐसे उधार या अग्रिम धन के प्रतिसंदाय के समय भारत में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार संगठित समतुल्य भारतीय करेंसी में प्रतिसंदेय होगी।"

महोदय, यदि बाजार में उतार-चढ़ाव है तो हानि सामान्य होगी और उप खण्ड (3), की व्याख्या क्या है ? इस प्रावधान के अंतर्गत, यह प्राधिकरण, यह विशेष बैंक विदेशी बाजारों से ऋण लेने के लिए प्राधिकृत होंगे। अब सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से ऋण लेने के लिये स्वयं नहीं जाना पड़ेगा।

सरकार इस एजेन्सी के माध्यम से ऋण लेगी। वास्तव में सरकार की सहमति आवश्यक होगी, सरकार की स्वीकृति जरूर होगी। इस विशेष खण्ड में, निश्चित नहीं हूं, परन्तु मैं आशा रखता हूं कि विदेशी मंडियों से अंधाधुंध ऋण लेने की प्रक्रिया को स्वीकृति देने के सम्बन्ध में सरकार उसी तरह से इस दृष्टि से कठोर रवैया अपनायेगी जैसा अब तक अपनाती रही है कि चीन के सदस्य बन जाने के बाद औद्योगिक विकास तथा पुनर्निर्माण बैंक की सहायता कम हो रही है और उनका दृष्टिकोण भिन्न होगा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रवैया भिन्न है, विदेशों में विदेशी बैंक हमें दबाव देकर ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं—वे ऐसा नहीं कर सकते—

परन्तु वे तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी न्याय दरें भी अधिक हैं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख अधिक है, मैं नहीं जानता कि किस हद तक इस कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, परन्तु उपखण्ड (3) में प्रावधान किया गया है जिसका सदन को समझना चाहिए और मैं चाहूंगा प्रो० रंगा इस पर टिप्पणी करें।

जो भी विदेशी मुद्रा उधार ली जाती है, वह वहीं बैंक के पास होती है। जब वह पैसा यहां पर सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध कराया जाता है, तो सम्बन्धित उद्योग को विदेशी मुद्रा उपलब्ध करते समय, जो दर उनसे वसूली जायेगी वह यहां पर उपलब्ध होगी। माना कि हम एक सौ डालर उधार लेते हैं और श्री पनिका को उधार देते हैं तो श्री पनिका से हमें कितना मिलता है? माना कि आपकी विनियम दर 10 रुपए प्रति डालर है तो बैंक 10 रुपये उसके नामे डाल देगा उसे तीन वर्षों के पश्चात इसे वापस करना है। तीन वर्षों के पश्चात उस एक हजार रुपए के लिए एक सौ डालर वापस करने हैं क्योंकि दर 10 रुपए है। और माना कि तीन वर्षों के पश्चात हमारे दुर्भाग्य से डालर की कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी सारी दर 15 रुपए हो जायेगी। तो सरकार को विदेशी मुद्रा में विदेशी बैंक को 1500 रुपये की राशि भुगतान करनी होगी जिससे हमने इस खण्ड के अन्तर्गत उधार लिया है और बैंक श्री पनिका से सिर्फ 1000 रुपए ही वसूल करेगा।

जहां तक इस विशेष लेन-देन का सम्बन्ध है, बैंक को 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हमें इस पहलू से इस पर विचार करना होगा। मैं नहीं जानता आपने यह कैसे किया है। यह मेरी व्याख्या है। मुझे यही समझ आया है। क्योंकि खण्ड (3) में बताया गया है—

> (3) उपधारा (1) के अधीन उधार ली गई विदेशी करेंसी में से पुनर्निर्माण बैंक द्वारा अनुदत्त सभी उधार और अग्रिम धन उसके अनुदान के समय भारत में प्रचलित विनियम दर के अनुसार संगणित भारतीय करेंसी के समतुल्य विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त किए जायेंगे और उनके अधीन संदेय रकम, ऐसे उधार या अग्रिम धन के प्रतिसंदाय के समय भारत में प्रचलित विनियम दर के अनुसार संगणित समतुल्य भारतीय करेंसी में प्रतिसंदेय होगी।

आप स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। अगर यह स्थिति नहीं है तो ठीक है। क्योंकि आगे आपने यह कहा है कि यह निर्णय किसे लेना चाहिये। स्पष्टीकरण में आपने कहा है :

> "यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि यथा पूर्वोक्त कोई उतार चढ़ाव प्रसामान्य बाजार उतार-चढ़ाव हैं या नहीं तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार करेगी, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।"

क्योंकि पहले आपने कहा था कि विदेशी मुद्रा के बाजार भाव के उतार-चढ़ाव के बारे में यह सामान्य बात है। जहां तक सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव से भिन्न उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में सरकार उनकी प्रतिपूर्ति कर देगी। इसका अर्थ यह है कि प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। यदि बाजार में असमान्य उतार-चढ़ाव आते हैं तो सरकार को बैंक को प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। परन्तु यदि बाज़ार में सामान्य उतार-चढ़ाव आते हैं तो बैंक को इस विशेष घाटे को बर्दाशत करना होगा।

स्पष्टीकरण के साथ पूर्ण खण्ड को एक साथ पढ़ते हुए मेरी समझ में यह आया है कि यदि

इस विशेष तरीके से हम विदेशों से पैसा उधार लेंगे और इसे व्यापार और उद्योग के विकास के लिए ऋण पर देंगे, जिसके मैं विरुद्ध नहीं हूं, तो आप उपधारा (3) के इस विशेष उपबन्ध को कृपया स्पष्ट करें। इस कारण बैंक को कोई घाटा नहीं होना चाहिए और सरकार को कोई प्रतिपूर्ति नहीं करनी चाहिये। यदि सरकार को इसकी प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है, तो इसका आशय है कि सारे देश को इसकी प्रतिपूर्ति करनी है।

खण्ड 24 में कहा गया है कि बैंक उपहार तथा दान प्राप्त कर सकता है। मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बैंक किससे उपहार तथा दान प्राप्त करेगा। दान करने की किसको जरूरत पड़ेगी ? सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस विशेष बैंक को उपहार तथा दान देने का प्रश्न कहां उठता है ? परन्तु आपने इस विशेष खण्ड में इस प्रकार का उपबन्ध किया है।

इसी प्रकार से आपने लेखा-परीक्षा के बारे में उपबन्ध किया है कि लेखा-परीक्षक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी। आपने यह भी उपबन्ध किया है कि यदि सरकार ऐसा महसूस करती है तो सरकार विशेष परिस्थितियों में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के कार्यालय को लेखा-परीक्षा करने के लिए कह सकती है। जैसे कि मेरी आम आदत है, मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि सरकारी खर्च अथवा सरकारी कार्य-कलापों अथवा वाणिज्यिक निगमों जिनमें सरकार को शत-प्रतिशत रूचि होती है, और इस विशेष मामले में भी रुचि है, और यदि सरकारी खर्च पांच अथवा दस करोड़ रुपये से अधिक किया गया है तब भी सामान्यतः लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के संगठन द्वारा किया जाता है। इस विशेष बैंक का कार्य-क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसमें काफी जोखिम भी है क्योंकि इसकी गतिविधियां अपने देश तक ही सीमित नहीं होंगी परन्तु इस विशेष बैंक को विदेशों में भी अपनी गतिविधियां चलाने का प्राधिकार दिया गया है। यह राज्य एजेंसियों तथा अन्य बैंकों को भी ऋण दे सकता है। यह गारन्टी दे सकता है। यह ऋणपत्रों, शेयरों, राज हुंडियों, खातों, वचन पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करेगा।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसके खातों की भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा ही लेखा परीक्षा होनी चाहिये। यह सच है कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जायेगा। इस विशेष विधेयक की यह एक अच्छी बात है। परन्तु तब भी मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि एक ऐसे बैंक के सम्बन्ध में जो अपनी किस्म का एक ही है और जिसे विशेष उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पहली बार आरम्भ किया जा रहा है और जिसकी अपने कार्य-क्षेत्र और न्याय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी तो मेरे विचार से, यह समझदारी की बात होगी कि इसके लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा की जाये।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं परन्तु जिन उद्देश्यों का विधेयक में उल्लेख किया गया है वे बहुत ही प्रशंसनीय लगते हैं। यदि यह विशेष बैंक प्रबन्धकीय उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ कर पाता है और यदि यह प्रबन्धकीय संहिता बनाने में और हमारे राष्ट्रीकृत उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कुशल प्रबन्ध प्रदान करने में सफल हो जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि इस विशेष मामले में, जहां तक उद्योगों को बहाल करने और उनका

विकास करने का सम्बन्ध है, यह बैंक एक महान सेवा करेगा। मेरे विचार से संपूर्ण औद्योगिक विकास करने के लिए वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री तथा सरकार के लिए यह केन्द्रीय मुद्दा होगा।

अन्त में, मैं फिर चेतावनी देना चाहूंगा कि सरकार को कभी भी किसी दुर्भावना के कारण किसी उद्योग को अपने हाथ में लेने के लिए इस विधेयक में दिए गए उपबन्धों का इस्तेमाल किसी के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। इस विधेयक में उपबन्ध भी किए गए हैं और इसमें प्राधिकार भी निहित हैं। कुछ मामलों में इन उपबन्धों और प्राधिकार की आवश्यकता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा सत्ता में रहे। हो सकता है कोई और भी सत्ता में आ जाए।

अतः, इस विशेष विधेयक में उपबन्धों अथवा सरकार या बैंक को प्रदान किए जा रहे प्राधिकार का इस्तेमाल, उद्योग के किसी विशेष दोष अथवा उसकी गलती की आड़ में किसी अच्छे प्रबंध को विस्थापित करने के लिये नहीं होना चाहिये। इस मामले में मैं सरकार के साथ हूं, मैं आप के साथ हूं जो एकक पथभ्रष्ट हैं, उन्हें आड़े हाथ लेना चाहिये और मैं तो एक कदम आगे की बात करना चाहूंगा कि यदि आप किसी बड़े औद्योगिक गृह के किसी रूग्ण एकक को हाथ में लेने जा रहे हैं तो उसी औद्योगिक गृह के एक स्वस्थ एकक को भी हाथ में लेना चाहिये। यह उपबन्ध करें कि यदि उनके उद्योग को घाटा हो रहा है, यदि वह रूग्ण होने वाला है, तो वे सरकार को यह पहले ही सूचित करें कि लगातार पिछले तीन वर्षों से उनके लाभ कम हो रहे हैं और उनको अंदेशा है कि उनका उद्योग रूग्ण होने वाला है। ताकि सरकार कुछ निरोधात्मक उपाय कर सके। परन्तु होता यह है कि उद्योग रूग्ण हो जाता है। जब गाय दूध देती है तब तक इसका लाभ उसके मालिकों द्वारा उठाया जाता है और जब यह बेकार हो जाती है तो इसे 'गौशाला' में भेज दिया जाता है, जिसकी मालिक सरकार है। उसे 'पिंजरापोल' में भेज दिया जाता है जिसकी मालिक सरकार है।

4.00 म०प०

अतः सभी रूग्ण उद्योगों के लिए सरकार को एक 'पिंजरापोल' नहीं बन जाना चाहिए। ऐसा नही है कि समय नहीं आ गया है। अब समय आ गया है जबकि इस संसद को रूग्ण एककों को हाथ में लेने के कार्य में प्रभावी कदम उठाना होगा। आप एककों को इसलिए हाथ में ले रहें हैं कि 5,000 व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे, वे सड़क पर आ जाएंगे। परन्तु क्या आपने उन पांच लाख व्यक्तियों के सड़क पर आने की परवाह की है जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

आप उन 5,000 व्यक्तियों के बारे में चिंतित है जो संगठित क्षेत्र में हैं परन्तु उन लाखों व्यक्तियों के बारे में चिंतित नहीं है जो असंगठित क्षेत्र में है। इस बात के लिए हमें अपने आपको दोष देना होगा। क्या उन्हें केवल इसलिये सड़कों पर फेंक दिया जाना चाहिये कि वे असंगठित क्षेत्र में हैं? मैं यह नहीं कहता कि मजदूरों को बेरोजगार कर दिया जाना चाहिये। कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। मैं इसके विरुद्ध हूं। तालाबन्दी, जबरन-छुट्टी तथा हड़तालों के बारे में मुझे एक भिन्न बात कहनी है, परन्तु मजदूरों के हित की रक्षा करनी चाहिये। केवल इसलिये आप उद्योग को हाथ में ले लेंगे कि ये मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। आपको यह पता लगाना चाहिये कि वे बेरोजगार क्यों होते जा रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि उद्योग बन्द होने जा रहा है। अब, उद्योग क्यों बन्द होने जा रहा है? यह इसलिए कि यह रूग्ण हो गया है। यह कितने वर्षों से रूग्ण था, निरोधात्मक उपाय क्यों नहीं किए गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सब बातों का पता लगाना चाहिये।

अतः, किसी भी रूग्ण उद्योग को अन्धाधुन्ध और मनमाने तरीके से हाथ में लेने और उसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में संभल कर कार्य करना होगा। अन्ततः, इससे देश की पूर्ण अर्थव्यवस्था को नुक्सान है। अतः, प्रत्येक व्यक्ति को इन रूग्ण उद्योगों को हाथ में लेने और उनका राष्ट्रीयकरण करने का बोझा और परिणाम भुगतना होगा। अतः, हमें पूर्ण उपाय करने के लिए गहराई से सोचना होगा और कारणों का पता लगाना होगा और इस प्रकार उपचार करना होगा जिससे ये उद्योग रूग्ण न हों वे रूग्ण हो जाएं, वह ठीक है परन्तु उन्हें रूग्ण बनाया न जाए। केवल विलिंगडन अस्पताल के आराम और सुख-सुविधाओं के लिए यदि मैं जाकर अपने आप को नए नर्सिंगहोम में दाखिल करवा लेता हूं तो इसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा।

अतः इस विशेष संदर्भ में मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं वे इस बात को ध्यान में रखें और वे इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों में निहित विभिन्न उद्देश्यों के प्रति प्रोत्साहित करें विशेषकर धारा 18 के प्रति, परन्तु हमें, जहां तक विदेशों से ऋण लेने का सम्बन्ध है, बैंकों द्वारा शक्तियों का गलत इस्तेमाल किए जाने के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। ब्याज की दरें बढ़ रही हैं। विदेश हमसे अधिक पैसा ऐंठनें पर तुले हुए हैं। वह पैसा व्यर्थ जा सकता है और उस पैसे से अन्ततः नुक्सान हो सकता है और तब सारे देश को इसका परिणाम भुगतान पड़ेगा।

अतः, इन सब बातों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और सरकार से मेरी प्रार्थना है कि विधेयक में जो उपबन्ध किए गए हैं, वह उसका गंभीरतापूर्वक और सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करे... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितनी देर तक ?

श्री सतीश अग्रवाल : कितनी देर तक, मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं। इससे क्या अन्तर पड़ता है कि एक व्यक्ति ने इस देश पर पचास वर्षों तक शासन किया है अथवा यदि एक दल इस पर सौ वर्षों अथवा पांच अथवा दस वर्षों के लिए इस पर शासन करता है। इससे अन्तर नहीं पड़ता है। अन्तर इस बात से पड़ता है कि क्या हम जनता की सेवा कर पाते हैं अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि हम जनता की सेवा नहीं कर पाये हैं। जैसाकि श्री साठे द्वारा एक समय ठीक ही उल्लेख किया गया है कि मुश्किल से इस देश के एक करोड़ लोग, इस देश के विकास का फायदा उठा रहे हैं। संभवतः श्री साठे की अपने शब्द याद होंगे। मैं इस बात पर उनके साथ सहमत हूं कि अधिकतर लोग देश के विकास के लाभ से वंचित हैं। इसलिए हमें ऐसे रास्ते और तरीके निकालने होंगे जिससे देश के विकास से हो रहे देश में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हों। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इस विधेयक के उपबन्धों को गलत इस्तेमाल किये जाने के बारे में सरकार को सतर्क रहने के लिए कहता हूं।

श्रीमती विद्यावती चेन्नुपति (बिजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन बैंक आफ इंडिया बिल का समर्थन करती हूं।

बैंकों द्वारा जिस इंडस्ट्री की इम्परूवमेंट के लिये पैसा दिया जाए, उसकी व्यवस्था को ठीक करना भी आवश्यक है।

4.06 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

इंडस्ट्री के डेवेलपमेंट के लिए बैंक बहुत पैसा दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं,

लेकिन हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री के लिए पैसा दिया जा रहा है, उसके लिए रा मैटीरियल और मार्केटिंग की ठीक व्यवस्था है या नहीं। इसके साथ साथ बैंकों को लोकल इंडस्ट्रीज और विशेष रूप से स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज को एनक्रीज करना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी जरूरत का सामान ऐसी इंडस्ट्रीज से ही खरीदना चाहिए। हम देखते हैं कि यद्यपि बोल्ट और नट आदि लोकल इंडस्ट्री से लिए जा सकते हैं, मगर उन्हें दूर कलकत्ता से मंगाया जाता है। चूंकि लोकल इंडस्ट्री से सामान नहीं खरीदा जाता है, इसलिये वह सिक हो जाती है, लोन को वापस नहीं कर पाती है और इसलिए उसको पैसे देने से कोई लाभ नहीं होता है।

जहां तक हो सके, इंडस्ट्री में लोकल लोगों को एम्पलायमेंट देना चाहिए। सरकार इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन लेती है, मगर वह यह व्यवस्था नहीं करती कि जो लोग उस जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें इंडस्ट्री में एम्पलायमेंट दी जाये।

इंडस्ट्रीज के डेवेलपमेंट के लिए स्टेट लेवल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सेमिनार और वर्कशाप होने चाहिए, जिससे इण्डस्ट्री चलाने वालों को टेकनिकल एडवाइस और टेकनिकल नालेज मिल सके। उन लोगों को बैंकों से लोन दिया जाता है, लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि उन्हें टेकनिकल एडवाइस मिलती है या नहीं। बैंकों से लोन लेने में बहुत टाइम लगता है और अनएम्प-लायड एजूकटिड यूथ फेड अप हो जाते हैं। वे लोन के लिये एप्लिकेशन देते हैं और लोन मिलने में महीनों लग जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इंडस्ट्री आफिस में बैंक के प्रतिनिधि और टेकनि-कल आफिसर को भी बैठना चाहिए, ताकि वे देख सकें कि इंडस्ट्री फीजिबल है या नहीं। सारा काम एक ही आफिस में हो जाना चाहिए। अनएम्पलायड यूथस को हर एक आफिस में, बैंक में, टेकनिकल आफिस में हर एक जगह घूमना पड़ता है। इसलिये उनको एनकरेजमेंट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो यह स्कीम इंट्रोड्यूस की है अनएम्पलायंड एजूकेटेड यूथस के लिये उसके लिये हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी अनएम्पलायड लोग बहुत हैं। अनएम्पलायमेंट को कम करने के लिये यह एक सुझाव मैं दे रही हूं कि इसमें जल्दी करनी चाहिये और जल्दी उनको जवाब मिलना चाहिये। हम इतना आगे तक तो आए हैं, इसका लोगों ने स्वागत किया है लेकिन और ज्यादा स्वागत लोग करें इसके लिये इतना और हमें करना पड़ेगा कि उनको हर एक आफिस में और इधर उधर घूमना न पड़े।

वीकर सेक्शंस लोन्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। उसके लिए कुछ स्पांसर्ड एजेंसीज को हम लेते हैं, उनके जरिए से देते हैं। लेकिन हमारे यहां सब्जी बेचने वाले या टोकरी बनाने वाले होते हैं, उनको पांच छः सौ से ज्यादा नहीं चाहिए। उसके लिए भी उन को किसी न किसी स्पांसर्ड एजेंसी के पास जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि एक हजार के नीचे जो लोन देते हैं उस के लिए उनको स्पांसर्ड एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उनको डायरेक्ट ही बैंक्स से दे सकते हैं। वीकर सेक्शंस के लिए स्पांसर्ड एजेंसी के पास जाना और बैंकर्स के पास जाना फिर डिपाजिट देना इन सब में बहुत मुश्किल पड़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बैंक वाले स्पांसर्ड एजेंसी से बात कर लें या नहीं तो स्पांसर्ड एजेंसी वाले बैंक से बात कर लें। दोनों के पास जाने में वीकर सेक्शंस को बहुत मुश्किल पड़ती है। मेरा सुझाव है कि यह जल्दी होना चाहिए उनकी अप्लीकेशन मिलते ही तुरंत उनको मिलना चाहिये।

इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए हाउसिंग की बहुत बड़ी प्राबलम बन

रही है। हाउसिंग के लिए उनको लौन देना पड़ेगा। अगर उनके पास थोड़ी बहुत जमीन हो तो उन को मकान बनाने के लिए लौन देना चाहिए। हम तो यह सोचते हैं कि उनको बना कर दे देंगे लेकिन उस में बहुत समय लगेगा। अगर उनके पास जमीन हो तो थोड़ा मकान बनाने के लिए उनको लौन देना पड़ेगा। उससे उनको इंडस्ट्री में काम करने में सुविधा मिल जायगी।

इसमें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को मैंने देखा है, 15 डायरेक्टर्स आपने रखे हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि कहीं भी किसी भी बोर्ड में किसी महिला को डायरेक्टरशिप आप नहीं देते हैं। इस में भी आप ने एक भी महिला को नहीं रखा है। महिलाओं ने छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज अपने अपने घरों में बना रखी हैं। मेरा यह अनुभव है कि महिलाओं की जो प्राबलम होती है वह मर्द से ज्यादा महिलाएं जानती हैं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरा निवेदन है कि ये जो 15 डायरेक्टर्स आपने रखे हैं इनमें कम से कम एक महिला को आप अवश्य रख दीजिए।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : एक नहीं, एक से अधिक को दीजिए।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : एक से अधिक को रखिये तो हमें खुशी होगी। लेकिन अभी जो है उस में तो 15 में से एक भी महिला को नहीं रखा है। मैं आशा करती हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही डायनामिक हैं, वह इस में कम से कम एक महिला को जरूर रखेंगे। ऐटलीस्ट वन बूमन जरूर इन पन्द्रह डायरेक्टर्स में होनी चाहिए। आप दो दे दें तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी क्योंकि एक महिला को तो हरएक मीटिंग में बैठने में बहुत मुश्किल होगी। अगर दो दे दें तो सुविधा हो जायगी। जो फील्ड में काम कर रही हैं उन में से एक महिला को आप जरूर इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रखें।

दूसरी बात यह है कि जो फील्ड लेवेल पर काम करते हैं, सोसाइटी में काम करते हैं उनके लिए तो जरूर एक डायरेक्टरशिप आपको देनी चाहिए। आपने तो सारे आफिसर्स को ही रख दिया। इन 15 डायरेक्टर्स में सारे के सारे आफिसर्स रखे हैं। उस में आपने स्पेशल नौलेज रखा है, और एक्सपीरिएंस रखा है। स्पेशल नौलेज में जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनमें से एक को रखिए। वरना जो भी बैठते हैं उनको प्रैक्टिकल नौलेज बिलकुल नहीं होता है। हम समाज में काम करती हैं हमें यह मालूम है कि कहां कहां गलतियां हो रही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक महिला को अवश्य रखा जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब हमारे इस सुझाव को जरूर मान लेंगे। मैं आशा करती हूं कि मैंने जो और सुझाव दिए हैं उनके सम्बन्ध में अपने उत्तर में जरूर कहेंगे। आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री नारायण चौबे : (मिदनापुर) श्रीमन्, वास्तव में यह विधेयक आई० आर० सी० आई० का ही एक प्रतिस्थापन और इसका विस्तार है जोकि 1971 में बनाई गई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई एक मित्रों ने बार-बार यह प्रश्न पूछा है कि : आई० आर० सी० आई० कैसे कार्य करती है ? इसके कार्य के बारे में आपकी क्या राय है ? श्रीमन्, कई स्थानों पर आई० आर० सी० आई० एल० सी० आई० बन गई है, जिसका कि अर्थ है इण्डिस्ट्रीयल लिक्विडेशन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया।

श्रीमन्, कई एक मित्रों ने कहा है और वास्तव में यह एक तथ्य है कि इस विधेयक के खण्ड 18 में आपने इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है जोकि आई० आर० सी० आई० के मामले

में विद्यमान नहीं है। लेकिन उद्योग का रुग्ण होना एक ऐसी बात है जिससे आपको लड़ना होगा और जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है, जैसा कि कामरेड रूपचन्द पाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी उद्योग को 'रुग्ण' करार देना अपने आप में एक व्यवसाय बन गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वयं कहा है कि किसी उद्योग के रुग्ण होने का कारण कुप्रबंध है। इस संदर्भ में हमेशा ही पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाता रहा है।

पश्चिम बंगाल में श्रमिक-वर्ग कुछ आन्दोलन चला रहा है। यह तर्क की बात है जब वाम-पंथी सरकार सत्ता में आई और उनकी मांगों के लिए उसने लड़ाई की तो कई दफा श्रमिकों द्वारा भी ज्यादतियां की गईं; लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल 2 प्रतिशत रुग्णता ही श्रमिक-समस्या से उत्पन्न हुई है। लेकिन अधिकतर रुग्णता कुप्रबन्ध के कारण ही हुई है। निश्चित ही इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं। रुग्णता को रोकने के लिए आपके पास क्या प्रस्ताव हैं? श्री सतीश अग्रवाल ने खण्ड 18 का हवाला देकर इस विधेयक की प्रशंसा की है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी (नरसारावपेट) : एक रचनात्मक रूप में।

श्री नारायण चौबे : यह एक बड़ी बात है। लेकिन हमें अपने अनुभव से पता है कि बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके कई एक गलत बातें भी की जा सकती हैं, मैं आशा नहीं करता कि ऐसी बातें यहां भी होंगी। लेकिन आज अच्छी-अच्छी बातें बोलने से ही हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते? करीब 20 वर्ष पहले आपने समाजवादी ढंग के समाज का नारा दिया था। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आपने 'समाजवाद' का जिक्र भी नहीं किया है। —(**व्यवधान**)— मैं पूछना चाहता हूं कि आपका 'समाजवाद' क्या है? समाजवाद से आपका क्या तात्पर्य है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह आपका नहीं है।

श्री नारायण चौबे : 'आपका' से आपका क्या अभिप्राय है? मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या है?

···(**व्यवधान**)···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : पूंजीवादी समाजवाद।

श्री नारायण चौबे : मेरे समाजवाद का अर्थ है—समाजीकरण, मेरे समाजवाद का अर्थ है—कालाधन नहीं रहेगा, मेरे समाजवाद का अर्थ है—खेतिहर और उनके सहकारी संघों को भूमि मेरे समाजवाद का अर्थ है·····

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : अमेरिका के साथ सहयोग।

श्री नारायण चौबे : श्रीमन्, हम अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ सहयोग नहीं करते। वे कुछ उत्तेजित हैं। परसों समाचार पत्रों में छपा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पंजाब में गड़बड़ी के लिए एक अमेरिकी एजेन्सी का जिक्र किया था। लेकिन डर की वजह से आज उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। ···(**व्यवधान**)···

इस प्रकार कौन बचाव कर रहा है·····

···(व्यवधान)···

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया है, यही उन्होंने कहा है।

श्री नारायण चौबे : मुझे अपना भाषण करने दीजिए। स्वराज पाल जो एक चतुर उद्योग-पति हैं और जिनका आपने काफी समर्थन किया है, जिनके बारे में आज के समाचार पत्रों में खबर छपी आई हैं।

···(व्यवधान)···

उनकी शायद आज ही श्रीमती इन्दिरा गांधी पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है और हमारे राष्ट्रपति जी ने पुस्तक के विमोचन में एक अग्रेषण टिप्पण लिखने की कृपा की है।

···(व्यवधान)···

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : क्या यह संगत है।

···(व्यवधान)···

श्री नारायण चौबे : शायद उससे उनको कोई खतरा नजर आया है।

11 बड़े घरानों ने 28,000 करोड़ रु० पर आधिपत्य किया हुआ है। उसमें से केवल 145 करोड़ रु० का ही निवेश किया है क्या वे कोई लाभ नहीं कमाते ? वे लाभ कमाते हैं। उन्होंने कहा है कि वे प्रति वर्ष कम-से-कम 5500 करोड़ रु० का लाभ कमाते हैं, यह उनकी जानकारी में है कि इन 11 घरानों ने 25,000 करोड़ रु० का कालाधन यूरोप के बैंकों में जमा करा रखा है। उन्होंने यह बात कही है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को रोकने के लिए, इस विधेयक में क्या उपबंध हैं। जब तक इसे रोकने के लिए आप कोई उपबंध नहीं करते, तब तक जो भी राशि आप इस प्रणाली में खर्च करेंगे वह वहां चली जायेगी।

आप बंगाल से आये हैं। मैं आई० सी० आर० आई० के बारे में कहना चाहता हूं, बंगाल में यह कैसे कार्य कर रहा है ? कैटरपिबर, कंटेनर को बन्द किया जा रहा है और अन-अधिसूचित किया गया है। बंगोदया कांटन मिल में तालाबन्दी है : बंगाल पौटरी की स्थिति चिन्ताजनक है। उनका भविष्य अनिश्चित है। आप यह विधेयक ला रहे हैं। आपको शीघ्र ही इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए जोकि अपनी क्षमता का 40% ही कार्य कर रही है। मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। आप महान भगत के बारे में जानते हैं, जिसके विरुद्ध सभी मजदूर संघ आरोप लगाती रही हैं और आज वह जेल में है। उसको काबू नहीं किया जा सका। उन्होंने 3 करोड़ रु० की हेरा फेरी की। वह जेल में है।

वे भगत बंगाल पौटरी के थे। हमारा सुझाव है कि अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो आपको शीघ्र ही बंगाल पौटरी का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इसके साथ ही हिन्दुस्तान पिलॉकिंगटन एण्ड ग्लास फैक्ट्री में तालाबन्दी है। हाल ही में समाचार पत्र में रिपोर्ट आई हैं कि यह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इसे बचाया जा सकता है, अगर आप योग्य प्रबन्धक का इन्तजाम कर दें तो यह विदेशी-मुद्रा कमा सकती है। मैं नहीं समझता कि भारत-सरकार के पास ऐसे स्रोत नहीं है कि वे उपयुक्त व्यक्ति की खोज न कर सकें। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 12 मिलें हैं जो धूसर कपड़ा तैयार करती हैं, इनमें सनफोराइजिंग मरसेलाइजिंग और बलीचिंग नहीं होती है।

भारत सरकार ने 6 करोड़ रु० की लागत से एक नया निगम, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कारपोरेशन स्थापित किया है। यह एक बहुत अच्छी फैक्ट्री है। इसकी मशीनरी बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है और विभिन्न उद्योगों के अधिकारियों की सांठ-गांठ है। इस फैक्ट्री को राष्ट्रीय कपड़ा मिलों से आर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। निजी पार्टियाँ राष्ट्रीय कपड़ा मिलों से कपड़ा खरीद कर इस फैक्ट्री से निजी तौर पर गैर-कानूनी रूप से प्रोसस करवाती हैं और वे काफी लाभ कमा रही हैं। मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे कि 6 करोड़ रु० की लागत से जिस टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कारपोरेशन की आपने स्थापना की है, उसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम से सीधे काम मिले।

अन्त में, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सही ढंग से कार्य आगे बढ़ाया है। हालांकि जो भी अच्छे कार्य आप करना चाहते हैं, आप उन्हें सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तब फिर भी मैं आशा करता हूं कि, इस विधेयक को पारित कर, आप सही ढंग से अच्छा कार्य करें मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे उपाय करेंगे और कुछ कदम उठायेंगे जिससे कि उद्योगों योजनाबद्ध रूप से बनाई गई रुग्णता को रोका जा सकें और पथ भ्रष्ट उद्योगपतियों पर काबू पाकर उन्हें दण्ड दिया जा सके।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं इण्डस्ट्रीयल रीकंस्ट्रक्शन बैंक आफ इण्डिया बिल 1984 का समर्थन करता हूं। इस बिल के पीछे जो भावना है वह बहुत अच्छी है और निश्चित तरीके से इस के जरिये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। मगर जिस प्रकार के प्रावधान इसमें रखे गये हैं उनसे जितनी सेवा करना चाहते हैं वह पूरी हो पायेगी इसमें मुझे थोड़ा सन्देह है। इसमें आपने तय किया है कि अथोराइज्ड कैपिटल 200 करोड़ रुपये होगा, पेड-अप कैपिटर 50 करोड़ रुपये होगा, 50 करोड़ में से 20 करोड़ रुपया आप जिस कम्पनी को दे दोगे तो बाकी जो 30 करोड़ बचेगा उसमें जितने काम आप ने बतलाये हैं, जो सैक्शन 18 में दिये गये हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से कर पायेंगे या नहीं—यह विचार करने की बात है।

यदि आप इतने सारे आब्जैक्ट्स को न लेकर, एक आब्जैक्ट लेते कि सिक यूनिट्स को क्योर करेंगे, उनको वापस लाइन पर लायेंगे, उन का प्रौडक्शन बढ़ायेंगे, तब बहुत अच्छी व्यवस्था होती। सिर्फ यूनिट्स का मामला बहुत गंभीर मामला है, जिनको मैनेज करना नितान्त आवश्यक है। अभी हमारे बी० जे० पी० के श्री सतीश अग्रवाल बोल रहे थे और वह कह गये कि सिक यूनिट्स को टेक-ओवर नहीं किया जाना चाहिए। जब कि इनके ही क्षेत्र में एक सिक यूनिट पड़ी हुई है जिसके टेक-ओवर

के लिये ये खुद कह रहे थे। यह गलत बात है— इस तरह से यहां पर बोलना और बाहर जाकर कुछ और बोलना, अलग-अलग तरीके से बातें करना, यह निश्चित तरीके से मजदूरों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह अपनी अपनी समझ की बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वहां के मजदूरों के सम्बन्ध में आपको यह कहना चाहिये था कि इतने हजार मजदूर जो मिल के बन्द होने की वजह से बेकार हैं उनको रोजी-रोटी मिलनी चाहिये और यह तभी मिल सकती है जब उस मिल का टेक-ओवर हो या नेशनलाइजेशन हो या फाइनेंशियल इंस्टीचूशन के जरिये मैनेज हो। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि यहां पर लोग जो इस तरह की बात कर देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मैं आप से निवेदन कर रहा था कि जो आब्जैक्ट्स आपने लिये हैं, वे बहुत ज्यादा ले लिये है, जिन को आप पूरा नहीं कर पायेंगे और इस तरह से जो मेन आब्जैक्ट रीकंस्ट्रक्शन या रिवाइव करने का है, वह गौण हो जायगा। इसलिये मेरा कहना है कि एक आब्जैक्ट ही आपके सामने मुख्य होना चाहिये कि सिक यूनिट्स को रिवाइव किया जाय, उनकी बीमारी को दूर किया जाय और सिक होने की वजह से जो मजदूर बेकार हो गये हैं उनको रोजी-रोटी दी जाय।

अब अगर यह देश के तमाम सिक यूनिट्स को लेगा तो 200 करोड़ रुपये से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप इसमें अधिक धन की व्यवस्था कीजिये। आपके पास फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज हैं उनका पैसा इस बैंक के जरिये इन सिक-यूनिट्स में पहुंच सकता है। इस लिये इस बैंक को दूसरी फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज के जरिये पैसा दिलवा कर इस व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपने इन फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज से अब तक जिन इण्डस्ट्रीज को पैसा दिलवाया है, उनके पीछे कोई मानिटरिंग व्यवस्था नहीं है और जितना पैसा दिलवाया है वह सारा पैसा खा-पी गये हैं, ऐसेट्स को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है या मिसमैनेजमेन्ट की वजह से यूनिट को सिक-यूनिट बनाने की कोशिश की है। इस लिये मैं चाहता हूं कि फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज का पैसा आपके इस बैंक के जरिये मिलना चाहिये, तब जाकर यह सारी व्यवस्था ठीक बैठ पायेगी। तब जाकर के सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से बैठेगी। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करना जरूरी है। अगर यह व्यवस्था करेंगे तो आपकी व्यवस्था ठीक तरह से चलेगी।

आपने इस बिल की क्लाज 39 में टेक-ओवर की बात कही है। जिन इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट खराब है और मिसमैनेजमेंट की वजह से वे इंडस्ट्रीज सिक हुई हैं उनका टेक-ओवर करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आप टेक-ओवर करने में विश्वास नहीं करते। अब आप यह बिल लाये हैं और यह बैंक बनाने जा रहे हैं। इस बैंक के जरिये से आप सभी सिक यूनिट्स का टेक-ओवर करने की व्यवस्था कीजिए या अपनी फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन्स के जरिये से टेक-ओवर करने की व्यवस्था कीजिए जिससे कि हजारों मजदूरों को लाभ मिल पाये।

मैं अपने क्षेत्र की एम. टी. एम. के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने कल भी कहा था। यह एक वाएबल यूनिट है और सन् 1960 में सरकार ने इसको टेक-ओवर किया था। आठ साल तक यह सरकार के कब्जे में रहा और आठ साल तक 40 रुपये साल का इसमें मुनाफा हुआ। इसमें मीटेक्स बनियान बनते हैं जो कि विदेशों में भी जाते हैं। इसत प्रिन्टिंग शीट्स बनती हैं जो कि बहुत मशहूर

हैं। ऐसे अच्छे यूनिट को मेनेजमेंट ने मिसमैनेज करके सिक बना दिया। इतना वाएबल यूनिट सरकार ने आठ साल तक अपने पास रख कर 1968 में मालिकों को लौटा दिया। पता नहीं किन कारणों से ऐसा किया गया। हम ट्रेड यूनियन की तरफ से बराबर सरकार से कहते रहे कि यह सरकार के पास रहना चाहिए, अगर यह पूंजीपतियों के पास चला गया तो यह बर्बाद हो जायेगा। इस सब विरोध के बावजूद यह यूनिट पूंजीपतियों के पास चला गया जिन्होंने इसे बर्बाद कर के रख दिया। किन कारणों से यह यूनिट पूंजीपतियों को दिया गया, इसके बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने भी देखना चाहा और फाईल मांगी यह देखने के लिए कि किस अधिकारी ने इस यूनिट को वापस देने का प्रस्ताव किया था। लेकिन फाईल मांगने पर कह दिया गया कि वह उपलब्ध नहीं है। ऐसी वाएबल इंडस्ट्रीज को वापस कर दिया गया। अब फिर उस इंडस्ट्री को टेक ओवर करने की बात आती है। इसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। यह एक वाएबल यूनिट है। अगर यह वाएबल नहीं होता तो पूंजीपति कभी इसको वापस नही लेते। इस वाएबल यूनिट को टेक-ओवर करना चाहिए ताकि जो ढाई हजार मजदूर बेकार हो रहे हैं उनको रोजी-रोटी मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

आप इस बैंक का हेड आफिस कलकत्ता में रखने जा रहे हैं। आप इस बैंक के द्वारा सारे देश में इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और सारे देश में इसकी शाखाएं भी खोलना चाहते हैं। आप इसका हेड आफिस कलकत्ता में रख कर बिल्कुल एक तरफ इसे रख रहे हैं। यह देश के बिल्कुल एक तरफ होगा। इसका हेड आफिस आपको दिल्ली में रखना चाहिए ताकि यहां से यह बैंक सारे देश को अच्छी तरह से कबर कर सके। दिल्ली में ही इसका आफिस रखने से सारे देश के सिक यूनिटों को आप अच्छी तरह से देख सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है। कलकत्ते में तो पहले ही बहुत बीमार यूनिट हैं और यह दो सौ करोड़ रुपया तो उन्हीं पर खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका हेड आफिस अगर दिल्ली में रहेगा तो यह सारे देश के लिए उपयोगी हो सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बैंक में जहां आप अपने अधिकारी नोमिनेट करेंगे, रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि होगा, आपके सेक्रेटरी होंगे, इस तरह से 15-16 आदमियों की नियुक्तियां इसमें आप करेंगे। लेकिन आप इसमें पूंजीपतियों को नहीं रखिये। अगर आपने इसमें पूंजीपतियों को भर दिया तो वही पूंजीपति अपने यूनिट को सिक करके आपके इस बैंक से रुपया लेंगे। इसलिए पूंजीपतियों को इसमें शामिल न कीजिएगा।

अगर कोई भी इस बैंक के पैसे का दुरुपयोग करेगा तो उसके संबंध में निश्चित रूप से ध्यान रखने की अवाश्यकता है।

सभापति महोदय : आप अपना सुझाव उन्हें भेज सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों का प्रतिनिधि भी इसमें होना चाहिए। पूंजीपत्ति का जब विरोध किया है तो निश्चित रूप से मजदूर को रखना अवश्यक है। हमारे सी. पी. एम. के भाई तो इसको पूंजीपति की तरह से चट करने में लग जाएँगे। इसलिए, इसमें इन्टक का प्रतिनिधि रखेंगे तो निश्चित ही वह इसमें सहयोग करेगा···(व्यवधान) जितने आब्जेक्टिव्ज आपने रखे हैं, अगर उनको पूरा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहली

चीज सिक यूनिट्स को रिवाइव करने की है, इसके लिए एक अलग सैल बना दिया जाए। उसका और कोई काम न रहे तभी हम देश की सेवा कर सकेंगे और लाखों मजदूर जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सेवा हो सकेगी। यह बहुत बढ़िया बिल है। इन्दिरा जी के राज में मजदूरों की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। सतीश जी ने भी ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के बारे में कहा है। जो काम इंदिरा जी ने किया है, वह और कोई सरकार नहीं कर सकती और इतने प्रोग्राम भी और किसी सरकार ने नहीं चलाए हैं। मेरे क्षेत्र का यूनिट पिछले चार महीने से बन्द है। उसके ढाई हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं। उनकी रोजी-रोटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के मायातेवर (डिन्डिगल) : श्रीमन्, इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बनाये जाना है। यह संशोधन निगम को बैंक में परिवर्तित करने की एक औपचारिकता मात्र है।

इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले, मैं कहना चाहूंगा कि हम इसका समर्थन करते हैं। हम इस प्रस्ताव का विरोध करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें इस तरह की औपचारिकतायें करनी होगी ताकि हम अपने देश को अन्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के समकक्ष ला सकें।

यह भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम 1971 में चालू हुआ था। अब तक की लम्बी अवधि में इसने कई क्षेत्रों में नये कारोबार किए हैं।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसने ठीक प्रकार से कार्य क्यों नहीं किया, इसके कुप्रबंध के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं।

बाद-विषय के उत्तर के दौरान मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो कि इस कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार हैं और जो सार्वजनिक धन को बेरहमी से खाते रहे, उस धन को जो कि लोगों से करों के रूप में वसूल किया गया था।

जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, तमिलनाडु से मेरे माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है, काफी समय से तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। मैं जोरदार शब्दों से मांग करता हूं कि इस सरकार को औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की अपनी चार या छह इकाइयों में से एक इकाई मद्रास में स्थापित करनी चाहिए, ताकि तमिलनाडु और दक्षिण के लोगों के औद्योगिक हितों को रखा दिया जा सके।

1980 में जब यह सरकार, सत्ता में आई तो इसने देश के 70 करोड़ लोगों से वादा किया था कि वह मुद्रा-स्फिति को रोकेगी और कीमतों में कमी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो वायदे आपने अपने चुनाव-घोषणा पत्र में किये थे। आपने वे पूरे नहीं किये हैं। आप इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों, गरीब लोगों और दलित वर्ग को सभी आवश्यक वस्तुओं और आम व्यक्ति के लिए उपभोक्ता वस्तुओं में हुई अभूतपूर्व वृद्धि से संरक्षण देने में असफल रहे हैं।

यह आपका कर्त्तव्य है कि आप देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझायें। प्रश्न पूछने के

लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की एक प्रति मेरे पास है। लेकिन वह प्रश्न सामने नहीं आया, इसलिए मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में आपने किसी भी सूत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आप देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझायेंगे। इस प्रकार आप ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से बेरोजगार स्नातकों और अशिक्षित बेरोजगारों को संरक्षण देने में असफल रहे हैं।

आपने और श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने तमिलनाडु में लोकतांत्रिक विपक्ष से लड़ने के लिए एक गठबंधन किया है। आपने इसके लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया है।

आप पांडिचेरी में डी. एम. के. सरकार को हटाने में सफल रहे। यह ठीक है कि वह सरकार डी. एम. के. द्वारा कांग्रेस (आई) से गठबंधन करके बनाई गई थी। लेकिन आपने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया और विधान सभा में डी. एम. के सदस्यों को बहुमत सिद्ध करने का अवसर भी नहीं दिया। मुझे इससे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। लेकिन आपने ऐसा किया था। वह पांडिचेरी के लोगों का भाग्य है। लेकिन पांडिचेरी में सत्ता हाथ में लेने के बाद, आपने पहला काम एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल को बन्द करने का किया। पिछले कई माह से 15,000 कर्मचारी बेकार हैं। क्या सरकार ने मिल को खोलने के बारे में सोचा है? आपके एजेन्ट वहां हैं, आपके प्रतिनिधि वहां हैं मैं कह सकता हूं कि अलोकतांत्रिक प्रतिनिधि क्योंकि हम राज्यपाल बिल्कुल नहीं चाहते हैं; हम संविधान बदलना चाहते हैं; इस संविधान के अधीन आपके पास राज्यपाल हैं। क्या आपने मिल को पुनः खोलने के बारे में सोचा है, ताकि पांडिचेरी में 15,000 मजदूरों को बचाया जा सके आपने इस ओर कभी सोचा ही नहीं है। आपने अच्छे-बुरे की सोचने की शक्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : दिमाग ही नहीं है ; बुरा न मानें।

श्री के० मायातेवर : मेरे मित्र के अनुसार आपके पास दिमाग ही नहीं है।

बी. एण्ड सी. मिल बन्द पड़ी है। माननीय वित्त मंत्री एक योग्य मंत्री हैं। व्यक्तिगत रूप से वह काफी योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार में नहीं। बी. एण्ड सी. मिल बन्द है। पिछले कई माह से 10,000 मजदूर बेकारी की बजह से सड़कों पर घूम रहे हैं। श्री एम. जी. रामचन्द्रन इस सन्दर्भ में आपको आवेदनपत्र दे रहे हैं और आप राज्य सरकार को आवेदन कर रहे हैं। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है कि बिना मिलों को खोलें, आप और तमिलनाडु की राज्य सरकार गठबन्धन करके, लोगों को धोखा दे रही हैं? ताकि आगामी चुनावों में सत्ता में आने के लिए उनके मत प्राप्त कर सकें। मद्रास में मिल को पुनः खोलने का आपका विचार ही नहीं है।

समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि प्रधानमंत्री तमिलनाडु के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) उनके विरुद्ध जोरदार उम्मीदवार खड़ा करें।

श्री के० मायातेवर : वह उम्मीदवार मायातेवर के माध्यम से आयेगा।

मैं चाहता हूं कि बी. एण्ड सी. मिल को पुनः खोला जाये। पांडिचेरी की एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल समेत तमिलनाडु में छह या सात मिलें बन्द पड़ी हैं। 1980-81 में एक मंत्री द्वारा

बी. एण्ड सी. मिल खोली गई थी। परंतु अब मिल फिर बंद हो गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मिल को पुनः खोलने के लिए कार्यवाही करे, ताकि वहां के 10,000 मजदूरों की जानें बचाई जा सकें।

तमिलनाडु औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ गया है, न केवल पिछड़ गया है बल्कि यह स्थिति काफी नाजुक भी हो गई है। यह बात राजनैतिक लाभ उठाने के लिए या किसी अन्य दृष्टि से नहीं कही गई है, बल्कि यह एक सत्य है। पहले औद्योगिक विकास में तमिलनाडु का तीसरा स्थान था लेकिन देश के अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका स्थान 17वां हो गया है। इसलिए न तो केन्द्रीय सरकार नहीं तमिलनाडु की वर्तमान सरकार तमिलनाडु की औद्योगिक विकास में सहायता कर सकते हैं। मैं आपको या उस सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं मतदाताओं को दोष दे रहा हूं, जिन्होंने उन अन्धी सरकारों को आंख मूंद कर मत दिये जो कि सही और प्रभावी ढंग से प्रशासनिक क्षेत्रों में लोगों पर शासन नहीं करती है या कर सकती। इसलिए, मैं बार-बार आपसे मांग करता रहा हूं कि मद्रास में इस बैंक की एक शाखा खोली जाए।

अन्त में, कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि माननीय प्रधान मंत्री महोदया ने बेरोजगार स्नातकों, या शिक्षित बेरोजगार लोगों को कुछ उद्योग लगाने के लिए, 25,000 रु०, 10,000 रु० और 5,000 रु० के ऋण बांटे हैं···

सभापति महोदय : आप औद्योगिक पुनर्निर्माण पर के लिए।

श्री के० मायातेवर : यह भी उद्योग से संबंधित है। शिक्षित बेरोजगार लोगों द्वारा उद्योग लगाने के लिए ऋण बांटने की आपके पास योजनायें है। पिछले दो सप्ताह से मैंने रामनाड और मदुरै जिलों की दौरा किया है। यहां जो मंत्री महोदय हंस रहे हैं उनसे मैंने शिकायत की थी। मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा था। आपने मेरे पत्र का उत्तर दिया है, लेकिन मुझे प्रधान मंत्री से अभी उत्तर प्राप्त होना है। मुझे खुशी है और मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने उत्तर में कहा है कि आप इस बारे में उचित कार्यवाही करेंगे कि केवल कांग्रेसी लोगों को ही ऋण न मिले। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मुझे साम्यवादी दलों समेत सभी दलों से इस बारे में शिकायतें मिली हैं। सारे तमिलनाडु में उन्होंने लिखकर लगा रखा है कि 'जिला कांग्रेस' 'युवा कांग्रेस' आदि। उनके पास मुद्रित फार्म हैं और आवेदन पत्र की बांयी तरफ कोने में लिखा है—युवा कांग्रेस राजनारायण 'युवा कांग्रेस' श्री विल्लीपुत्तर; 'युवा कांग्रेस, डिन्डिगल' आदि।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मदुरै में, आपने इन फार्मों को मुद्रित करवाया है और वे इन फार्मों को 25,000 रु० 5000 रु० का ऋण दिलाने के लिए 20-20 रु० में बेच रहे हैं। और ऋण की सिफारिश करने के लिए वे 250 रु० ले रहे हैं। यह सत्य है। अगर आप केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा इसकी जांच करायेंगे तो यह आरोप प्रमाणित हो जायेगा। मैं सरकार के विरुद्ध कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं। कांग्रेस के लोगों को छोड़कर यह सभी लोगों की शिकायत है। मंत्री महोदय यह आपके विरुद्ध नहीं है। मैं आपके विरूद्ध नहीं हूं। यह सरकारी धन नहीं है। यह बैंक का धन भी नहीं है। यह लोगों का धन है। यह देश के 70 करोड़ लोगों का धन है। इसलिए, ऋण को वितरित करते समय आपको राजनीतिक, धर्म, समुदाय आदि का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

इसलिए, मैं सरकार, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं

कि वे अपने 'पुजारी' की निन्दा करें। पुजारी का अर्थ है किसी मंदिर का पंडित जिसके पास कुछ घंटियां हों। श्री पुजारी ने तमिलनाडु के बैंकों और केरल के बैंकों और दक्षिण राज्यों के दौरे के दौरान क्षेत्रीय (जोनल) प्रबंधकों और प्रभागीय (डिविजनल) प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि वे केवल कांग्रेस के लोगों को ही ऋण दें। वह पुजारी, यानि कांग्रेसी पुजारी दोनों ही महान व्यक्ति हैं। आपने अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई उपद्रव नहीं किया है और मैं नहीं समझता कि आप निजी तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपद्रव कर रहे हैं। वह ऋण बांटतें जा रहे हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों से कह रहे हैं कि केवल कांग्रेसी लोगों को ही ऋण दें। आप एक समिति का गठन कीजिए। मैं चुनौती देता हूं। यह गलत नहीं है। मैंने अपने जीवन में किसी मंच पर या न्यायालय में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं न्यायालयों में वकील की हैसियत से जाता हूं। आप सभी दलों का एक आयोग गठित करें। तमिलनाडु में, मैं दावा करता हूं कि आप अन्य दल के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। केवल कांग्रेस के लोगों को ही ऋणा मिल रहा है। मैं आज लाया नहीं हूं—कल मैं वे आवेदन पत्र पेश करूंगा···

सभापति महोदय : आप इसे उन्हें भेज दीजिए।

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि वहां औद्योगिक आधार बन सके और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

4.53 म० प्र०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मगनभाई बरीट (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक ही है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में हैं क्योंकि वहां रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है। मैं मंत्री महोदय से, जो कि बंगाल में पैदा हुए और गुजरात से मनोनीत किए गए, अनुरोध करूंगा कि अगली शाखा खोलते समय वह कृपया अहमदाबाद के बारे में भी सोचें जहां से आप मनोनीत किए गए क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपने निःसंदेह बंगाल की औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता गुजरात में फैला दी और अहमदाबाद पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

अब मैं उपबंधों पर आता हूं जो संभवतः आपने अच्छे उद्देश्य से प्रस्तुत किए हैं। मुझे सरकार की मंशा पर संदेह नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे सरकार की कार्य निष्पादन क्षमता पर संदेह है। (व्यवधान) मैं आपको कुछ ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। वित्तीय संस्थाओं के अलावा राज्यों के वित्तीय संस्थाओं से भी निदेशक आते हैं तथा केन्द्र की नीति एवं राज्य की नीति परस्पर विरोधी है, और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पहलू पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में बड़े औद्योगिक गृह की एक मिल रुग्ण हो गई। इसका नाम है सारंगपुर दो। यहां अन्य इकाइयां बहुत अच्छी हैं। यदि आप अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर जाएं तो आप वहाँ उनका स्वागत बोर्ड देखेंगें। अब क्या हुआ है। मैं नहीं जानता कि क्या राज्य सरकार ने वे सभी शक्तियां उन्हें सौंप दी हैं और जिनमें राहत अधिनियम का विस्तार और उसका लाभ केवल उनकी इकाई को दिया गया है, जबकि

अहमदाबाद में 20 रुग्ण मिलें हैं। उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करीब 3-4 करोड़ रुपये तक की राशि लगी हुई है। राहत अधिनियम आपके बैंकों को पैसा वसूल करने की अनुमति नहीं देता।

अत: धारा 19 के संबंध में जिसमें आपने राशियों को अन्यत्र लगाने का प्रावधान किया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात को समझें कि क्या राशियों को अन्यत्र लगाने के लिए निदेश देने का कार्य बैंक के अधिकारियों तक ही सीमित है ? वे इकाइयां जिनका धन पहले ही अन्यत्र लगा हुआ है, और जिन्होंने अपनी ही इकाइयाँ रुग्ण कर दी है, उन्हीं इकाइयों को लाभ होने जा रहा है। कम से कम मेरे राज्य में जहां पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, यह बहुत गंभीर मामला है। यहां मैं मंत्री महोदय की सुविधा के लिए अहमदाबाद मिल मालिकों और उनके पूर्वाधिकारी श्री आर. वेंकटरामन के बीच हुई बैठक संबंधी कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। मिल प्रबंधकों द्वारा यह शिकायत की गई कि आई. डी. बी. आई. और अन्य वित्तीय संस्थाएं उनकी इकाइयों को धन नहीं दे रहे हैं। आपके पूर्वाधिकारी ने ये उद्योग गुजरात में स्थापित किए और उन्होंने यह प्रासंगिक प्रश्न पूछा कि क्या उस समय आई. डी. बी आई. आदि जैसी कोई वित्तीय संस्था थी। यह एक उद्योगपति की प्रतिष्ठा थी। जिस कारण वह बाजार में गया और पैसा लिया। आज यह जनता का धन है जो इन प्रबंधकों के पास जाता है और अहमदाबाद से आने के कारण मैं जानता हूं कि ये प्रबंधक कितनी धूर्तता और चालाकी से इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई धनराशि को किस तरह अन्यत्र लगा रहे हैं। उसके लिए क्या प्रावधान है। इसका समूचा उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं को पुन: वित्त देना होगा जो कि इन संस्थाओं को धन देंगी ? लेकिन क्या नियंत्रण किया गया है ? क्या गारंटी दी गई है और राज्य तथा केन्द्र की परस्पर विरोधी नीति देखिए।

राज्य ने एक कानून पास किया है जिसमें अहमदाबाद में 20 इकाइयों में से 1 इकाई को अपवाद बनाया गया है। इस अपवाद से इकाई को लाभ हुआ है और आज तक यह मिल खोली नहीं गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करीब 3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। संभवत: यदि आप इसे इस बैंक से वित्त देने के बारे में सोचें तो आपको भी हानि होगी और राज्य की वित्त प्रणाली को भी घाटा होगा और मजदूर वर्ग के लाभ के लिए इस इकाई के खुलने का कोई लाभ दिए बिना एकमात्र लाभ भोगी प्रबंधक ही हैं। हम किसके लाभ की बात कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न की जांच करें। मुझे इसकी ओर उनका ध्यान दिलाने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन यदि देश में यह बैंक पहला काम कर सकता है, आपसे लगातार यह मांग की गई है कि क्या इन्हें पुन: आरंभ किया जा सकता है, तो कृपया यह कार्य कीजिए।

यह काम करने का आदेश तरोका होगा, बशर्ते कि आप उन्हें पुन: आरंभ कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि इसकी स्थिति सारंरपुर मिल नम्बर-दो की भांति न हो। जब आपका धन फंस जाता है तो राज्य सरकार इसकी वसूली में सहायता देती है और इस कानून के अन्तर्गत आप भी इसे वित्त देने पर विचार कर रहे होंगे। इसका अंत कहाँ है ? एक तरफ बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है और यदि बैंक इसे पुन: वित्त देता है, तो क्या यह मंहगा नहीं पड़ेगा ? जो पैसा एक एजेंसी से प्राप्त नहीं कर पाते उसे दूसरी एजेंसी से प्राप्त करके क्षतिपूर्ति की जायेगी। इसलिए मुझे चिंता यह है कि अहमदाबाद, सामान्यत. गुजरात ऐसा स्थान है जहां परीक्षण किया जा सकता है कि आपका अधिनियम और इसके अंतर्गत आने वाला यह बैंक किस तरह से बढ़िया कार्य निष्पादन कर सकता है। मैं आपकी सफलता

की कामना करता हूं। इस बैंक की स्थापना के बाद कृपया अहमदाबाद में भी ऐसा करें क्योंकि मैं समझता हूं आप इस बात से सहमत होंगे कि आप विशेष रूप से अहमदाबाद के और सामान्यतः गुजरात के ऋणी हैं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त कर योगदान दिया।

सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल यह विधेयक प्रस्तुत करते समय मैं पहले ही इसके क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में बता चुका हूं। यह न तो केवल रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता देने की एक संस्था मात्र है और न ही कुछ औद्योगिक उपक्रमों को बनाए रखने के लिए उन्हें सहायता देने वाली संस्था है। जैसा कि मैंने इसके उद्देश्यों के कथन में बताया है कि यह ऋण देने वाली एक मुख्य संस्था होगी और साथ ही साथ विकास बैंककारी, कुछ हद तक वाणिज्यिक बैंककारी कार्य करेगी और यह संस्था समग्र रूप से विकास संबंधी दृष्टिकोण अपनाएगी वास्तव में इसी कारण इसे व्यापक विधेयक कहा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि श्री सतीश अग्रवाल के अलावा विधेयक के इस मुख्य पहलुओं पर किसी ने विचार नहीं किया है। अंतिम दो वक्ताओं को छोड़कर, जो विधेयक के संबंध में नहीं बोले, प्रत्येक सदस्य ने विधेयक के अन्य पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया। अंतिम वक्ता ने गुजरात के सम्बन्ध में मेरे दायित्व का स्मरण कराया और उसके अलावा श्री मायातेवर जो बोलना चाहते थे बोले।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने कमरे में बैठकर उनके भाषण का आनन्द उठा रहा था।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसके अलावा, अन्य सदस्यों ने विधेयक के जिस एक मुख्य पहलू के संबंध में विचार व्यक्त किए, वह है औद्योगिक रुग्णता और उनकी रुग्णता समाप्त करने अथवा रुग्ण इकाइयों को पुनः स्वस्थ बनाने में यह संस्था क्या भूमिका अदा कर सकती है। आज चूंकि दिन समाप्त होने को है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। अंततः इस सम्मानित सदन में चर्चा के लिए अन्य विधेयक प्रस्तुत किया जाना होगा लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि मैं रुग्णता का एक ही मुख्य कारन मान लेता हूं तो यह संभवतः समस्या का अत्यधिक सरलीकरण करना होगा। यह सच है कि कुछ हद तक अकुशल प्रबन्ध जिम्मेदार हैं। लेकिन केवल एकमात्र यही कारण नहीं है।

5.00 म० प०

किन्तु एक संगठन से एक अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता। यदि मैं श्री चित्त बसु का यह निष्कर्ष स्वीकार कर लूं कि उस कारण से यह 63 प्रतिशत है, यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा नहीं कहा है, और मेरे विचार से उन्होंने अपने इस (तर्क पर जोर देना चाहा है कि 102 एककों में से 63 एकक उस कारण से रुग्ण हुए हैं, तो आप इससे एक आम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। किन्तु यह प्रमुख कारणों में से एक कारण है और मैं माननीय सदस्य की इस बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि एककों को रुग्ण बनाने में शायद एक प्रकार का निहित स्वार्थ बना हुआ है। उस तथ्य से, जिसका मैंने सभा में भी उल्लेख किया है, इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में हम

एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं कि औद्योगिक एकक तो रुग्ण हो जाते हैं किन्तु एकक के मालिक रुग्णता का शिकार नहीं होते; वह और मोटे और तगड़े होते चले जाते हैं। यह स्थिति है।

जब हमने कतिपय मामलों में ऐसी स्थिति से निपटने का प्रयास किया, जब सरकार ने रुग्ण एककों के साथ कुछ स्वस्थ एककों का प्रबन्ध ग्रहण करने सम्बन्धी एक प्रयोग करने का प्रयास किया तो सदस्यों ने इस बारे में अपनी अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की और न्यायालय ने हमें इस बात के लिये बाध्य ही नहीं किया, अपितु अपना निर्णय ही दे दिया कि हम एकक के मालिक की अधिग्रहण-पूर्व सुनवाई को बिना एकक का अधिग्रहण नहीं कर सकते। हम इस बात को नहीं समझ सके हैं। जो इसकी बड़े गम्भीर रूप से वकालत कर रहे थे और उन्होंने सुझाव भी दिया था वे इस निर्णय के अर्थ को नहीं समझ सके।

इस निर्णय का अर्थ यह है मैं एक व्यक्ति को नोटिस देता हूं कि एक अथवा दो महीने बाद मैं उस एकक का प्रबन्ध-ग्रहण करने जा रहा हूं और मैं यह आशा करता हूं कि आप सब प्रकार की यह आशा करता हूं कि आज सब प्रकार की तैयारी रखेंगे और सभी आस्तियों का अभिलेख उपलब्ध रखेंगे। किन्तु संसद सदस्यों ने इसके आशय के बारे में कभी अपनी चिन्ता व्यक्त नहीं की और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हमने एककों को वापस नहीं किया। न्यायालय का यह निर्णय 1980 में आया था और मैंने किसी सदस्य को, यहां बल कि किसी सक्रिय सदस्य को यह कहते हुए नहीं सुना कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए और क्या सरकार इस स्थिति को स्वीकार कर सकती है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं और आप में से अनेक सदस्य राष्ट्रीयकरण और अधिग्रहण को सभी समस्याओं का समाधान मानते है···(व्यवधान)। केवल संशोधन से ही सहायता नहीं मिलेगी। यहां वकील भी हैं और वे यह कहेंगे कि इसका बुनियादी ढांचे से सम्बन्ध है, बात इतनी सहज नहीं है।

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान राष्ट्रीयकरण एवं अधिग्रहण में निहित है। किन्तु इस क्षेत्र में हम एक कठिन स्थिति में पड़ गये हैं। यदि मैं राष्ट्रीयकरण नहीं करता अथवा प्रबन्ध ग्रहण नहीं करता तो अनेक लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उससे समस्याएं पैदा हो रही हैं। प्रत्येक निर्वाचित सरकार जिम्मेदार एवं जवाबदेह हैं। दवाब कैसे भी हों, वैध अथवा अवैध, उचित अथवा अनुचित कभी-कभी आपको उन्हें मानना पड़ता है। एककों के प्रबन्ध-ग्रहण के पीछे उद्देश्य मात्र एकक को आर्थिक रूप से ही सक्षम बनाना नहीं होता, कभी-कभी हमें तदर्थ निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि उद्योगों का प्रबन्ध-ग्रहण किया जाना चाहिए। एक बार अधिग्रहण हो जाने के बाद उसके बारे में सभी भूल जाते हैं वरना आप उसे उचित कैसे ठहरा सकते हैं? एक उदाहरण कुछ माननीय सदस्यों ने बी एण्ड सी मिल का दिया है।

जब मैं वाणिज्य मंत्री के पद पर था, मैंने इसे चालू करने के लिए निजी रूप से पहल की थी। मैंने श्रमिकों के साथ यह व्यवस्था की थी कि उन्हें कोयम्बटूर तथा अन्य क्षेत्रों में प्रचलित कार्य-भार स्वीकार करना होगा। और कुछ युक्तिसंगत होना चाहिए और मैंने उनसे कहा कि वे मुझे बुला सकते हैं किन्तु मैंने उन्हें यह साफ-साफ बता दिया कि उनके सामने विकल्प यह है कि क्या दस हजार श्रमिक बेरोजगारी के शिकार होना चाहते हैं अथवा आठ हजार व्यक्ति रोजगार में बना रहना

चाहते हैं और दो हजार श्रमिकों को लाभ देकर चटनी कर दी जाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और मिल चालू हो गई। पर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध किए गए। क्योंकि कार्मिक संघों के नेतृत्व में परिवर्तन होता है नये नेतागण आते हैं और वे नई मांगें प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यदि उन मांगों को न माना गया तो वे एकक को बन्द करवा देंगे। और वास्तव में एकक बन्द कर दिया गया।

इसके पश्चात, क्या आप यह मानते हैं कि इसे पुनः चलाया जा सकता है? इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण से समाधान नहीं हो सकता। आप उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं।

सर्वप्रथम तो मैं इस सम्बन्ध में भ्रान्ति को दूर करना चाहता हूं। यद्यपि मैंने उस धारा विशेष में विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया जहां निदेशक मंडल में 15 व्यक्तियों का नामांकन किया जाएगा, कि वहां श्रमिकों का प्रतिनिधि अथवा मजदूर संघों का प्रतिनिधि नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक वित्तीय संस्थान में, यहां तक कि जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमने कार्मिक संघों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है। आप में से कुछ ने सुझाव दिया है :—

"इसके लिये चुनाव ही क्यों न किया जाए?"

क्या आपने चुनाव सम्बन्धी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि अधिकांश कार्मिक संघों का आपके कार्मिक संघ कोरम में हमेशा प्रतिनिधित्व होगा? श्रम मंत्रालय में मेरे सहयोगी इससे इन्कार करेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किन्तु हम मजदूर संघों को, जाने-माने मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं।

जीवन बीमा निगम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। उसी तरह से सामान्य बीमा निगम में मजदूर संघ प्रतिनिधि हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में मजदूर संघ प्रतिनिधि हैं। अतः सरकार को ऐसे प्रतिनिधित्व से यह नहीं रोकता और हमने इसे सिद्धान्त में स्वीकार कर लिया है उग्रवादियों···मुझे खेद हैं बाह्य तत्वों—दिमाग में हमेशा पंजाब ही रहता है·····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विदेशी हाथ?

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं 'आन्तरिक हाथ' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वहां अनेक उग्रवादी हैं। मैं उनके बारे में बाद में कहूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम सभी उग्रवादी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सामाजिक जीवन के बारे में आपकी अतिवादी विचारधारा है। उनके कहने का अर्थ यही है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : कृपया, युक्तिसंगत विचार।

श्री प्रणव मुखर्जी : संगठन के बाहर से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त जब हम यह नामांकन करते हैं तब हम यह ध्यान रखते हैं कि उनमें सभी वर्गों से जैसे विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों विशेष ज्ञान रखने वाले तथा साथ ही मजदूर संघों में अनुभवी व्यक्तियों को लिया जाता है। कभी-कभी तो व्यक्ति विशेष को भी ले लिया जाता है। हमने उनकी नियुक्ति की है, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा नहीं किया। यदि आप यह कहते हैं कि निदेशक मंडल में अधिक प्रतिनिधित्व से भारी परिवर्तन हो जाएगा तो मेरे विचार से हम समस्या का अत्यधिक सरलीकरण कर रहे हैं।

प्रत्येक शुक्रवार को आप जिस संस्था के बारे में शिकायतें करते हैं वह है बैंकिंग क्षेत्र, जिसमें 1970 के बाद से निदेशक मंडल में मान्यता-प्राप्त संघों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। किन्तु क्या आपको उनके कार्यचालन में कोई स्पष्ट अथवा उल्लेखनीय परिवर्तन नजर आया है? अतः यह आवश्यक है और मैं इससे सहमत हूं कि यदि आप निम्न स्तर से लेकर बोर्ड स्तर तक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हैं तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी कि हम कार्य सम्बन्धी ऐसे नये सिद्धान्त, नये मानक बनाएं कि संगठन के राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण के बाद वह मेरा हो गया है। और मुझे यह बताते हुए दुःख होता है कि आपने द्विपक्षीय सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त को जन्म देकर उस सिद्धान्त को समाप्त कर दिया है।

सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी मौजूद है। अतः इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि 6000 करोड़ रुपये का निवेश करने के बाद भी इस्पात का उत्पादन उसी स्तर पर बना हुआ है, किन्तु मुझे आपकी सामूहिक सौदेबाजी के सामने झुकना पड़ता है। और इस सामूहिक सौदेबाजी के कारण 15 प्रतिशत मजूरी की वृद्धि की जाती है और इसका कहीं न कहीं तो प्रभाव पड़ता ही है। आप इसे छिपा नहीं सकते। या तो वित्तीय राजसहायता के रूप में अथवा मूल्य वृद्धि से आपको इसे पूरा तो करना ही होता है। आप कभी यह नहीं सोचते कि सरकारी क्षेत्र में जहां हमारे यह संगठन हैं, उत्पादकता के साथ भी इसका सम्बन्ध होना चाहिए। किन्तु कुछ मजदूर संघ नेताओं के अनुसार उत्पादकता को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। यह शब्द कतई स्वीकार्य नहीं है। उसमें आप अनेक बातें ले आते हैं कि सभी ऊपर से हो रहा है। यह ऊपर तो नजर ही नहीं आता।

अतः हमें उस पहलू पर नहीं जाना चाहिए। किन्तु मैं एककों की रुग्णता के एक मुख्य पहलू की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे उद्योगों में रुग्णता का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि हाल में एक अध्ययन किया गया है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले पूरे दशक में भारतीय उद्योग में पूंजी और श्रम में वृद्धि जापान में हुई वृद्धि के बराबर रही है और यह 6.24 प्रतिशत है।

किन्तु प्रौद्योगिकी का योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है। पटसन, वस्त्र, चाय, इन्जीनियरिंग तथा चाय बागानों जैसे परम्परागत उद्योगों में रुग्णता का यह एक प्रमुख कारण है। निधि को अन्य कार्यों में लगाये जाने से भी उद्योग रुग्ण हो जाते हैं। मुझे यह कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि इन मिल मालिकों को कई नये आकर्षण दिखाई पड़े और कमाये गये लाभ को अपने चल रहे उद्योगों का आधुनिकीकरण करने या बागान उद्योगों में पौधों की झाड़ियां पुनः लगाने के स्थान पर उन्होंने नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित कर लिए जहां उन्हें अधिक लाभ शीघ्र मिल सकता था।

इन पुराने उद्योगों को रुग्ण होने दिया गया और फिर यह प्रथा ही हो गई कि कभी न कभी सरकार को बीच में आना ही पड़े । जब हम रुग्ण पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण भी करते हैं तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में एक पटसन मिल पर लगभग 1 लाख रुपये का घाटा होता है । लेकिन उन्हें पता है कि अन्ततः श्रमिक दबाव डालेंगे । पता नहीं मिल मालिकों पर यह दबाव क्यों नहीं डाला जाता ।

कई बार मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाता है। कई बार कार्मिक संघ संगठन बहुत गर्म दल के होते हैं । मुझे भी कई बार घेराव और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैंने देखा है कि जब मालिक उद्योग को रुग्ण कर देता है तो आप चुप बैठे रहते हैं ।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : यह सच नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : आप कुछ करते भी हैं तो वह इतना अपर्याप्त होता है कि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता । मैंने यह सब चीजें देखी हैं । लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि केवल यही एक मार्ग है । मैंने तो कुछ उदाहरण दिये हैं । ऐसे और मामले भी हैं उनमें से एक है अकुशल प्रबन्ध व्यवस्था, कई बार मांग का प्रभाव भी होता है । लेकिन भारतीय अर्थ व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इन कारणों से सहमत नहीं हूं । अभी काफी समय तक तो यह संरक्षित अर्थ व्यवस्था रहेगी । आप यहां पर कितनी भी निकृष्ट चीज क्यों न बना दें, वह बिक जायेगी । यह तो विक्रेता की मंडी है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : 'निकृष्ट' असंसदीय है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्षमा करें, मैं यह शब्द वापस लेता हूं । आप जो भी चीज बनायें, वह बिक जाती है । अतः यह मांग का प्रभाव है । कई बार उद्योगपति यह मामला उठाते हैं। हमारा भी यही मत है । मांग का कुछ प्रभाव भी होता है । लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां अत्यधिक विकसित औद्योगिक देशों में होती हैं वैसी इस देश में नहीं हैं। कई बार मांग का प्रभाव होता भी है तो हम उपयुक्त उपाय करते हैं और वह ठीक हो जाता है । प्रौद्योगिकी की कमी, जिसका मैंने उल्लेख किया है, एक अन्य कारण है । अतः ये विभिन्न कारण हैं जिनके फलस्वरूप आज की स्थिति पैदा हुई है जिसमें बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हो गई हैं और एक अन्य बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप कह सकते हैं कि अनेक बड़ी ईकाइयां भी रुग्ण हो गई हैं । यह सच है । इस देश में मुख्यतः परम्परागत उद्योगों जैसे पटसन, कपड़ा, इंजीनियरी तथा बागान उद्योगों में ऐसा हुआ है जिसके लिए मालिक उत्तरदायी हैं ।

मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा । वर्ष 1975-76 के बजट में हमने एक नई प्रणाली शुरू करके आई० डी० बी० आई० में एक आधुनिकीकरण निधि स्थापित कर दी और हमने उन्हें बताया कि उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिये । उन्हें इस से कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता मिलेगी । लेकिन किसी पटसन मिलने इसका लाभ नहीं उठाया । पटसन उद्योग एक चक्रीय उद्योग है । दो वर्ष तक अच्छा लाभ होता है और एक वर्ष हानि होती है । जिस वर्ष घाटा होता है वे अपनी इकाइयां बन्द करने लगते हैं । सरकार पर दवाब बढ़ जाता है कि प्रबन्ध ग्रहण करो या वित्तीय सहायता दो, कम दर पर ब्याज दो और पर्याप्त निधि उपलब्ध कराओ ।

आपने पूछा है कि बैंक का धन किस प्रकार लगा है और इन रुग्ण इकाइयों में कैसे फंसा है। यह इस कारण है कि हमें पर्याप्त संसाधन जुटाने के बारे में निर्णय लेना था। बैंक के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से कोई मामला नहीं बनता लेकिन ऐसी स्थिति से बचने के लिए जिसमें हमें प्रबन्ध ग्रहण करना पड़े, हम ऐसा करते हैं। जब किसी इकाई का प्रबन्ध ग्रहण किया जाता है, समस्त वित्तीय ऋण समाप्त हो जाता है। आपको शायद ही कोई मामला मिले जिसमें प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व बैंकों के दायित्वों को उस प्रतिपूर्ति की राशि में से पूरा किया गया हो जिसकी विधेयक में व्यवस्था की गई थी क्योंकि यह राशि बिल्कुल अपर्याप्त होती है। इसका निर्णय परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य के आधार पर किया जाता है।

अत: अधिकांश मामलों में बैंकों को पता चलता है कि इकाई के राष्ट्रीयकरण के बाद भी सारा काम-काज प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही चल रहा है। प्रबन्ध ग्रहण के बाद की स्थिति में सरकार गारंटी देती है। कई मामलों में बैंकों में अधिकारी वाणिज्यिक दृष्टिकोण से तो यह समझते हैं कि और धन नहीं लगाया जाना चाहिये लेकिन उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप बहुत भारी धन का निवेश किया गया है चाहे कई माननीय सदस्यों द्वारा 30,000 करोड़ रु० के आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि 31 दिसम्बर, 1982 को यह राशि 3,139 करोड़ रुपये थी। तथापि रुग्ण इकाइयों में भारी धन राशि डूबी हुई है। छोटे पैमाने की इकाइयों की एक बड़ी संख्या रुग्ण होती जा रही है और हमें इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना ही होगा और मैं सोच रहा हूं कि उद्योग मंत्री के साथ सलाह करके विशेषज्ञों का एक छोटा ग्रुप नियुक्त किया जाये जो छोटे पैमाने के उद्योगों के इस हद तक रुग्ण हो जाने के कारणों का पता लगाये। मुझे बताया गया है कि दिसम्बर, 1982 तक ऐसी रुग्ण छोटी इकाइयों की संख्या 58,551 थी। पता नहीं इनमें कितनी इकाईयां नकली हैं और कितनी सही। यह भी एक समस्या है। लेकिन छोटी इकाईयां रुग्ण हो सकती हैं क्योंकि वे कार्य को बड़े पैमाने पर नहीं कर सकती, वे अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत नहीं कर सकती और हमारी जो प्रणाली है उसमें हम छोटे पैमाने के उद्योगों के बिना गुजारा नहीं कर सकते।

जब आप समस्याओं का उल्लेख करते हैं तो हमें सभी समस्याओं को लेना होगा। हम देश में सभी लोगों को सस्ता कपड़ा दे सकते हैं यदि हमारे यहां अत्यधिक आधुनिक तथा उत्कृष्ट कपड़ा मिलें लग जायें। लेकिन क्या कोई व्यक्ति इस बात की सिफारिश कर सकता है कि जब उसे यह पता हो कि एक करोड़ परिवार हथकरघों तथा बहुत सी प्रसिद्ध तथा कुछ कम प्रसिद्ध विद्युत चालित करघों पर निर्भर करते हैं ? हमारी प्रणाली में ऐसे कारण तथा ऐसी परस्पर विरोधी बातें विद्यमान हैं और मेरा विचार है कि हम विकसित देशों में व्याप्त प्रणाली की बिल्कुल नकल नहीं कर सकते, हमें अपने ढंग का समाधान खोजना होगा जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम अपने इस कार्य का विस्तार क्यों कर रहे हैं ? विशेष रूप से उन्होंने धारा 23 और 24 के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। यहां मैं उनका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की बैंककारी गतिविधियां हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। आई० डी० बी० आई० में विकास के लिए बैंक की सुविधाएं हैं और वहां बिल्कुल ऐसे ही उपबन्ध हैं और हमने यहां भी उन्हें ही रखा है। धारा 23 और विदेशों में ऋण के मामले में, जिसका आपने उल्लेख किया है बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था है जो अन्य संस्थानों में है और उन्हें भारत सरकार की अनुमति लेने के लिए हमारे पास आना पड़ता है। आई० डी०

बी० आई० का कार्य 1964 से चल रहा है और आइ० सी० आई० सी० आई० उससे कुछ पहले बनाया गया था । यद्यापि यह कोई सरकारी निकाय नही है लेकिन उसे भी उसी प्रकार चलाया जाता है । जैसा आपने स्वयं कहा है और आप उस बात को मानते भी हैं कि जब भी कोई हमारे पास आता है तो विदेशी ऋण हेतु अनुमति देने में हम परम्परागत ढंग अपनाते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब तक जो प्रथा रही है वह भविष्य में भी जारी रहेगी।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि हमारे पास इतनी थोड़ी पूंजी क्यों है विशेष रूप से प्रो० पाल ने यह प्रश्न उठाया था । लगता है कि प्रो० पाल, जो साहित्य के प्रोफेसर हैं, थोड़ा भ्रमित हैं। थोड़ी पूंजी लगाने का हमेशा यह अर्थ नहीं होता कि कार्य क्षेत्र भी सीमित होगा क्योंकि आप को पता ही है कि जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो हमारे अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कितनी पूंजी थी । क्योंकि हम ऋण देते थे और मैंने धारा 20 और 21 में उपबन्ध किया है कि वे अपने संसाधन कैसे प्राप्त करेंगे, माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1972 में जब मैंने आई० डी० बी० आई० विधेयक पेश किया था तो इस बारे में बताया था । उस समय पूंजी बहुत कम थी और आपत्ति उठाये जाने के बाद इसे 100 करोड़ रुपए कर दिया गया । इस विशेष विधेयक में हमने पहले ही यह रखा है कि अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये होगी और इस समय हम 50 करोड़ रु० का प्रावधान कर रहे हैं लेकिन कम पूंजी ढांचे का यह अर्थ नहीं है कि उसका कार्य क्षेत्र सीमित होगा, क्योंकि हमने यह प्रावधान किया है कि वे सरकारी अनुदान से संसाधन एकत्र कर सकते हैं, वे अपने बांड, तथा ऋण पत्र बेच कर संसाधन गैदा कर सकते हैं । श्री सतीश अग्रवाल ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने विशेष रूप से धारा 18 का उल्लेख किया था । हम यह भी प्रावधान कर रहे हैं कि वे विकासात्मक गतिविधियों में भी लग सकते हैं । कई बार आपको हैरानी होगी कि वे विशेषज्ञ तथा प्रबन्धकों की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, आप मुझसे सहमत होंगे कि कई प्रशिक्षण संस्थान हमारे बैंकों विशेष रूप से आई० डी० बी० आई० तथा अन्य बैंकों द्वारा चलाये जाते हैं ।

इन्हें केवल देश में ही बैंककारी कामों का विशेषज्ञ नहीं समझा जाता और मेरी समस्या यह है कि वर्तमान वेतनमान और सुविधाओं द्वारा हम उन्हें यहां नहीं रख सकते । यहां प्रशिक्षण लेकर और कुछ अनुभव प्राप्त करके वे अन्य देशों में चले जाते हैं जहां उन्हें बहुत अधिक सुविधाएं मिलती हैं । इसका अर्थ यह भी है कि हमारे प्रशिक्षण की बाहर मान्यता तथा सम्मान है ।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि हमने इसे कलकत्ता में ही क्यों स्थापित किया । उसका मुख्य कारण यही है कि आई. आर. सी. आई. कलकत्ता में ही है और माननीय सदस्यों को पता है कि आई. आर. सी. आई. जैसा संगठन किस हालात में स्थापित किया गया था । वर्ष 1971 में जब श्री यशवन्तराव चव्हाण वित्त मंत्री थे तो हमने देखा कि बंगाल में बहुत सी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण होती जा रही हैं और उन्हें संस्थागत सहायता देना जरूरी हो गया और यह सोचा गया कि आई. आर. सी. आई. जैसा संगठन कलकत्ता में स्थापित किया जाये । इस सन्दर्भ में यह कहा गया कि हमारे पास कम्पनी तो है और जरूरत होने पर अनुभव के बाद इसे निगम में परिवर्तित किया जा सकेगा । और अब हम उसी आश्वासन को जो 13 वर्ष पूर्व सदन में दिया गया था पूरा कर रहे हैं ।

यह प्रश्न उठाया गया है कि इसे कलकत्ता में क्यों स्थापित किया गया । इसे वहां इसलिए

रखा गया, क्योंकि आई. एफ. सी. आई. का मुख्यालय दिल्ली में है, आई. डी. बी. आई. का मुख्यालय बम्बई में है, निर्यात-आयात बैंक भी बम्बई में है और अन्य वित्तीय संस्थान भी बम्बई में हैं, तभी हमने सोचा कि एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान स्थापित करें जिसका मुख्यालय देश के पूर्वी भाग में हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका कार्य-क्षेत्र केवल कलकत्ता तक सीमित होगा। इसका कार्य क्षेत्र पूरे देश में होगा। हमने ऐसा इस लिए किया है क्योंकि हो सकता है वे वित्तीय संस्थानों और संगठनों से ऋण लेना चाहेंगे। इसी लिए हमने अधिनियम में ही उपबन्ध करना होगा कि वे इस प्रकार ऋण ले सकते हैं अन्यथा वे आई. डी. बी. आई. या आई. एफ. सी. आई. की सहायक कम्पनी बन कर रह जायेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : कलकत्ता के बारे में किसी ने आपत्ति नहीं की। केवल श्री व्यास इसे भीलवाड़ा में चाहते थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं दिल्ली में चाहता था।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री व्यास की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम इसे दिल्ली में नहीं चाहते। सरकार की नीति यह है कि दिल्ली में वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संस्थान कम से कम हों। यह सरकार की स्वीकृत नीति है और वित्त मंत्री के नाते मैं इसका कड़ाई से पालन कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली पर दबाव बहुत बढ़ रहा है और यदि हम अभी से सावधान न हुए तो दिल्ली के वर्तमान स्वरूप को बनाये रखना कठिन होगा। यह देश की राजधानी है, राजनीतिक राजधानी है, हमें इसे वाणिज्यिक राजधानी से नहीं मिलाना चाहिये।

दूसरे, जैसा मैंने पहले कहा है, आई. आर. सी. आई. के चार क्षेत्रीय कार्यालय चारों क्षेत्रों में हैं। इसके बैंक बन जाने से वे सुदृढ़ होंगे। तब यह सरकारी कम्पनी बन जायेगी जो आई. एफ. सी. आई. की तरह होगी और केवल कलकत्ता या बंगाल तक सीमित नहीं होगी। अब इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो गया है और मैं गुजरात से अपने मित्र को बता दूं कि बंगाल के बाद आई. आर. सी. आई. द्वारा पुनर्निर्माण के लिए सबसे अधिक सहायता गुजरात को दी जा रही है। अतः उनका कहना सही नहीं है। धीरे-धीरे इसके कार्य का और विस्तार होगा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

आई० आर० सी० आई० के कार्यकरण के बारे में एक बात आपको कहना चाहता हूं। संभवतः, यह निष्कर्ष निकालना कठोरता की बात होगी कि यह निगम मजदूर संघों को भंग करने के लिये है। हां ऐसा छः-सात वर्ष पहले था। परन्तु आज मैं आपको विस्तृत सूची दे सकता हूं। इसे मैंने अपनी परामर्शदात्री समिति को भी दिया है। जिन इकाइयों को सहायता दी गई है, उनमें से 70 प्रतिशत इकाइयां तो अपने पांव पर खड़ी हो चुकी हैं अथवा अपने पांव पर खड़ी हो रही हैं। और जब एक उद्योग रूग्ण हो गया है, उस तरह की रूग्णता की स्थिति में जब निजी क्षेत्र ने यह सोचा कि यह कूड़ा-करकट के सिवाय कुछ नहीं है और उसने उस उद्योग को त्याग निया और छोड़ कर भाग गया, तब आई० आर० सी० आई० को इकाइयों को हाथ में लेना पड़ा और शुरू में निगम के पास सुविज्ञता भी नहीं थी। शुरू की समस्याओं पर काबू पाने में कुछ समय लगा और उस अवस्था के बाद ही, यदि पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र बुरा न मानें, तो बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रश्न उठता है।

मैं मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपको यह मालूम पड़े कि बिजली उपलब्ध नहीं है तो इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी लगभग 70 प्रतिशत इकाइयां, जिन्हें 31 मार्च, 1984 तक आई० आर० सी० आई. द्वारा सहायता दी गई थी, या तो अपने पांव पर खड़ी हो गई हैं अथवा हो रही हैं। ग्यारह इकाइयों ने पहले ही आई० आर० सी० आई० की देय राशि लौटा दी है। 14 इकाइयों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि आई० आर० सी० आई० अपनी भूमिका निभाने में असफल हो गया है। आरम्भ में इसे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 1976-77 में इसके कार्य में तेजी लाने के लिए मुझे एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करनी थी और हमने नियुक्ति की।

जहाँ तक श्री वित्त बसु के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन आपके पास जांच करने की कोई शक्ति, नहीं है। परन्तु क्या आप मुझे एक भी उदाहरण दे सकते हैं जब राज्य सरकार ने जांच के लिए सिफारिश की ही और भारत सरकार ने जांच करने के लिए मना कर दिया हो? आप जब धारा 15 अथवा 15क के अधीन उल्लेख करते हैं तो हो सकता है हम उद्योग को हाथ में लें या न लें, परन्तु हम जांच की अनुमति दे देते हैं।

परन्तु एक बार जांच होने के बाद यदि राज्य सरकार उद्योग को हाथ में लेना चाहती है, तो ऐसा करने के लिए कोई रोकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको औद्योगिक राहत अधिनियम (इंडस्ट्रिल रीलीफ एक्ट) के अधीन शक्ति प्राप्त है। इसे लागू करना आपका काम है। अतः दूसरों पर दोष लगाने की कोशिश मत कीजिये। आप केन्द्र-राज्य के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और इन सब बातों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, गोया ये कम होने चाहिए अथवा ज्यादा। परन्तु जहां तक इस प्रश्न का सन्बन्ध है, मैं इस बात को नहीं मानता कि केन्द्र सरकार के उपक्रम अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकारों के उपक्रम अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। वहां भी औद्योगिक रूग्णता है। यह निजी क्षेत्र में भी है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी है। परन्तु हमारी वजह से यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इतनी नहीं है। जैसाकि ब्यूरे के प्रलेख में से एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, आपको यह लगेगा कि केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन स्थापित किये गए नये औद्योगिक उद्यम लाभ कमा रहे हैं।

परन्तु हम कपड़ा मिलों, चाय बागानों जैसी इकाइयों के बारे में निश्चय ही स्पष्ट नहीं कर सकते जिनको हमें भूतपूर्व मालिकों से शीघ्र अवस्था में हाथ में लेना है। एक बार मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि मेरा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है अपितु घाटे को कम करना है। इसका केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लाभ और हानि की समग्र स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

श्री अराकल ने आठवें वित्त आयोग का उल्लेख किया है। यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से हमें लाभ के रूप में उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितनी कि हमें आशा थी। परन्तु मैं समझता हूं कि इस बात पर चर्चा के लिए हमें फिर कभी अवसर प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के अनुमोदन के लिए यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती: माननीय मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण कोई समाधान नहीं है।

परन्तु ऐसा लगता है कि बहुत सी निजी इकाइयां रूग्ण होती जा रही हैं। यदि आप राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तो क्या होगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र पत्नी जैसा है और निजी क्षेत्र रखैल जैसा है। पत्नी को बच्चे मिलते हैं और रखैल को पैसे मिलते हैं। आपको इसे समाप्त करना चाहिए और इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। आप ही को बोझा उठाना चाहिये और आप ही को लाभ उठाना चाहिये। अन्यथा, वे दूसरों पर बोझा क्यों लादें और आप ऐसा करने देते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका अर्थ है कि मार्क्सवादी भी रखैल में विश्वास रखते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : निश्चिय ही वे विश्वास करते हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि राष्ट्रीयकरण कोई समाधान नहीं है। मैंने जो कहा था वह यह है कि राष्ट्रीयकरण ही केवल रामबाण नहीं है। और इन दोनों वक्तव्यों में बहुत अन्तर है। जब भी यह आवश्यक हुआ और जब भी हमें ऐसा लगा कि राष्ट्रीयकरण द्वारा इकाइयों को उनके पांव पर खड़ा किया जा सकता है, हमने ऐसा करने के लिये संकोच नहीं किया है और भविष्य में भी हम संकोच नहीं करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपका ध्यान धारा 10 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें एक उपबन्ध किया गया है जिसके द्वारा सरकार कुछ निदेशकों को नामनिर्दिष्ट कर सकती है। परन्तु धारा 19 में मैंने देखा है कि एक बात की मनाही है। वह यह कि पुनर्निर्माण बैंक किसी भी ऐसे औद्योगिक उद्यम के साथ कोई धन्धा नहीं करेगा यदि पुनर्निर्माण बैंक का कोई निदेशक उसका मालिक, हिस्सेदार, निदेशक, प्रबन्धक, एजेन्ट, कर्मचारी अथवा जामिनदार है। परन्तु यहां पर आपने यह उपबन्ध किया है :

"परन्तु यह उपधारा किसी औद्योगिक समुत्थान को लागू नहीं होगी, यदि पुनर्निर्माण बैंक का कोई निदेशक,

(i) सरकार द्वारा या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा या पुनर्निर्माण बैंक द्वारा अथवा किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा...ऐसे समुत्थान बोर्ड में निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है..."

निदेशकों को धारा 10 के अधीन नियुक्त किया जाना है और वे अर्थशास्त्री, व्यावसायिक व्यक्ति, लेखाकार, वकील आदि हो सकते हैं। परन्तु इस परन्तुक के अनुसार बैंक उन उद्यमों के साथ धन्धा कर सकता है क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा अथवा निगम द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है, अन्यथा बैंक उस उद्यम के साथ कोई धन्धा नहीं कर सकता है जिसका मालिक, हिस्सेदार, निदेशक, प्रबन्धक एजेंट, कर्मचारी अथवा जामिनदार बैंक का निदेशक है। अतः, स्थिति क्या है। आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : पहली बात तो यह कि यह एक मानक उपबन्ध है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि मैंने धारा 10 (घ) में यह कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पंद्रह से अधिक निदेशक नामनिर्दिष्ट नहीं किए जाएंगे। उनमें से तीन कर्मचारी आदि होंगे। मैं पदेन कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं परन्तु कभी-कभी तकनीकविज्ञ तथा अन्य जिन्हें हम चाहते हैं, वे भी बहुत से निजी उद्यमों में नौकरी करते हैं। हो सकता है, वे उन कम्पनियों के निदेशक हों। कभी-कभी ऐसा हो जाता है और हमारी आम प्रथा यही है कि यह बात उन पर छोड़ देते हैं। जब उनके मामले बोर्ड

के पास आते हैं तो वे अपने नाम वापस ले लेते हैं। यदि आम प्रथा रही है। परन्तु मैं पर्याप्त व्यवस्था करना चाहता था ताकि मैं उनसे एक घोषणा पत्र प्राप्त कर सकूं या वह नियुक्ति से पहले ही त्याग पत्र दे सकता है अथवा वह हमें बता सकता है कि वह अमुक निजी कंपनी का निदेशक है जिसके मामले में किसी समय पर आई० आर० बी० आई० के पास आ सकते हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : क्या राष्ट्रीयकरण समाधान है अथवा नहीं। वही तो वाद-विवाद का प्रश्न है। परन्तु अब कौन पीछे हट रहा है ? तब क्या होगा यदि राष्टीकृत कम्पनियां जो मूलरूप से रूग्ण नहीं थी, रूग्ण होने लग जाएं ? हम जानते हैं कि यदि निजी कम्पनी रूग्ण हो जाती है तो हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। परन्तु अब हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां राष्ट्रीयकृत कंपनियां रूग्ण होती जा रही हैं। अतः इसका समाधान कैसे होगा ? क्या आपकी वित्तीय संस्थाओं को किसी ऐसी दवा का पता चला है जो राष्ट्रीयकृत कंपनी की रूग्णता का उपचार कर सके ? बिहार में, हमारे क्षेत्र में, मैं बंगाल की बात नहीं करना चाहता... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण के लिए कहिए, आप भाषण दे रहे हैं।

श्री ए० के० राय : बिहार में एक सुपर-फास्फेट का कारखाना है जिसे हमने उस समय स्थापित किया जब हम नौकरी में थे। अब, बीस वर्ष तक सुपर-फास्फेट निर्मित करने के बाद, जोकि एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है, यह कारखाना रूग्ण हो गया है और इसकी मालिक बिहार सरकार है। इसीलिये मैं अपने माननीय और बुद्धिमान वित्त मंत्री से पूछता हूं कि क्या वह ऐसी दवा का निर्माण करेंगे जो इन राष्ट्रीयकृत कंपनियों की रूग्णता का उपचार कर सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं सच कह रहा हूं कि मैं भी ऐसी दवा की खोज में हूं और यदि माननीय सदस्य के पास देने के लिए कोई दवा है तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। परन्तु एक बात मैं बता सकता हूं कभी-कभी ऐसा होता है कि...(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उत्तर है, बाजार की अर्थव्यवस्था।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं आपके विचार खरीद नहीं सकता, डा० स्वामी। परन्तु मैं आपको एक ठोस उदाहरण दे रहा हूं। कभी-कभी, सरकार में रह कर, हमें कुछ ऐसी परियोजनाओं को अनुमोदित करना चाहिए जो शुरू से ही बहुत अर्थक्षम नहीं होती हैं। उसी क्षेत्र को लीजिये, जहां के आप रहने वाले हैं, अर्थात कोककारी कोयला खान परियोजना हमें चाहे कोई भी कोक-कारी कोयला मिल रहा हो, हम कभी-कभी विश्वास कर लेते हैं कि क्षमता का उपयोग सौ प्रतिशत होगा और यदि क्षमता का उपयोग सौ प्रतिशत है, तो हम न लाभ न हानि की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस बात को मानकर हम आरम्भ करते हैं और हम सौ प्रतिशत क्षमता के उपयोग को कभी नहीं प्राप्त करते। इसलिए ऐसी परियोजना शुरू से ही घाटे में चलने लगती है। परन्तु आपके पास क्या कोई विकल्प है ? आपको इन संसाधनों का उपयोग करना ही होगा। आप अपने इस्पात संयंत्रों तथा ताप-बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए आयातित कोक कारी कोयले पर निर्भर नहीं कर सकते। देश में जो भी उपलब्ध है, उसी का आपको उपयोग करना होगा। अतः इस प्रकार के कुछ मामले हैं। मैं नहीं जानता कि सुपर-फास्फेट संयंत्र ऐसे ही मामलों के अधीन आता है। परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करते समय कभी-कभी ऐसा हो जाता है। मैं केवल स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में। यह इतनी तेजी से प्रगति कर रही है कि इसके आरम्भ और अन्त

के बीच इसमें बड़ा परिवर्तन आया है और हमें लगता है कि हमारी प्रौद्योगिकी पुरानी हो गयी है। विकासशील देशों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

श्री ए० के० राय : समस्या केवल प्रौद्योगिकी की नहीं है परन्तु प्रबन्धकीय निपुणता की भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना और औद्योगिक, पुनरुज्जीवन के लिए प्रत्यक्ष और पुनर्निर्माण अधिकरण के रूप में कृत्य करने और उसमें लगी हुई अन्य संस्थाओं के वैसे ही कार्य का समन्वय करने और औद्योगिक विकास में सहायता तथा उसका संप्रवर्तन करने और औद्योगिक समुत्थानों का पुनरुद्धार करने के लिए उक्त पुनर्निर्माण बैंक को समर्थ बनाने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के नाम से ज्ञात निगम के उपक्रम का उक्त पुनर्निर्माण बैंक को अन्तरण करने और उसमें निहित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 72, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2, से 72, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची विधयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा विधेयक पर एक सांविधिक संकल्प है जो भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक के बाद लिया जायेगा। क्या आप देर तक बैठकर इसे आज ले रहे हैं अथवा यह कल लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इतने इच्छुक हैं...

कुछ माननीय सदस्य : कल।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व हमें एक अन्य विधेयक, जो एक अत्यन्त छोटा विधेयक है, पारित करना है। हमें इस विधेयक को आज ही पारित करना पड़ेगा। दूसरा विधेयक हम कल लेंगे।

———

3.58 म०प्र०

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् विधेयक

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशु-चिकित्सा व्यवसाय का विनियमन करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा पदिषद और राज्य पशु-चिकित्सा परिषदों की स्थापना और पशु-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर रखने के लिए तथा उससे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक 23 दिसम्बर, 1981 को राज्य सभा में सर्वप्रथम पुरःस्थापित किया गया था। बाद में इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया था जिसमें 45 सदस्य थे लोक सभा के 30 सदस्य और राज्य सभा के 15 सदस्य। संयुक्त समिति ने 23 मार्च, 1984 को अपना प्रतिवेदन दिया और इस विधेयक में कुछ परिवर्तन शामिल किये। यह विधेयक 23 जुलाई, 1984 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।

इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद की स्थापना और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में उसी प्रकार की पशु-चिकित्सा परिषदों की स्थापना करना, पशु-चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण करने के लिए रजिस्टरों को रखना तथा पशु-चिकित्सा व्यवसायियों का नियंत्रण करना और विनियमन करना है। जैसे चिकित्सा व्यवसायियों के लिए दंत परिषद और चिकित्सा परिषद है, उसी आधार पर हम चाहते हैं कि एक पशु-चिकित्सा परिषद होनी चाहिये जो व्यवसाय कर रहे पशु-चिकित्सा स्नातकों को विनियमित कर सके। हम महसूस करते हैं कि पशु-चिकित्सा स्नातकों के दर्जे में निश्चित रूप से परिवर्तन होना। और इन्हें न केवल सरकार द्वारा अपितु अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भी मान्यता दी जायेगी। इस समय वे औषध निर्देश नहीं दे सकते हैं। वे चिकित्सा सम्बन्धी कानूनी मामलों में न्यायालय में साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। इस विधान से इसकी व्यवस्था हो जायेगी।

चूंकि यह राज्य विषय है, अतः कम से कम दो और राज्य सरकारों को एक संकल्प पारित करना है जिसमें भारत सरकार को विधान बनाने के लिए अधिकार देना है। अब तक बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और नागालैंड ने इस संकल्प को पारित किया है और उन्होंने भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद के गठन के लिये यह विधान बनाने के लिये भारत सरकार को अधिकार दिया है।

इस परिषद में 27 सदस्य होंगे —14 मनोनीत, दो पदेन और 11 निर्वाचित सदस्य होंगे। यह परिषद संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी और पशु-चिकित्सा विज्ञान के स्नातक तथा विधेयक के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार अर्हता रखने वाले व्यक्ति भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाएंगे। तब उन्हें न केवल चिकित्सा सम्बन्धी कानूनी मामलों के अन्तर्गत साक्ष्य देने का अधिकार मिल जायेगा अपितु उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता भी दी जायेगी।

स्टाकमेनों, पशुधन के पर्यवेक्षकों आदि से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हमने इस विधेयक में ही प्रावधान किये हैं जहां उन्हें पशु-चिकित्सा के कुछ छोटे कार्यों जैसे टीके लगाना, वंध्य-करण, घावों आदि की पट्टी करने के लिए अधिकार दिये गये हैं। महोदय यह विधेयक न केवल पशु-चिकित्सा के स्नातकों को कुछ मान्यता देगा अपितु उन्हें भी अधिकार देगा जो चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विधेयक को सदन के समक्ष रखा है और सदन से इस विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्य-सूची की अगली मद आज ली जायेगी अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभी माननीय सदस्य कृपया सहयोग दें तो हम इस विधेयक को पूरा कर सकते हैं और इसके बाद सभा स्थगित कर सकते हें। हम सात बजे तक बैठ सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरी तो केवल कार्य-सूची की अगली मद के बारे में ही रुचि है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सात बजे तक बैठे रहे हैं और इस विधेयक को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : महोदय, हमारी यह धारणा थी कि हम सभा को 6 बजे स्थगित कर रहे हैं। हमने अन्य लोगों को भी मिलने का समय दे रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सात बजे तक बैठना पड़ेगा। यदि आपने किसी से मिलना है तो आप जा सकते हैं लेकिन हमें अपना विधायी कार्य पूरा करना है।

श्री सूरज भान : यह निर्णय कब लिया गया था कि हमें सात बजे तक बैठना पड़ेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि इसे पूरे सत्र में मध्याह्न भोजन अवकाश समाप्त किया जाये। मुझे यही बताया गया है। और हम सात बजे तक बैठेंगे। मुझे यही कहना है। एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया है और दूसरा पारित किया जाना है। हमें अपना विधायी कार्य भी तो पूरा करना है।

श्री सूरज भान : महोदय, इस विधेयक के लिए दो घंटे निर्धारित किए गए हैं। यह भी कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं कह चुका हूं कि हम इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं लेंगे ।

(व्यवधान),

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र, आप भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए पिछले विधेयक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था और तब हमने इस विधेयक के लिए चार घंटे का समय लिया है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसी प्रकार हम अधिक समय लेते हैं ।

श्री सूरज भान : लेकिन यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता हूं । मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जब पिछले विधेयक के लिए दो घंटे आवंटित किए गए थे तो हमने इसके लिए चार घंटे लिये थे। यदि हमने इस विधेयक के लिए चार घंटे न लिए होते तो हम इस विधेयक को भी पूरा कर लेते ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम देर तक बैठ सकते हैं और इस विधेयक को पारित कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यदि वे चाहते हैं तो हम देर तक बैठकर इस विधेयक को पारित कर सकते हैं ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, हम नहीं बैठ सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं बैठना चाहते हैं तो ऐसा करने का आपको अधिकार है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको समझा नहीं सकता । श्री नाडार, क्या मैं आपको समझा सकता हूं । मैं उन्हें समझा नहीं सकता हूं । कोई अवतार आकर उन्हें समझा सकता है । अब श्री सत्यगोपाल मिश्र बोलेंगे ।

***श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय पशु चिकित्सा विधेयक, 1984 इस सदन के समक्ष लाया गया है और मैं सामान्य रूप से इस विधेयक को अपना पूरा समर्थन देता हूं। मूलत: यह विधेयक 23 जनवरी, 1981 को राज्य सभा में पुर: स्थापित किया गया था और बाद

*बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

में इसे दोनों सदनों की एक प्रवर समिति को भेज दिया गया था। प्रवर समिति की विभिन्न सिफारिशों सहित यह विधेयक अब राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है और अब यह लोक सभा में विचारार्थ और पारित करने के लिये आया है। इस विधेयक में अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य पशु-चिकित्सा परिषदें भी होंगी जो इसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करेंगी। मेरे विचार से यह विधेयक प्रायः मौजूदा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की पद्धति पर है। हमारे देश की प्रचलित सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में यह नितान्त अनिवार्य है कि पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सुधार और प्रगति हो और शायद इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा। यह देश के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा यदि हम पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास और प्रगति कर सकें और उस वैज्ञानिक जानकारी को अर्थ-व्यवस्था की बेहतरी के लिए प्रयोग कर सकें। इस दिशा में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद का गठन एक सही कदम है। यही कारण है कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। इस बारे में वस्तुतः एक प्रश्न पैदा होता है और वह यह है कि इस विधेयक को लाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ? यह बहुत पहले लाया जाना चाहिये था जिससे हम इस समय तक देश में पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास और प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते थे। स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी हम देश की भलाई के लिए पशु-चिकित्सा डाक्टरों की अर्हतायें, अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग नहीं कर पाये हैं। अतः महोदय इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस विधेयक को लाने में असाधारण विलम्ब के लिए सरकार की कड़ी आलोचना करता हूं।

आज तक हमारे देश के पशु-चिकित्सा डाक्टरों को दूसरे दर्जे के डाक्टर माना गया है। समाज में उन्हें डाक्टर के रूप में पूरी मान्यता नहीं दी गई है। कुछ मामलों में उन्हें कानूनी रूप से भी मान्यता नहीं दी गई है और वे कुछ औषधियों का निर्देश देने के लिए प्राधिकृत नहीं है। जिन व्यक्तियों ने व्यापक पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है और इसके बाद पशु-चिकित्सा की डिग्री ली है, वे कुछ औषधियों को निर्देश देने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। यह खेदजनक स्थिति लम्बे अर्से से विद्यमान है। हमारे देश में समाज भी पशु-चिकित्सा डाक्टर को गिरी नजर से देखता है। मेरा विश्वास है कि इस विधान के परिणामस्वरूप हमारे देश के पशु-चिकित्सा डाक्टर समाज में अपने सामाजिक और आर्थिक दर्जे को पुनः प्राप्त कर सकेंगे।

यह तभी संभव है यदि उनकी सलाह और राय को पूरा महत्व और सम्मान दिया जाये और उनके वेतनमान तथा सेवा शर्तों आदि में विधिवत सुधार किया जाए और उन्हें उच्च स्तर पर रखा जाये क्योंकि ये घनिष्ठ रूप से व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक दर्जे से जुड़ी हुई हैं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। पशु-चिकित्सा के व्यवसायियों के विभिन्न संगठन हैं। उन्हें उचित मान्यता दी जानी चाहिये और जैसाकि पहले कहा गया है उनके वेतनमानों, सेवा की शर्तों आदि में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें उच्च दर्जा दिया जाना चाहिये। ये मामले इस विधेयक के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इन बातों पर विचार करें।

इसके साथ एक अन्य मामला पैदा होता है और वह है कि जब यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष लाया गया तो उन्हें कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

माननीय मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है। एक अभ्यावेदन पश्चिम बंगाल पशु चिकित्सा

क्षेत्र सहायक संघ ने भेजा था, दूसना ज्ञापन अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा तथा पशु पालन तकनीकी कर्मचारी महासंघ से प्राप्त हुआ था और कुछ अन्य संघों ने भी अपने ज्ञापन प्रवर समिति के पास भेजे थे। प्रवर समिति ने अपनी सिफारिशों में पृष्ठ 6 पर इन्हें उचित महत्व दिया है। प्रवर समिति ने इसमें सिफारिश की है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनके पास पशु-चिकित्सा प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा है और जो विभिन्न स्थानों पर पहले से काम कर रहे हैं तथा वही कार्य कर रहे हैं जो पशु-चिकित्सक करते हैं, उनके ही समान माना जाएगा और उनके अनुसार तथा प्रवीणता का पूरा उपयोग किया जाएगा। लेकिन इस विधेयक के खंड 30 के स्पष्टीकरण में 'इन लोगों के लिए गौण पशु चिकित्सा सेवाओं' का उल्लेख किया गया है, जिन्हें टीका लगाने, घावों पर मरहम-पटट्री करने आदि का कार्य सौंपा जाएगा। अब, महोदय, जहाँ हमारे सामने दो विरोधी स्थितियाँ हैं। एक ओर तो प्रवर समिति यह सिफारिश करती है, "क्षेत्र में उनके अनुभव का पूरा उपयोग करने के लिए।" दूसरी ओर, विधेयक के खंड 30 के स्पष्टीकरण में उन्हें कुछ 'गौण पशु चिकित्सा सेवाओं' का उत्तरदायित्व दिया गया है। अब तक ये लोग पूरे डाक्टर के रूप में कार्य करते हैं यद्यपि उनके पास डिग्री नहीं है। पिछले 20-30 वर्ष से काम करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव हो गया है। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि क्या हम देश में पशु-चिकित्सा विज्ञान के विकास और प्रगति के लिए उनके लम्बे तथा विविध अनुभव व प्रवीणता का उपयोग कर सकते हैं। इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

हमारे देश में नाना प्रकार का पशुधन है। यह आर्थिक क्रिया-कलाप में हमारे लोगों का सहायक है और इस बहुमूल्य पशुधन के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए इस पशुधन के उपचार तथा प्रजनन के लिए पशु-चिकित्सा विज्ञान की प्रगति बहुत आवश्यक तथा वांछनीय है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती।

अतः मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद एक अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद का गठन किया जाएगा और उस परिषद के माध्यम से हमारा देश भविष्य में पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुधन का स्थान बहुत ऊंचा है। इसलिए, उनके उपचार, प्रजनन आदि को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मैं देश के सभी पशु-चिकित्सा व्यवसायियों को मिलकर काम करने तथा देश में पशु-चिकित्सा विज्ञान के विकास और प्रगति के लिए एक जुट होकर प्रत्यन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। महोदय, मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा इसी के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर): उपाध्यक्ष जी, वैट्रीनरी कौंसिल बिल के निर्माण में ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर एक अच्छे से अच्छा बिल प्रस्तुत किया है जिससे कि आगे आने वाले समय में हम इस विज्ञान को, इस धन के विकास के लिए क्या उपाय बरते जा सकते हैं, इसको वैधानिक जामा पहनाया जाए। सिलैक्ट कमेटी के सामने बहुत जगह पैरा मेडिकल स्टाफ के हित का जिक्र आया, उसको भी ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमिटि ने काफी अच्छी तहकीकात के बाद इस में समावेश कर लिया है, प्रावधान किया है और उनकी भी रक्षा हो सके।

माननीय मकवाना जी कृषि राज्य मंत्री हैं और गुजरात से आते है। गाय और भैंस से इनका संबंध कुछ नजदीक का है और चूंकि किसान परिवार से आते हैं और उसकी हर कमजोरी को, उसकी हर कठिनाई को समझते हैं कि आज देश में किन बातों की आवश्यकता है। हमारे मित्र सत्यदेव बाबू

हंस रहे है। मैं उनकी जानकारी के लिए एक बात बतलाना चाहता हूं—वैट्रीनरी सायंस और वैट्रीनरी वेल्थ, एनीमल वेल्थ का हमारे संविधान से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है। हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज, निदेशक सिद्धांतों में कहा गया है—

> "राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषत:.....नस्लों के परिरक्षण और सुधारने के लिए अग्रसर होगा।"

जिस देश के संविधान के निदेशक सिद्धांतों में यह बात हो कि पशुओं का विकास वैज्ञानिक ढंग से हो—आप इस के महत्व को समझ सकते हैं। पशुओं का विकास क्यों हो, इस पर मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस देश की आबादी 700 मिलियन है और पशु-धन, गाय और भैंस की आबादी 242-243 मिलियन है, अर्थात प्रति तीन व्यक्ति पर एक पशुधन हमारे पास है। हमारा पशुधन साल भर में पैदा कितना करता है ? दूध पैदा करता है—400 से 500 लिटर्स 400 से 500 लिटर्स दूध का दाम यदि हम लगायेंगे तो मुश्किल से दो रुपये या ढाई रुपये किलो भी बिकेगा तो 1200 से 1250 रुपये से ज्यादा नहीं होता है। दूसरी तरफ हालैंड चले जाईये फ्रांस चले

6.00 म० प०

जाइये, या किसी और देश में जहां वैज्ञानिक ढंग से पशुधन का विकास किया गया है, औसत ईल्ड करीब चार हजार लीटर है। हमारे यहां का एक किसान, एक छोटा परिवार अगर दो पशु भी रखे तो उसकी साल में आमदनी मुश्किल से हजार रुपये होगी जबकि उन देशों में 12 हजार रुपये होगी।

मैं एक छोटा-सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में पशुधन की आवश्यकता और महत्ता इतनी अधिक है कि प्रत्येक परिवार में वैज्ञानिक ढंग से अगर गाय और भैंस का पालन किया जाए तो ग्रीन रिवोल्युशन के बाद व्हाईट रिवोल्युशन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो देश की गरीबी मिटाने में इस पशुधन का पालन बहुत अधिक सार्थक सिद्ध होगा। इस पशुधन का साइन्टिफिक मेनेजमेंट होना चाहिए। इस साइन्टिफिक मेनेजमेंट के लिए वेटरीनरी डाक्टर्स को लेटेस्ट टेक्नोलोजी और नोलिज से इक्विप्ड करना होगा। बिना इसके हम ज्यादा दूध नहीं ले सकते हैं।

जितना हमारा नेशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वह लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए सहज और सरलतम तरीका भारत की पशु सम्पदा ही हो सकती है। इसलिए मैं गाय को महत्व देता हूं। मैं गाय को महत्व पूजा के लिए नहीं, या उसको माता कहना चाहिए, इसलिए मैं नहीं देता हूं। गाय में एक ऐसी क्षमता है कि गाय घास और फूस खाती है और दूध देती है। ऐसा और कोई कन्वर्टर हमारे पास नहीं है। न हमारे ऐसी कोई टेक्नोलोजी या एडवांस्ड मशीनरी है जिसमें कि यह क्षमता हो कि वेस्ट प्रोडक्ट डालें और प्रोटीन प्रोडक्ट निकले। यह केपेसिटी हमारे पशुधन गाय और भैंस में है जो घास और फूस को प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं। इस चीज को सारे जनमानस में फैलाने की आवश्यकता है।

यह बहुत सुन्दर बिल है। इसकी रचना में मैंने भी भाग लिया है। इसका तहेदिल से मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक चीज को आपको याद रखना होगा कि पशुधन का विकास बिना चारे के विकास के नहीं होगा। क्या अभी तक आपने कोई फोडर पालिसी बनाई है ? आप मनुष्य के खाने

के लिए फूड कारपोरेशन के माध्यम से अपने भण्डारों में 20 मिलियन टन गल्ला रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि फोडर बैंक या फोडर गोदाम भी बनाये जायें ? आप फोडर बैंक या गोदाम को बनाये वगैर पशुधन का विकास नहीं कर सकते हैं, खास करके एमरजेंसी वाले इलाकों में जहाँ फ्लड और ड्राउट आते रहते हैं। इसके लिए भी आपको वैज्ञानिक ढंग अपनाना होगा। फ्लड कंट्रोल कमीशन ने इस तरफ आपका ध्यान दिलाया है कि बाढ़ वाले इलाके में जो कि ग्रीनरी का इलाका होता है केटल ज्यादा हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन तीन-चार महीने उनकी हालत बदतर हो जाती है, जानवर मर जाते हैं, वे परेशान भी रहते हैं। उनके लिए कोई फोडर पालिसी हमने नहीं बनाई है। साइन्टिफिक मेनेजमेंट फार फोडर टेक्नोलोजी को डवलप कीजिए। आपका करनाल डेयरी रिसर्च इंस्टीच्यूट है। इसका दायरा छोटा है। इससे देश के 242 मिलियन जानवरों का समाधान नहीं हो सकेगा। अभी आप से मैं केटल फोडर पालिसी के बारे में कह रहा था। आप ऐसी एक पालिसी जरूर बनाइये।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं। अभी तक आप एक्सपोर्ट के नाम पर कोटन केक्स और रेपसीड केक्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन केक्स का एक्सपोर्ट आप बंद कीजिए और मोलेसिस, खली केक्स और फूड कारपोरेशन की मदद लेकर उसका जो वेस्ट मेटीरियल है, इन तीनों को मिला कर केटल फूड तैयार कीजिए।

बड़े पैमाने पर सबसीडाइज्ड रेट पर सारे देश में जानवरों के लिए केटल फीड उपलब्ध करवाइए। आई० आर० डी० पी० स्कीम में जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। किसी के पास अगर सौ जानवर हैं और उसका ट्रांसफर कर दिया तो दूध का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपको, मिल्क के प्रोडक्शन हेतु कंसन्ट्रेट करना चाहिए केवल ट्रांसफर पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। केक्स बगैरह का एक्सपोर्ट बन्द कीजिए। किसानों की मदद कीजिए। एक दिन गो-रक्षा समिति वाले मेरे पास आए थे।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : गो-हत्या वाले नहीं बल्कि गो-हत्या बन्द कराने वाले।

श्री डी० पी० यादव : आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि जो जानवर दूध दे रहा है, उसका उचित मूल्य भी जो मिल रहा है या नहीं ? दिल्ली में मैंने भी एक गाय रखी है। मैंने जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि एक किलो दूध की कॉस्ट साढ़े चार रुपए आ रही है। गरीब किसानों के दूध को तो तीन या सवा तीन रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। किसान को आपने क्या दिया ? किसान ने जो मेहनत की तो उसको क्या मिला ? क्या जानवरों के रहने की व्यवस्था की ? किसानों को एक्सप्लायट करके सोफेस्टीकेटेड सोसायटी को मक्खन, छेना और छेना की सब्जी खिला रहे हैं। जब तक दूध और दूध का प्रोडक्ट्स बाजार में सस्ता होगा तब तक गो-हत्या बंद नहीं हो सकती है।

बिना दूध के दाम बढ़ाए हुए कैटल का डवलपमेंट किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। इसलिए एक बिल लाइए और किसागों की मदद कीजिए। खेरा को-आपरेटिव ने बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी किसान को डिस्ट्रेस सेल की आवश्यकता नहीं हो रही है। बिहार में जुलाई और अगस्त में तो डेढ़ या दो रुपए दूध मिलेगा और घी के दाम भी कम होते हैं।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : उत्पादन मूल्य भी कम होता है।

श्री डी० पी० यादव : एक गाय आप भी पालिए, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। छपरा शहर में भी दूध नहीं मिलता है। जिस क्षेत्र का श्री सत्यदेव बाबू प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां भी दूध नहीं मिलता है। वहां की आपको चिंता नहीं है।···**(व्यवधान)**

प्रो० सत्यदेव सिंह : हमारे यहां दूध की कमी है लेकिन देहात में पर्याप्त मात्रा में है। हमारे यहां मरहौरा में विश्व-विख्यात मोर्टन फैक्टरी है। वहां दूध की कमी नहीं है।···**(व्यवधान)**

श्री डी० पी० यादव : जिन बातों को मैं कह रहा हूं, उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। जितनी बूढ़ी गाय हैं, सबको अपने घर पर ले जाइए। सूखे और बूढ़े बैल को भी आप रखिए। जो दुहने वाली गाय हैं, वह हम रख लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ये ही कुछ मौलिक सुझाव थे। मैंने माननीय मंत्री जी के सामने दरख्वास्त पेश की कि आज इस देश में गो-पालकों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष जी, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि इस देश से गरीबी हटानी है तो किसी न किसी हालत में पशु-धन का विकास वैज्ञानिक तरीके से करना होगा और हमारी संसद को समर्थन देना होगा जिससे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ दी स्टेट पौलिसी में जो बातें आई हैं, उनकी पूर्ति हो सके।·· **(व्यवधान)**···इन चन्द शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको मैं पसन्द नहीं करता। वैसे तो इस बिल पर मैंने कुछ अमेंडमेंटस भी दी हैं, और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन अमेंडमेंटस को मान लें तो अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 6 लाख गांव हैं, 13 लाख मुरब्बा मोल एरिया है, 53 करोड़ पशु है और 70 करोड़ आबादी है ···

श्री डी० पी० यादव : 53 करोड़ पशु नहीं हैं, 24 करोड़ कहिए···

श्री सूरजभान : जो आंकड़े मुझे यहां दिए है, मैं उन्हीं के आधार पर बोल रहा हूं। मुझे पता नहीं कि कौन सी फिगर सही है।

श्री डी. पी. यादव : बकरियां और मुर्गियां सब मिलाकर के होंगे।

श्री सूरजभान : फिर भी हमारे मंत्री जी ने कल यहां एक सवाल के जबाव में बताया था···

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते ही हैं कि आंकड़े कैसे तैयार किए जाते हैं।

श्री सूरजभान : फिर भी हमें विश्वास करना पड़ता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप सभापति हैं और आप यह कह रहे हैं : आप जानते ही हैं कि आंकड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। यह विशेषाधिकार का मामला है।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : वह भारत सरकार के आंकड़ों पर शंका कर रहे हैं।

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, कल ही आदरणीय मकवाना जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हरियाणा और पंजाब में देसी गाय और भैंसों की नस्ल कम नहीं हो रही है। "यह बात ठीक नहीं है कि उनकी नस्ल कम होती जा रही है।" लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई आंकड़े नहीं दिए। यह तो कहा कि कम नहीं हो रही है, लेकिन फिगर्स नहीं बताई। मेरे पास 1972 की लेटैस्टफिगर्स अवैलेबल हैं और उनके अनुसार 1951 से लेकर 1972 तक, 21 सालों में सिर्फ दो करोड़ और तीस लाख कैटल का नम्बर बढ़ा है जबकि इन वर्षों में हमारी आबादी में दुगनी वृद्धि हुई है। उस हिसाब से तो कैटल का नम्बर भी दुगना होना चाहिए था। वर्ष 1951 में लाइनस्टॉक की संख्या 48 करोड़ थी और 1972 में 53 करोड़ हो गई। जबकि ज्यादा बढ़नी चाहिए थी।

एक फिगर इसमें यह भी है कि हर साल हिन्दुस्तान में दूध और विटामिन आदि न मिलने के कारण लगभग दो लाख बच्चे अंधे हो जाते हैं। इसलिए दूध की कमी दूर होनी चाहिए। वैसे बिल के बारे में तो मैंने कह दिया कि ठीक है, परन्तु लेट आया है, लेकिन इसमें यदि कुछ सुधार हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है।

पशुओं का इलाज करने के लिये 20 हजार के करीब ग्रेजुएट वैटरीनरी सर्जन हैं और 52 हजार के करीब नान-ग्रेजुएट हैं जो कि स्टाक एसिस्टेंट्स, स्टाक सुपरवाइजर्स, स्टाक इन्सपैक्टर्स, इस किस्म के डैजिग्नेशन से डिफरैंट स्टेट्स में हैं। इन 20 हजार वैटरीनरी ग्रेजुएट्स में से 10 हजार तो लगभग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में लगे हुए हैं या कुछ थोड़े से शहरों में हैं, क्योंकि शहरों में भी पशु हैं। इस तरह 10 हजार बचते हैं। नान-ग्रेजुएट्स को मिलाकर इकट्ठी फिगर अगर गांव की देखें तो एक आदमी दस गांव को देख सकता है और 8 हजार पशुओं की देखभाल कर सकता है। यह फिजीकली पासिबल नहीं है, न उनके पास जीप है और न मोटर साइकिल है। इतने लम्बे एरिये की क्लाज में 10 गांव में घूमेगा और 8 हजार पशुओं को कैसे देख पायेगा।

बिल की क्लाज 30 में आप कह रहे हैं :

> "परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी राज्य के पशु पालन निदेशालय द्वारा (उसका चाहे जो भी नाम हो) या भारत में किसी पशु-चिकित्सा संस्था द्वारा जारी किया गया पशु-चिकित्सा पर्यवेक्षक, स्टाकमैन, या स्टाक सहायक का (चाहे उसका जो भी नाम हो) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र धारण करता हो, किसी रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण और निदेशन में गौण पशु-चिकित्सा सेवा करने की अनुज्ञा दे सकेगी।"

उनके सुपरविजन और डायरेक्शन में अगर कोई भैंस बीमार हो गयी, उसके पेट में अफारा हो गया या बच्चा पेट में टेढा हो गया तो ग्रेजुएट से पूछा जायेगा कि क्या करें ? इतना तो वह कर नहीं सकता, यह पासिबल भी नहीं है। इसलिये अगर इसके बजाय इतना कह दें कि—इन कंसल्टेशन विद दैम तो गुजारा हो सकता है, कभी राय ले ले तो बात समझ में आ सकती है।

उनको कुछ तो फ्रीडम दीजिये, वह 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तजुर्वा है। मैं अपनी स्टेट की एंग्जैम्पिल देता हूं। इसके एडमीशन के लिये 90 परसैंट हाइएस्ट मार्क मैट्रिक में हैं और 75 परसैंट से कम मार्क्स मैट्रिकुलेट के हैं। 75 परसैंट से कम वाले को एडमिशन नहीं मिला, मैक्सीमम 95 परसैंट मार्क्स वाले का मिला है। रिजर्व्ड कैटेगरी के भी 64 परसैंट वाले हैं। यानी मिनिमम फर्स्ट डिवीजन से कम किसी को एडमिशन नहीं मिला। वे इंटेलीजेंट है, कोर्स एक दो साल का किया है, एक्सपीरिएन्स है, कोर्स पास करते हैं, लेकिन जिनको 80,40 साल हो गये जब आप कहते हैं कि वह नुस्खा भी नहीं लिख सकेंगे, उनका सुपरविजन रहेगा, तो यह कैसे चलेगा ?

अगर इसको ऐसे ही पास कर दिया जाये तो इसका नतीजा यह होगा कि 10 हजार वैटरी-नरी सर्जन जो हैं, उनमें एक सर्जन को 60 गाँव देखने पड़ेंगे, अकेले को 50 हजार कैटल को देखना पड़ेगा। क्या यह सोचा जा सकता है ?

ग्रेजुएट्स और नान-ग्रेजुएट्स, दोनों को मिलाकर 10 गांव देखने पड़ते हैं और एक आदमी को 8 हजार पशुओं को देखना पड़ता है। अकेले सर्जन से यह करायेंगे तो बिल्कुल इम्पासिबिल है। इसका नतीजा यह होगा कि भैंस बीमार होंगी, गरीब गांव का आदमी अपनी भैंस लेकर उनके पास जायेगा, जो कि 30 साल से काम कर रहे हैं, और कहेगा कि बच्चा टेढ़ा हो गया है ठीक कर दीजिये। वह कहेगा कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि क्लाज 30 ने मेरी ताकत छीन ली है अब मेरी पावर नहीं है। गाँव वाला कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें रिश्वत चाहिये, इसलिये कह रहे हो। क्लाज 30 की बात उसकी समझ में नहीं आती। मैं जानना चाहता हूं कि कोई आदमी 30 साल से काम कर रहा है, आज आपकी क्लाज आने के बाद वह अनफिट कैसे हो गया ? आप इस प्रैक्टिस को चलने दीजिये।

आप अच्छी बात कहते है कि ग्रेजुएट्स को आना चाहिए। यह वही मिसाल होगी कि आप किसी भूखे को कहें कि हम तुम्हें गेहूं की रोटी देंगे। गेहूं की रोटी की बात तो दूर अभी तो उसे बाजरे की भी ठीक ढंग से नहीं मिल रही है। आप उसे गेहूं की रोटी दे दें, अच्छी बात है, लेकिन बाजरे की भी छीन लें यह उम्मीद दिलाकर कि गेहूं की देंगे, तो क्या आप उसे भूखा मारेंगे ? जो नान-ग्रेजुएट्स हैं, उनकी ताकत आप मत छीनिए। जो काम कर रहे हैं, उनसे ताकत मत छीनिए। अगर आप एक ही आदमी को सर्टिफिकेट के लिए अथौराइज करेंगे तो वह ब्लैकमेलिंग ज्यादा करेगा। आप दोनों को अथौराइज कर दीजिए। ग्रेजुएट्स को भी कर दीजिए, उनको भी कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।

आप एक अच्छा महत्वपूर्ण बिल लाए हैं। इस देश में आयुर्वेद को गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज कर लिया है।

पशुओं के इलाज के लिए भी कुछ फोक मंडिसन्ज हमारे यहाँ हैं। अगर गाय-भैंस को अफरा होता है, तो गांव का आदमी कहता है कि इसको सरसों के तेल की बोतल पिला दो, या प्याज का अर्क निकाल कर पिला दो। अगर फोक मेडिसन्ज पर भी रिसर्च की जाए, तो बहुत सी अच्छी चीजें निकल सकती है।

मैंने मन्त्री महोदय का राज्य सभा में दिया गया भाषण पढ़ा था। उसमें उनका एक पॉइ-

कुलर सेन्टेन्स था कि जबसे विदेशी गायें यहां पर आई हैं, बीमारियाँ बढ़ गई हैं। यह हकीकत भी है। बंगलौर में जो विदेशी गायें आई थी, वे 100 परसेंट टी. बी. की मरीज थीं। उनमें से एक भी गाय टी. बी. के मरीज से मुबर्रा नही थी। यह बीमारी फैलती जा रही है। सरकार को यहां की अपनी देशी गायों के विकास और बढ़ोतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए।

कहा जाता है कि विदेशी गायें दूध ज्यादा देती हैं। लेकिन वे खाती भी तो ज्यादा है। अभी मेरे साथी ठीक कह रहे थे कि हमारी देशी गायें चारा भूसा खाकर दूध देती हैं, लेकिन विदेशी गायों को जब तक गेहूं या अनाज न खिलायें, तब तक वे दूध नहीं देती हैं। जहाँ तक मीट का संबंध है दो किलो अनाज खिलाने के बाद एक किलो मीट मिलता है। ये गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं। हिन्दुस्तान में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। दो किलो अनाज खिलाकर एक किलो मीट लेना, यह कोई अकलमन्दी की बात नही है।

सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि जबसे विदेशी गायें आई हैं, तबसे बैल कम होते गए हैं। विदेशी गाय का बछड़ा खेत में काम नहीं कर सकता है। सब किसान ट्रैक्टर ले नहीं सकते हैं। मंत्री महोदय को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

श्री मकवाना आर्ग्युमेंट दे सकते हैं कि नान-ग्रेजुएट क्वैक हैं, इलाज का काम उन्हें कैसे सौंपा जा सकता है। मैंने अभी बताया है कि वे फर्स्ट क्लास मैट्रिकुलेट्स हैं और उनको तीस साल का तजुर्बा है। इस बारे में गवर्नमेंट के अफसरों ने जायंट सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या राय दी है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

मि० जान इन्नोसेंट, सेक्रेटरी टु दि गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र, एग्रीकल्चर एण्ड कोआपरेशन डिपार्टमेंट ने कहा है :—

"हम अपने स्टाकमैनों को अनाड़ी नहीं कहेंगे।"

मि० ए. एस. दास, सेक्रेटरी टु. वि. गवर्नमेंट आफ मध्य प्रदेश, डिपार्टमेंट आफ एनिमल हसबैंडरी ने कहा है :—

"हमारे देश तथा राज्य में अपेक्षित संख्या में पशु-चिकित्सा डिग्री धारक नहीं है। हमें इस प्रतिबंध की अनुमति नहीं देनी चाहिए, अन्यथा हल उस रोग से भी बदतर होगा जिसका हम उपचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।"

मि० पी. सी. पाठक, डायरेक्टर आफ एनिमल हसबैंडरी एंड वेटरीनरी सर्विसिज, आसाम ने कहा है :—

"योग्यता प्रमाण-पत्र धारक पशु-चिकित्सा क्षेत्र सहायक ही आधारिक स्तर पर असली काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी स्थिति भी वही रहनी चाहिए। कुछ सेवा-अवधि के बाद हम उन्हें 'पशुधन अधिकारी' के पद पर पदोन्नति दे रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि अब तक उनके जो राइट्स और प्रिविलेजिज रहे हैं, उन्हें उनसे डिप्राइव नही करना चाहिए, यह मुल्क और पशुधन के इन्टेस्ट में है।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे एमेंडमेंट्स और मेरे सुझावों को ध्यान में रखेंगे और उनको इस बिल में इनका पारेट करेंगे।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सन् 81 में यह बिल राज्य सभा में पेश हुआ था। लेकिन उस वक्त यह बिल अपने आप में परिपूर्ण नहीं था। इस वजह से इसको एक ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया गया। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त समिति बनी उसके एक सदस्य के रूप में काम करने का सौभाग्य मुझे भी हुआ। यह ज्वाइंट कमेटी पूरे देश में और लगभग सभी राज्यों के दौरे पर गई। उसने बड़ी गहराई से अध्ययन किया, उन चीजों का मनन किया जो पशुधन से सम्बन्ध रखती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पशु धन का हमारे देश में एक विशेष महत्व एवं उपयोगिता है। वैसे संसार में जितने भी जीव हैं मानव उनमें सर्वश्रेष्ठ है लेकिन जितने भी पशु हैं वह भी अपनी जगह पर अपनी उपयोगिता रखते हैं खास तौर से हमारे जैसे विकासशील देश में जहां पर कि मशीनों से बहुत कम काम होता है। वह देश जो सारा काम मशीनों से करते हैं उनके मुकाबले में हमारे देश में पशुओं से बहुत काम लिया जाता है। इसलिए उनको स्वस्थ रखना और उनको ज्यादा गतिशील बनाना सरकार का दायित्व और फर्ज हो जाता है।

इस विधेयक के द्वारा आल इंडिया वैटेरनरी कौंसिल की स्थापना उसी लाइन पर होगी जिस तरह से इंडियन मेडिकल कौंसिल है। इसका अभी तक अभाव है जिस की वजह से जो पशुओं के चिकित्सक हैं या उनकी चिकित्सा से सम्बन्धित जितने भी कर्मचारी हैं उनको कम तनख्वाह और कम सहूलियतें मिलती थीं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, हर स्टेट में जाकर वहां पर जो भी पशु चिकित्सा से सम्बन्धित कर्मचारी या डाक्टर्स हैं उनकी परिस्थितियों और उनकी मजबूरियों का अध्ययन किया गया। उन्हें क्या सहूलियतें मिलने की जरूरत है, क्या मिल रही हैं इन सारी चीजों पर कमेटी ने बड़े विस्तार से अध्ययन किया, एक रिपोर्ट पेश की और एक संशोधित विधेयक के रूप में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

इस बिल के तहत एक आल इंडिया वेटेरनरी कौंसिल की स्थापना होगी और देश के हर राज्य में चाहे वह यूनियन टेरिटरी हो चाहे राज्य हो, वहाँ पर स्टेट वैटेरनरी कौंसिल होगी। जितने भी पशु चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टर या अन्य कर्मचारी काम में लगे हुए हैं उनकी सुख-सुविधा को देखना, उन्हें सहूलियतें देना यह इस कौंसिल का काम होगा। अक्सर यह देखा जाता रहा है कि जो लोग पशु चिकित्सक हैं उन को समाज में एक हेय दृष्टि से देखा जाता है और वैसे भी रिटायरमेंट के बाद उन की कोई हैसियत नहीं रहती है। वह अपने घरों में बैठे रहते हैं और जो भी सरकार से पेंशन मिलती है उस पर अपनी गुजर-बसर करते हैं। आज जितने भी एम बी बी एस या दूसरे डाक्टर्स सरकारी नौकरी के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो अपनी दूकान रख कर बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अपनी-अपनी काबलियत के अनुसार उनकी प्रैक्टिस चलती भी है। कोई भी मरीज जाकर वहां पर अपना इलाज करा सकता है। लेकिन यह इतनी बड़ी विडम्बना थी कि जितने भी पशु चिकित्सक थे उन को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं था। रिटायरमेंट के बाद वह अपने घर बैठे रहते थे। अपना कोई बिजनेस या खेती-बाड़ी का कोई धन्धा करते थे।

इसमें इस तरह का प्राविजन है कि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है। बहुत से लोग बिजनेस करते हैं पशुओं का, डेयरी खोलते हैं या पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, बकरी या भेड़ पालते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी किसान लोग हैं जो अब जैसे सरकार ने बहुत सी स्कीमें इस प्रकार की चलायी हैं कि जिसमें बैंकों से या और कई प्रकार की एजेंसीज से उनको ऋण मिल जाता है जिस में सरकार सब्सिडी भी देती है, उसमें पशु-गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर वगैरह तमाम खरीदने का प्रावधान है, तो बहुत से लोग जो बेरोजगारी के शिकार थे, थोड़ा बैंकों से ऋण ले कर सरकार की इस सहूलियत का फायदा उठा कर वहां पर वह पशु खरीद लेते हैं, कोई चार, कोई दस भैंस ले रहा है, कोई गाय ले रहा है, कोई सूअर खरीद रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है। और कोई मुर्गी पालन कर रहा है। स्वाभाविक है कि इन पशुओं में बीमारियां भी पैदा होंगी। बहुत सी जगहों पर सरकारी पशु-चिकित्सालयों में ठीक प्रकार से पशुओं की चिकित्सा नहीं की जाती है। अब आशा की जा सकती है कि रिटायमैन्ट के बाद जब ये पशु चिकित्सक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से लोग अपने पशुओं का उनसे इलाज करवा कर अपने पशुओं को स्वस्थ करा सकेंगे।

मेरा निवेदन है कि इस बिल में जितने भी प्राविजन्स हैं वह समय को देखते हुए बहुत ही जरूरी हैं और मैं मन्त्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय की गम्भीरता को समझा और इतना अच्छा संशोधित बिल यहां पर उपस्थित किया। इसके द्वारा हमारे देश के पशुधन का विकास तो होगा ही साथ ही साथ पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मुझे इस विधेयक के उद्देश्यों पर कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके माध्यम से, सरकार तथा मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के विभिन्न उपबन्ध व्यवहार्य नहीं है। इस विधेयक को भारत में पशु चिकित्सा सम्बन्धी वर्तमान वास्तविक स्थिति तथा भारत में 50 हजार गैर-स्नातक पशु चिकित्सा व्यवसायिकों के बारे में वास्तविकताओं और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिये बिना ही अन्तिम रूप दे दिया गया है। उन्हें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है।

महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपनी आरम्भिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब विधेयक राज्य संभा में पारित किया गया था। ××

23 जुलाई को ××

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर संयुक्त प्रवर समिति ने भी विचार किया था।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : किन्तु जो मैं कह रहा हूं वह भी एक तथ्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक बार विधेयक पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में उसे कैसे

×× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पारित किया गया, आपको उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह उचित नहीं है। यह बेहतर होगा कि आप उसके पारित करने के ढंग पर टिप्पणी न करें। आप यह कह सकते हैं कि यह आपकी पसन्द का नहीं है किन्तु विधेयक किस प्रकार से पारित किया गया, इस पर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार: किन्तु मैं तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कतिपय परम्परायें हैं। आप तो एक योग्य सांसद हैं।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : किन्तु मैं तो तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी, मैं राज्य सभा के सम्बन्ध में टिप्पणियों के बारे में अभिलेख का अध्ययन करूंगा।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : जैसा कि मन्त्री महोदय ने दावा किया है, उस दिन यह विधेयक पारित किया गया था और मैं इस तथ्य पर विवाद नहीं कर रहा कि यह विधेयक पारित किया गया है। × ×

अब यह बताया गया है कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को प्रेषित कर दिया गया है और उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है।

महोदय, यदि आप इस विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त प्रवर समिति के कार्यवाही-वृत्तान्त को तथा पशु-चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकार रखने वालों द्वारा दिए गए साक्ष्य को देखें तो आपको पता चलेगा कि विधेयक को अन्तिम रूप देते समय उनकी राय को ध्यान में नहीं रखा गया इसीलिए तो श्री सुधीर गिरि ने उन कुछ मुद्दों को यहां पढ़ा जिन्हें बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। × ×

इसलिए मुझे यह बताया गया है कि राज्य सभा के एक माननीय सदस्य श्री अरविन्दम् घोष ने जो कि संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य थे माननीय मन्त्री श्री राव वीरेन्द्रसिंह को एक पत्र लिखा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वे संयुक्त प्रवर समिति एवं विशेष रूप से उसके सभापति की आलोचना कर सकते हैं ? क्या वे समिति के सदस्यों एवं उसके सभापति पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, यह आखिरकार एक मन्च है और आपको संयुक्त प्रवर समिति के अन्तिम प्रतिवेदन पर ही विचार व्यक्त करने चाहिये, अन्य बातों पर नहीं।

((व्यवधान)

× × कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: कृपया ब्यौरे में मत जाइए। आप इस विधेयक में क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : मुझे यह कहने का अधिकार है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संयुक्त प्रवर समिति की बैठकों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते। कृपया उन सबका उल्लेख न करें। क्योंकि यह एक संसदीय समिति हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इससे समिति के आचरण पर आक्षेप होगा।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या यह सत्य है कि दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य श्री अरविन्दन घोष ने माननीय कृषि मन्त्री राव वीरेन्द्रसिंह को 9 मार्च, 1984 को एक पत्र लिखा है कि वे अन्तिम बैठक में भाग लेने में असमर्थ होंगे। उन्होंने अपनी असमर्थता अन्य सम्बद्ध सदस्यों को भी बता दी थी कि वे उस दिन बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए···

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक सदस्य और एक मन्त्री के बीच पत्राचार की बात है। इसका इससे क्या सम्बन्ध है ? यदि अन्तिम प्रतिवेदन आ गया है तो आप उसे देख सकते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। आप उससे सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं। आप किसी प्रवर समिति के कार्यचालन पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, क्या उन्होंने असहमति नोट दिया है ? यदि वे सहमत न हों तो असहमति नोट देने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, कोई भी सदस्य असहमति नोट दे सकता है। यह संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन में नहीं है। इसमें किसी भी सदस्य ने असहमति नोट नहीं दिया है। यदि, जैसा कि आप कहते हैं, कोई बात हुई है···

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : ××

क्योंकि अन्तिम अवस्था में···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए। श्री नाडार, आप अपने मुद्दे पर आएँ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : आप मुझे तथ्यों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त प्रवर समिति दूसरे सदन के सभापति द्वारा नियुक्त एक संसदीय समिति है।

×× कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : वास्तव में यह सदन सर्वोच्च है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको संसदीय समिति की कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सदन की प्रत्येक समिति स्वयं में एक सदन होती है ।

श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार : इसकी नियुक्ति सदन द्वारा की जाती है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह एक सदन के समान ही होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इसमें संसक्त मामलों के बारे में बोल सकते हैं । आप मामले पर नहीं आ रहे हैं ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : आप मुझे उस पर नहीं आने दे रहे हैं । ××

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त प्रवर समिति के कार्यवाही-वृत्तांत के संबंध में किसी प्रकार के आक्षेप के लिए मैं वृत्तांत देखूंगा । इस प्रकार के आक्षेप कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे । कुछ संसदीय प्रक्रियाएं हैं । (**व्यवधान**) । हमें किसी संसदीय समिति अथवा उसके कार्यचालन पर टिप्पणी नहीं करनी है ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : मैं जानता हूं किन्तु यदि सदस्यों का बहुमत चाहता हो···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय समिति पर किसी प्रकार का आक्षेप कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैं कार्यवाही-वृत्तांत को देखूंगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उन्हें इस प्रकार बोलने की आदत हो गई है ।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : 1978 में हमने विशेषाधिकार समिति में प्रधान मंत्री के विरुद्ध एक आरोप लगाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार समिति एक अलग समिति है । यह एक लघु-संसद है (**व्यवधान**) श्री नाडार जानते हैं कि उन्हें यह सब नहीं कहना चाहिए । वे यह सब जानते हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वे अपने नेता श्री बहुगुणा का अनुसरण करते हैं ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : मेरे नेता आपके नेता की अपेक्षा अच्छे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब किसी नेता के बारे में विवाद मत उठाइए ।

(**व्यवधान**) ××

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न कीजिए ।

(**व्यवधान**) ××

×× कार्यवाही-वृत्तांत के सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार अब आप सम्बद्ध दिवस पर बोलिए।

श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार : इस विधेयक को अन्तिम रूप देते समय सरकार ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के पशु चिकित्सा व्यवसायी विभिन्न अर्हताओं वाले हैं कि विभिन्न स्तरों एवं स्थानों पर कार्यरत हैं।

इसी प्रकार उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन विज्ञान में डिग्री की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की भारी कमी है और इन स्नातकों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तकनीकी व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने की नितान्त आवश्यकता है।

जैसा कि डा० टी० पी० एस० त्यागी, संकायाध्यक्ष, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष उद्धृत किया गया है यहां तक कि जापान में भी मध्यम स्तर के तकनीशियन हैं।

इसी प्रकार डा० जी० बी० सिंह, निदेशक, पशु-पालन चण्डीगढ़ ने गैर-स्नातक पशु चिकित्सकों के आचरण, व्यावसायिक आचरण और क्षमता पर नियंत्रण रखने के लिए उनका पंजीकरण करने के लिए एक अनुपूरक रजिस्टर रखने का सुझाव दिया है। उन्होने संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष ब्रिटिश वेटरिनेरी सर्जन्स एक्ट के तदनुरूप उपबन्धों का भी उल्लेख किया है। श्री सूरज भान ने श्री जॉन इन्नोसेन्ट, सचिव, महाराष्ट्र सरकार का पहले ही उल्लेख किया है। अतः मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

इस विधेयक को अन्तिम रूप देते समय भारत ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि गैर-स्नातक पशु चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 से भी अधिक पशु चिकित्सा संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चला रहे हैं और गत 30 वर्षों से बीमार पशुओं और पक्षियों की कुशलता से चिकित्सा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सरकारी समिति नहीं है। यह संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति है। इसकी संसद के दोनों सदनों द्वारा नियुक्ति की जाती है। आप सब कुछ जानते हैं। यह विधेयक मंत्री ने पुरःस्थापित किया है।

श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार : मैं पहले ही आपको बता चुका हूं।**

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर विषय है। मैं आपको इस प्रकार अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : तथ्य यह है कि बिहार में गैर-स्नातक पशु चिकित्सक वास्तव में स्नातक पशु चिकित्सकों के स्वीकृत पदों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इन पदों की सभी ड्यूटियों और जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, क्योंकि स्नातक उपलब्ध नहीं हैं। गैर-स्नातक चिकित्सक बिहार में सभी काम कर रहे हैं। यह भी संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष लाया गया है।

श्री ए० एस० दास, सचिव, पशु-पालन विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने समिति के समक्ष इस बारे में कहा है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे ये सब चीजें प्राप्त करते हैं । ये गोपनीय चीजें हैं ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : चूंकि श्री सूरज भान ने पहले ही सभा में इसका उल्लेख किया है, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा ।

चूंकि वे सभी सदस्य समझदार हैं अतः वे यहां हैं ।

प्रो० पी जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैंने केवल यही कहा है कि चाहे वे कुछ भी सही न कहें हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, वह आपका समर्थन कर रहे हैं । वह केवल आपके पक्ष की ही आलोचना करते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार आप अपना भाषण जारी रखिए ।

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : जैसा कि कुछ सदस्यों ने पहले ही उल्लेख किया है, इस इस विधेयक के दो खण्ड महत्वपूर्ण हैं ।

खण्ड 2 (ङ) में कहा गया है : "मान्यता प्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता" से पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई पशु-चिकित्सा अर्हता अभिप्रेत है ;"

इसमें विधेयक के अन्त में अनुसूचियां दी गई हैं किन्तु उनमें देश के कुछ मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा दिये गये कुछ डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों को शामिल नहीं किया गया है । अतः आपको माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि देश की उन संस्थाओं के डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों को शामिल करने के लिये एक तीसरी अनुसूची शामिल की जाये जिन्हें उन्होंने मान्यता प्रदान की है ।

इसी प्रकार जैसा कि श्री सूरज भान ने कहा है, खण्ड 30 के उप-खंड (ख) में कहा गया है :

(ख) किसी राज्य में पशु-चिकित्सा औषधि का व्यवसाय नहीं करेगा :

"परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी राज्य के पशु-पालन निदेशालय द्वारा (उसका चाहे जो भी नाम हो) या भारत में किसी पशुचिकित्सा संस्था द्वारा जारी किया गया पशुचिकित्सा पर्यवेक्षक, स्टाकमैन या स्टाक सहायक का (चाहें उसका जो भी नाम हो) डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारण करता हो, रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण और निदेशन में गौण पशु चिकित्सा सेवा करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।"

मैं 'गौण पशु-चिकित्सा सेवा करने शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका हूं । रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी का पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है ? क्या यह सम्भव है ? श्री सूरज भान कह रहे थे कि यह सलाह हो सकती है । मैं इससे भी सहमत नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि :

"किसी रजिष्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण और निदेशन में" शब्दों का इस खण्ड से अर्थात खंड 30 के उप-खंड (ख) से लोप किया जाये। ".. गौण पशु-चिकित्सा सेवा करना ही काफी है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मुझसे इस सम्बन्ध में सहमत होंगे अन्यथा देश में केवल 10,000 पशु-चिकित्सा स्नातकों द्वारा ही काम चलाना कठिन होगा। ये दस हजार अन्य क्षेत्रों में काम कर कर रहे हैं। केवल दस हजार उपलब्ध हैं। हमें समस्त भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पशु चिकित्सा औषधालयों तथा अन्य बातों के लिए आदमी चाहिए। इन पशु-चिकित्सा स्नातकों से उन्हें चलाना कठिन है। अतः इस कार्य को करने के लिए गैर-स्नातकों तथा प्रमाण पत्र धारियों के लिए स्पष्ट उपबन्ध किया जाना चाहिए और वे गत 30 वर्षों से काम करते आ रहे हैं और ठीक ढंग से काम भी करते रहे हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें परिवर्तन किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० चामातेवर (डिन्डिगल) : इस विधेयक को पुरःस्थापित कर सरकार ने मवेशियों के प्रति और उन सरकारी कर्मचारियों के प्रति अच्छा काम नहीं किया है जो स्नातक नहीं हैं। यह उनके लिए हानिकारक है। दुर्भाग्यवश जानवर बोल नहीं सकते। यदि जानवर बोल सकते तो उन्होंने माननीय मंत्री और परिषद पर हमला किया होता जिन्होंने इस विधेयक की सिफारिश की और माननीय मंत्री के लिए परेशानी पैदा की। सौभाग्य से वे बोल नहीं सकते और उनमें अपनी ओर से बोलने की समझ नहीं है। जैसे हालात हैं उनके कारण 50,000 प्रभावित डिप्लोमा-धारी माननीय सदस्यों को अपनी शिकायतों के बारे में प्रतिवेदन दे रहे हैं। जब 50,000 डिप्लोमा धारियों ने देश के मवेशियों के स्वास्थ्य तथा सम्पदा की तीन दशक तक सेवा की है तथा उनकी रक्षा की है तो उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जानी चाहिए। यदि उनकी सेवाएं समाप्त की गईं तो दूध की कीमत बढ़ जायेगी क्योंकि हमारे पास देश के 52 करोड़ मवेशी धन की सेवा करने के लिए पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सा विज्ञान के स्नातक डाक्टर नहीं हैं। दूध की कीमत भी बढ़ सकती है, क्योंकि 52,000 लोगों की सेवा समाप्त करने के कारण कई मवेशी मर जायेंगे। सरकार द्वारा इस कदम के उठाने से मवेशियों की कीमत भी बढ़ जायेगी। देश के मवेशी धन पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसकी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका है।

मेरी संक्षिप्त सिफारिश है। वे 50,000 व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र के मवेशी धन के हितों की रक्षा कर देश की सेवा की है, किसी दूसरे देश से नहीं आये हैं अथवा वे अनुभवहीन व्यक्ति नहीं हैं। वे पहले ही डिप्लोमाधारी हैं। उन्हें पहले ही राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। मेरी सिफारिश यह है कि पशु-चिकित्सा कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा प्रदान किए गए आपात कालीन डिप्लोमा को पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक के बाद की योग्यता माना जाना चाहिये। उनकी सेवाओं की जिन्होंने अध्यक्ष, परीक्षक बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला डिप्लोमा पास किया है, रक्षा की जानी चाहिए। उन व्यक्तियों की, जिन्होंने राज्य सरकारों तथा कृषि विश्वविद्यालयों सहित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा चलाये जाने वाले प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पास किए हैं, सेवाएं समाप्त नहीं की जानी चाहिए। उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। उपयुक्त संशोधन कर तथा इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधनों को स्वीकृत कर उनकी सेवाओं की रक्षा की जानी चाहिए।

अध्याय 1, खण्ड 2, उप-खण्ड (6) में संशोधन दिया गया है। इसमें कहा गया है :—

"रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा पशु-चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है

जिसके पास मान्यता प्राप्त अर्हता है अथवा जो अन्यथा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना नाम रजिस्टर करने का हकदार है और जिसका नाम फिलहाल रजिस्टर में दर्ज है।"

7.00 म०प०

प्रभावित व्यक्तियों के हित में मैं इसकी जोरदार सिफारिश करता हूं। माननीय मंत्री कृपया उनके प्रति सद्भावना दिखाएं और उपयुक्त संशोधन करें।

खण्ड 15 में भी कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया गया है। इन्हें भी स्वीकृत किया जाये।

साथ ही खण्ड 13 (ख) में उन 52,000 लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो देश में मवेशी धन की सेवा कर रहे हैं, कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है। उन्हें न हटाइए, उन्हें अचानक सड़क पर न लाइए क्योंकि हमारे पास देश में मवेशी धन की जिनकी संख्या 52 करोड़ है, सेवा तथा रक्षा करने के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सक नहीं हैं। दस हजार अथवा बारह हजार डाक्टर काफी नहीं हैं। मवेशीयन की रक्षा के लिए या तो आपको डाक्टरों की संख्या बढ़ानी होगी या इन 52,000 लोगों को सेवा में बनाए रखना होगा, अन्यथा मवेशी धन पर वस्तुतः प्रभाव पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

7.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 8 अगस्त, 1984/17 श्रावण, 1906 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिन्टर्स, K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित